

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2023-24



MUMBAI SUBURBAN RAIL NETWORK

PROJECTS UNDER MUTP

Phase I (Completed)

- 5th line between Mahim & Santacruz
- 3rd & 4th lines between Borivali & Virar
- 5th & 6th lines between Kurla & Thane

Phase II (Under Implementation)

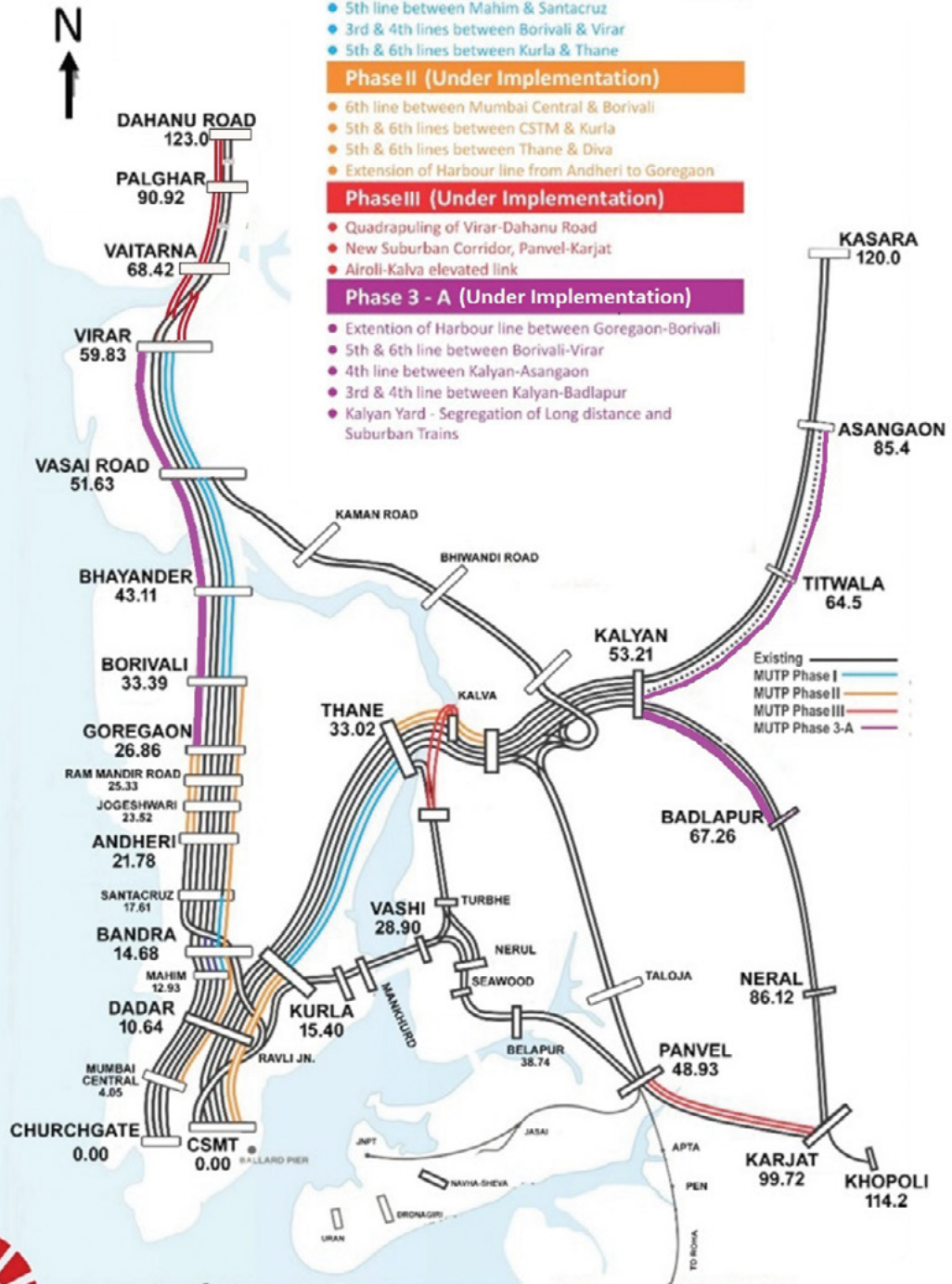
- 6th line between Mumbai Central & Borivali
- 5th & 6th lines between CSTM & Kurla
- 5th & 6th lines between Thane & Diva
- Extension of Harbour line from Andheri to Goregaon

Phase III (Under Implementation)

- Quadrupuling of Virar-Dahanu Road
- New Suburban Corridor, Panvel-Karjat
- Airoli-Kalva elevated link

Phase 3 - A (Under Implementation)

- Extension of Harbour line between Goregaon-Borivali
- 5th & 6th line between Borivali-Virar
- 4th line between Kalyan-Asangaon
- 3rd & 4th line between Kalyan-Badlapur
- Kalyan Yard - Segregation of Long distance and Suburban Trains



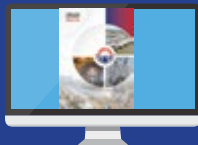
मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड
MUMBAI RAILWAY VIKAS CORPORATION Ltd.



सैकड़ों किलोमीटर से अधिक फैले नेटवर्क में मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेनें लाखों मुंबईकरों के लिए परिवहन का पसंदीदा माध्यम हैं जो आवागमन का एक सुविधाजनक और किफ़ायती साधन प्रदान करती हैं।



अधिक जानकारी के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें



कृपया रिपोर्ट को ऑनलाइन देखने के लिए यहाँ लॉग ऑन करें
www.mrv.c indianrailways.gov.in

दूरदेशी विवरण (आशादायी वक्तव्य)

इस रिपोर्ट के विवरणों में कुछ दूरदेशी विवरण हो सकते हैं जिनमें कंपनी की अपेक्षित वित्तीय स्थिति एवं परिचालनों के परिणामों, व्यवसायिक योजनाओं एवं सूची-पत्रों आदि के संबंधित विवरण शामिल हो सकते हैं और इन्हें सामान्यतः दूरदेशी शब्दों के रूप में पहचाना जाता है, जैसे "विश्वास", "योजना", "अंदेशा", "जारी", "अनुमानित", "अपेक्षा", "हो सकता है", "होगा", या ऐसे ही अन्य शब्द। दूरदेशी विवरण अनुमानों पर आधारित होते हैं या उनका आधार ऐसे अंतर्निहित विवरण होते हैं। हमने इन अनुमानों एवं आधारों का चयन सद्भावना के साथ किया है और हमें विश्वास है कि ये सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों में उपयुक्त हैं। हालाँकि हम इस बारे में सतर्क करते हैं कि वास्तविक परिणाम, प्रदर्शन या उपलब्धियाँ ऐसे दूरदेशी विवरणों में व्यक्त या अंतर्निहित वक्तव्यों से बहुत अलग हो सकती हैं। हम किन्हीं दूरदेशी वक्तव्यों को अद्यतन या संशोधित करने की बाध्यता स्वीकार नहीं करते हैं चाहे वह किसी नई जानकारी के परिणामस्वरूप हो या फिर भावी घटनाओं के, या फिर अन्यथा।

विषय-सूची

02-14

कॉर्पोरेट अवलोकन

- 02 निदेशक मंडल
- 03 कॉर्पोरेट जानकारी
- 05 एमआरवीसी - एक नज़र में
- 12 अध्यक्ष का संदेश
- 14 वित्तीय विशिष्टताएं

15-62

वैधानिक रिपोर्ट

- 15 वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना
- 20 निदेशकों की रिपोर्ट
- 44 एमयूटीपी की परियोजनाएं (रेल घटक)
- 47 प्रबंधन का विचार-विमर्श और विश्लेषण
- 57 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
- 60 अनुपालन प्रमाण-पत्र
- 61 व्यावसायिक आचरण और नैतिक व्यवहार संहिता का अनुपालन
- 62 पिछले 10 वर्षों की विशेष वित्तीय जानकारी

63-121

वित्तीय विवरण

- 64 लेखा परीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट
- 67 अनुलग्नक-ए हमारे स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की समतिथि रिपोर्ट में संदर्भित
- 69 अनुलग्नक-बी हमारे स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की समतिथि रिपोर्ट में संदर्भित
- 71 अनुलग्नक-सी हमारे स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की समतिथि रिपोर्ट में संदर्भित
- 73 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी
- 76 तुलन-पत्र
- 77 आय और व्यय का विवरण
- 78 नकदी प्रवाह विवरण
- 79 इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
- 80 वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

निदेशक मंडल



श्री सुभाष चंद गुप्ता
उध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(20.04.2022 से)



श्रीमती स्मृति वर्मा
निदेशक [वित्त]
(01.12.2023 से)



श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव
निदेशक [परियोजनाएं]
(28.10.2022 से)



श्री विलास सोपान वाडेकर
निदेशक [तकनीकी]
(09.07.2024 से)



श्री राजेश कुमार गर्ग
अंशकालिक सरकारी निदेशक [एमओआर]
(06.04.2023 से)



श्री असीम कुमार गुप्ता
अंशकालिक सरकारी निदेशक [जीओएम]
(08.06.2023 से)



श्रीमती पुष्पा जांगिड
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक [एमओआर]
(11.11.2021 से)



02-14

कॉर्पोरेट अवलोकन

15-62

वैधानिक रिपोर्ट

63-121

वित्तीय विवरण

कॉर्पोरेट जानकारी

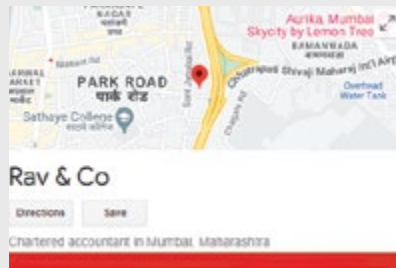
- 1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक — श्री सुभाष चंद गुप्ता [DIN - 08339258]
20.04.2022 से
- 2 निदेशक [वित्त] — श्रीमती स्मृति वर्मा - [DIN - 10369917]
01.12.2023 से
- 3 निदेशक [परियोजनाएं] — श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव [DIN - 09776128]
28.10.2022 से
- 4 निदेशक [तकनीकी] — श्री विलास सोपान वाडेकर - [DIN - 10369918]
09.07.2024 से
- 5 निदेशक [पुनःस्थापन और पुनर्वास] — पद रिक्त
- 6 निदेशक [इंफ्रास्ट्रक्चर और वाणिज्यिक विकास] — पद रिक्त
- 7 अंशकालिक सरकारी निदेशक [एमओआर] — श्री राजेश कुमार गर्ग [DIN - 10117955]
06.04.2023 से
- 8 अंशकालिक सरकारी निदेशक [जीओएम] — श्री असीम कुमार गुप्ता [DIN - 02607016]
08.06.2023 से
- 9 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक [एमओआर] — श्रीमती पुष्पा जांगिड [DIN - 09395493]
11.11.2021 से
- 10 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक [जीओएम] — पद रिक्त

बैंकर्स



लेखा परीक्षक

मैसर्स आरएवी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
मुंबई-400 055



पंजीकृत कार्यालय

दूसरी मंजिल
चर्चगेट स्टेशन भवन
चर्चगेट
मुंबई 400020
टेलफोन नं: 022 22195398 / 399
फैक्स: 022 2209 6972



वेबसाइट : www.mrv.in
सीआईएन : U45203MH1999GOI120765



हमारा मिशन

यात्रियों के लिए आरामदायक और अनुकूल ट्रेन सेवाएं प्रदान करने के लिए मुंबई उपनगरीय खंड में एक कुशल, सुरक्षित और टिकाऊ रेलवे प्रणाली के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास करना।



हमारे उद्देश्य

- मुंबई के लिए शहरी विकास योजना सहित उपनगरीय रेल क्षमता वृद्धि योजना एकीकृत करना तथा निवेश प्रस्तावित करना।
- मुंबई उपनगर खंड में रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
- उपनगरीय रेल विकास के लिए निधि के सृजन के लिए मुंबई क्षेत्र में रेलवे भूमि तथा एयरस्पेस का वाणिज्यिक उपयोग।
- परियोजना प्रभावित लोगों का पुनःस्थापन एवं पुनर्वसन।





02-14

कॉर्पोरेट अवलोकन

15-62

वैधानिक रिपोर्ट

63-121

वित्तीय विवरण

एम आर वी सी

एक नज़र में

मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली में समृद्ध, स्थायी और उन्नत नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणता और संरक्षा प्रदान करने के लिए एमआरवीसी पिछले 25 वर्षों से अपनी यात्रा में गतिमान रही है। प्रति वर्ष कंपनी यह प्रयास करती है कि वह मुंबईकरों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन में सुधार करे।

एमआरवीसी द्वारा 4452 करोड़ रु. की लागत से एमयूटीपी-1 और 5802 करोड़ रु. की लागत से निष्पादित एमयूटीपी-2 का एक हिस्से का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। मध्य और पश्चिम रेलवे द्वारा निष्पादित किए जाने वाले एमयूटीपी-2 का एक हिस्सा निर्माणाधीन है। एमयूटीपी- और एमयूटीपी-3ए के तहत एमआरवीसी की वर्तमान कार्य बही 39,922 करोड़ रु. है।



मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-III

मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में उपनगरीय रेलवे के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने और बढ़ाने के लिए एमयूटीपी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 20.12.2016 को 10947 करोड़ रु. की मंजूरी दी गई थी जिसे ऋण घटक सहित रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। एमयूटीपी के तहत एमआरवीसी को आवंटित कार्य और उनकी प्रगति की स्थिति इस प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	लागत (करोड़ रु. में)	31.03.2024 तक वास्तविक प्रगति
1	नया उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर पनवेल-कर्जत (डबल लाइन) (28 किलोमीटर)	2782	49%
2	मध्य रेलवे पर ऐरोली-कलवा उपनगरीय लिंक (एलिबेटेड) (4 किमी)	476	45%
3	पश्चिम रेलवे पर विरार-दहानू मार्ग का चौहरीकरण (64 किमी)	3578	23%
4	रोलिंग स्टॉक की खरीद (565 कोच)	3491	-
5	मध्य सेक्शन पर अतिक्रमण नियंत्रण	551	75%
6	तकनीकी सहायता	69	50%
	कुल	10947	

1. पनवेल-कर्जत नया उपनगरीय कॉरिडोर (मध्य रेल)



चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण

परियोजना की विशेषताएं - कुल लंबाई 29.6 किमी, पांच स्टेशन, दो रेल फ्लाईओवर, 8 बड़े पुल, 33 छोटे पुल, 15 आरयूबी, 5 आरओबी और 3 सुरंगें, जिनकी कुल लंबाई 3.12 किमी है, जिसमें से एक 2.6 किमी लंबी है।

इस परियोजना की कुल लागत 2782 करोड़ रु. है (एआईआईबी - 1,274 करोड़ रु., रेल

मंत्रालय - 408 करोड़ रु., महाराष्ट्र सरकार - 1,100 करोड़ रु.)

यह कॉरिडोर तेजी से विकसित हो रहे पनवेल, कर्जत और नैना क्षेत्र की मांग को पूरा करेगा और मुख्य द्वीप शहर मुंबई से कर्जत तक कल्याण के रास्ते मौजूदा मार्ग की तुलना में पनवेल के रास्ते कम यात्रा दूरी के साथ वैकल्पिक संपर्क भी प्रदान करेगा।



2. मध्य रेलवे पर ऐरोली-कलवा उपनगरीय लिंक (एलिवेटेड)



► चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण

परियोजना की विशेषताएं – लंबाई 3.3 किमी, 2 स्टेशन (1 नया स्टेशन दीघा और अन्य एलिवेटेड कलवा), 4 रेल फ्लाईओवर (अप/डाउन ट्रांस एचबी, पारसिक गुड्स कॉर्ड और 5वीं/6वीं लाइन पर), 6 छोटे पुल, एक आरयूबी।

कुल लागत – 476 करोड़ रु. (रेल मंत्रालय – 238 करोड़ रु., महाराष्ट्र सरकार – 238 करोड़ रु.)

चरण-I – दीघा में हॉल्ट स्टेशन का निर्माण।

12.01.2024 को चालू किया गया। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया।

चरण-II – ऐरोली और कलवा के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर।

इस चरण में भूमि अधिग्रहण शामिल है और इसे एमएमआरडीए द्वारा पुनःस्थापन एवं पुनर्वसन का कार्य पूरा होने के बाद शुरू करने की योजना है। इसे पूरा होने में लगभग 36 महीने लगेंगे।

वर्तमान में कल्याण से वाशी/पनवेल आने-जाने वाले यात्री ठाणे में उतरकर ट्रांस हार्बर लिंक लेते हैं। इसके कारण ठाणे में भीड़भाड़ होती है। ऐरोली-कलवा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना पूरी हो जाने के बाद, इस परियोजना से ठाणे रेलवे स्टेशन में न

उतरते हुए कल्याण से वाशी/पनवेल आने-जाने वाले लाखों लोगों के लिए सीधी पहुँच हो जाएगी।



3. पश्चिम रेलवे पर विरार-दहानू रोड सेक्शन का चौहरीकरण



चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण

परियोजना की विशेषताएं- लंबाई 64 किमी, 9 स्टेशन, 2 महत्वपूर्ण पुल (27X18.3 मीटर और 33X18.3 मीटर), 16 बड़े पुल, 64 छोटे पुल, 8 आरयूबी, एक आरओबी)

कुल लागत - 3578 करोड़ रु. (एआईआईबी - 1,946 करोड़ रु., रेल मंत्रालय - 816 करोड़ रु., महाराष्ट्र सरकार - 816 करोड़ रु.)

पश्चिम रेलवे मुंबई-अहमदाबाद/दिल्ली मार्ग पर विरार-दहानू रोड के बीच मौजूदा व्यस्त डबल लाइन पर उपनगरीय सेवाएं चला रहा है जो पहले से ही अत्यधिक व्यस्त है। इन अतिरिक्त लाइनों के निर्माण से इस क्षेत्र के यात्रियों की मांग पूरी होगी और चर्चिंग से दहानू रोड तक उपनगरीय सेवाओं का विस्तार होगा।

4. रोलिंग स्टॉक की खरीद-

इसे एमयूटीपी-3ए के साथ कार्यान्वित करने की योजना है हालांकि परियोजना से संबंधित कोई भी कार्रवाही रेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ही शुरू की जाएगी।

भीड़भाड़ को कम करने के लिए, खास तौर पर व्यस्त समय के दौरान और एमयूटीपी-3 और 3-ए के तहत अतिरिक्त कॉरिडोर की सेवा के लिए अतिरिक्त ईएमयू रेल की आवश्यकता है। स्वचालित दरवाजा बंद करने की प्रणाली के साथ वातानुकूलित कोचों की शुरुआत से सेवा की गुणता और यात्रियों की सुरक्षा में वृद्धि होगी।

5. मध्य सेक्शन पर अतिक्रमण नियंत्रण

परियोजना की विशेषताएं- 29 फुट ओवर ब्रिज, 02 एफओबी एक्सटेंशन, 02 लिंकवे, 01 सबवे, 01 पाथवे और मध्य सेक्शन में 48 किलोमीटर लंबी चारदीवारी।

कुल लागत - 551 करोड़ रु. (एआईआईबी - 200 करोड़ रु., रेल मंत्रालय - 176 करोड़ रु., महाराष्ट्र सरकार - 176 करोड़ रु.)

उपनगरीय रेल नेटवर्क पर अतिक्रमण सुरक्षा के संबंध में चिंता का बहुत बड़ा विषय है क्योंकि हर साल 3500 से ज़्यादा होने वाली दुर्घटनाओं में लगभग 70% दुर्घटनाएं अतिक्रमण के कारण होती हैं। चिन्हित 37 स्थानों पर अतिक्रमण नियंत्रण के तहत किए जा रहे कार्यों से अतिक्रमण में उल्लेखनीय कमी आएगी और लोगों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हो सकेगा।

मुंबई शहर के सबसे संवेदनशील उपनगरीय रेल खंडों में अतिक्रमण की घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस परियोजना में नए एफओबी का निर्माण, एफओबी का विस्तार, पहचाने गए स्थानों पर लिंकवे, सबवे, पाथवे और लंबी चारदीवारों का प्रावधान शामिल किया गया है।





मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-3ए

एमआरवीसी द्वारा एमयूटीपी 3ए परियोजना की संकल्पना मुंबई शहर में स्थायी शहरी परिवहन के लिए रेल आधारित परियोजनाओं के समूह के रूप में की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई की उपनगरीय रेल प्रणाली की नेटवर्क कनेक्टिविटी, सेवा गुणता और संरक्षा में सुधार करना और मुंबई महानगर क्षेत्र योजना के साथ प्रणाली को बेहतर ढंग से एकीकृत करना है। इस परियोजना की लागत 33690 करोड़ रु. है जिसे ऋण घटक सहित रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। एमयूटीपी 3-ए के तहत एमआरवीसी को आवंटित कार्य इस प्रकार हैं-

क्र.सं.	कार्य का नाम	लागत (करोड़ रु. में)	31.03.2024 तक वास्तविक प्रगति
1	बोरीवली-विरार के बीच 5वीं और 6वीं लाइन (26 किमी)	2184	1%
2	कल्याण-बदलापुर के बीच तीसरी और चौथी लाइन (15 किमी)	1510	21%
3	ए) हार्बर लाइन और ट्रांस हार्बर पर सीएसएमटी-पनवेल पर सीबीटीसी	1391	-
	बी) मध्य रेलवे पर सीएसएमटी-कल्याण पर सीबीटीसी	2166	-
	सी) पश्चिम रेलवे पर सीसीजी-वीआर पर सीबीटीसी	2371	-
4	17 स्टेशनों पर स्टेशन सुधार	947	16%
5	ए) रोलिंग स्टॉक की खरीद - 191 एसी ईएमयू रोक	15802	-
	बी) रोलिंग स्टॉक के लिए रखरखाव सुविधाएं	2353	-
6	तकनीकी सहायता	250	-

एमयूटीपी 3-ए का उद्देश्य पश्चिम रेलवे में विरार तक तथा मध्य रेलवे में आसनगांव और बदलापुर तक उपनगरीय और मुख्य लाइन सेवाओं को अलग करना है।

1. बोरीवली-विरार के बीच 5वीं और 6वीं लाइन

परियोजना की विशेषताएं - लंबाई 26 किमी, 8 स्टेशन, 2 महत्वपूर्ण पुल (28X48.5 मीटर और 11X48.5 मीटर), 3 बड़े पुल, 15 छोटे पुल, 1 आरओबी, 1 आरयूबी।

पश्चिमी लाइन पर उपनगरीय और गैर-उपनगरीय सेवाओं का पूर्ण पृथकीकरण करना क्योंकि मिश्रित यातायात की वर्तमान स्थिति उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों सेवाओं को प्रभावित करती है।

कुल लागत - 2184 करोड़ रु., (रेल मंत्रालय - 1,092 करोड़ रु. महाराष्ट्र सरकार - 1,092 करोड़ रु.)



चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण

2. कल्याण-बदलापुर के बीच तीसरी और चौथी लाइन

परियोजना की विशेषताएं - लंबाई 14.60 किमी, 5 स्टेशन, 2 बड़े पुल, 49 छोटे पुल, 4 - आरओबी, 1 ओएच पाइपलाइन पुल, 2 आरयूबी

कुल लागत - 1,510 करोड़ रु. (रेल मंत्रालय - 755 करोड़ रु., महाराष्ट्र सरकार - 755 करोड़ रु.)

केवाईएन-बीयूडी के बीच मौजूदा दो लाइनों में मेल/एक्सप्रेस, माल और उपनगरीय सेवाओं के लिए मिश्रित यातायात, और 120 की क्षमता के बावजूद लगभग 136 ट्रेनें चलाई जाती हैं। उपनगरीय सेवाओं को अलग करने, बढ़ाने और सुधारने के लिए, यह आवश्यक है कि बदलापुर तक तीसरी और चौथी लाइनें बिछाई जाएं।



चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण

3. संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली (सीबीटीसी)

परियोजना की विशेषताएं

- सीआर-130 आर-किमी/370 टी-किमी
- डबल्यूआर-74 आर-किमी/268 टी-किमी

कुल लागत - 5928 करोड़ रु.

(एआईआईबी - 2,800 करोड़ रु., रेल मंत्रालय - 1,564 करोड़ रु., महाराष्ट्र सरकार - 1,564 करोड़ रु.)

- उपनगरीय नेटवर्क की संरक्षा, क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए मध्य और पश्चिम रेलवे पर संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत।
- परिचालन ट्रेनों की क्षमता बढ़ाने के लिए हेडवे को घटाकर 2.5 मिनट किया गया।

रेल मंत्रालय प्रौद्योगिकी में 'आत्मनिर्भरता' के लिए सीबीटीसी के स्वदेशी विकास की प्रक्रिया में है। रेलवे बोर्ड से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

4. स्टेशन सुधार

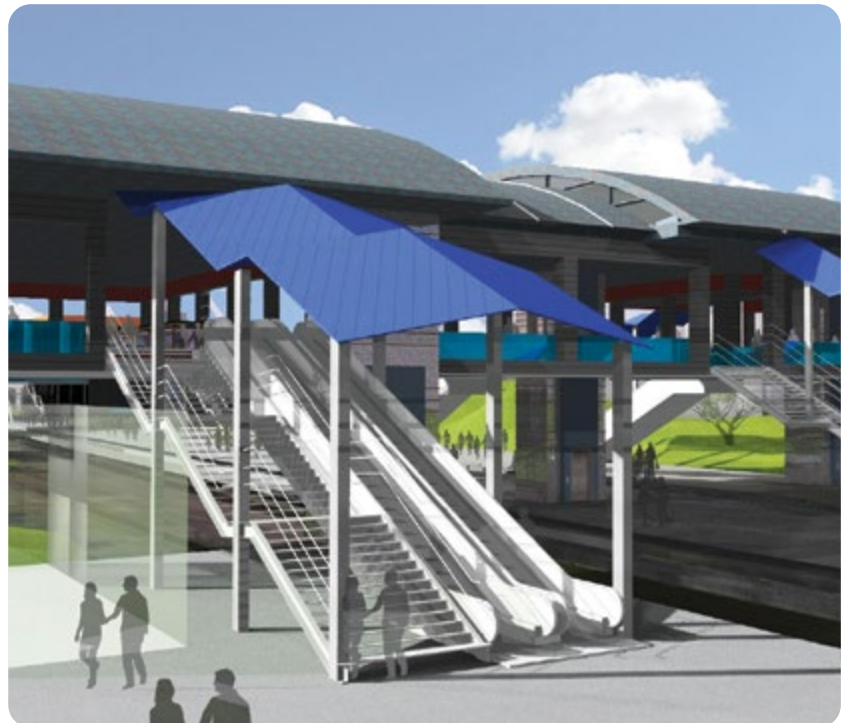
इस परियोजना में निम्नलिखित स्टेशन शामिल होंगे -

मध्य रेलवे पर - जीटीबी नगर, भांडुप, गोवंडी, मानखुर्द, डोंबिवली, नेरुल, कसारा, चेंबूर, मुलुंद और घाटकोपर।

पश्चिम रेलवे पर - कांदिवली, मीरा रोड, भयंदर, मुंबई सेंट्रल, खार रोड, नालासोपारा, वसई और सांताक्रूज़।

कुल लागत - 947 करोड़, (एआईआईबी - 665 करोड़ रु., रेल मंत्रालय - 141 करोड़ रु., महाराष्ट्र सरकार - 141 करोड़ रु.)

मुंबई उपनगरीय क्षेत्र के अधिकांश स्टेशन 80 साल से ज़्यादा पुराने हैं जो कि अत्यधिक भीड़भाड़ वाले हैं क्योंकि यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। इस परियोजना के अंतर्गत कुछ विशेष रूप से व्यस्त उपनगरीय स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा ताकि स्टेशनों पर यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके।





5. रोलिंग स्टॉक और रखरखाव सुविधाओं की खरीद (191/12 कार एसी ईएमयू)

इसे एमयूटीपी-III और 3ए के अंतर्गत क्रियान्वित करने की योजना है।



एमयूटीपी	12 की संख्या कार रेक	कोचों की संख्या	लागत (करोड़ रु. में)
एमयूटीपी III	47	564	3,491
एमयूटीपी IIIए	191	2292	15,802
कुल (रोलिंग/स्टॉक) -	238	2856	19,293
ईएमयू रखरखाव सुविधाएं (प्रत्येक मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे में एक डिपो)	-	-	2,353
कुल योग			21,646

भीड़भाड़ को कम करने के लिए, खास तौर पर व्यस्त समय के दौरान और एमयूटीपी III और IIIए के तहत अतिरिक्त कॉरिडोर की सेवा के लिए अतिरिक्त ईएमयू रेक की आवश्यकता है। स्वचालित दरवाजा बंद करने की प्रणाली के साथ वातानुकूलित कोचों की शुरूआत से सेवा में गुणता और यात्रियों की सुरक्षा में वृद्धि होगी। रेलवे बोर्ड की सलाह पर यह खरीद की जाएगी।

अध्यक्ष का संदेश



मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एमआरवीसी द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आपकी कंपनी के व्यवसाय संचालन में अनेक 'अब तक की सर्वश्रेष्ठ' उपलब्धियां हासिल हुई हैं। कंपनी ने परिचालन से अब तक का सर्वाधिक राजस्व, 119.46 करोड़ रु. और सर्वाधिक ईबीआईटीडीए 136.37 करोड़ रु. दर्ज किया है।

प्रिय शेयरधारको,

एमआरवीसी के निदेशक मंडल की ओर से मैं आपकी कंपनी की इस 25वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।

मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है और इसकी उपनगरीय रेल प्रणाली शहर की जीवन रेखा है। मुंबई की लोकल ट्रेनों को महानगर को सुचारू रूप से चलाने में अपने अद्वितीय महत्व के कारण "शहर की जीवन रेखा" कहा जाता है। सैकड़ों किलोमीटर से अधिक फैले नेटवर्क में मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेनें लाखों मुंबईकरों के लिए परिवहन का चुनिंदा माध्यम हैं जो आवागमन का एक सुविधाजनक और किफ़ायती साधन प्रदान करती हैं।

एक ओर जहां मुंबई की लोकल ट्रेनें शहर की संरचना का अभिन्न अंग हैं वहीं उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। भीड़भाड़, रखरखाव के मुद्दे और बुनियादी ढांचे की कमी लगातार चिंता के विषय हैं। एमयूटीपी के तहत आवंटित कार्यों के साथ एमआरवीसी ने मुंबईकरों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित आवागमन की बढ़ती मांग से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की निदेशक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे आपको पहले ही परिचालित किए जा चुके हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य और जिम्मेदारी की बात है कि मैं कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से इस वित्त वर्ष के परिणामों की घोषणा कर रहा हूं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एमआरवीसी द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आपकी कंपनी के व्यावसायिक संचालन में अनेक 'अब तक की सर्वश्रेष्ठ' उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं।

मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि समीक्षाधीन वित्त वर्ष में आपकी कंपनी ने परिचालन से अब



तक का सर्वाधिक राजस्व, 119.46 करोड़ रु. और सर्वोच्च ईबीआईटीडीए 136.37 करोड़ रु. दर्ज किया है। वर्ष का कर के पश्चात लाभ 133.71 करोड़ रु. दर्ज किया गया जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 55% अधिक है। कंपनी की कुल आय वित्त वर्ष 2022-23 में 39% बढ़कर 131.08 करोड़ रु. से वित्त वर्ष 2023-24 में 182.17 करोड़ रु. हो गई है। प्रति शेयर बुक मूल्य वित्त वर्ष 2022-23 में 12,842 रु. से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 17,210 रु. हो गया है और कंपनी के निवल मूल्य में 34% की वृद्धि हुई है जो वित्त वर्ष 2022-2023 में 321.04 करोड़ रु. से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 430.25 करोड़ रु. हो गई है। एमआरवीसी का ईपीएस वित्त वर्ष 2022-23 में 3,450.80 रु. से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 5,348.40 रु. हो गया है। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का कार्य-निष्पादन और वित्तीय प्रदर्शन दोनों सूचकांकों पर उत्कृष्ट रहा है।

परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन के संबंध में कंपनी का प्रयास परियोजनाओं के पूरा होने के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना रहा है। वर्ष के दौरान ऐरोली-कलवा परियोजना के अंतर्गत दिघे गांव स्टेशन, मध्य और पश्चिम रेलवे में नौ एफओबी, कल्याण-विठ्ठलवाड़ी के बीच एक रोड ओवर ब्रिज, ठाणे-ऐरोली के बीच एक सबवे, कांजुरमार्ग में एक लिंकवे और बदलापुर में एक होम प्लेटफॉर्म का निर्माण पूरा किया गया।

मुंबई मंडल परियोजना के हार्बर लाइन पर 12 कार कोच चलाने के कार्य के अंतर्गत एमआरवीसी ने वर्ष के दौरान जुईनगर स्टेशन पर छह ईएमयू स्टेबलिंग साइडिंग और ऑपरेटिंग क्रू के लिए 16 बेड रनिंग रूम का प्रावधान तथा इंटरलॉकिंग का कार्य किया। वर्ष के दौरान एमयूटीपी-3ए के तहत विभिन्न स्टेशनों में सुधार

एमआरवीसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एमओयू में "उत्कृष्ट" रेटिंग के साथ 96.50 का स्कोर प्राप्त किया है। कंपनी को 2023-24 में और भी बेहतर स्कोर मिलने की संभावना है।

कार्य भी किए गए जबकि एमयूटीपी-3 और 3ए के तहत एमआरवीसी को आवंटित कार्यों में कार्य-निष्पादन की गति को बनाए रखा गया।

आपकी कंपनी की वर्तमान असाइनमेंट बुक 39,922 करोड़ रु. है जो एक सुदृढ़ स्थिति का परिचय देता है। वर्ष के दौरान एमआरवीसी ने एमयूटीपी-3 और एमयूटीपी 3ए के तहत 2011 करोड़ रु. की राशि के कार्यों के लिए विभिन्न संविदाएं प्रदान कीं।

एमआरवीसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एमओयू में "उत्कृष्ट" रेटिंग के साथ 96.50 का स्कोर प्राप्त किया है। कंपनी को 2023-24 में और भी बेहतर स्कोर मिलने की संभावना है।

आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता लाभप्रदता और परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के मामले में अपनी सर्वोत्तम उपलब्धियों का स्तर लगातार ऊपर उठाने की है। साथ ही हमारा ध्यान डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, एमएसएमई को बढ़ावा देने, और स्वच्छ भारत मिशन पर रहेगा।

आपकी कंपनी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस

संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है। कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में इस संबंध में आवश्यक प्रकटन किए गए हैं।

एमआरवीसी अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तदनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए आपकी कंपनी की बहुमुखी कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पहल कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप है। एमआरवीसी व्यावसायिक नैतिकता और मूल्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के औद्योगिक संबंध वर्षभर सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे।

एक कंपनी के रूप में अपने मिशन और दूरदृष्टि को प्राप्त करने का हमारा प्रयास निरंतर जारी है। पूरे निदेशक मंडल और कंपनी के प्रबंधन की ओर से मैं रेल मंत्रालय और राज्य सरकार के प्रति उनके संपूर्ण समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं एमएमआरडीए, सिडको, एआईआईबी, पश्चिम और मध्य रेलवे, केंद्रीय और राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों, सीएजी, वैधानिक लेखा परीक्षकों, हमारे कर्मचारियों और मुंबई के लोगों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हम पर अपना भरोसा बनाए रखा है। यह भरोसा हमारी प्रेरणा शक्ति है, तथा यह हमें अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने के लिए प्रेरित करता है।

सादर,

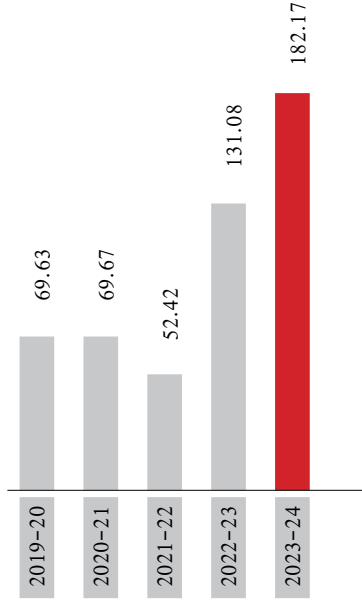
सुभाष चंद गुप्ता

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

वित्तीय विशिष्टताएं

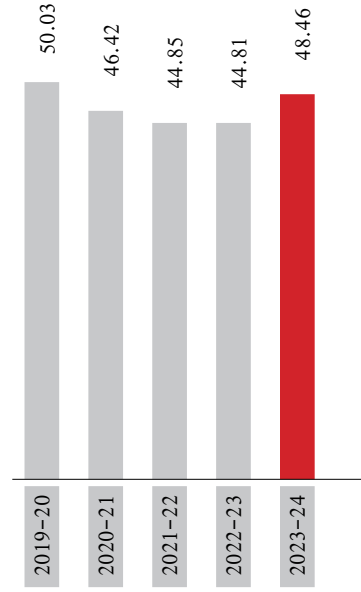
कुल आय (अन्य आय सहित)

(₹ करोड़ में)



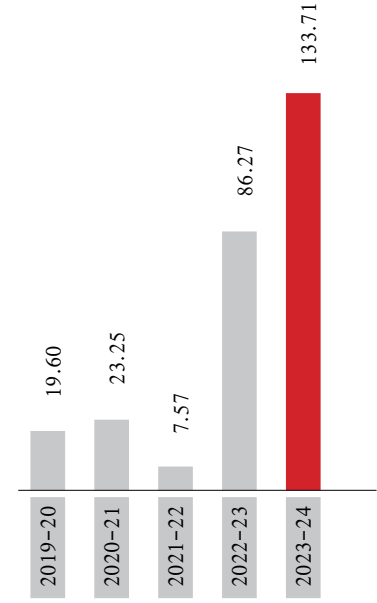
व्यय (पीपीआई सहित)

(₹ करोड़ में)



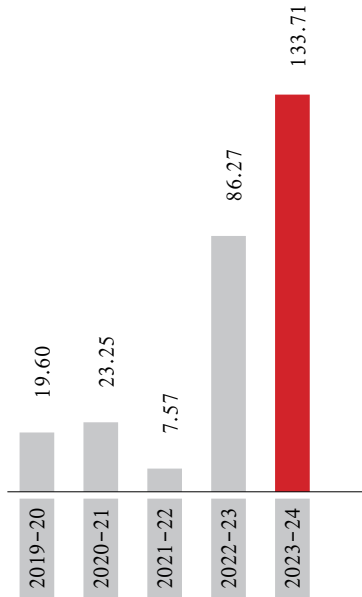
कर पूर्व लाभ

(₹ करोड़ में)



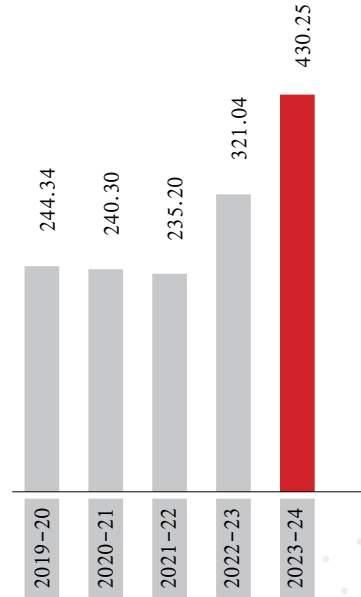
कर पश्चात लाभ

(₹ करोड़ में)



निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)





वार्षिक आम बैठक के लिए सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों की 25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 20.09.2024 [शुक्रवार] को दोपहर 3.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी -

साधारण कार्य

1 वित्तीय विवरणों को अपनाना

लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण यानी दिनांक 31.03.2024 का तुलन-पत्र, दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण, दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्राप्ति विवरण, दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और निगम के वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले लेखों की टिप्पणियों के साथ-साथ निदेशकों और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और निगम के खातों पर सी एंड एजी की टिप्पणियों पर विचार करना और उन्हें संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, निम्नलिखित साधारण संकल्प के रूप में अपनाना -

"संकल्प लिया गया कि निगम के सदस्यों द्वारा एतद्वारा लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण यानी दिनांक 31.03.2024 तक के तुलन-पत्र, दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण, दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्राप्ति विवरण, दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और निगम के वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले लेखों की टिप्पणियों के साथ-साथ निदेशकों और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और निगम के खातों पर सी एंड एजी की टिप्पणियां पर विचार किया जाए और अपनाया जाए तथा एतद्वारा विचार किया गया और अपनाया गया।"

2 वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण

वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना -

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142(1) के अनुसरण में, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित को ध्यान में रखते हुए तय किया जाए।"

विशेष कार्य

3. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना -

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(2) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, जिन्हें कंपनी की अंतर्नियमावली के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या 2017/ई(ओ)॥40/26 भाग दिनांक 30.11.2023 के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति को कंपनी की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा प्रदान की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 01.12.2023 से अपने स्वयं के कार्यभार के अलावा श्रीमती स्मृति वर्मा को निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा, पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, और रेलवे बोर्ड के आदेश सं. 2021/ई(ओ)॥40/24 दिनांक 05.02.2024 द्वारा पद पर उनके कार्यग्रहण करने की तारीख से उनकी सेवा-निवृत्ति की तारीख यानी दिनांक 28.02.2025 तक या आगे के आदेश दिए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिए श्रीमती स्मृति वर्मा [डीआईएन-10369917] को मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्त किया गया और श्रीमती स्मृति वर्मा ने दिनांक 01.12.2023 को कार्यभार ग्रहण किया।

इसके अलावा यह संकल्प भी लिया गया कि निदेशक [परियोजनाएं]/कंपनी सचिव को ऐसे सभी कार्य, और चीजें करने तथा ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, समीचीन और प्रासंगिक हों।"



4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(2) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, जिन्हें कंपनी की अंतर्नियमावली के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या 2022/ई(ओ)/40/18 दिनांक 09.07.2024 के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति को कंपनी की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा प्रदान की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दिनांक 31.07.2028 तक यानी उनकी सेवा-निवृत्ति की तारीख तक या आगे के आदेश दिए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, श्री विलास सोपान वाडेकर [डीआईएन-10369918] को मुंबई रेलवे विकास निगम लि. के निदेशक (तकनीकी) के पद पर नियमित नियुक्त करता है। श्री वाडेकर ने दिनांक 09.07.2024 को पदभार ग्रहण किया।

इसके अलावा, यह संकल्प भी लिया गया कि निदेशक [परियोजनाएं]/कंपनी सचिव को ऐसे सभी कार्य, और चीजें करने तथा ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, समीचीन और प्रासंगिक हों।”

निदेशक मंडल के आदेश से
मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड

संगीता वर्मा
कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या: एफ-7182

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28.08.2024



टिप्पणियां

- नोटिस की मद संख्या 3 और 4 के अंतर्गत दिए गए कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") के दिनांक 25.09.2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 9/2023 के संदर्भ में, एमसीए ने कंपनियों को सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार 30 सितंबर, 2024 को या उससे पहले अपनी वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है, जिससे उनके एजीएम में सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त की गई है और तदनुसार, निगम की 25वीं वार्षिक आम बैठक उक्त परिपत्र और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") (संशोधित) और इसके तहत बनाए गए नियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में वीसी या ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम में वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजनार्थ गिना जाएगा।
- एमसीए के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार, अधिनियम की धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों को प्रॉक्सी फॉर्म भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इसलिए, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और परिणामस्वरूप, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची कंपनी की 25वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने के इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं की गई है।

हालांकि, अधिनियम की धारा 112 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के राज्यपाल वार्षिक आम बैठक के दौरान भागीदारी और ई-वोटिंग (हाथ उठाकर) के उद्देश्य से वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के लिए सक्षम हैं।
- लेखों और नोटिस के अन्य मामलों के संबंध में जानकारी चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे दिनांक 19.09.2024 को या उससे पहले cs@mrv.gov.in पर ईमेल के माध्यम से कंपनी को लिखें। कंपनी द्वारा इसका उचित उत्तर दिया जाएगा। इस नोटिस में संदर्भित दस्तावेज़ लागू वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
- वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए लिंक की सूचना एजीएम की तारीख से पहले सदस्यों को ईमेल द्वारा दी जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले उपलब्ध होगी।
- यह बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, द्वितीय तल, चर्चगेट स्टेशन बिल्डिंग, चर्चगेट, मुंबई - 400020 में आयोजित मानी जाएगी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, हालांकि, यदि कोई शेयरधारक बैठक में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना चाहता है तो वह निगम के पंजीकृत कार्यालय में ऑनलाइन बैठक में शामिल हो सकता है। उनके लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
- कृपया ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत, यदि बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घंटे की समाप्ति पर, कोरम (अर्थात् प्रॉक्सी के अलावा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न्यूनतम 5 सदस्य) पूरा नहीं होता है, तो बैठक अगले सप्ताह में उसी दिन तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी या यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश होता है, तो अगले उत्तरवर्ती दिन तक जो सार्वजनिक अवकाश नहीं है, उसी समय और स्थान पर या ऐसे अन्य दिन और ऐसे अन्य समय और स्थान पर, जैसा कि बोर्ड निर्धारित करेगा, तक स्थगित कर दी जाएगी, और यदि ऐसी स्थगित बैठक में बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घंटे की समाप्ति पर कोरम उपस्थित नहीं होता है, तो उपस्थित सदस्यों को कोरम माना जाएगा और वे उस कार्य को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी।



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विशेष कार्य के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 3 और 4

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (2) में प्रावधान है कि “इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से दिए गए प्रावधान को छोड़कर, प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी द्वारा आम बैठक में की जाएगी।” तदनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों के लिए शेयरधारकों की सहमति लेना अनिवार्य है।

कंपनी की अंतर्नि्यमावली के अनुच्छेद 120 के अनुसार - (1) भारत के राष्ट्रपति को रेल मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक [वित्त] और निदेशक [तकनीकी] को नियुक्त करने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने तक या उनके त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या अन्यथा तक पद पर बने रहेंगे।

रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या 2017/ई(ओ)॥40/26 बिंदु, दिनांक 30.11.2023 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने श्रीमती स्मृति वर्मा को उनके स्वयं के कार्यभार के अलावा निदेशक वित्त के पद का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 01.12.2023 से, पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक, इनमें से भी पहले हो, सौंपा है। इसके अलावा, रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या 2021/ई(ओ)॥40/24 दिनांक 05.02.2024 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने श्रीमती स्मृति वर्मा को पद का कार्यभार संभालने की तारीख से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक, यानी दिनांक 28.02.2025 तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिए मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड के निदेशक [वित्त] नियुक्त किया है। श्रीमती स्मृति वर्मा ने दिनांक 01.12.2023 को पदभार ग्रहण किया।

श्रीमती स्मृति वर्मा को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके रिश्तेदार उपरोक्त मद/कार्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं।

बोर्ड शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन हेतु नोटिस की मद संख्या 3 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 09.07.2024 के आदेश संख्या 2022/ई(ओ)॥40/18 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने श्री विलास सोपान वाडेकर को पदभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 31.07.2028 तक, यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) नियुक्त किया है। श्री वाडेकर ने दिनांक 09.07.2024 को कार्यभार ग्रहण किया।

श्री विलास सोपान वाडेकर को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके रिश्तेदार उपरोक्त मद/कार्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं।

बोर्ड शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन हेतु नोटिस की मद संख्या 4 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से
मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड

संगीता वर्मा
कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या: एफ-7182

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28.08.2024



नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय और अन्य विवरण

निदेशक का नाम	श्रीमती स्मृति वर्मा	श्री विलास वाडेकर
डीआईएन योग्यता और अनुभव	10369917 श्रीमती स्मृति वर्मा भारतीय रेल लेखा सेवा [आईआरएस] के 1987 बैच की अधिकारी हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एम.ए. भी किया है। उन्होंने मध्य, पश्चिमी, कोंकण और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कार्य किया है। उन्होंने सिकंदराबाद में भारतीय रेल वित्त प्रबंधन संस्थान का भी नेतृत्व किया है। उन्हें रेल लेखा, वित्त, योजना और संचालन में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है।	10369918 श्री विलास सोपान वाडेकर भारतीय रेल इंजीनियर्स सेवा [आईआरएसई] बैच 1991 के अधिकारी हैं। वे अमरावती विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र से बी.ई. सिविल [स्वर्ण पदक विजेता] और वीजेटीआई, मुंबई से एम.ई. [संरचना] [विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी] हैं। उन्हें भारतीय रेल जैसे सेंट्रल, वेस्टर्न, केआरसीएल और एमआरवीसी में विभिन्न पदों पर 33 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। निदेशक [तकनीकी]/एमआरवीसी के रूप में कार्यग्रहण करने से पहले, वे कार्यकारी निदेशक [तकनीकी]/एम आरवीसी के रूप में कार्यरत थे।
नियुक्ति की शर्तें एवं नियम	भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार	भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार
निगम में प्रथम नियुक्ति की तारीख	01.12.2023	09.07.2024
निगम में शेरधारिता	कोई नहीं	कोई नहीं
अंतिम बार स्वीकृत पारिश्रमिक का विवरण	1,80,000 - 3,40,000 रु. (आईडीए वेतनमान) एवं अन्य स्वीकार्य भत्ते।	1,80,000 - 3,40,000 रु. (आईडीए वेतनमान) एवं अन्य स्वीकार्य भत्ते।
अन्य कंपनी में निदेशक पद	कोई नहीं	कोई नहीं
कंपनी के अन्य निदेशकों / केएमपी के साथ संबंध	कोई नहीं	कोई नहीं
वर्ष के दौरान आयोजित और उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या (कार्यकाल के दौरान)	1 में 1	लागू नहीं

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकगणों को दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ आपकी कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर 25वीं वार्षिक रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

समर्पण और दृढ़ प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर आपकी कंपनी वित्त वर्ष 2023-24 में भी सफलता के पथ पर आगे बढ़ती रही है। रिपोर्टिंग वर्ष में कंपनी के कार्य-निष्पादन की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

(1) परिचालन की झलकियां

ए) ऐरोली-कलवा परियोजना के अंतर्गत दिघे गांव स्टेशन का कार्यारंभ

जनवरी 2024 में, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एमयूटीपी III के ऐरोली-कलवा कार्य के तहत दिघे गांव नामक एक नए स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस स्टेशन में 270 मीटर लंबाई के चार प्लेटफॉर्म और शेड, छह एस्केलेटर, दो लिफ्ट, पांच सबवे, छह काउंटर वाले दो बुकिंग कार्यालय और पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं।



इसके अलावा जनवरी 2024 में ऐरोली-कलवा कार्य के तहत दिघे गांव स्टेशन के पास मुकुंद आरयूबी के लिए एमआईडीसी रोड पर 145 मीटर वजन और 45.7 मीटर फैलाव वाले दो ओपन वेब स्टील गर्डर स्थापित किए गए।

बी) मध्य और पश्चिम रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज [एफओबी], डेक, आरओबी का निर्माण

वित्त वर्ष के दौरान मध्य और पश्चिम रेलवे में नेरुल, घाटकोपर, मानखुर्द-वाशी, ठाणे-दिवा, गुरु तेग बहादुर नगर-चूनाभट्टी, मुंबई सेंट्रल, वडाला रोड, मोहपे-चौक और वाशिंद में नौ एफओबी का निर्माण और कार्यारंभ किया गया, कल्याण-विट्ठलवाडी के बीच एक रोड ओवर ब्रिज, ठाणे-ऐरोली के बीच एक सबवे, कांजूरमार्ग में एक लिंकवे, और बदलापुर में एक होम प्लेटफॉर्म बनाया गया। मध्य और पश्चिम रेलवे के मीरा रोड, घाटकोपर और खार रोड पर तीन डेक का कार्य आंशिक रूप से पूरा किया गया।

नेरुल





मुंबई सेंट्रल



मीरा रोड



घाटकोपर



वाशिंद



आरओबी कल्याण-विठ्ठलवाड़ी



कांजुर्मार्ग



सी) एमयूटीपी-III की समग्र प्रगति

i) पनवेल और कर्जत के बीच नया उपनगरीय कॉरिडोर

वर्ष के दौरान 8.43 लाख घनमीटर मिट्टी भरने का काम, 3.65 लाख घनमीटर मिट्टी काटने का काम, 47,205 घनमीटर ढंकने, 22,287 घनमीटर नाली, 1.39 लाख घनमीटर सुरंग एप्रोच कटिंग, 2699 घनमीटर हेडिंग और सुरंगों में 629 घनमीटर बेंचिंग, तीन बड़े पुल, बारह छोटे पुल, एक आरओबी और छह आरयूबी का काम पूरा किया गया। यह परियोजना दिसंबर, 2025 तक पूरी होने वाली है।

इस परियोजना के तहत तीन सुरंगों का निर्माण कार्य चल रहा है जिसकी कुल लंबाई 3164 मीटर है, सुरंग-1 [नधाल] जिसकी लंबाई 219 मीटर है, सुरंग-2 [वावरले] जिसकी लंबाई 2625 मीटर है और सुरंग-3 [किरावली] जिसकी लंबाई 320 मीटर है। नधाल सुरंग का काम अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था और रिपोर्ट किए गए वर्ष के दौरान दिनांक 10.05.2023 को सुरंग में सफलता हासिल की गई थी। वर्ष के अंत में वाटर प्रूफिंग और कंक्रीट लाइनिंग का काम प्रगति पर था जो अब पूरा हो गया है। इस सुरंग में खुदाई कार्य के निष्पादन में सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा पनवेल-कर्जत सिंगल लाइन इन-यूज सुरंग से निकटता थी

जिसके लिए अत्यधिक कड़े सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए काम किए जाने की आवश्यकता थी।

टनल-1 पर वॉटर प्रूफिंग और कंक्रीट लाइनिंग का काम चल रहा है



219 मीटर लंबाई की मुख्य सुरंग-1 (नाधल सुरंग)

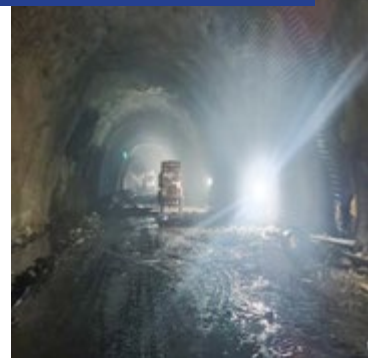


सुरंग-1 का छेद



वावरले [सुरंग संख्या 2] में दोनों प्रवेश द्वारों पर एक साथ फरवरी 2023 में काम शुरू किया गया था। इस सुरंग के लिए भूमिगत खुदाई दिनांक 31.03.2024 तक 2625 मीटर में से 2416 मीटर पूरी हो चुकी है। शेष 209 मीटर इस रिपोर्ट के तैयार होने की तिथि तक पूरी हो चुकी होगी जो सुरंग के दोनों छोर से होकर गुजरती है। वावरले सुरंग का कार्य मुख्य रूप से रॉक बोल्टिंग, वायर मेश और शॉटक्रीट द्वारा किया गया है। इसे स्थायी जलरोधी कंक्रीट लाइनिंग प्रदान की जाएगी और सुरंग के अंदर ट्रैक संरचना गिट्टी रहित ट्रैक पर होगी। समकालीन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इस कार्य के तहत पर्याप्त सार्वजनिक शरण क्षेत्र, सुरंग नियंत्रण प्रणाली, प्रकाश व्यवस्था और वेंटिलेशन सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है।

2625 मीटर की मुख्य सुरंग-2 (वावरले सुरंग) की गतिविधियां





02-14

कॉर्पोरेट अवलोकन

15-62

वैधानिक रिपोर्टें

63-121

वित्तीय विवरण

टनल-2 पर रॉकबोल्ट फिक्सिंग



टनल-2 पर जल निकासी की व्यवस्था



टनल-2 पर वेंटिलेशन सिस्टम



सुरंग-2 पर मेश फिक्सिंग



किरावली में सुरंग-3 की खुदाई का काम दिनांक 29.03.2023 को शुरू किया गया था और 320 मीटर लंबी सुरंग की खुदाई दिनांक 30.03.2024 को पूरी हो गई थी। पूरी सुरंग की लंबाई क्लास 3 की चट्टान में खोदी गई थी सुरंग के आखिरी बीस मीटर जालीदार गर्डर्स पर टिके हुए हैं। यह काम चुनौतीपूर्ण था क्योंकि इसे घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आसपास किया गया था।

किरावली सुरंग



दिनांक 09.11.2023, 18.01.2024, 28.02.2024 और 10.04.2024 को चिखले स्टेशन के पास पुणे एक्सप्रेसवे पर आरयूबी संख्या 72/1 के निर्माण के संबंध में चार ओपन वेब गर्डर लॉन्च किए गए जिसमें अप और डाउन लाइनों पर कुल 14 घंटे का मेगा रोड ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया।

पुणे एक्सप्रेस वे के लिए ब्रिज 72/1 आरयूबी



ii) विरार-दहानु रोड का चौहरीकरण

वर्ष के दौरान 9.24 लाख घनमीटर मिट्टी भरने का कार्य, 1.25 लाख घनमीटर मिट्टी काटने का कार्य, 59,297 घनमीटर ढंकने, 12,624 नाली के आरएम, 4 आरयूबी और 14 छोटे पुलों का निर्माण पूरा किया गया। रिपोर्ट किए जा रहे वर्ष के अंत में विरार-दहानु कार्य के तहत 14.12 लाख घनमीटर मिट्टी भरने का कार्य, 2.12 लाख घनमीटर मिट्टी काटने का कार्य, 65,344 घनमीटर ढंकने, 24,589 नाली के आरएम, 4 आरयूबी, 1 बड़ा पुल और 35 छोटे पुलों का निर्माण पूरा किया गया।

इस परियोजना के तहत वैतरणा नदी/सहायक नदी पर पुल 92 और 93 का निर्माण कार्य [क्रमशः 650 और 520 मीटर लंबे पुल] एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा क्योंकि पूरे जलग्रहण क्षेत्र में समुद्री मिट्टी थी। यह क्षेत्र सदाबहार वनस्पतियों से ढका हुआ है। एमआरवीसी को पहले इन सदाबहार वनों के लिए मंजूरी लेनी पड़ी और फिर समुद्री मिट्टी से निपटना पड़ा जिसकी ताकत कम होती है। इस कारण क्षेत्र को "प्रीफैब्रिकेटेड वर्टिकल ड्रेन" द्वारा स्थिर करना पड़ा जिसके बाद इसे लगभग एक साल तक लगातार लोड करना अनिवार्य है।

संपूर्ण परियोजना में 12.185 किलोमीटर तक फैले सदाबहार वनों में निकासी के लिए एमआरवीसी ने वर्ष 2017 में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया था। चरण-I मंजूरी दिनांक 28.02.2022 को प्राप्त हुई। चरण-II मंजूरी दिनांक 27.12.2022 को प्राप्त हुई। सीआरजेड मंजूरी दिनांक 09.12.2022 को प्राप्त हुई और अंत में माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे ने अपने आदेश दिनांक 31.10.2023 द्वारा एमआरवीसी को परियोजना के लिए सदाबहार वनों को काटने की अनुमति दी। इसके बाद सीसीएफ (टी) ठाणे ने दिनांक 21.11.2023 को सदाबहार वनक्षेत्र में काम करने की अनुमति जारी की। लंबे समय से प्रतीक्षित इस मंजूरी के बाद ही वैतरणा पर पुल संख्या 92 और 93 के निर्माण के लिए सभी गतिविधियां फिर से शुरू की जा सकीं जिसके कारण इस परियोजना की बेसलाइन को दूसरे स्थान ले जाना पड़ा और समापन की तिथि को दिसंबर 2026 तक के लिए संशोधित करना पड़ा।



02-14

कॉर्पोरेट अवलोकन

15-62

वैधानिक रिपोर्ट

63-121

वित्तीय विवरण



डी) हार्बर लाइन के अंतर्गत जुईनगर में 12 कार ईएमयू का कार्य समापन-

मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड ने मुंबई मंडल की हार्बर लाइन पर 12 कार कोच चलाने की परियोजना के तहत जुईनगर स्टेशन पर छह ईएमयू स्टेबलिंग साइडिंग के प्रावधान और इंटरलॉकिंग का काम किया है। परियोजना के तहत वर्ष के दौरान चालक दल के सदस्यों को आराम देने के लिए 16 बिस्तरों वाला रनिंग रूम भी चालू किया गया।



ई) स्टेशन सुधार कार्य – एमयूटीपी III ए

मध्य और पश्चिम रेलवे के उपनगरीय स्टेशनों पर भीड़ अध्ययन के आधार पर चुनिंदा 18 स्टेशनों पर स्टेशन सुधार कार्य शुरू किए गए हैं ताकि यात्रियों के लिए आवाजाही के क्षेत्रों में सुधार करते हुए और उन्हें जोड़कर प्लेटफार्मों पर भीड़ को कम किया जा सके, एफओबी को जोड़ने के लिए डेक जोड़े जा सकें, स्टेशनों पर प्रवेश और निकास में सुधार किया जा सके, दिव्यांग जनों के लिए बेहतर साइनेज, और सुविधाओं के साथ एस्केलेटर और लिफ्ट प्रदान किए जा सकें।

महाराष्ट्र सरकार से एमयूटीपी III ए के लिए वित्त पोषण का आश्वासन मिलने के बाद परियोजना के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी स्टेशनों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया और इन स्टेशनों पर काम शुरू किया गया। इन स्टेशनों पर किए गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है:-

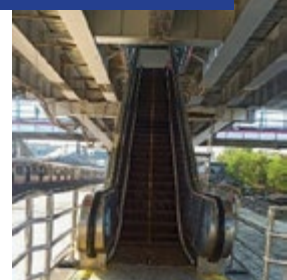
- i) खार रोड स्टेशन पर सुधार कार्य प्रगति पर है। मौजूदा प्लेटफॉर्म 1/2 पर एक एलिवेटेड डेक बनाया जा रहा है और पश्चिम की ओर एक नया होम प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इस 95 मीटर लंबाई डेक के दक्षिणी छोर दिनांक 27.06.2023 को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया। खार रोड स्टेशन पर नवनिर्मित डेक पर प्लेटफॉर्म 1/2 और होम प्लेटफॉर्म पर दो एस्केलेटर चालू किए गए जो कि क्रमशः दिनांक 28.08.2023 और 06.10.2023 को यात्रियों के उपयोग के लिए खोल दिए गए।



एमसीजीएम और साउथ एफओबी को जोड़ने वाला छह मीटर चौड़ा और 31 मीटर लंबे स्काईवॉक का कार्य दिनांक 24.02.2024 को खार रोड पर पूरा किया गया।



- ii) मीरा रोड पर स्टेशन सुधार कार्य के तहत नए एस्केलेटर लगाने की योजना बनाई गई है चूंकि मीरा रोड पर मौजूदा प्लेटफॉर्म 1 एस्केलेटर स्टेशन सुधार कार्य में बाधा डाल रहा था इसलिए इसे माहिम में प्लेटफॉर्म 1 उत्तर की ओर स्थानांतरित कर दिया गया जिसे दिनांक 30.06.2023 को सार्वजनिक उपयोग के लिए चालू कर दिया गया। यह पहली बार है जब किसी मौजूदा एस्केलेटर को दूसरे स्टेशन पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया और उसका पुनः उपयोग किया गया। मीरा रोड स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पर एस्केलेटर को दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पूर्व में स्थानांतरित करने का काम भी पूरा हो गया जिसे दिनांक 30.01.2024 को यात्रियों के उपयोग के लिए शुरू किया गया।





एफ) मुंब्रा आरओबी ठाणे दिवा परियोजना का हिस्सा है। मुंब्रा के पास मुंब्रा आरओबी के निर्माण के सिलसिले में दिनांक 20.09.2023, 10.12.2023, 18.02.2024 को कलवा-मुंब्रा के बीच अप, डाउन, थ्रू लाइनों पर कुल 8 घंटे का ट्रेफिक और पावर ब्लॉक का उपयोग करते हुए तीन 40 मीटर लंबे ओपन वेब गर्डर स्थापित किए गए।



अन्य गतिविधियां

- ए) वर्ष के दौरान एमआरवीसी ने एमयूटीपी-III और एमयूटीपी 3ए के अंतर्गत कार्यों के लिए 2011 करोड़ रु. की राशि की विभिन्न संविदाएं प्रदान कीं।
- बी) एमयूटीपी IIIए के लिए वित्तपोषण समझौते पर दिनांक 27.07.2023 को महाराष्ट्र सरकार, एमआरवीसी, एमएमआरडीए, सिडको, एमसीजीएम और एनएमएमसी के बीच हस्ताक्षर किए गए।
- सी) एमयूटीपी III और एमयूटीपी IIIए-1 के लिए आठवीं त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठक [टीपीआरएम] दिनांक 28.07.2023 को डीईए, एआईआईबी और एमआरवीसी के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई। टीपीआरएम के दौरान बैंक द्वारा वित्तपोषित घटकों की प्रगति की समीक्षा की गई। डीईए और एआईआईबी दोनों ही परियोजनाओं की प्रगति से संतुष्ट थे।
- डी) एमयूटीपी IIIए-स्टेशन सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण वार्ता बैठक दिनांक 17.08.2023 को नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित की गई और बैठक के कार्यवृत्त पर आर्थिक कार्य विभाग [डीईए], एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक [एआईआईबी], रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और एमआरवीसी के बीच हस्ताक्षर किए गए।
- ई) एमयूटीपी III और IIIए के लिए एआईआईबी मिशन - एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक [एआईआईबी] के कार्यान्वयन सहायता मिशन ने एमयूटीपी III और IIIए के तहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए दिनांक 27.02.2024 से 01.03.2024 तक एमआरवीसी का दौरा किया। मिशन टीम ने परियोजनाओं के विभिन्न स्थलों का भी दौरा किया। मिशन सफल रहा और बैंक की टीम ने कार्यों की प्रगति के प्रति संतोष व्यक्त किया।



एफ) लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एमओयू स्कोर

एमआरवीसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एमओयू में "उत्कृष्ट" रेटिंग के साथ 96.50 का स्कोर प्राप्त किया है।

जी) संसदीय स्थायी समितियों का अध्ययन दौरा

वर्ष के दौरान स्थायी समितियों के अध्ययन दौरे इस प्रकार थे -

ए) दिनांक 04.10.2023 को "रेल वित्त पर 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 13" पर,

बी) दिनांक 01.01.2024 को मुंबई में उपनगरीय रेल नेटवर्क पर विशेष जोर देने के साथ "भारतीय रेल पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं" पर,

सी) दिनांक 08.01.2024 को आयोजित "संविदाओं/आकस्मिक श्रमिकों के कल्याण से संबंधित संविदाजन्य नियुक्ति / विकास और श्रम कानूनों के कार्यान्वयन" पर।

उपरोक्त सभी समितियां संतुष्ट थीं और उन्होंने एमआरवीसी की सराहना की।





(2) वित्तीय परिणाम

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं -

[₹ करोड़ में]

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
आय	182.16	131.08
व्यय	48.45	44.81
व्यय की तुलना में आय का अधिशेष	133.71	86.27
अन्य समग्र आय (ओसीआई)	(0.63)	0.39
पिछले वर्ष से आगे लाया गया अधिशेष	296.04	210.24
आंतरिक उपार्जन का परिनियोजन	23.87	0.87
शेष अधिशेष जिसे तुलन-पत्र में ले जाया गया	405.25	296.04
सीएसआर पर व्यय	0.79	0.43
प्रति शेयर आय रु. में (रु. 1,000 शेयर का अंकित मूल्य)	5348	3451

एमआरवीसी ने दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 133.71 करोड़ रु. का अधिशेष दर्ज किया है जबकि दिनांक 31.03.2023 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में यह 86.27 करोड़ रु. था। दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की कुल आय 182.16 करोड़ रु. है जबकि पिछले वर्ष यह 131.08 करोड़ रु. थी। दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यय 48.45 करोड़ रु. है जबकि पिछले वर्ष यह 44.81 करोड़ रु. था। इस प्रकार चालू वित्त वर्ष में प्रभावी रूप से व्यय में केवल 8.12% की वृद्धि हुई है। दिनांक 31.03.2024 तक कंपनी का कुल निवल मूल्य 430.25 करोड़ रु. था जबकि पिछले वर्ष यह 321.04 करोड़ रु. था।

इसके अलावा आपकी कंपनी की वार्षिक प्रगति का सार [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-92 की उपधारा (3) के अनुसार] भी आपकी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है जिसे <https://mrv.c indianrailways.gov.in> लिंक में देखा जा सकता है। विस्तृत वित्तीय परिणाम रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड में वित्तीय विवरण के अंतर्गत देखे जा सकते हैं।

एमआरवीसी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत है और संबंधित वित्तीय वर्षों में उत्पन्न अधिशेष पर आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार इस तरह के संचित अधिशेष को पांच साल की अवधि के भीतर कंपनी के उद्देश्यों में वापस लगाया जाना आवश्यक है। अधिशेष को वापस लगाने का लक्ष्य संचित अधिशेष से निधियों को विनियोजित करते हुए पूरा किया गया।

एमआरवीसी मुंबई में उपनगरीय रेल अवसंरचना में समुचित सुधार के लिए मुंबई शहरी परिवहन परियोजनाओं एमयूटीपी का क्रियान्वयन कर रही है। कंपनी ने एमयूटीपी-1 और एमयूटीपी 2ए जिसका अधिकांश हिस्सा विश्व बैंक ऋण से वित्तपोषित है, को पूरा कर लिया है और अब एमयूटीपी-2बी, एमयूटीपी-3, एमयूटीपी-3ए और यात्री सुविधाओं के कार्य [मध्य व पश्चिम रेलवे में एफओबी का निर्माण] किए जा रहे हैं।

एमयूटीपी 3 को रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2016-17 में 10,947 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी थी जबकि एमयूटीपी-3ए को अप्रैल 2019 में 33,690 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी गई थी। इन दोनों परियोजनाओं के कारण होने वाले व्यय को रेल मंत्रालय

और महाराष्ट्र सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाना है सिवाय पनवेल-कर्जत उपनगरीय गलियारे के काम के जिसके लिए लागत साझा करने का अनुपात क्रमशः महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच 65:35 है। एमयूटीपी-3 का एक हिस्सा एआईआईबी ऋण के तहत वित्त पोषित है इसे भी रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा।

एमआरवीसी ने पिछले वर्ष के 1658.02 करोड़ रु. की तुलना में 1850.02 करोड़ रु. का कुल परियोजना व्यय रिपोर्ट किया है। वर्ष के दौरान एमआरवीसी को एमयूटीपी कार्यों के लिए 1899.18 करोड़ रु. [रेलवे से 1101.96 करोड़ रु. और महाराष्ट्र सरकार से 733.14 करोड़ रु.] की कुल धनराशि प्राप्त हुई है। कंपनी को डिपॉजिट कार्यों के लिए क्रमशः मध्य रेलवे से 9.84 करोड़ रु. और पश्चिम रेलवे से 54.24 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं।

एमयूटीपी के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की सूची अनुलग्नक-‘ए’ में दी गई है।

वर्ष की समाप्ति के बाद से इस रिपोर्ट की तिथि तक ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करें।

वर्ष के दौरान 109.84 करोड़ रु. आरक्षण व अधिशेष में ले जाने का प्रस्ताव है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक संचयी आरक्षण व अधिशेष 405.25 करोड़ रु. है।

(3) प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट इस निदेशक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है तथा इसे इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक ‘बी’ में संलग्न किया गया है।

(4) कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

कंपनी के निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग [डीपीई] द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों को अपनाया है और उनका पालन किया जाता है।

कार्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी के सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण

कार्पोरेट गवर्नेंस सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का अनुप्रयोग और कानूनों, नियमों और विनियमन का अनुपालन है ताकि कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। कंपनी अपने संचालन के सभी क्षेत्रों और अपने सभी व्यवहारों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता के उच्चतम स्तरों के माध्यम से कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में विश्वास करती है।

एमआरवीसी में कार्पोरेट गवर्नेंस को कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों और कंपनी के व्यावसायिक आचार और नैतिकता संहिता के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है। बोर्ड और प्रबंधन प्रक्रिया, लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हमारे कार्पोरेट गवर्नेंस ढांचे के सिद्धांतों के माध्यम से संचालित होते हैं। कंपनी का व्यवसाय समग्र रूप से निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित किया जाता है। हालांकि दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर कंपनी ने विभिन्न स्तरों के अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों को परिभाषित करने वाली शक्तियों की एक अनुसूची [एसओपी], विभिन्न मैनुअल जैसे लेखा और वित्त मैनुअल, कंपनी की प्रत्येक गतिविधि की जांच और संतुलन के लिए मानव संसाधन मैनुअल / स्थापना मैनुअल लागू किये हैं। प्रभावी निर्णय लेने के लिए कंपनी के पास विविध बोर्ड और बोर्ड की सुसंरचित समितियां हैं। कंपनी यथासंभव कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। कंपनी लागू कानून का अनुपालन भी सुनिश्चित करती है। नियमों के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट निदेशक मंडल को पेश की जाती है। निदेशकों / वरिष्ठ प्रबंधन को डीपीई, स्कोप, एनएचआरडी, आईआईएम, आईओडी आदि जैसे प्रतिष्ठित संगठनों / संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाता है। सरकारी कंपनी होने के नाते सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू होते हैं और अधिनियम के तहत दी जाने वाली सभी जानकारीयों भारत के नागरिकों को प्रदान की जाती हैं। कंपनी में सतर्कता विभाग है जिसके प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं। इसके अलावा कंपनी में सचेतक तंत्र को उचित रूप से लागू किया गया है जिसके अंतर्गत निदेशकों और कर्मचारियों को कंपनी में होने वाली किसी भी अनैतिक या अवैध या अनैतिक गतिविधि की सूचना दी जा सकती है।

कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाला पेशेवर कंपनी सचिव से अपेक्षित प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'सी' में संलग्न है।

निदेशक मंडल

एमआरवीसी रेल मंत्रालय, (भारत सरकार) के प्रशासनिक नियंत्रण में एक "सरकारी कंपनी" है। कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी का 51% भारत के राष्ट्रपति, रेल मंत्रालय के माध्यम से और 49% महाराष्ट्र सरकार के राज्यपाल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार धारित किया जाता है। कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुसार कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त/नामांकित करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से कार्य करने वाले भारत सरकार के राष्ट्रपति के पास निहित है।

कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 119 के अनुसार, निगम के बोर्ड में निदेशकों की स्वीकृत संख्या 10 है। निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है -

- i) 6 कार्यशील निदेशक, यानी अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, निदेशक [परियोजनाएं, निदेशक [वित्त], निदेशक [तकनीकी], निदेशक [बंदोबस्त व पुनर्वास] और निदेशक [अवसंरचना और वाणिज्यिक विकास]।
- ii) 2 अंशकालिक सरकारी निदेशक [रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार से एक-एक]।
- iii) 2 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक [स्वतंत्र निदेशक [रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार से एक-एक]।

दिनांक 31.03.2024 तक कंपनी के बोर्ड में छह निदेशक थे जिनमें तीन पूर्णकालिक निदेशक [एक महिला निदेशक सहित], दो सरकार द्वारा नामित निदेशक [रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले] और एक स्वतंत्र निदेशक [रेल मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले] शामिल थे। हालांकि कार्यशील निदेशकों की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 और कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप थी लेकिन बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक [महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले] की नियुक्ति न होने के कारण निदेशकों की संरचना का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा सका।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति हेतु नामांकन के बारे में महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया है।



निदेशक मंडल की बैठकें

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल ने कार्य करने के लिए दिनांक 28.06.2023, 29.09.2023, 24.11.2023 और 14.03.2024 को बैठकें कीं। कंपनी ने बोर्ड बैठकों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया। जो निदेशक इन बैठकों में उपस्थित नहीं थे उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति दी गई। वर्ष के दौरान उपरोक्त बैठकों में निदेशक मंडल के सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही:-

निदेशकों का नाम एवं पदनाम	बैठकों की संख्या			क्या निदेशक ने वार्षिक आम बैठक में भाग लिया था ?
	आयोजित बीओडी	उपस्थित होना आवश्यक था	उपस्थित हुए	
ए पूर्णकालिक निदेशक				
1. श्री सुभाष चंद गुप्ता [डीआईएन 08339258] अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	4	4	4	जी हां
2. श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव [डीआईएन 09776128] निदेशक [परियोजनाएं]	4	4	4	जी हां
3. श्री सुभाष चंद गुप्ता [डीआईएन 08339258] निदेशक [तकनीकी] [अतिरिक्त प्रभार] [01.12.2023 से] श्री रवि अगरवाल [डीआईएन 07631058] निदेशक [तकनीकी] [30.11.2023 तक]	4	1	1	लागू नहीं
	4	3	3	जी हां
4. श्रीमती स्मृति वर्मा [डीआईएन 10369917] निदेशक [वित्त] [01.12.2023 से] श्री रवि अगरवाल [डीआईएन 07631058] निदेशक [वित्त अतिरिक्त प्रभार] [30.11.2023 तक]	4	1	1	लागू नहीं
	4	3	3	जी हां
5. निदेशक आर एंड आर - पद रिक्त	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6. निदेशक आई एंड सीडी - पद रिक्त	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बी अंशकालिक सरकारी निदेशक				
7. श्री राजेश कुमार गर्ग [डीआईएन 10117955] अंशकालिक सरकारी निदेशक [रेल मंत्रालय] [06.04.2023 से]	4	4	3	जी हां
8. श्री असीम कुमार गुप्ता, आईएएस, [डीआईएन 02607016] अंशकालिक सरकारी निदेशक [महाराष्ट्र सरकार] [08.06.2023 से] श्री भूषण गगरानी, आईएएस, [डीआईएन 002040451] अंशकालिक सरकारी निदेशक [महाराष्ट्र सरकार] [07.06.2023 तक]	4	4	1	नहीं
	4	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सी अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक				
9. श्रीमती पुष्पा जांगिड़ [डीआईएन 09395493] अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक [रेल मंत्रालय]	4	4	4	जी हां
10. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक [महाराष्ट्र सरकार]-[1 पद रिक्त]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

बोर्ड की समितियां

कंपनी के मामलों पर गहन जांच और ध्यान केंद्रित करते हुए निर्णय लेने की सुविधा के लिए बोर्ड ने उस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समितियों को कुछ मामले सौंप दिए हैं। बोर्ड की समितियों का विवरण इस प्रकार है - 1. लेखापरीक्षा समिति, 2. जोखिम प्रबंधन समिति, 3. नामांकन और पारिश्रमिक समिति 4. सीएसआर और एस समिति।

वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन के कारण ऊपर उल्लिखित निदेशक मंडल की समितियों का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया।

वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जहां बोर्ड ने बोर्ड की समितियों की ऐसी सिफारिशों को स्वीकार न किया हो जिसे निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए समितियों द्वारा अनिवार्य रूप से अनुशंसित किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा समिति

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड की प्रभावी आंतरिक नियंत्रण परिवेश होने संबंधी आश्वासन प्रदान करती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) और डीपीई

दिशानिर्देशों में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं -

- (ए) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा करना।
- (बी) सभी महत्वपूर्ण लेनदेन के लेखांकन, कराधान संबंधी पहलुओं की जांच करना।
- (सी) यह आकलन करने के लिए वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना कि क्या भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी विभिन्न लेखांकन मानकों का पालन किया जा रहा है।
- (डी) आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करना तथा निरंतर अपनाई जाने वाली और लागू की जाने वाली लेखांकन नीतियों के संबंध में उपयुक्त कदम/कार्रवाई का सुझाव देना।
- (ई) कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण विचलन के कारणों और आवश्यकता की समीक्षा करना।
- (एफ) इस बात की समीक्षा करना कि क्या लेखे किसी निश्चित तिथि को कंपनी की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के आय और व्यय के विवरण का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।
- (जी) इस बात की समीक्षा करना कि क्या कानून के अनुसार लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।
- (एच) यह समीक्षा करना कि क्या कंपनी की परिसंपत्तियों के रखरखाव तथा धोखाधड़ी को रोकने और उसका पता लगाने के लिए उचित सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।
- (आई) यह समीक्षा करना कि क्या अन्य अनियमितताओं से बचने के लिए उचित सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।
- (जे) यह समीक्षा करना कि क्या वित्तीय विवरण सक्रिय व लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं।

- (के) तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
- (एल) सरकार को वैधानिक बकाया के भुगतान की समीक्षा करना।
- (एम) यदि कंपनी द्वारा सार्वजनिक जमा स्वीकार किया जाता है, तो ब्याज के भुगतान और जमा राशि की वापसी में चूक के कारणों की समीक्षा करना।
- (एन) ऋण की स्वीकृति, ऋण देकंपनी और स्वीकार्य सीमा के भीतर निवेश करने की समीक्षा करना।
- (ओ) निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण के संदर्भ में इच्छुक पक्षों के लेनदेन की समीक्षा करना।
- (पी) जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करना और तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- (क्यू) सांविधिक लेखा परीक्षक/आंतरिक लेखा परीक्षक आदि के साथ लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के बारे में चर्चा करना और निर्णय लेना।
- (आर) वित्त प्रबंधन से संबंधित किसी मामले की जांच करना।
- (एस) आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना, पारिश्रमिक तय करना और नियुक्ति की अन्य शर्तें एवं नियम निर्धारित करना।
- (टी) निदेशक मंडल को वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए लेखापरीक्षा शुल्क की सिफारिश करना।
- (यू) सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक को भुगतान की मंजूरी देना।
- (वी) लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले वैधानिक लेखापरीक्षक के साथ चर्चा करना तथा लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद भी चर्चा करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि विचारणीय विषय कौन से हैं।
- (डबल्यू) निदेशक मंडल के समक्ष रखे जाने से पहले निदेशकों की रिपोर्ट में "निदेशकों का दायित्व विवरण" और "प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट" में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामलों की समीक्षा करना।
- (एक्स) सीएजी की टिप्पणी पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- (वाई) सचेतक तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की बैठकें दिनांक 28.06.2023, 29.09.2023, 23.11.2023 और 14.03.2024 को हुईं। 31.03.2024 तक लेखापरीक्षा समिति के सदस्य और उपरोक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार थी:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदाधिकार	बैठकों की संख्या		
			आयोजित	उपस्थित होना आवश्यक है	उपस्थित हुए
1.	श्रीमती पुष्पा जांगिड़	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक/एमआरवीसी [स्वतंत्र निदेशक-रेल मंत्रालय] अध्यक्ष के रूप में	4	4	4
2.	श्री राजेश कुमार गर्ग	कार्यकारी निदेशक [गति शक्ति-1], रेलवे बोर्ड एवं अंशकालिक सरकारी निदेशक/एमआरवीसी	4	4	3
3.	श्री असीम कुमार गुप्ता [08.06.2023 से]	प्रधान सचिव, यूडीडी-1, महाराष्ट्र सरकार और अंशकालिक सरकारी निदेशक/एमआरवीसी	4	4	0
4.	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव	निदेशक [परियोजनाएं]/एमआरवीसी	4	4	4



[समिति के संविधान के अनुसार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक भी महाराष्ट्र सरकार भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने पर समिति के सदस्य बन जाएंगे।]

जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी को मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के रेल घटक के अंतर्गत चुनी गई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने तथा मुंबई उपनगरीय रेल प्रणाली की योजना और विकास में शामिल होने के लिए रेल मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया था।

कॉर्पोरेट मिशन और कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हुए परियोजनाओं से संबंधित जोखिम, जैसे परियोजनाओं के पूरा होने में देरी, परियोजना लागत में वृद्धि, संविदाजन्य जोखिम आदि भी होते हैं। कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति विकसित की है जो एक तरफ कंपनी की ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश करती है वहीं दूसरी तरफ वास्तविक और संभावित जोखिमों पर प्रकाश डालती है।

जोखिम प्रबंधन समिति के मिशन में बताए गए जोखिम की पहचान, माप और शमन के लिए निदेशक [तकनीकी] [संयोजक], निदेशक [परियोजनाएं], निदेशक [वित्त] और निदेशक [आई और सीडी] सदस्यों से मिलकर जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक तिमाही आधार पर दिनांक 03.05.2023, 10.08.2023, 13.11.2023 और 12.02.2024 को हुई। समिति के कार्यवृत्त समीक्षा, मार्गदर्शन, और यथोचित निर्देश तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए गए।

दिनांक 31.03.2024 तक जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य निम्नलिखित थे तथा उपरोक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार थी:-

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदाधिकार	बैठकों की संख्या		
			आयोजित	उपस्थित होना आवश्यक है	उपस्थित हुए
1.	श्री सुभाष चंद गुप्ता	निदेशक [तकनीकी]- अतिरिक्त प्रभार [01.12.2023 से प्रभावी]	4	1	1
	श्री रवि अग्रवाल	निदेशक [तकनीकी] [30.11.2023 तक]	4	3	3
2.	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव	निदेशक [परियोजनाएं]	4	4	4
3.	श्रीमती स्मृति वर्मा	निदेशक [वित्त] [01.12.2023 से प्रभावी]	4	1	1
	श्री रवि अग्रवाल	निदेशक [वित्त] अतिरिक्त प्रभार [30.11.2023 तक]	4	3	3

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

डीपीई दिशा-निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार कंपनी ने अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक [रेल मंत्रालय], अंशकालिक आधिकारिक निदेशक [रेल मंत्रालय] और अंशकालिक आधिकारिक निदेशक [महाराष्ट्र सरकार] से मिलकर नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। समिति के गठन के अनुसार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक [महाराष्ट्र सरकार] भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने पर समिति के सदस्य बनेंगे। समिति का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है -

- ✓ डीपीई और अन्य लागू दिशा-निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार निर्धारित सीमाओं के भीतर, कार्यपालकों और गैर-संगठनीय पर्यवेक्षकों के बीच कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन, वार्षिक बोनस/परिवर्ती वेतन पूल और इसके वितरण की नीति तय करना।
- ✓ वरिष्ठ प्रबंधन (पूर्णकालिक निदेशकों से एक स्तर नीचे) और अन्य कर्मचारियों के लिए भत्ते/सुविधाओं से संबंधित मानव संसाधन नीतियों पर विचार करना और निदेशक मंडल को उसकी सिफारिश करना।
- ✓ एमआरवीसी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आईडीए वेतनमान हेतु किसी वेतन संशोधन की समीक्षा, प्रयोज्यता और कार्यान्वयन करना।
- ✓ कंपनी अधिनियम, 2013 या डीपीई के दिशानिर्देशों द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

वर्ष के दौरान समिति की बैठकें दिनांक 28.06.2023, 23.11.2023 और 14.03.2024 को हुईं। दिनांक 31.03.2024 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य और उपरोक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार थी -

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदाधिकार	बैठकों की संख्या		
			आयोजित	उपस्थित होना आवश्यक है	उपस्थित हुए
1.	श्रीमती पुष्पा जांगिड़	अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक [रेल मंत्रालय]	3	3	3
2.	श्री राजेश कुमार गर्ग	अंशकालिक सरकारी निदेशक [रेल मंत्रालय]	3	3	3
3.	श्री असीम कुमार गुप्ता	अंशकालिक सरकारी निदेशक [महाराष्ट्र सरकार]	3	3	0

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और स्थिरता समिति

डीपीई के दिशा-निर्देशों के आधार पर दो स्तरीय सीएसआर एंड एस समिति का गठन किया गया है जिसमें बोर्ड स्तरीय समिति और वरिष्ठ कार्यकारी स्तरीय समिति शामिल है। वरिष्ठ कार्यकारी स्तरीय समिति नियमित रूप से बोर्ड स्तरीय समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और बोर्ड स्तरीय समिति समीक्षा, मार्गदर्शन, अनुमोदन और निर्देश के लिए निदेशक मंडल को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

सीएसआर एंड एस समिति कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और स्थिरता नीति में बताए अनुसार विभिन्न कार्य करती है जो <http://www.mrvs.indianrailways.gov.in> पर "समाचार और सूचना" शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। वर्ष के दौरान की गई पहलों के साथ एमआरवीसी द्वारा कार्यान्वित कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट के तहत इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

वर्ष के दौरान बोर्ड स्तरीय सीएसआर एंड एस समिति के सदस्य निम्नानुसार थे -

बोर्ड स्तरीय समिति

- | | |
|--|-----------|
| 1. अंशकालिक सरकारी निदेशक [रेल मंत्रालय] | - अध्यक्ष |
| 2. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक | - सदस्य |
| 3. निदेशक [परियोजनाएं] | - सदस्य |
| 4. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक [रेल मंत्रालय] | - सदस्य |
| 5. निदेशक [अवसंरचना व वाणिज्यिक विकास] | - सदस्य |

बोर्ड स्तरीय सीएसआर एंड एस समिति की बैठक दिनांक 28.06.2023, 23.11.2023 और 14.03.2024 को हुई। दिनांक 31.03.2024 तक, सीएसआर एंड एस समिति के सदस्य और उपरोक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार थी -

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदाधिकार	बैठकों की संख्या		
			आयोजित	उपस्थित होना आवश्यक है	उपस्थित हुए
1.	श्री राजेश कुमार गर्ग	अंशकालिक सरकारी निदेशक [रेल मंत्रालय]	3	3	2
2.	श्री सुभाष चंद गुप्ता	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	3	3	3
3.	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव	निदेशक [परियोजनाएं]	3	3	3
4.	श्रीमती पुष्पा जांगिड़	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	3	3	3

आम बैठकें

कंपनी की वार्षिक आम बैठकें मुंबई स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गईं। पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी बैठकों का विवरण इस प्रकार है -

एजीएम	वर्ष	स्थल	तारीख	समय
22वें	2020-2021	पंजीकृत कार्यालय, दूसरी मंज़िल, चर्चगेट स्टेशन बिल्डिंग, मुंबई-400 020	20.09.2021	दोपहर 12.30 बजे
23वें	2021-2022	पंजीकृत कार्यालय, दूसरी मंज़िल, चर्चगेट स्टेशन बिल्डिंग, मुंबई-400 020	26.09.2022	दोपहर 03.30 बजे
24वें	2022-2023	पंजीकृत कार्यालय, दूसरी मंज़िल, चर्चगेट स्टेशन बिल्डिंग, मुंबई-400 020	29.09.2023	दोपहर 12.30 बजे

उपरोक्त वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। निगम की बहिर्नियमावली को नए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप बनाने तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकरण के नवीनीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 18.11.2021 को आयोजित दूसरी असाधारण आम बैठक में कंपनी की बहिर्नियमावली में आशोधन/संशोधन के संबंध में विशेष संकल्प पारित किए गए।

बोर्ड सदस्यों और स्वतंत्र निदेशकों की बैठक का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 05.06.2015 की अपनी अधिसूचना के जरिए सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2), (3) और (4) के प्रावधानों से छूट दी थी जिसमें नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा प्रत्येक निदेशक के कार्य-



निष्पादन का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। उक्त परिपत्र में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधानों से भी छूट दी है, [जिसमें बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशक द्वारा अपने स्वयं के प्रदर्शन के औपचारिक मूल्यांकन के तरीकों को बोर्ड की रिपोर्ट के माध्यम से बताना होता है] यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा अपनी स्वयं की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है, जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है। इसके अलावा, एमसीए ने दिनांक 05.07.2017 की अधिसूचना के माध्यम से यह भी निर्धारित किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन की समीक्षा और मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक आयोजित नहीं की जा सकती क्योंकि दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक थे।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

तेजी से बदलते कारोबारी माहौल में संगठनों को ऐसे नेतृत्वकर्ताओं की जरूरत है जो विकास के वाहक हों रणनीतिक विचारक, और प्रभावी संचारक हों। वरिष्ठ भूमिका निभाने के लिए ऐसे अधिकारी को सफल होने के लिए आवश्यक कार्यशील, प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशल से लैस होना चाहिए। तदनुसार निगम ने सभी स्तरों पर अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जो उन्हें अपने ज्ञान के आधार का विस्तार करने और निगम के मामलों को सुचारू रूप से प्रबंधित करने

में मदद करेंगे। बोर्ड के सदस्यों को निगम की पृष्ठभूमि से परिचित कराने के लिए निदेशकों को बोर्ड में शामिल होने पर दस्तावेजों / पुस्तिकाओं का एक सेट प्रस्तुत करने की प्रथा है। इसमें पिछले वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट, संस्था के अंतर्नियम व बहिर्नियम और उपलब्धियों के साथ समझौता ज्ञापन शामिल हैं। कंपनी के निदेशकों को समय-समय पर डीपीई, एससीओपीई और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए भी नामित किया जाता है।

पारिश्रमिक

एमआरवीसी कंपनी अधिनियम के तहत एक सरकारी कंपनी है और कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारत सरकार, रेल मंत्रालय द्वारा नियुक्त कार्यरत निदेशक औद्योगिक महंगाई भत्ता, सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित वेतनमान के आईडीए स्वरूप और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी नियमों और शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक निगम से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक [सरकार द्वारा नामित] निगम से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों के रूप में भारत सरकार से केंद्रीय महंगाई भत्ता [सीडीए] वेतनमान के तहत अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों [स्वतंत्र निदेशक] को प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 20,000/- रु. का बैठक शुल्क दिया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-सरकारी निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक इस प्रकार है -

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ और सुविधाएं	कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन	कुल
1	श्री सुभाष चंद गुप्ता	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	54,44,783	4,39,956	कोई नहीं	58,84,739
2	श्री रवि अग्रवाल	निदेशक [तकनीकी]	36,31,675	39,87,516	कोई नहीं	76,19,191
3	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव	निदेशक [परियोजनाएं]	53,03,518	6,12,418	कोई नहीं	59,15,936
4	श्रीमती स्मृति वर्मा	निदेशक [वित्त]	9,28,609	3,00,900	कोई नहीं	12,29,509
कुल			1,53,08,585	53,40,790	कोई नहीं	2,06,49,375

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान गैर-सरकारी निदेशक [स्वतंत्र निदेशक] को प्रदान किया गया बैठक शुल्क इस प्रकार था -

निदेशक का नाम	प्रदान किया गया बैठक शुल्क रु. में
श्रीमती पुष्पा जांगिड़	2,80,000

लेखा परीक्षक

- (i) मेसर्स आरएवी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुंबई को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक [सी एंड एजी], नई दिल्ली द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एमआरवीसी के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

- (ii) सी एंड एजी ने एमआरवीसी की पूरक लेखापरीक्षा का कार्य महानिदेशक, लेखापरीक्षा [पश्चिम रेलवे], मुम्बई को सौंपा है।

- (iii) मेसर्स एम ए शाह एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुंबई को दिनांक 01.10.2023 से 30.09.2024 तक एक वर्ष की अवधि के लिए निगम का आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

लेखापरीक्षा योग्यताएं

कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के सभी उचित प्रयास किए हैं कि वित्तीय विवरण सर्वोच्च पारदर्शी तरीके से तैयार किए जाएं और वित्तीय विवरण अयोग्य न बनें। दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर मेसर्स आरएवी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मुंबई

द्वारा जारी किए गए वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अहंता नहीं थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सी एंड एजी की टिप्पणियाँ और उस पर प्रबंधन का जवाब लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

प्रत्यक्षीकरण

- ए) वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34 में दिया गया है जो इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- बी) किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा गैर-अनुपालन के कारण कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। आयकर, माल और सेवा कर और बिक्री कर से संबंधित कर मांगों का विवरण "अन्य जानकारी" के अंतर्गत अलग से दिया गया है।
- सी) कंपनी ने कंपनी के मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कापोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देशों का यथासंभव अनुपालन किया है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, एमआरवीसी लिमिटेड ने अपने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यवसाय आचरण और नैतिकता संहिता लागू की है और वर्ष 2023-24 के लिए निदेशक रिपोर्ट में कापोरेट गवर्नेंस और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को शामिल किया है। कंपनी ने निगम पर लागू विभिन्न मामलों पर आईसीएसआई द्वारा विकसित सचिवीय मानकों का भी अनुपालन किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम पर लागू सीएसआर से संबंधित नियमों और विनियमन का भी अनुपालन किया गया है।
- डी) एमआरवीसी लिमिटेड की खाता बहियों में नामे किए गए व्यय की सभी मदें एमआरवीसी लिमिटेड को सौंपी गई परियोजना के निष्पादन के उद्देश्य से हैं और परियोजना कार्यों से संबंधित हैं।
- ई) निदेशक मंडल के सदस्यों और शीर्ष प्रबंधन के लिए कोई वैयक्तिक व्यय नहीं किया गया।
- एफ) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय वर्ष 2023-24 में 24.87% रहा जो वर्ष 2022-23 में 22.12% था।
- जी) वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई।
- एच) न्यायिक निकायों/नियामकों/न्यायालयों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी के सक्रिय व लाभप्रद व्यवसाय और भविष्य के परिचालनों को प्रभावित करेगा।
- आई) रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 09.11.2021 के पत्र के माध्यम से निगम में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति आदेश की सूचना दी गई है। स्वतंत्र निदेशक द्वारा अभी तक ऑनलाइन दक्षता परीक्षा नहीं

दी गई है। वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक ने यह घोषणा प्रदान की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती हैं।

- जे) निगम का निवल मूल्य वर्ष 2021-22 में 235.24 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 321.04 करोड़ रु. हो गया। इसलिए एमसीए प्रेस विज्ञप्ति संख्या 11/10/2009 सीएल-वी दिनांक 02.01.2015 के अनुरूप निगम के वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण निगम पर यथा लागू मौजूदा भारतीय लेखा मानकों [कंपनी [लेखा मानक] नियम 2015 के अनुसार जैसा कि कापोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 16.02.2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा अधिसूचित] को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए।
- के) वर्ष के दौरान निगम के लिए राष्ट्रपति द्वारा कोई अध्यक्षीय निर्देश जारी नहीं किया गया।

(5) अन्य सूचना

ए. आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं

1. आकस्मिक देयता

विवादित आयकर और अन्य मामलों का विवरण जिन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया लेकिन ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया निम्नानुसार है -

i) आयकर

निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2018-19 के लिए विवादित आयकर मांगों के मामले में जिसके खिलाफ एमआरवीसी की अपील सीआईटी (ए)-एनएफएसी, नई दिल्ली के समक्ष लंबित थी, सीआईटी (ए), एनएफएसी-नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 05.06.2024 के आदेश के तहत अपील को एमआरवीसी के पक्ष में अनुमति दी गई है।

इसके अलावा, 7 आकलन वर्षों यानी निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत पारित एओ के आदेश के खिलाफ कंपनी की अपील को सीआईटी (ए) द्वारा अनुमति दी गई थी। आईटीएटी, मुंबई ने निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक के संबंध में सीआईटी (ए) के आदेशों के खिलाफ दाखिल विभाग की अपील को खारिज कर दिया। आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2009-2010 से 2015-16 के लिए सीआईटी (ए) के आदेश के खिलाफ माननीय आईटीएटी, मुंबई के समक्ष अपील दाखिल की थी। माननीय आईटीएटी ने आयकर विभाग की अपीलों को खारिज कर दिया और सीआईटी (ए) के



आदेशों को बरकरार रखा। आयकर विभाग ने इसके बाद आईटीएटी, मुंबई के उक्त आदेशों के खिलाफ अपील दायर की। यह अपील माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्वीकार करने के लिए प्रतीक्षागत है। आकस्मिक देयताओं का विस्तृत वर्षवार ब्यौरा वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 27 में दिया गया है।

II. प्रतिबद्धताएं

- पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने लिए शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य [रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार की ओर से एमयूटीपी कार्यों के लिए] और जिनका प्रावधान नहीं किया गया है [अग्रिमों को घटाकर], 2378.54 करोड़ रु. [31.03.2024], 2099.28 करोड़ रु. [31.03.2023], 2436.33 करोड़ रु. [01.04.2022] है।
- पूँजी खाते [अन्य कार्यों के लिए] पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य और जिनका प्रावधान नहीं किया गया है [अग्रिमों को घटाकर], 0.22 करोड़ रु. [पिछले वर्ष 1.62 करोड़ रु.] है।
- राजस्व खाते पर कंपनी द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है, 6.50 करोड़ रु. है [पिछले वर्ष 9.90 करोड़ रु.] है।

बी. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों [एमएसई]/TReDS से अधिप्राप्ति

भारत सरकार की संशोधित सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति के अनुसार कंपनी को वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद का कम से कम 25% एमएसई से खरीदना आवश्यक है जिसमें से 4% एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से और 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद के लिए निर्धारित है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एमएसई से खरीद इस प्रकार रही -

माप दंड	वास्तविक / लक्ष्य
एमएसई से कुल अधिप्राप्ति (सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के समक्ष आरक्षित)	एमएसई के 25% लक्ष्य के समक्ष 61.89% की उपलब्धि प्राप्त की गई
आरक्षित एससी/एसटी एमएसई से अधिप्राप्ति	*4% के लक्ष्य के मुकाबले शून्य
महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से अधिप्राप्ति	3% के लक्ष्य के मुकाबले 22.04% उपलब्धि हासिल की गई

* उप-लक्ष्यों के अंतर्गत कमी विक्रेताओं की गैर-भागीदारी के कारण थी। एमआरवीसी ने एमएसएमई की एससी/एसटी हब मुंबई शाखा के सहयोग से मई, 2023, अक्टूबर, 2023 और फरवरी, 2024 में एससी/एसटी और महिला एमएसई उद्यमियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके अलावा, एमआरवीसी ने एससी/एसटी और महिला एमएसई विक्रेताओं को सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति

के तहत दिए जा रहे अनुलाभों को जानने में मदद करने के लिए हर सोमवार को "विक्रेता जागरूकता दिवस" के रूप में तय किया है और इसे एमआरवीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है। इन प्रयासों के बावजूद दिनांक 31.03.2024 तक एससी/एसटी एमएसई उद्यमी की कोई भागीदारी नहीं रही।

डीपीई ने दिनांक 04.05.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई-7(4)12007-वित्त के माध्यम से सभी सीपीएसई को सलाह दी है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली [टीआरईडीएस] प्लेटफॉर्म पर स्वयं को पंजीकृत करें तथा एमएसई विक्रेताओं द्वारा इसका उपयोग अनिवार्य करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में आपकी कंपनी एमएसई के व्यापार प्राप्य के वित्तपोषण की सुविधा के लिए उनके प्राप्य की छूट और नियत तिथि से पहले उनके भुगतान की प्राप्ति के लिए TReDS प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है। अधिक जानकारी के लिए एमआरवीसी वेबसाइट <https://mrv.in> देखी जा सकती है। इसके अनुरूप दिनांक 28.03.2024 को TReDS पोर्टल पर 20.43 लाख रु. की राशि का अनुरोध प्राप्त हुआ जिस पर कार्रवाई की गई।

निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक [केएमपी]

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक [सीईओ], निदेशक [वित्त], निदेशक [तकनीकी], निदेशक [परियोजनाएं], एफए एवं सीएओ [सीएफओ] और कंपनी सचिव कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक [केएमपी] हैं।

वार्षिक आम बैठक की तिथि तक आपकी कंपनी के निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए -

- श्री राजेश कुमार गर्ग, कार्यकारी निदेशक गति [शक्ति-1], रेलवे बोर्ड ने दिनांक 06.04.2023 को अंशकालिक सरकारी निदेशक [रेल मंत्रालय] का कार्यभार संभाला। उन्होंने श्री राम प्रकाश का स्थान लिया जो रेलवे सेवाओं से सेवानिवृत्त होने के कारण दिनांक 31.01.2023 को निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए।
- श्री असीम कुमार गुप्ता, आईएएस, प्रमुख सचिव, यूडीडी-1, महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 08.06.2023 से अंशकालिक सरकारी निदेशक [महाराष्ट्र सरकार] का कार्यभार संभाला। उन्होंने श्री भूषण गगरानी, आईएएस का स्थान लिया, जो अन्य विभाग में स्थानांतरण के कारण दिनांक 07.06.2024 से अंशकालिक सरकारी निदेशक [महाराष्ट्र सरकार] के पद से कार्यमुक्त हुए।
- श्री रवि अग्रवाल, निदेशक तकनीकी दिनांक 30.11.2023 को सेवानिवृत्त हुए।
- श्रीमती स्मृति वर्मा ने दिनांक 01.12.2023 से निदेशक [वित्त] का कार्यभार संभाला।
- श्री विलास सोपान वाडेकर 09.07.2024 से निदेशक [तकनीकी] का कार्यभार संभाला।
- श्री मनोज कुमार सिन्हा, जीएम [एस एंड टी] को एफए एंड सीएओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया और दिनांक 28.06.2024 से श्रीमती स्मृति वर्मा के स्थान पर सीएफओ नियुक्त किया गया।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि -

1. वार्षिक लेखों की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया और साथ ही महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों व गतिविधियों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के आय और व्यय के विवरण की सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत की जा सके।
3. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों को रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी।
4. निदेशकों ने वार्षिक लेखे सक्रिय व लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर तैयार किए, तथा
5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार कीं जोकि पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक विवरणी फॉर्म एमजीटी-7 में कंपनी की वेबसाइट: <https://mrvcl.indianrailways.gov.in> पर उपलब्ध कराई गई है।

दिए गए ऋण, किए गए निवेश, दी गई गारंटी और प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी और निवेश का ब्यौरा शून्य है।

संबंधित पक्षों के साथ की गई संविदाएं और समझौते

कंपनी ने वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों [मध्य और पश्चिम रेलवे], एमएम आरडीए, सिडको के साथ सामान्य कारोबार के क्रम में और स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर लेन-देन किया है। लागू लेखा मानकों के अनुसार आरपीटी से संबंधित प्रकटन कंपनी के वित्तीय विवरण की टिप्पणी-34 में दिए गए हैं।

कंपनी [प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक] नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी [प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक] नियम, 2014 के नियम 5(2i-iii) के अंतर्गत प्रकट किए जाने वाले कर्मचारियों के विवरण को शून्य माना जाए।

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा विनियम अर्जन और व्यय से संबंधित विवरण

कंपनी मुख्य रूप से एमयूटीपी के तहत मुंबई उपनगरीय खंड में रेल अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगी हुई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस संबंध में की गई कार्रवाई इस प्रकार है-

प्रौद्योगिकी उन्नयन, ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और शोर में कमी

2x25 केवी ओएचई सिस्टम में ट्रैक्शन सबस्टेशन [TSS] से 50 केवी पर बिजली दी जाती है और स्कॉट कनेक्टिंग ट्रांसफॉर्मर और पर्याप्त क्षमता के ऑटोट्रांसफॉर्मर प्रदान करते हुए और अतिरिक्त कंडक्टर प्रदान करते हुए 25 केवी पर उपयोग प्राप्त किया जाता है जिसे आमतौर पर फीडर वायर कहा जाता है। ऑटोट्रांसफॉर्मर के सेंटर प्वाइंट को जमीन/रेल से जोड़ा जाता है। यह व्यवस्था और रेल के बीच +25 केवी वोल्टेज और फीडर वायर और पृथ्वी/रेल के बीच -25 केवी वोल्टेज की सुविधा प्रदान करती है।

2X25 केवी एट फीडिंग सिस्टम ट्रैक्शन सबस्टेशनों की एक निश्चित दूरी के लिए फीडर सर्किट में कम वोल्टेज ड्रॉप के निहित लाभ के साथ ट्रेनों की संख्या में वृद्धि के कारण उच्च वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयुक्त होता है। बिजली की बड़ी आपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 2X25 केवी सिस्टम का उपयोग विभिन्न देशों में विद्युत भार में वृद्धि के लिए किया जाता है जैसे कि भारत में हाई स्पीड रेल और डीएफएफसीआईएल। एमआरवीसी पश्चिम रेलवे के VR-DRD खंड और मध्य रेलवे के PNVL-KJT के लिए MUTP-III परियोजना के तहत उपरोक्त प्रणाली को लागू कर रहा है।

गैस इंसुलेटेड स्विचगियर जीआईएस कॉम्पैक्ट प्रकार के ट्रैक्शन सबस्टेशनों की परिकल्पना की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप आकार, रखरखाव लागत, कम रखरखाव और प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार होगा। पश्चिम रेलवे में दहिसर और वसई रोड पर टीएसएस के लिए डिजिटल सबस्टेशन और एसएफसी तकनीक को अपनाया जा रहा है।

- नए वंदे मेट्रो रोलिंग स्टॉक के लिए एल्युमीनियम मिश्र धातु या ऑस्टेनैटिक स्टेनलेस स्टील और अत्याधुनिक उपकरण का उपयोग करते हुए वाहन कार बॉडी का हल्का वजन डिजाइन किया गया है।



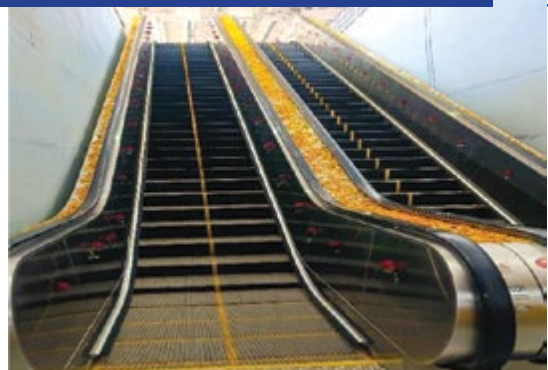
- स्टेशनों पर स्मार्ट प्लेटफार्म लाइटिंग लगाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।
- एमयूटीपी-III परियोजना के अंतर्गत नई वंदे मेट्रो ईएमयू के परिचालन के लिए ऊर्जा कुशल ड्राइव सिस्टम, स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर [पीएसएसएम] ट्रेक्शन मोटर्स एसआईसी / आईजीबीटी डिव्वाइस आधारित कनवर्टर, वीवीवीएफ सुविधाओं द्वारा संचालित स्क्रॉल कंप्रेसर के साथ आरएमपीयू को अपनाना।
- वीवीवीएफ विशेषताओं वाले उच्च मात्रा वाले निम्न गति [एचवीएलएस] वाले पंखे, और ऊर्जा कुशल पंखे, खार रोड, मीरा रोड, कांदिवली, घाटकोपर, बीएनडी एमएलएनडी, एमएनकेडी, जीवी और पनवेल स्टेशनों पर उपलब्ध कराए गए हैं जिससे ऊर्जा की खपत कम होती है और जिनका प्रावधान सभी भावी परियोजनाओं में किया गया है।
- एलईडी फिक्सचर, स्टार रेटेड/आईएसआई चिन्हित विद्युत उपकरण जैसे इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर, सीलिंग पंखे, वाटर पंप, वाटर कूलर आदि का प्रावधान।



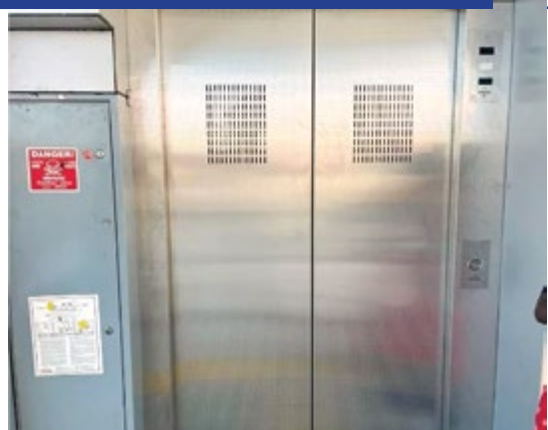
खार रोड स्टेशन पर एलईडी फिक्सचर और एचवीएलएस पंखा

विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन सुधार परियोजना के अंतर्गत एस्केलेटर और एलिवेटर का प्रावधान किया गया है। बोरीवली - विरार, विरार - दहानू, पनवेल - कर्जत व कल्याण - बदलापुर खंड पर यात्री सुविधाओं और आराम के लिए नवीनतम तकनीक के साथ एमआरवीसी द्वारा पहल की गई है।

खार रोड और दीघा गांव स्टेशन पर एस्केलेटर



खार रोड और दीघा गांव स्टेशन पर एलिवेटर



- एमआरवीसी द्वारा ठाणे - वाशी के बीच ट्रांस हार्बर लाइन पर दीघा गांव स्टेशन नाम से एक नया स्टेशन बनाया गया है। इस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए छह एस्केलेटर और दो एलीवेटर्स लगाए गए हैं।

विदेशी मुद्रा विनिमय आय और व्यय

कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की है। आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष में 1.30 करोड़ रु. (परामर्श पर) की तुलना में वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में शून्य व्यय किया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम [रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम] 2013 के तहत महिलाओं को रोजगार और प्रकटीकरण की आवश्यकता

संगठन में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है और निगम सभी के लिए अनुकूल कार्य परिवेश सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान चर्चगेट स्थित एमआरवीसी कार्पोरेट कार्यालय में आवश्यकता पड़ने पर महिला कर्मचारियों के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था की गई है।



कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न [रोकथाम, निषेध और निवारण] अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट होने पर तुरंत कार्रवाई करती है। इस अधिनियम के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने और उनकी सुरक्षा बनाए रखने के लिए एमआरवीसी ने पॉश अधिनियम के तहत की जाने वाली किसी भी शिकायत के निवारण और समाधान के लिए आंतरिक समिति का गठन किया है। कार्यस्थल पर संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया। 7 दिसंबर 2023 को एमआरवीसी कार्पोरेट कार्यालय में उप मुख्य विधि अधिकारी/मध्य रेलवे श्री आर. सुब्रमण्यम द्वारा पॉश अधिनियम पर कार्यशाला संचालित की गई। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यौन उत्पीड़न के तहत एक (1) शिकायत दर्ज की गई, जिसका समाधान कर दिया गया है।

Use of Official Language etc./राजभाषा

भारत सरकार के गृह मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न आदेशों के अनुसार एमआरवीसी में राजभाषा

को वर्ष 2023-24 के दौरान लागू करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम-2023-24 में राजभाषा को लागू करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में एमआरवीसी के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को व्यापक जानकारी प्रदान की गई। हिंदी का मूल पत्राचार वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किया गया तथा सभी रजिस्ट्रारों और फाइलों पर विषय हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गए। सभी कंप्यूटरों में (यूनिकोड) हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। एमआरवीसी के कर्मचारियों को गृह मंत्रालय के पारंगत और हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया तथा उन्हें गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। एमआरवीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ई-ऑफिस में अधिक से अधिक टिप्पणियां हिंदी में लिखी गई। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा-3 (3) के तहत सभी दस्तावेज द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेजी) रूप में जारी किए गए। एमआरवीसी की वेबसाइट को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया गया है तथा विभागों से संबंधित सूचनाओं की सामग्री को हिंदी में भी अपलोड किया गया। एमआरवीसी में राजभाषा का प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग का अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए हिंदी की वार्षिक गृह पत्रिका विकास-पथ पत्रिका का 14



वां अंक प्रकाशित किया गया। इस पत्रिका में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लिखित तकनीकी लेखों, राजभाषा नियमों, कविताओं और विभिन्न विषयों से संबंधित रचनाओं को शामिल किया गया है। वर्ष 2023-24 की पत्रिका का यह अंक एमआरवीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इस पत्रिका में लेख लिखने वाले 28 रचनाकारों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नकद पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा विभाग द्वारा तैयार वार्षिक हिंदी पत्रिका का विमोचन करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं अन्य अधिकारी।



अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से हिंदी पुस्तकालय पुनः स्थापित किया गया और हिंदी पुस्तकालय के लिए महत्वपूर्ण हिंदी पुस्तकों की खरीद की गई। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अध्ययन के लिए दो दैनिक हिंदी समाचार पत्र हिंदी पुस्तकालय में नियमित रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। सभी अधिकारी और कर्मचारी हिंदी में प्रशिक्षित हैं तथा हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा नियम-8 (4) के तहत राजभाषा में कार्य करने के लिए 29 जनवरी 2024 को व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए। एमआरवीसी की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का निर्धारित अवधि में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजन किया गया और एमआरवीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा राजभाषा में किए जा रहे कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की गई।

एमआरवीसी में राजभाषा का प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग का अनुकूल-वातवरण तैयार करने के उद्देश्य से 21/09/2023 से 28/09/2023 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। हिंदी सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और रेल मंत्री के हिंदी दिवस संदेशों का वाचन किया गया। हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में सफल कर्मचारियों एवं अधिकारियों को तथा गृह मंत्रालय की हिंदी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को हिंदी सप्ताह के समापन एवं वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह में नकद पुरस्कार राशि और योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। एमआरवीसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की राजभाषा में कार्य करने की झिझक को दूर करने के उद्देश्य से समय-समय पर राजभाषा नियमों के अनुसार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। दिनांक 25 मई 2023 को एमआरवीसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजभाषा को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में

निर्धारित लक्ष्यों के बारे में अतिथि वक्ता ने व्यापक जानकारी दी। हिंदी कार्यशाला के उपरांत व्याख्यान पर आधारित एक राजभाषा प्रश्न-मंच आयोजित किया गया, जिसमें एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर अधिकारी एवं कर्मचारी को नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इस कार्यशाला में एमआरवीसी के 42 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। दिनांक 14 दिसंबर 2023 को एमआरवीसी के सम्मेलन कक्ष में हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। इस हिंदी कार्यशाला में अतिथि वक्ता ने तकनीकी कार्य हिंदी में करने में आने वाली समस्याओं और समाधान के संबंध में व्यापक जानकारी दी। हिंदी कार्यशाला के उपरांत हिंदी व्याख्यान पर आधारित राजभाषा प्रश्न-मंच आयोजित किया गया। एमआरवीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 2023 को सम्मेलन कक्ष में तकनीकी संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें अतिथि वक्ता ने सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी विषय पर तथा गृह मंत्रालय के कंठस्थ (अनुवाद सारथी) पर अपना व्याख्यान दिया।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार मुख्य राजभाषा अधिकारी की अध्यक्षता में 19 जुलाई 2023 को सम्मेलन कक्ष में एमआरवीसी के सभी निजी सचिवों एवं कर्मचारियों के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजभाषा अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को राजभाषा नियमों की व्यापक जानकारी दी गई तथा सभी मदों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्पों के बारे में बताया गया। इस विशेष बैठक में एमआरवीसी के 23 कर्मचारियों ने सहभागिता की। एमआरवीसी के कर्मचारियों के लिए 07 फरवरी, 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा तैयार कंठस्थ (अनुवाद सारथी) का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में 22 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से दिनांक 27 जून 2023 को हिंदी के महान साहित्यकार

विष्णु प्रभाकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अतिथि वक्ता ने विष्णु प्रभाकर की हिंदी साहित्यिक गतिविधियों को अपने व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत किया। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 28 मार्च 2024 को आयोजित बैठक के दौरान हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद पर हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हिंदी संगोष्ठी में हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद की रचनाओं पर आधारित प्रेमचंद की रचनाओं में सामाजिक यथार्थवाद विषय पर अतिथि वक्ता ने महान साहित्यकार की विभिन्न रचनाओं का उल्लेख करते हुए समाज को दिए गए उनके योगदान को स्पष्ट किया गया।

मुंबई उपक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान समय-समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में एमआरवीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। राजभाषा में किए गए उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए मुंबई उपक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 25 जुलाई 2023 को द्वितीय राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया।

राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, मुंबई उपक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य अधिकारी।



भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14-15 सितंबर 2023 को पुणे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हिंदी दिवस और तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में एमआरवीसी की ओर से मुख्य राजभाषा अधिकारी तथा राजभाषा अधिकारी ने सहभागिता की। भारत सरकार के केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा मुंबई उपक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में मुंबई उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए होटल प्रबंधन, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुपयुक्त पोषक विज्ञान संस्थान, दादर मुंबई में दिनांक 21 अगस्त 2023 को आयोजित विशेष तकनीकी अनुवाद प्रशिक्षण में एमआरवीसी के राजभाषा अधिकारी ने अनुवाद में अर्थ संरचना एवं अनेकार्थी शब्दों के अनुवाद की समस्या और समाधान विषय पर व्याख्यान देकर व्यापक जानकारी दी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 नवंबर, 2023 को न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अणुशक्ति नगर, मुंबई में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में तथा महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल की उपस्थिति में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में एमआरवीसी की ओर से मुख्य राजभाषा अधिकारी तथा राजभाषा अधिकारी ने सहभागिता की।

एमआरवीसी कार्यालय में राजभाषा का प्रचार-प्रसार तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके कंप्यूटर टेबल पर राजभाषा नियमों की संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा माउस पैड तैयार किया गया है और सभी अधिकारियों एवं अनुभागों के लिए एक-एक राजभाषा माउस पैड उपलब्ध कराया गया।

सतर्कता और व्हिसल ब्लोअर नीति

एमआरवीसी में एक पूर्णसज्जित सतर्कता विभाग है जिसका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं। इसके अलावा सतर्कता अनुभाग में एक उप सीवीओ और 2 सतर्कता प्रबंधक हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा 6 गहन परीक्षाएँ [सीटीई-प्रकार के निरीक्षण], 12 नियमित और निवारक जाँचें की गईं और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल की विस्तार से जाँच की गई। प्रबंधन को चार प्रणालीगत सुधारों का सुझाव दिया गया है। वर्ष के दौरान आईपीआर की विस्तृत जांच भी की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान संगठन में कोई सतर्कता मामला दर्ज नहीं किया गया। उचित जांच के बाद एक व्यक्ति का नाम 'सहमत सूची' से



हटा दिया गया। सीवीसी के निर्देशानुसार संगठन ने दिनांक 16.08.2023 से 15.11.2023 तक 3 महीने का सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया। एमआरवीसी ने दिनांक 30.10.2023 से 05.11.2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया और 30.10.2023 को कार्पोरेट कार्यालय और विभिन्न साइटों पर काम करने वाले एमआरवीसी के सभी अधिकारियों ने सतर्कता शपथ ली। सप्ताह के दौरान सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए निबंध लेखन, नारा लेखन [हिंदी और अंग्रेजी में] और "भ्रष्टाचार को न कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें" विषय पर ड्राइंग प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागिता उत्साहजनक रही। विजेताओं को सम्मानित किया गया। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य अधिकारियों को आम गलतियों को कम करने के लिए जागरूक बनाना था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, सीएमडी द्वारा पी डी पी आई पर एक पुस्तिका भी जारी की गई थी।

एमआरवीसी ने सीवीसी के दिशा-निर्देशों के तहत सचेतक नीति को अपनाया है और इसे एमआरवीसी की वेबसाइट <https://mrv.c indianrailways.gov.in> पर अपलोड किया है। आम जनता द्वारा सतर्कता संबंधी शिकायतें दर्ज कराने के लिए सतर्कता अनुभाग का डाक पता और ई-मेल पता एमआरवीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

पूंजी संरचना

दिनांक 31.03.2023 तक निगम की चुकता पूंजी 25 करोड़ रु. थी। भारत सरकार के पास निगम की चुकता शेयर पूंजी का 51% हिस्सा है जो 12.75 करोड़ रु. है और महाराष्ट्र सरकार के पास निगम की चुकता शेयर पूंजी का 49% हिस्सा है, जो 12.25 करोड़ रु. है। वर्ष के दौरान चुकता शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत एमआरवीसी के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एमआरवीसी द्वारा "नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार" की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित की गई है। यह आरटीआई व्यवस्था नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में उपलब्ध जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। कंपनी ने एक सरकारी कंपनी के रूप में अपनी क्षमता में और कानून के पीछे की भावना के सम्मान में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन की देखभाल करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और सहायक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए हैं, जिसकी जानकारी एमआरवीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है इस अधिनियम के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों का सारांश नीचे दिया गया है-

	वर्ष के दौरान प्राप्त [अन्य पी.ए. को हस्तांतरित मामलों सहित]	धारा 6(3) के तहत अन्य पीए को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोध/अपील अस्वीकृत किए गए / आवेदक को लौटा दिए गए	निर्णय जहां अनुरोधों/ अपीलों का उत्तर दिया गया
आरटीआई के अनुरोध	112	28	शून्य	76
प्रथम अपील	06	शून्य	शून्य	06

*2023-24 में प्राप्त 08 आरटीआई मामलों का उत्तर देने की लक्षित तिथि अप्रैल 2024 थी।

संचार के साधन

लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम एमआरवीसी की वेबसाइट <http://www.mrv.c indianrailways.gov.in> पर प्रदर्शित किए जाते हैं। निविदाएं/रुचि की अभिव्यक्ति ईओआई, निविदाओं/प्रदान की गई संविदाओं का विवरण, कार्पोरेट मिशन और अन्य विवरण कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाते हैं और समय-समय पर अपडेट किए जाते हैं।

आभार

निदेशक मंडल रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, एमएमआरडीए, सिडको, तथा मध्य और पश्चिम रेलवे से समय-समय पर प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम के सभी स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए भी अपना आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से,

समृति वर्मा
निदेशक वित्त

सुभाष चंद्र गुप्ता
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक 'ए'

ए एमयूटीपी कार्य

₹ करोड़ में

1	एमयूटीपी-1	स्वीकृत लागत	31.03.2024 तक संचयी व्यय
i	एमयूटीपी -1 (चरण-1 के अंतर्गत घटकों का निर्माण पूर्ण हो चुका है)	4501.80	4452.67

₹ करोड़ में

2	एमयूटीपी -2	संशोधित स्वीकृत लागत	31.03.2024 तक संचयी व्यय
i	एमयूटीपी -2ए (2ए के अंतर्गत घटकों का पूर्ण: निर्माण हो चुका है)		
1	डीसी से एसी रूपांतरण	838.48	805.60
2	ईएमयू खरीद / निर्माण	3,104.47	2,950.72
3	ईएमयू रखरखाव सुविधाएं	353.82	335.46
4	ईएमयू के लिए स्टेब्लिंग लाइनें	245.11	260.97
5	तकनीकी सहायता एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण	47.00	56.22
6	एस्केलेटर के प्रावधान सहित अतिक्रमण नियंत्रण के उपाय	205.00	223.83
7	अनावंटित और फ्रंट-एंड-फी	8.80	-
	कुल 2ए	4,802.68	4,632.81
ii	एमयूटीपी -2बी (क्रमांक 2बी(1) एवं (3) के अंतर्गत घटकों पर कार्य प्रगति पर है)		
1	कुर्ला - सीएसटीएम 5वीं और 6वीं लाइन	1,367.00	531.67
2	ठाणे - दिवा अतिरिक्त लाइनों की जोड़ी.	440.00	708.34
3	बोरीवली - मुंबई सेंट्रल 6वीं लाइन.	918.53	784.10
4	हार्बर लाइन का गोरेगांव तक विस्तार	214.00	241.54
6	बंदोबस्त एवं पुनर्वास	124.00	23.43
5	स्टेशन सुधार एवं अतिक्रमण नियंत्रण	220.90	188.65
	कुल 2बी	3,284.43	2,477.74
	एमयूटीपी -2 का कुल	8,087.11	7,110.55

₹ करोड़ में

3	एमयूटीपी -2सी (हार्बर लाइन (सीएसटीएम-पनवेल/अंधेरी) पर 12 कार ईएमयू का संचालन)	संशोधित / स्वीकृत लागत	31.03.2024 तक संचयी व्यय
1	हार्बर लाइन (सीएसएमटी-पीएनवीएल/एडीएच) सिडको पार्ट पर 12 कार ईएमयू का संचालन	661.21	649.85
2	हार्बर लाइन (सीएसएमटी-पीएनवीएल/एडीएच) एमएमआरडीए पार्ट पर 12 कार ईएमयू का संचालन	128.34	123.45
	एमयूटीपी -2सी का कुल	789.55	773.30

₹ करोड़ में

4	एमयूटीपी -3	स्वीकृत लागत	31.03.2024 तक संचयी व्यय
1	ऐरोली-कलवा (एलिवेटेड) के बीच नया उपनगरीय कॉरिडोर लिंक	476.00	222.15
2	नया उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर पनवेल-कर्जत (डबल लाइन)	2782.00	1,583.83
3	विरार-दहानू सड़क की का चौहरीकरण	3578.00	995.52
4	रोलिंग स्टॉक की खरीद (565 कोच)	3491.00	-
5	मध्य सेक्शन पर अतिक्रमण नियंत्रण	551.00	446.46
6	तकनीकी सहायता	69.00	45.64
	एमयूटीपी -3 का कुल	10,947.00	3,293.59



02-14

कॉर्पोरेट अवलोकन

15-62

वैधानिक रिपोर्ट

63-121

वित्तीय विवरण

₹ करोड़ में

5	एमयूटीपी -3ए	स्वीकृत लागत	31.03.2024 तक संचयी व्यय
1	गोरेगांव से बोरीवली के बीच हार्बर लाइन का विस्तार	825.58	1.01
2	बोरीवली से विरार के बीच 5वीं और 6वीं लाइन	2184.02	25.03
3	कल्याण-आसनगांव के बीच चौथी लाइन	1759.16	5.71
4	तीसरी और चौथी लाइन कल्याण-बदलापुर	1509.87	336.98
5	कल्याण यार्ड - लंबी दूरी और उपनगरीय यातायात का पृथकीकरण	865.68	66.39
6	सीबीटीसी का उपयोग करते हुए वहन क्षमता और सुरक्षा में वृद्धि	5928.33	0.03
7	एमयूटीपी-3ए के अंतर्गत स्टेशन सुधार	946.94	124.44
8	वातानुकूलित ईएमयू रैक (191 नग 12 कार) की खरीद	15802.89	0.00
9	ईएमयू रखरखाव सुविधाएं	2352.77	18.58
10	स्टेबलिंग लाइन (97 लाइनें)	556.63	0.00
11	पावर सप्लाई संवर्धन - ट्रेक्शन पावर सप्लाई और सामान्य पावर सप्लाई	708.13	117.13
12	तकनीकी सहायता	250.00	2.34
13	भिवपुरी ईएमयू कारशेड और पीओएच सुविधाएं		114.42
	एमयूटीपी -3ए का कुल	33,689.99	812.06
ए	कुल एमयूटीपी कार्य (1+2+3+4+5)	53,513.65	11,989.50

बी एमआरवीसी के अधिशेष से निष्पादित अन्य एमयूटीपी संबंधी कार्य

₹ करोड़ में

6	अधिशेष निधि से पूरे किए गए कार्य	स्वीकृत लागत	31.03.2024 तक संचयी व्यय
1	द्वितीय श्रेणी की सीटों में कुशनिंग का प्रावधान	1.00	0.30
2	15 कोच के लिए सीसीजी के प्लेटफार्म 3 और 4 का विस्तार, कवरशेड के बिना	6.10	4.73
3	ईएमयू रखरखाव-पश्चिम रेलवे (एमआरवीसी द्वारा किया गया)-चरण II	-	9.92
4	सीएसटीएम-एफओबी (उपनगरीय लाइन से मुख्य लाइन)-1	9.00	9.09
5	हार्बर लाइन का विस्तारण	-	10.00
6	स्टेबलिंग लाइनें - चरण II (एमआरवीसी द्वारा किया गया)	-	5.53
7	एमयूटीपी-II ईएमयू-आईसीएफ के इलेक्ट्रिक्स के लिए वेयरहाउसिंग सुविधाएं	9.85	9.66
8	परेल (एस) एफओबी का विस्तार और माटुंगा रोड पर मध्य एफओबी का कवर शेड लैंडिंग और फ्लोरिंग	2.34	2.08
9	ठाणे-दिवा के बीच 5वीं-6वीं लाइन	-	71.48
10	बांद्रा-कुर्ला रेल लिंक के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और अंतिम स्थान सर्वेक्षण का अद्यतनीकरण	0.20	0.20
11	दूरसंचार सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना-सीसीजी कार्यालय (अधिशेष परिनियोजन)	0.34	1.73
12	सीसीजी-वीआर में लगभग 11700 वर्ग मीटर पर प्लेटफार्म पर कवर उपलब्ध कराना।	8.19	9.15
13	कारीगरों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कुर्ला के नए ओएचई कार्यालय परिसर में मॉडल ओएचई	0.16	-
14	मुंबई क्षेत्र में एफओबी का निर्माण (पश्चिम रेलवे द्वारा निष्पादित)	0.74	0.94
15	मुंबई क्षेत्र में एफओबी का निर्माण (मध्य रेलवे द्वारा निष्पादित)	0.73	0.67
16	पाथवे, पोल लाइट्स और टॉवर लाइट्स का कार्य (मध्य रेलवे)	4.26	4.45
17	मुंबई उपनगरीय सीआर और डब्ल्यूआर पर बाढ़ नियंत्रण और शमन आकलन के लिए परामर्श	0.50	0.54
18	ईएमयू स्टैब यार्ड (डब्ल्यूआर) में रोशनी में सुधार	0.90	0.82
19	ईएमयू रैक निरीक्षण के लिए विभिन्न स्टेबलिंग यार्डों पर पाथवे उपलब्ध कराना	1.90	1.87
20	सीएसटीएम-एफओबी (उपनगरीय लाइन से मुख्य लाइन)-2	3.00	2.74
21	एफओबी (सीआर) का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण	9.45	9.15
22	पश्चिम रेलवे पर 80 एटीवीएम का प्रावधान	0.98	1.24
23	एमयूटीपी3ए के अंतर्गत स्टेशन सुधार	0.99	1.19
	पूरा किए गए कुल कार्य	60.63	157.48

₹ करोड़ में

7	अधिशेष निधियों से चालू कार्य	स्वीकृत लागत	31.03.2024 तक संचयी व्यय
1	सीएसटीएम-कर्जत और कल्याण-कसारा सेक्शन में 31 स्टेशनों पर संकेतक और उद्घोषणा प्रणाली जैसी यात्री सुविधाओं का आवर्धन	9.51	8.92
2	पश्चिम रेलवे के ईएमयू रैकों में एलईडी प्रकार की ट्यूब लाइटों का प्रावधान	4.17	1.06
3	भदवार पार्क कॉलोनी में सुधार अधिकारी क्वार्टर - (पश्चिम रेलवे)	3.00	1.66
6	प्लेटफार्म संख्या 5/6 वेस्टसाइड टीएनए एसटीएन (मध्य रेलवे) का चौड़ीकरण	9.75	2.15
7	एफएस-एमआरवीसी का कार्यान्वयन	7.17	3.05
8	मुंबई डिवीजन -सीआर की उपनगरीय सेवाओं में परिचालन दक्षता बढ़ाना	8.45	-
9	डॉ. बीएएम अस्पताल भायकला-सीआर में अत्याधुनिक नेफ्रोलॉजी विभाग के कार्यारंभ का प्रावधान	3.10	-
	कुल चालू कार्य	45.15	16.84
इ	कुल (6+7)	105.78	174.32

सी अन्य निक्षेप कार्य

₹ करोड़ में

8	एमयूटीपी से संबंधित निक्षेप कार्यों का नाम	स्वीकृत लागत	31.03.2024 तक संचयी व्यय
1	पुणे-एलएनएल डीपीआर के लिए परामर्शी सेवाएं	3.17	4.13
2	यात्री सुविधाएं (एफओबी का निर्माण)	322.85	311.01
i	मध्य रेलवे में एफओबी का निर्माण	134.36	101.63
ii	पश्चिम रेलवे में फुटओवर ब्रिज का निर्माण	188.49	209.39
3	इरीसेन-पुणे में छात्रावास भवन का निर्माण	53.26	6.13
4	पुल संख्या 92 और 93 का निर्माण	50.00	66.61
5	इरीसेन में बुनियादी ढांचा सुविधा (पीबी 1079 24-25)	79.00	4.71
6	निर्मल पार्क में 48 यूनिट टाइप वी क्वार्टर का निर्माण	113.95	1.01
7	सफाला और केल्वे रोड के बीच पुल संख्या 106 और 114ए का निर्माण	9.79	4.29
सी	अन्य जमा कार्यों का कुल	632.02	397.89
डी	कुल योग (ए+बी+सी)	54,251.45	12,561.71

ई एमयूटीपी की स्थिति और संबंधित कार्यों का सारांश

₹ करोड़ में

9	पूरी की गई परियोजनाएं / कार्य	स्वीकृत लागत	31.03.2024 तक संचयी व्यय
1	एमयूटीपी-1 (परियोजना पूरी हो गई और वित्तीय रूप से बंद हो गई)	4,501.80	4,452.67
2	एमयूटीपी -2ए	4,802.68	4,632.81
3	एमयूटीपी -2बी	998.90	1,161.96
4	एमयूटीपी -2सी	789.55	773.30
5	एमआरवीसी अधिशेष कार्य	* 58.66	157.48
6	जमा कार्य	11.16	11.81
	कुल	11,162.75	11,190.03

₹ करोड़ में

10	चालू परियोजनाएं / कार्य	स्वीकृत लागत	31.03.2024 तक संचयी व्यय
1	एमयूटीपी -2बी	2,285.53	1,315.78
2	एमयूटीपी -3	10,947.00	3,293.59
3	एमयूटीपी -3ए	33,689.99	812.06
4	एमआरवीसी अधिशेष कार्य	47.12	16.84
6	जमा कार्य	620.86	386.08
	कुल	47,590.50	5,824.35
11	कुल योग (9+10)	58,753.25	17,014.38

* एमयूटीपी-2 के लिए स्वीकृत 96.93 करोड़ ₹. के कार्य एमआरवीसी की अधिशेष राशि से किए गए हैं।



प्रबंधन का विश्लेषण

(ए) उद्योग संरचना और विकास कार्य

भारतीय रेल (आईआर) और महाराष्ट्र सरकार, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), शहर और औद्योगिक विकास निगम (सिडको), मुंबई रेल विकास निगम (एमआरवीसी) लिमिटेड और बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों के माध्यम से मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) के माध्यम से मुंबई के परिवहन नेटवर्क में सुधार और विस्तार के लिए एक व्यापक निवेश योजना को लागू कर रही है। एमआरवीसी चरणों में एमयूटीपी कार्यों को लागू करता है। एमयूटीपी I के तहत कार्य मार्च 2012 में पूरे हो गए थे। एमयूटीपी-II के तहत भी काम पूरा हो गया है केवल दो कार्यों यानी सीएसएमटी-कुर्ला के बीच 5वीं और 6वीं लाइन और मुंबई सेंट्रल और बोरीवली के बीच 6वीं लाइन को छोड़कर, जो क्रमशः मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे द्वारा निष्पादित की जा रही हैं। मुंबई सेंट्रल-बोरीवली के बीच की 6वीं लाइन का कार्य खार रोड - गोरेगांव (8.8 कि.मी.) के बीच दिनांक 05.11.2023 को आंशिक रूप से पूरा कर दिया गया है।

हार्बर लाइन पर 12 डिब्बों को चलाने का काम अप्रैल 2016 में पूरा हो गया था, जिसके तहत जून 2016 से सभी हार्बर लाइन सेवाओं को 12 डिब्बों की रैक तक बढ़ाया गया था। ठाणे और दिवा के बीच 5वीं और 6वीं लाइन का काम फरवरी, 2022 में पूरा हुआ।

मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) III को दिसंबर, 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10,947 करोड़ रु. की लागत से मंजूरी दी गई थी। एमयूटीपी III की लागत रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा साझा की जाती है, जिसमें से 6,129 करोड़ रु. ऋण घटक है और शेष 4,818 करोड़ रु. की लागत रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच साझा की जानी है। इस परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए वित्त मंत्रालय और एआईआईबी के बीच दिनांक 24.08.2020 को 500 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 3,500 करोड़ रु.) के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। रोलिंग स्टॉक की खरीद के घटक को छोड़कर जिसे एमयूटीपी-IIIए के साथ कार्यान्वयन के लिए योजनाबद्ध किया गया है एमयूटीपी-III के अन्य सभी कार्य प्रगति पर हैं।

चूंकि एमएमआर क्षेत्र नवी मुंबई में नए हवाई अड्डे सहित अपने उत्तरी और पूर्वी हिस्सों की ओर तेजी से विस्तार कर रहा है इसलिए इस द्वीप शहर में उपनगरीय परिवहन को उन्नत करना और नेटवर्क का विस्तार करना अपरिहार्य है। इस आवश्यकता के आधार पर एमआरवीसी ने मुंबई शहर में स्थायी शहरी परिवहन के लिए सभी आवश्यक रेल परियोजनाओं की अवधारणा बनाई थी और उन्हें एक ही समूह में रखा था जिसका नाम एमयूटीपी IIIए था। इसे मार्च 2019 में 33,690 करोड़

रु. की लागत से मंजूरी दी गई थी और भारतीय रेल और महाराष्ट्र सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाना था। एमआरवीसी, मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे परियोजना के विभिन्न घटकों की निष्पादन एजेंसियां हैं। रोलिंग स्टॉक और सीबीटीसी की खरीद के घटक को छोड़कर, एमयूटीपी-III और एमयूटीपी-IIIए के अन्य सभी कार्य प्रगति पर हैं।

(बी) ताकत और कमजोरियां

संगठन की ताकत और कमजोरियां इस प्रकार हैं -

ताकत

- एमआरवीसी में समय-सिद्ध एमडीबी (बहुपक्षीय विकास बैंक) खरीद प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।
- अधिकांश अधिकारियों को मध्य और पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंडों में कार्य करने का समृद्ध अनुभव है।
- परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक विशेष एमयूटीपी नीति लागू है।
- चूंकि परियोजनाओं का वित्तपोषण एमडीबी द्वारा आंशिक रूप से किया जाता है और नियमित/लगातार अंतराल पर ऋण देने वाले बैंकों द्वारा गहन निगरानी की जाती है, इसलिए ऋण वित्तपोषण पर चर्चा करते समय निर्धारित किए गए प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों की उपलब्धि अनिवार्य है। तदनुसार, रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

कमजोरियां

- परियोजना से संबंधित विभिन्न हितधारकों/एजेंसियों जैसे मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, एमएमआरडीए, ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम), आरडीएसओ, इंटीग्रेल कोच फैक्ट्री, रेलवे बोर्ड, सीआरएस और सिडको के साथ समन्वय करना कठिन और समय लेने वाला कार्य है।
- सरकारी एजेंसियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में अफसरशाही का विलंब।
- स्थायी एमआरवीसी काडर सीमित है।

(सी) अवसर और खतरे

अवसर

- एमआरवीसी के साथ-साथ भारतीय रेल के लिए भी प्रौद्योगिकी, प्रणाली और प्रक्रिया तथा व्यवसाय संचालन के संदर्भ में अन्तरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचार को अपनाने का अवसर।
- उपनगरीय बुनियादी ढांचे के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण में भारी उछाल लाना।
- उपनगरीय/मेट्रो रेल के लिए परामर्श अध्ययन और अन्य रेल परिवहन अवसंरचना परियोजना का अवसर, क्योंकि एमआरवीसी के पास ऐसा करने की आवश्यक क्षमता है।
- यदि परियोजना मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़ कम करने में वांछित परिणाम देती है तो यात्रा करने वाले लोगों और मीडिया से प्रसंशा अर्जित करना।

खतरे

- नई लाइनों और नए बुनियादी ढांचे के कार्यों को पूरा करने में पुनर्वास व बंदोबस्त करना और भूमि अधिग्रहण प्रमुख चुनौतियां हैं।
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियों की निरंतर और समय पर उपलब्धता बुनियादी आवश्यकता है। हितधारकों द्वारा निधि उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की देरी से परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हो सकती है।
- तकनीकी जटिलता, ब्राउन फील्ड परियोजनाओं में उपयोगिताओं के स्थानांतरण और भूमिगत केबलों को हटाने आदि के कारण परियोजना के बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन में देरी।

(डी) भावी दृष्टिकोण

एमआरवीसी का लक्ष्य उचित प्रौद्योगिकी के साथ बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और बनाना है जो अतिरिक्त क्षमता बनाकर भीड़ के स्तर को कम करने में सक्षम हो और मुंबईकरों को कुशल, भरोसेमंद, आरामदायक और सुरक्षित उपनगरीय सेवाएं प्रदान करे। इस मिशन का पालन करते हुए एमआरवीसी मुंबई शहर को अधिकतम अनुलाभ प्रदान करने के लिए निर्धारित बजट और समय के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्त वर्ष 2019-25 के लिए समेकित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) में मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण करना है ताकि उनके उपनगरीय यात्रा अनुभव में सुधार और वृद्धि हो सके। इसका उद्देश्य एमएमआर में उपनगरीय रेल अवसंरचना परियोजना का प्रस्ताव और कार्यान्वयन करना है। वर्ष 2020 से 2025 के बीच अवसंरचना क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय 102 लाख करोड़ रु. रखा गया है जिसमें रेलवे के लिए आवंटन 13.69 लाख करोड़ रु. है, जो पूंजीगत व्यय का 13% है।

कंपनी एनआईपी को राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में एमएमआर को सुरक्षित यात्रा, आधुनिक स्टेशन, अधिक औसत गति और बेहतर ग्राहक अनुभव के साथ उपनगरीय परिवहन प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण को सार्थक करने का अवसर मानती है।

(ई) जोखिम और चिंताएं

एमयूटीपी के तहत एमआरवीसी द्वारा निष्पादित और कार्यान्वित किए जा रहे अधिकांश कार्य पश्चिमी और मध्य रेलवे के मौजूदा कॉरीडोर में हैं। इसमें रोजाना आधार पर एमआरवीसी और रेलवे अधिकारियों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता होती है। विभिन्न वैधानिक और नियामक अनुमोदन, निधि आवश्यकता, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और बंदोबस्त के लिए कई हितधारकों के बीच समन्वय की भी आवश्यकता होती है। इसलिए एमआरवीसी को स्पष्टता के साथ निर्णय लेने, दृढ़ विश्वास के साथ कार्यान्वयन करने और उन कार्यों को करने के लिए साहस रखने में सक्षम होना चाहिए जिनके लिए क्षमता निर्माण किया जाना है। रेलवे द्वारा एमआरवीसी में प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के अल्प कार्यकाल की निरंतरता चुनौती पैदा करती है। एमआरवीसी में संविदा की रणनीतियां और प्रणालियां, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और बंदोबस्त, परियोजना निगरानी की कार्यप्रणाली भारतीय रेल की तुलना में अलग हैं और इन क्षेत्रों में ज्ञानार्जन व समीक्षा की आवश्यकता है।

(एफ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रत्येक संगठन को जोखिमों से बचाने की अभिन्न प्रक्रिया होती है ताकि यह उचित आश्वासन दिया जा सके कि संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति में दक्षता, प्रभावशीलता, क्रमबद्धता, नैतिकता और आर्थिक लाभ है और संगठन के संसाधनों को किसी भी नुकसान, क्षति और दुरुपयोग से बचाया जाता है। इस संबंध में एमआरवीसी में समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। संगठन के पास अपने दैनिक कामकाज के लिए एक वित्त और लेखा मैनुअल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लेन-देन कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से, नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से और व्यवस्थित तरीके से किए जाते हैं। इन मैनुअल को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। अंतिम अद्यतन जून 2024 में किया गया था। वित्त और लेखा मैनुअल की प्रतियां सभी संबंधित अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को प्रदान की गई हैं।

खरीद प्रक्रिया का मानकीकरण करने के लिए एमआरवीसी में संकर्मों की अपनी स्वयं की खरीद मैनुअल है और माल, सेवाओं और परामर्श के लिए खरीद मैनुअल को अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है। संकर्मों की बोली प्रक्रिया में एकरूपता बनाए रखने के लिए एमआरवीसी के पास पारिष्कृत रूप से वित्त-पोषित परियोजनाओं के लिए अपना स्वयं का मानक बोली दस्तावेज है। बैंक द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं के लिए, एमआरवीसी ऋणदाता बैंक यानी एआईआईबी/डब्ल्यूबी/एनडीबी आदि द्वारा प्रदान किए गए मानक बोली दस्तावेजों का उपयोग करता है।

एमआरवीसी में सामान्य, स्टोर, प्रचार और संकर्म मामलों के लिए शक्तियों की एक विस्तृत अनुसूची है। इसे विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाता है और पालन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार समय-समय पर इसे अद्यतन किया जाता है।



एमआरवीसी में तीन-स्तरीय लेखापरीक्षा प्रणाली है; अर्थात् आंतरिक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षा, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा। लेखापरीक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद कंपनी की लेखापरीक्षा समिति रिपोर्ट में बताए गए महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करती है और उस पर सिफारिशें करती है। निदेशक मंडल नियमित रूप से लेखापरीक्षा समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों की समीक्षा करता है और जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी करता है। बोर्ड इन सिफारिशों के अनुपालन की निगरानी भी करता है।

उपरोक्त के आधार पर यह बताया गया है कि एमआरवीसी में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी के आकार के अनुरूप है।

(जी) वित्त और परिचालन का विश्लेषण

एमआरवीसी स्वीकृत उपनगरीय रेल अवसंरचना के कार्य करता है। वर्तमान में कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं हैं - मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) चरण-2, एमयूटीपी चरण-3, एमयूटीपी चरण-3ए, पश्चिम और मध्य रेलवे के उपनगरीय नेटवर्क में फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का निर्माण, इरिसेन हॉस्टल भवन और मुख्य रूप से पुल संख्या 92 और 93, 106 और 114ए का निर्माण। एमयूटीपी कार्यों पर व्यय महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है चाहे वह दोनों हितधारकों के अपने संसाधनों के लिए या एआईआईबी/एमडीबी के लिए प्रभारित हो।

वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान, एमयूटीपी-2, एमयूटीपी-2सी, एमयूटीपी-3, एमयूटीपी-3ए, यात्री सुविधाएं (सीआर और डब्ल्यूआर में एफओबी का निर्माण), पुणे-एलएनएल डीपीआर के लिए परामर्श सेवाएं, इरिसेन हॉस्टल, 48 यूनिट टाइप त क्वार्टर निर्मल पार्क, ब्रिज नंबर 92 और 93 और ब्रिज नंबर 106 और 114 ए का निर्माण के तहत कार्य निष्पादित किए गए हैं। तदनुसार, एमयूटीपी-2, एमयूटीपी-2सी, एमयूटीपी-3, एमयूटीपी-3ए, यात्री सुविधा कार्य, इरीसेन हॉस्टल, 48 यूनिट टाइप V क्वार्टर निर्मल पार्क, पुल संख्या 92 और 93 तथा पुल संख्या 106 और 114ए के निर्माण के अंतर्गत क्रमशः 205.91 करोड़ रु., 10.12 करोड़ रु., 951.01 करोड़ रु., 601.18 करोड़ रु., 24.08 करोड़ रु., 0.02 करोड़ रु., 4.71 करोड़ रु., 1.01 करोड़ रु., 40.83 करोड़ रु. तथा 4.29 करोड़ रु. खर्च किए गए।

वर्ष के दौरान कंपनी ने एमआरवीसी की अधिशेष राशि में से एमयूटीपी से संबंधित कार्यों के लिए 23.86 करोड़ रु. खर्च किए।

(एच) मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध और प्रतिभा प्रबंधन मुद्दे

I मानव संसाधन

(ए) कर्मिक

निगम में जनशक्ति अधिग्रहण मुख्य रूप से रेलवे से प्रतिनियुक्ति, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आभेदन और पुनर्नियोजन के माध्यम से किया जाता है। परियोजना कार्यों के सुचारू संचालन के लिए साइट और बैक-ऑफिस पर अग्रिम योजना बनाई जाती है और पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। दिनांक 31.03.2024 तक निगम की कुल संख्या 213 कर्मचारी थी।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2014/ई(टीआरजी)/30/16 दिनांक 22.08.2014 और 10.10.2014 के अनुसार, निगम इंजीनियरिंग और प्रबंधन अध्ययन के पूर्वस्नातकों के लिए ग्रीष्मकालीन इंटरशिप आयोजित करता है। मई-जून 2023 के दौरान गति शक्ति विश्वविद्यालय के ऐसे 7 छात्रों को इंटरशिप दी गई।

(बी) कर्मचारी नियोजन

निगम अपने कर्मचारियों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है। "कर्मचारी देखभाल" के सिद्धांत को सभी स्तरों पर पूरी लगन से अपनाया जाता है जिससे कॉर्पोरेट उद्देश्यों की तीव्र प्राप्ति संभव हो पाती है। पूरे वर्ष के दौरान कर्मचारियों की सहभागिता से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित की गईं जैसे कि अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस, एमआरवीसी वार्षिक दिवस, स्वच्छता पखवाड़ा, अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस आदि का आयोजन। इसके अलावा कल्याणकारी उपाय के रूप में समय-समय पर कल्याण और कल्याण शिविर, स्वास्थ्य शिविर आदि का भी आयोजन किया गया। ये गतिविधियां काम से जुड़े तनाव को कम करने और कर्मचारियों को तरोताजा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) का आयोजन – दिनांक 21.06.2023 को “अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस” पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। श्रीमद राजचंद्र मिशन, धरमपुर के प्रतिष्ठित योग प्रशिक्षकों द्वारा योग सत्र का संचालन किया गया। इस योग सत्र में सभी स्तरों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।



- एमआरवीसी का वार्षिक दिवस समारोह – दिनांक 12.07.2023 को एमआरवीसी का 24वां वार्षिक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर निदेशक (परियोजनाएं), कार्यकारी निदेशक (सिविल) और कार्यकारी निदेशक (वित्त) ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और एमआरवीसी द्वारा किए गए कार्यकलापों की संक्षिप्त जानकारी दी। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

श्री आर के श्रीवास्तव, निदेशक (परियोजनाएं) 24वें वार्षिक दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए



- स्वच्छता पखवाड़ा 2023 – रेलवे बोर्ड के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, 16 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। दिनांक 16.09.2023 को अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली और कॉर्पोरेट कार्यालय और कार्यस्थलों पर व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए। “स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी” पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।





एमआरवीसी में रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा मनाने के क्रम में 01 अक्टूबर 2023 को "श्रमदान-एक तारीख एक घंटा एक साथ" और 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक "विशेष अभियान 3.0" का आयोजन किया गया। दोनों अभियानों में सीएमडी सहित अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।



‘संविधान दिवस’ का आयोजन – रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार, दिनांक 26.11.2023 को संविधान दिवस के अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संविधान की उद्देशिका पढ़ी गई, प्रमाण-पत्र प्राप्त किए गए और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

● **“सार्वभौमिक स्वास्थ्य रक्षा दिवस”, विश्व कैंसर दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस समारोह**

“सार्वभौमिक स्वास्थ्य रक्षा दिवस” – रेलवे बोर्ड के दिनांक 04.12.2023 के पत्र संख्या 2022//57/1/.. के अनुसार, दिनांक 12.12.2023 को “सार्वभौमिक स्वास्थ्य रक्षा दिवस” मनाया गया जिसके दौरान दो स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए- एक एमआरवीसी कॉर्पोरेट कार्यालय, सीसीजी में और दूसरा चेंबूर स्टेशन के पास एफओबी साइट पर। इसके अलावा 12.12.2023 को डॉ. शीतल गोयल, न्यूरोलॉजिस्ट, वॉकहार्ट अस्पताल द्वारा एमआरवीसी कॉर्पोरेट कार्यालय में मेमोरी डिसऑर्डर विषय पर व्याख्यान भी आयोजित किया गया।

चेंबूर में एमआरवीसी कॉर्पोरेट कार्यालय, सीसीजी और एफओबी साइट पर स्वास्थ्य जांच के दौरान



डॉ. शीतल गोयल, न्यूरोलॉजिस्ट, वॉकहार्ट हॉस्पिटल “मेमोरी डिसऑर्डर” पर सेमिनार के दौरान



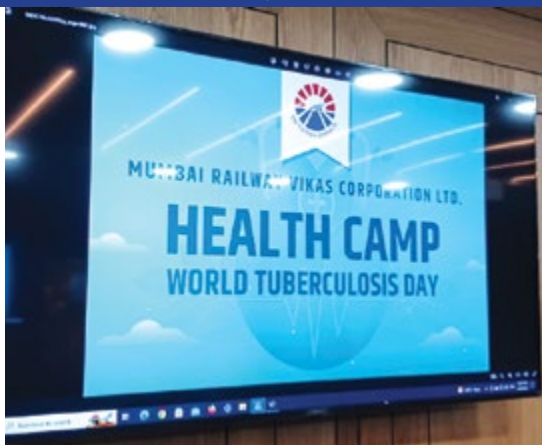
- **विश्व कैंसर दिवस** - "विश्व कैंसर दिवस" (04.02.2024) के अवसर पर, एमआरवीसी ने 05.02.2024 (सोमवार) को संगोष्ठी और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस संगोष्ठी का संचालन वॉकहार्ट अस्पताल के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. संघवी मेघल जयंत ने किया, जिसके बाद वॉकहार्ट अस्पताल की पैरामेडिकल टीम ने महिला कर्मचारियों के लिए "स्वास्थ्य जांच शिविर" का आयोजन किया। इसी तरह का एक स्वास्थ्य जांच शिविर 05.02.2024 को लह्लूभाई कंपाउंड स्थित एमआरवीसी सीएसआर सेंटर में भी आयोजित किया गया।

कैंसर जागरूकता पर सेमिनार के दौरान



- **विश्व क्षय रोग दिवस** - "विश्व क्षय रोग दिवस" (24.03.2024) के अवसर पर, एमआरवीसी कार्पोरेट कार्यालय में डॉ. आलिया, कंसल्टेंट फिजिशियन वॉकहार्ट अस्पताल द्वारा "क्षय रोग पर जागरूकता" पर एक व्याख्यान के साथ-साथ स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एमआरवीसी सीएसआर सेंटर, लह्लूभाई कंपाउंड में भी इसी तरह का स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया।

कैंसर जागरूकता पर सेमिनार के दौरान





कैंसर जागरूकता पर सेमिनार के दौरान



- **राष्ट्रीय मतदाता दिवस** – रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, दिनांक 25.12.2023 को 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' मनाया गया। एमआरवीसी कॉर्पोरेट कार्यालय में, सीएमडी श्री सुभाष चंद गुप्ता ने मतदाता शपथ दिलाई। कार्यस्थलों पर कार्यरत कर्मचारियों ने भी मतदाता शपथ ली।



- **खुशहाली व कल्याण शिविर** दिनांक 13.01.2024 और 03.02.2024 को विसावा रिसॉर्ट, करनाला, पनवेल और फार्म रीजेंसी रिसॉर्ट, गोरई में खुशहाली व कल्याण शिविर आयोजित किए गए, जिसमें कुल 135 कर्मचारियों ने भाग लिया। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य काम से संबंधित तनाव को कम करना था।



- **गणतंत्र दिवस समारोह** - 26.01.2024 को कर्जत परियोजना स्थल पर टनल-2/पी-1 पर गणतंत्र दिवस मनाया गया। श्री सुभाष चंद गुप्ता, सीएमडी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगान के बाद उन्होंने आरपीएफ टीम से सलामी ली। सीएमडी ने अपने संबोधन में एमआरवीसी द्वारा किए गए विभिन्न परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन और कार्यकलापों की प्रगति के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने टीम एमआरवीसी की प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना की और कहा कि इसके बिना समय पर परियोजना कार्य-निष्पादन को प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। उन्होंने टीम एमआरवीसी से अनुरोध किया कि वे अपने इसी उत्साह को बनाए रखें और चालू परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अपने कार्य-निष्पादन में तेजी लाएं।



- **शहीद दिवस समारोह** - रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में दिनांक 30.01.2024 को प्रातः 11 बजे एमआरवीसी कार्पोरेट कार्यालय और कार्यस्थलों पर दो मिनट का मौन रखा गया और इस दौरान कामकाज और आवाजाही रोक दी गई।



- **अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह** - "अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस-2024" (08.03.2024) बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। इस समारोह में सभी महिला अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए जिसकी अध्यक्षता निदेशक (वित्त) श्रीमती स्मृति वर्मा ने की। "मजबूत समाज का निर्माण मजबूत महिलाओं द्वारा ही किया जा सकता है" विषय पर समूह चर्चा आयोजित की गई। इस अवसर पर अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के महत्व पर विचार-विमर्श किया गया और प्रतिभागियों ने महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान संक्षिप्त ध्यान सत्र, कविता पाठ और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए सभी महिला कर्मचारियों को उपहार दिए गए।



II. औद्योगिक संबंध

प्रबंधन की खुली नीति और विभिन्न प्रगतिशील कल्याणकारी उपायों को अपनाने के कारण वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण रहे।

III. प्रतिभा प्रबंधन

अधिक कुशल टीम को बढ़ावा देने के लिए एक सर्वव्यापी प्रतिभा प्रबंधन रणनीति को अपनाना आवश्यक है। इसलिए मौजूदा प्रतिभाओं के ज्ञान स्तर को बढ़ाने के लिए ज्ञानार्जन व विकास पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। मानव संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए निगम उच्च गुणता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों के कौशल को लगातार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। नेतृत्व क्षमताओं, टीम की गतिशीलता और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के लिए कर्मचारियों के लिए प्रतिभा प्रबंधन पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। समीक्षाधीन वर्ष (2023-24) में सभी स्तरों के अधिकारियों को 580 श्रमदिवस का प्रशिक्षण (देश और विदेश में) दिया गया।

आई)पर्यावरण प्रतिक्रियण व संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा विनिमय संरक्षण

कल्याण-बदलापुर तीसरी और चौथी लाइन परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, जिन पेड़ों को काटा/रोपा जाना है, उनका विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है और 580 पेड़ों को काटने/रोपण के लिए चिन्हित किया गया है। इन पेड़ों को काटने के लिए स्थानीय अधिकारियों से आवश्यक अनुमति ली गई। प्राप्त अनुमति के अनुसार, इन पेड़ों को काटने से पहले 5800 पेड़ (प्रतिपूरक वृक्षारोपण के रूप में) लगाए जाएंगे। प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है (परियोजना कॉरिडोर के साथ) और परियोजना कार्य के लिए इन पेड़ों को काटने से पहले प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा।

विरार-दहानू रोड रेलवे परियोजना का चौहरीकरण पूरा करने के लिए पेड़ों और सदाबहार वनक्षेत्र को प्रत्यारोपित/काटना होगा। एमआरवीसी

ने 4000 पेड़ लगाने की योजना बनाई है और की गई संविदा में तीन साल की अवधि के लिए इन पेड़ों के रखरखाव के साथ 4000 पेड़ लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, एमआरवीसी महाराष्ट्र के वन विकास निगम (महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम) के माध्यम से सदाबहार वनक्षेत्र का प्रतिपूरक पौधारोपण करेगा।

इसी तरह, पनवेल-कर्जत परियोजना के एमयूटीपी-III के अंतर्गत रेल घटक कार्यों के निष्पादन के दौरान पेड़ों को काटा गया था। एमआरवीसी ने रायगढ़ जिले के लोधीवली गांव के पास भोकरपाड़ा, चिखले और वन क्षेत्र में 2835 पेड़ों की योजना बनाई है और वावरले गांवों में सुरंग टी 2 स्थान पर 22 फलों पेड़ों को दो साल के रखरखाव के प्रावधान के साथ प्रत्यारोपित किया है। संविदा समझौते में इन पेड़ों को जीवित रखने के लिए दो साल के रखरखाव का प्रावधान किया गया। इसके अलावा, एमओईएफ एंड सीसी नागपुर की वन भूमि अधिग्रहण की शर्त का पालन करने के लिए एमआरवीसी ने पनवेल-कर्जत परियोजना के लिए रायगढ़ जिले के अष्टावने गांव में 20 हेक्टेयर से अधिक बिगड़ी वन भूमि में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए भुगतान किया है। एमआरवीसी ने चरण-I मंजूरी के दौरान एमओईएफ और सीसी की शर्तों के अनुसार वन भूमि अधिग्रहण के संबंध में वन्य जीवन की शर्तों का अनुपालन करते हुए 10 वर्षों के लिए वन्यजीव संरक्षण योजना और वन्य जीवन प्रबंधन योजना प्रस्तुत की है।

प्रदूषण मुक्त विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए विरार-दहानू सेक्शन में प्लेटफॉर्म की छत पर तथा पनवेल, कर्जत और चिखलोली स्टेशनों पर रूफ टॉप सौर पैनल लगाने का भी प्रस्ताव है। साथ ही पनवेल-कर्जत परियोजना के सभी स्टेशनों पर सबवे और पनवेल स्टेशन पर स्टेशन भवन में एस्केलेटर लगाने का भी प्रस्ताव है।

एमयूटीपी-ए के तहत बोरीवली-विरार के बीच प्रस्तावित 5वीं और 6वीं लाइन के लिए लगभग 12.78 हेक्टेयर सदाबहार वन (2612 सदाबहार पेड़) की आवश्यकता है। वर्ष 1980 तक संपूर्ण भूमि भारतीय रेल की थी, हालांकि एमओईएफ और सीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार एफसी अधिनियम, 1980 का प्रावधान 1980 से पहले रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर लागू नहीं होता है, जनहित याचिका 87/2006 में

माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे के दिनांक 18-09-2018 के आदेश के अनुपालन में एफसी अधिनियम, 1980 के तहत वन मंजूरी एमओईएफ और सीसी से प्राप्त की गई है। एमओईएफ और सीसी ने बोरीवली-विरार के बीच प्रस्तावित 5वीं और 6वीं लाइन परियोजना के लिए इस 12.78 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। एमआरवीसी ने वन विभाग द्वारा 30 हेक्टेयर के अव्यवस्थित वन पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत का भुगतान किया है। इसके अलावा, 7860 (काटे जाने वाले 2612 पेड़ों का 3 गुना) सदाबहार पेड़ों के रोपण और 10 साल के रखरखाव की लागत का भुगतान महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग के मैग्रोव प्रकोष्ठ को किया गया है। उच्च न्यायालय ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना III-ए के हिस्से के रूप में बोरीवली और विरार स्टेशनों के बीच 5वीं और 6ठी रेलवे लाइनों के निर्माण से प्रभावित भूमि से 2,612 मैग्रोव को हटाने की अनुमति दे दी है।

जे) कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी मुद्दे (सीएसआर)

एमआरवीसी में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ-साथ कंपनी (सीएसआर) नियम, 2014 और ऐसे अन्य नियमों, विनियमन, परिपत्रों, अधिसूचनाओं के अनुरूप है, जो समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं। एमआरवीसी की सीएसआर गतिविधियों ने लहलूभाई कंपाउंड, मानखुर्द में पुनर्वास कॉलोनी में परियोजना प्रभावित लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए सीएसआर विषय 'स्वास्थ्य और पोषण' था। कंपनी ने कुपोषण को रोकने और स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। निगम द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों का विवरण निगम की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट में विस्तृत रूप से दिया गया है जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।



वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

उत्तर - निगम की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 जिसे कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 और ऐसे अन्य नियमों, विनियमों, परिपत्रों और अधिसूचनाओं के साथ पढ़ा जाना है जो लागू हो सकते हैं और समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं। निगम की सीएसआर गतिविधियां निम्नलिखित पर केंद्रित हैं -

- भूखमरी, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- आजीविका संवर्धन परियोजनाओं के माध्यम से बच्चों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और दिव्यांगों के बीच रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसाय कौशल का विकास करना।
- रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2015/5/एन/एचएम/06/06 दिनांक 03.02.2016 के अनुसार व्यवसाय/प्रभाव क्षेत्र में आने वाले स्टेशनों पर सीएसआर के अंतर्गत किए जाने योग्य कार्य।
- कोई अन्य कार्यकलाप, परियोजना या कार्यक्रम (नया या चालू) जिसे निगम समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट क्षेत्रों और/या रेल मंत्रालय के किसी निर्देश के अनुसार उपयुक्त समझे।

2. सीएसआर समिति की संरचना - [वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान]

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक का पदनाम / प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की सं.	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की सं. जिसमें उपस्थित हुए
1.	श्री राजेश कुमार गर्ग 06.04.2023 से	अंशकालिक सरकारी निदेशक [रेल मंत्रालय] (समिति के अध्यक्ष)	3	2
2.	श्री सुभाष चंद गुप्ता	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	3	3
3.	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव	निदेशक [परियोजनाएं]	3	3
4.	श्रीमती पुष्पा जांगिड़	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक [स्वतंत्र निदेशक] [रेल मंत्रालय]	3	3
5.	रिक्त	निदेशक अवसंरचना व वाणिज्यिक विकास	लागू नहीं	लागू नहीं

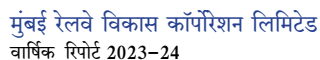
- कंपनी की वेबसाइट का वेब-लिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजना प्रकट की गई हैं।

उत्तर - www.mrv.c indianrailways.gov.in

- उप-नियम 8 के अनुसरण में की गई सीएसआर परियोजना के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश वेब-लिंक के साथ उपलब्ध कराएं, यदि लागू हो।
उत्तर - लागू नहीं

- (ए) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ उत्तर - 39,41,31,762/- रु.

(बी) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत उत्तर - 78,82,635/- रु.



- | वित्तीय वर्ष के लिए
खर्च की गई कुल
राशि (रु. में) | अव्ययित राशि (रु. में) | | | | |
|---|--|-------------------|---|-----------|----------------|
| | धारा 135(6) के अनुसार
अव्ययित सीएसआर खाते को
अंतरित कुल राशि | | धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत
निर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित राशि। | | |
| | राशि | अंतरण की
तारीख | निधि का नाम | राशि | अंतरण की तारीख |
| 78,84,100/- | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

क्र.सं. विवरण		राशि (रु. में)
1	2	3
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	78,82,635/-
(ii)	वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	78,84,100/-
(iii)	वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	1465/-
(iv)	पिछले वित्त वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष राशि, यदि कोई हो	00
(v)	अनवर्ती वित्त वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	00

- | क्र. सं. | पूर्ववर्ती वित्त वर्ष | धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में) | वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में) | धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो। | | अनुवर्ती वित्त वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु. में) | कमी, यदि कोई हो |
|----------|-----------------------|---|--|---|----------------|--|-----------------|
| | | | | राशि (रु. में) | अंतरण की तारीख | | |
| शून्य | | | | | | | |



02-14

कॉर्पोरेट अवलोकन

15-62

वैधानिक रिपोर्ट

63-121

वित्तीय विवरण

8. क्या वित्त वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है? उत्तर - नहीं।

यदि हाँ, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें शून्य

वित्त वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से सृजित या अर्जित ऐसी परिसंपत्तियों तथा व्यय की गई राशि से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें -

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिन कोड	सृजन की तारीख	सीएसआर में खर्च की गई राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण
1	2	3	4	5	6
शून्य					

(सभी सूचनाएं राजस्व रिकॉर्ड, फ्लैट संख्या, मकान संख्या, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत में प्रदर्शित अनुसार दर्ज किया जाना चाहिए, तथा अचल संपत्ति का क्षेत्रफल और सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)

यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

उत्तर - लागू नहीं

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)

(अध्यक्ष सीएसआर समिति)

अनुपालन प्रमाण-पत्र

सदस्यगण

मैसर्स मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड

दूसरी मंजिल, चर्चगेट स्टेशन बिल्डिंग चर्चगेट

मुंबई: 400 020

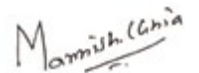
विषय - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश 2010 के तहत कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संदर्भ में अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र

- यह प्रमाण-पत्र मैसर्स मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका सीआईएन - U45203MH1999GOI120765 है (जिसे यहां इसके आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के अनुसार है, जैसा कि भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों (जिसे यहां इसके आगे "दिशानिर्देश" कहा जाएगा) में निर्धारित किया गया है।
- कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कंपनी द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है, जैसा कि उक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण की राय की अभिव्यक्ति है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पेशेवर निर्णय के आधार पर जांच करें ताकि इस प्रमाण-पत्र के प्रयोजनार्थ अभिलेख की शुद्धता और पूर्णता का उचित आश्वासन दिया जा सके।
- हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो जहां तक हमारी जानकारी और विश्वास है, प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और हमें ऐसे अभिलेख, दस्तावेज, प्रमाणीकरण आदि उपलब्ध कराए गए जिनकी हमें आवश्यकता थी।
- हम प्रमाणित करते हैं कि समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने अपनी कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिशानिर्देशों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय निम्नलिखित के -
ए. खंड संख्या 3.1.4 के अनुसार बोर्ड में कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए,
बी. लेखापरीक्षा समिति की संरचना से संबंधित खंड संख्या 4.1.1 - लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, और
सी. खंड 4.4 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में दो स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति का होना
उपरोक्त विचलनों पर, कंपनी द्वारा हमें यह जानकारी दी गई है कि कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुसार केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के पास निहित है। इसके अलावा, कंपनी ने कार्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए समय-समय पर रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित सरकारों को सूचित किया है।
- हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही वह दक्षता या प्रभावशीलता है जिसके द्वारा प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

कृते मनीष घिया एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

(यूनीक आईडी -P2006MH007100)


मनीष घिया

सीएस मनीष एल घिया

साझेदार

स्थान - मुंबई

दिनांक 19 जुलाई, 2024

यूडीआईएन-F006252F000781015

सदस्यता सं. एफसीएस 6252, सी.पी. नं. 3531

पीआर 822/2020



व्यावसायिक आचरण और नैतिक व्यवहार संहिता का अनुपालन

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा व्यावसायिक आचरण और नैतिक व्यवहार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, सुभाष चंद गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने 2023-24 के दौरान व्यावसायिक आचरण और नैतिक व्यवहार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

स्थान : मुंबई

दिनांक : 09.05.2024

सुभाष चंद गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पिछले 10 वर्षों की विशेष वित्तीय जानकारी

(रेलवे बोर्ड के दिनांक 12.07.2010 के पत्र संख्या 2010/पीएल/57/44)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल आय (अन्य आय सहित)	63.81	65.93	60.33	45.94	82.75	69.63	69.67	52.42	131.08	182.17
निदेशन और सामान्य प्रभार	26.63	28.42	31.51	22.98	40.39	39.98	36.16	35.72	108.70	119.46
ब्याज आय एवं अन्य आय	37.18	37.51	28.82	22.96	42.36	29.65	33.51	16.70	22.38	62.71
व्यय (स्टॉक में वृद्धि/ कमी सहित)	23.24	24.83	33.74	41.77	44.07	46.84	42.98	44.14	42.07	45.80
कर्मचारी कल्याण व्यय	15.94	17.51	24.42	30.25	33.43	36.06	34.89	34.73	32.16	33.75
अन्य व्यय	7.30	7.32	9.32	11.52	10.64	10.78	8.09	9.40	9.91	12.05
परिचालनिक मार्जिन	40.56	41.10	26.59	4.17	38.68	22.79	26.69	8.28	89.01	136.37
ब्याज व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मूल्यहास	3.60	2.26	2.45	2.58	2.56	2.59	2.62	2.77	2.74	2.66
पूर्व की अवधि के (आमदनी) / व्यय	0.39	-1.37	0.76	-0.03	0.25	0.60	0.82	-2.06	0.00	0.00
कर पूर्व लाभ 3-(4+5+6)	36.57	40.21	23.38	1.62	35.87	19.60	23.25	7.57	86.27	133.71
घटाएं/(जोड़ें) करों के लिए प्रावधान/ (पिछले वर्षों के समायोजन)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर पश्चात लाभ	36.57	40.21	23.38	1.62	35.87	19.60	23.25	7.57	86.27	133.71
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी परियोजना रिजर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आरक्षित एवं अधिशेष	172.23	201.50	211.04	203.97	221.25	219.34	215.30	210.20	296.04	405.25
शुद्ध स्थायी परिसंपत्तियां (सकल ब्लॉक)	42.15	42.13	40.89	39.06	38.32	41.85	44.30	39.45	36.98	35.36
इनवेंटरीज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयर पूंजी	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
नियोजित पूंजी	513.44	382.50	265.78	423.85	468.22	483.04	542.83	244.26	576.10	734.47
सरकारी निवेश (एमयूटीपी कार्यों के लिए अप्रयुक्त निधि)	315.78	155.11	7.84	158.11	180.52	235.77	298.27	6.07	255.06	304.22
निवल मूल्य	197.23	226.50	236.04	228.97	246.25	244.34	240.30	235.20	321.04	430.25
नियोजित पूंजी की तुलना में करों के पूर्व के लाभ (% में)	7.12	10.51	8.80	0.38	7.66	4.06	4.28	3.10	14.97	18.20
नियोजित पूंजी की तुलना में परिचालन मार्जिन (% में)	7.90	10.75	10.00	0.98	8.26	4.72	4.92	3.39	15.45	18.57
शेयर पूंजी की तुलना में करों के पश्चात लाभ (% में)	146.29	160.85	93.52	6.48	143.48	78.40	93.00	30.29	345.08	534.84
आमदनी के प्रति व्यय (% में)	36.43	37.66	55.93	90.92	53.26	67.27	61.69	84.20	32.09	25.14
कर्मचारियों की संख्या	239	261	278	288	268	256	227	202	179	179
प्रति कर्मचारी आमदनी (9/26)	0.15	0.15	0.08	0.01	0.13	0.08	0.10	0.04	0.48	0.75
प्रति कर्मचारी विदेशी मुद्रा आमदनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू अनुपात (समय में)	7.81	6.92	2.07	3.68	5.25	6.09	9.08	3.25	4.75	5.63
ऋण / ईक्विटी अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रति शेयर आमदनी (रुपयों में)	1,478.65	1,608.53	935.38	64.75	1,434.89	784.01	930.10	302.90	3,450.80	5,348.40
परियोजना व्यय (कैपेक्स)	832.35	1,619.02	1,645.79	690.13	672.53	635.08	591.60	707.85	1,658.89	1,873.88
अधिशेष का उपयोग	10.12	9.85	13.84	8.69	18.56	21.51	27.29	12.68	0.87	23.86



वित्तीय विवरण

- 64 लेखा परीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट
- 67 अनुलग्नक-ए हमारे स्वतंत्र
लेखा-परीक्षक की समतिथि रिपोर्ट में संदर्भित
- 69 अनुलग्नक-बी हमारे स्वतंत्र
लेखा-परीक्षक की समतिथि रिपोर्ट में संदर्भित
- 71 अनुलग्नक-सी हमारे स्वतंत्र
लेखा-परीक्षक की समतिथि रिपोर्ट में संदर्भित
- 73 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी
- 76 तुलन-पत्र
- 77 आय और व्यय का विवरण
- 78 नकदी प्रवाह विवरण
- 79 इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
- 80 वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

लेखा परीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

मत

हमने मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2024 की बैलेंस शीट, आय और व्यय का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उसके बाद समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक जानकारी अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत के निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानक, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ संशोधित, और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, कंपनी के मामलों की स्थिति की जानकारी 31 मार्च, 2024 को और वर्ष के अंत में उसकी आय और व्यय में अधिशेष, कुल समग्र आय, पूंजी में परिवर्तन, और नकद प्रवाह की जानकारी सही और निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत की गई है।

मत के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा मानकों (स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स) के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ' भाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और इसके साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा यह मानना है कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अन्य जानकारीयें

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारीयों के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारीयों में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट में जानकारी शामिल है परंतु इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत के अनुसार अन्य जानकारीयाँ शामिल नहीं हैं और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारीयों को पढ़ने की है और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करने की है कि अन्य जानकारीयाँ वित्तीय विवरणों या लेखा-परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ वस्तुतः असंगत तो नहीं है या अन्यथा वस्तुतः गलत तो व्यक्त नहीं की गई है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हमें यह पता चलता है कि इन अन्य जानकारीयों का कोई महत्वपूर्ण कथन गलत है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। इस विषय में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन और जिन व्यक्तियों पर वित्तीय विवरण के कार्यान्वयन का प्रभाव है उनके उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अन्य व्यापक आय, कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन सहित वित्तीय प्रदर्शन के रूप में संशोधन। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त होते हैं चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करने की प्रक्रिया में निदेशक मंडल एक 'गोइंग कंसर्न' के रूप में कंपनी के बने रहने की क्षमता का आकलन करने, आवश्यकतानुसार 'गोइंग कंसर्न' से संबंधित मामलों को प्रकट करने और लेखांकन के 'गोइंग कंसर्न' आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि निदेशक मंडल की मंशा या तो कंपनी को बंद करने या उसका परिचालन स्थगित करने की नहीं हो या उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया का ध्यान रखने के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण किसी भौतिक त्रुटिपूर्ण कथन से रहित हैं चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी



राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा किसी महत्वपूर्ण मिथ्या-कथन के उपस्थित होने की स्थिति में उसका पता लगाएगा। मिथ्या-कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकते हैं और उन्हें उस स्थिति में महत्वपूर्ण माना जाता है जब इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से लिए गए आर्थिक निर्णयों को इनसे प्रभावित होने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा-परीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा-परीक्षा में पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम निम्नांकित कार्य भी करते हैं :

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या-कथन के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन करना चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाना और उन्हें निष्पादित करना, और लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। त्रुटि की तुलना में धोखाधड़ी के कारण हुई वस्तुतः मिथ्या-कथन के पहचाने, न जाने का जोखिम अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या-कथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिए लेखा-परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हों। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है या नहीं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है या नहीं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के 'गोइंग कंसर्न' आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक 'गोइंग कंसर्न' के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा। यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं तो अपने अभिमत को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं हालांकि भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रह सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना जिसमें प्रकटीकरण करना और यह देखना भी शामिल है कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा लेखा-परीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षण निष्कर्षों के विषय में संबंधित प्रभारियों के साथ संवाद करते हैं जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण खामियाँ शामिल हैं जिनकी पहचान हम अपनी लेखा-परीक्षा के दौरान करते हैं।

हम संचालन के प्रभारी लोगों को यह वचन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उनसे संवाद करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों को जो हमारी स्वतंत्रता पर और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय पर उचित रूप से विचार कर सकते हैं।

संचालन के प्रभारी लोगों को सूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण की मनाही नहीं हो या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा होगी इस तरह के संचार सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम **अनुलग्नक-ए** में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक वक्तव्य देते हैं।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:
 - क. हमने वह सभी जानकारीयों और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखा-परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;
 - ख. हमारे अभिमत के अनुसार कंपनी ने कानूनन अपेक्षित उचित बही-खाता रखा है जैसा कि उन बही-खातों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है;
 - ग. बैलेंस शीट, आय और व्यय का विवरण अन्य व्यापक आय का विवरण, इकिटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह विवरण बही-खातों के अनुरूप हैं;
 - घ. हमारे अभिमत के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - च. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस. आर. 463 (ई) तिथि 05-06-2015 के संदर्भ में, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

- छ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में हम अनुलग्नक-बी में अपनी रिपोर्ट देते हैं;
- ज. कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे अभिमत के अनुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरणों के लिए नोट-28(I) देखें।
 - कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई प्रत्यक्षित नुकसान हुआ था।
 - ऐसी कोई राशियाँ नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षण एवं सुरक्षा निधि में अंतरित करना था।
 - क. प्रबंधन ने बताया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को, जिसमें विदेशी इकाई ("मध्यस्थ") भी शामिल है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा। या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाएं ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज़ प्रदान करती हैं;
 - ख. प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी इकाई ("फंडिंग पार्टियां") शामिल हैं, कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं हुई है। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी। या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना;

(सी) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन), जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत दिया गया है, इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

- कंपनी को वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है। इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और इसे संचालित किया गया है सॉफ्टवेयर में दर्ज किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन पूरे वर्ष के लिए हैं। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला।

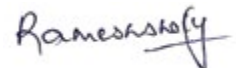
जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर रिपोर्टिंग रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताएँ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं हैं।

- कंपनी के बहीखातों और अभिलेखों की ऐसी जाँच के आधार पर जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अधिनियम की धारा 143 (5) और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा "अनुलग्नक-सी" में जारी उप-निर्देश के अनुसार निर्देश पर अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

कृते आर.ए.वी. एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,

फर्म पंजीकरण संख्या: 007532एस



सी.ए. रमेश ए. शेटी

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 204538

यूडीआईएन: 24204538BKEBWA5297

मुंबई, दिनांक: 28 जून, 2024



अनुलग्नक-ए

हमारे स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की समतिथि के रिपोर्ट से संदर्भित

- i) (क) (अ) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के प्रमात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित, पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख रखे हैं;
- (ख) हमें बताए गए अनुसार रजिस्टर / अभिलेखों के अनुसार सकल मूल लागत, आज की तारीख का मूल्यहास और परित्यक्त परिसंपत्तियों पर हानि, यदि कोई हो, सामान्य बहीखाता के शेषों के अनुरूप हैं।
- (ब) कंपनी के अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख रखे हैं;
- (ख) हमें बताए गए अनुसार इन संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों की प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल में भौतिक सत्यापन किया गया है और यह संपुष्ट करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है कि कंपनी द्वारा पीपीई की मदों का भौतिक सत्यापन कंपनी की नीति के अनुसार किया गया है। ऐसे भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी गई है;
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमें उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों के परीक्षण के आधार पर कंपनी की कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। पट्टे पर ली गई अचल संपत्तियों के संबंध में सीएसएमटी में पट्टे पर ली गई अचल संपत्तियों को छोड़कर ये पट्टे अनुबंध कंपनी के नाम से हैं जिनके लिए पट्टा अनुबंध प्रक्रियाधीन है।
- (घ) हमें बताए गए अनुसार वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोगाधिकार परिसंपत्तियों सहित) या अमूर्त परिसंपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (i)(डी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (ङ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (i)(ई) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- ii) (क) कंपनी के पास अपनी कोई मालसूची नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (ii)(ए) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (ख) कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय, चालू संपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से 5 करोड़ से अधिक के कार्यशील पूंजी सीमा की स्वीकृति नहीं मिली है, और इसलिए आदेश की धारा 3(iii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी या अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी अन्य पक्ष को रक्षित या अरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (iii)(ए) से (एफ) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- iv) ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटियाँ एवं प्रतिभूतियाँ नहीं हैं जिन पर अधिनियम के अनुच्छेद 185 एवं 186 के प्रावधान लागू होते हों। तदनुसार ऑर्डर के अनुच्छेद 3 की धारा (iv) कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- v) कंपनी के रिकॉर्ड्स के हमारे परीक्षण के आधार पर और हमें दी गई जानकारियों और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी (जमाओं की स्वीकार्यता) नियम 2014 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 73 से 76 या किन्हीं अन्य संबंधित प्रावधानों के अर्थ में वर्ष के दौरान जनसाधारण से कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं। तदनुसार ऑर्डर के अनुच्छेद 3 की धारा (v) कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- vi) हमें यह सूचित किया गया है कि केन्द्र सरकार ने कंपनी द्वारा दी जाने वाली किसी भी सेवा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 148 के अनुच्छेद (1) के अंतर्गत कॉस्ट रिकॉर्ड्स का प्रबंधन निर्धारित नहीं किया है।
- vii) क) हमें दी गई जानकारियों और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के रिकॉर्ड्स के परीक्षण के अनुसार हमारी राय में कंपनी अविवादित वैधानिक बकाया राशियों को जमा करने में नियमित रही है जिनमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्द्धित कर, उपकर एवं उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ इस पर लागू कोई अन्य वैधानिक शुल्क शामिल हैं। हमें दी गई जानकारियों और स्पष्टीकरणों के अनुसार ऐसी कोई अविवादित वैधानिक शेष नहीं थीं जो 31 मार्च, 2024 तक उनके बकाया होने की तिथि से छः माह से अधिक समयावधि के लिए बकाया रही हों;

ख) आयकर, विक्रय कर, सेवा कर एवं मूल्य वर्द्धित कर की बकाया राशियों जो विवाद होने के कारण 31 मार्च, 2024 तक जमा नहीं की गई हैं, के विवरण नीचे दिए गए हैं :

संवधि का नाम (देय राशियों की प्रकृति)	देयता की प्रकृति	वह फोरम जहाँ विवाद विचाराधीन है	अवधि, जिससे राशियां संबंधित हैं	अदत्त राशि (₹ लाख में)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	बॉम्बे उच्च न्यायालय	मूल्यांकन वर्ष 2009-10	671
			मूल्यांकन वर्ष 2010-11	878
			मूल्यांकन वर्ष 2011-12	320
			मूल्यांकन वर्ष 2012-13	705
			मूल्यांकन वर्ष 2013-14	747
			मूल्यांकन वर्ष 2014-15	782
			मूल्यांकन वर्ष 2015-16	1243

नोट: उपरोक्त अपीलें आयकर विभाग द्वारा मुंबई के माननीय उच्च न्यायालय में निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 के लिए धारा 260ए के तहत दायर की गई हैं, जो प्रवेश चरण में है।

viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया गया है या जिसे वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकटित नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (viii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी के पास वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार या अन्य ऋणदाता, संस्थाओं या व्यक्ति या सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (ix)(ए) से (एफ) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

x) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 की आवश्यकता के अनुसार प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या भावी सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) या अधिमान आवंटन या शेयरों के निजी प्लेसमेंट या परिवर्तनीय ऋणपत्र (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (x)(ए) और (बी) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xi) हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी के साथ उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (xii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xiii) हमारे विचार में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जहां लागू हो, अधिनियम की धारा 177 और धारा 188 के प्रावधानों का पालन किया है।

(xiv) हमारी जांच के आधार पर और हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है और कंपनी की लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा अवधि की आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया गया था।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा कंपनी के जांचे गए अभिलेखों के अनुसार कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (xvii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा ऐसा कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (xviii) के तहत अपेक्षित सूचना कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xix) हमारी जांच के आधार पर और वित्तीय विवरणों से प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर और वित्तीय परिसंपत्तियों के वित्तीय अनुपात, काल प्रभाव और प्राप्ति की अपेक्षित तारीखों, वित्तीय देयताओं के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं के आधार पर, हमारा विचार है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं है जिससे कंपनी तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर तुलन-पत्र की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है।

(xx) (क) चालू परियोजनाओं के अलावा ऐसी कोई अव्ययित राशि नहीं है जिसे अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 5 के दूसरे परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम (अधिनियम) की अनुसूची में निर्दिष्ट निधि को अंतरित करने की आवश्यकता है।

(ख) चालू परियोजनाओं के संबंध में कोई भी अव्ययित राशि नहीं है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में एक विशेष खाते को अंतरित किया जाना आवश्यक है।

कृते आर.ए.वी. एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
फर्म पंजीकरण संख्या: 007532एस

Ramesh A. V.

सी.ए. रमेश ए. शेटी
पार्टनर

सदस्यता संख्या: 204538

यूडीआईएन: 24204538BKEBWA5297

मुंबई, दिनांक: 28 जून, 2024



अनुलग्नक-बी

हमारे स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की समतिथि के रिपोर्ट से संदर्भित

- हमने 31 मार्च, 2024 तक मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') की वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

प्रबंधन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की जिम्मेदारी

- कंपनी का प्रबंधन आईसीएआई द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय का सुव्यवस्थित और कुशल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम करना और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करना शामिल है, जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी अपने लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हम ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर लागू सीमा तक आईसीएआई द्वारा जारी की गई और अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित मानी गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। ये मानक और मार्गदर्शन नोट आवश्यक बनाते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएँ और लेखा परीक्षा निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया था और उसे बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के नियंत्रणों ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य किया था।

- हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है और आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों के वस्तुतः मिथ्या-कथनों के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण से।
- हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षण साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की जाती है। कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित होती हैं, जो उचित विस्तार में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेनों और स्वभाव को सटीक और उचित रूप से प्रतिबिंबित करती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक अनुसार दर्ज किए जाते हैं और कंपनी का आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किया जा रहा है; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या प्रबंध की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

- मिलीभगत या नियंत्रणों की अनुचित प्रबंधन अवहेलना की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित

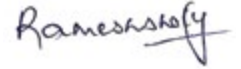
सीमाओं के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्या-कथन हो सकता है और हो सकता है कि उसका पता नहीं लगाया जा सके। साथ ही भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन की वजह से अपर्याप्त हो सकता है या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा और भी खराब हो सकती है।

अभिमत

8. हमारे अभिमत के अनुसार कंपनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण पर आंतरिक

नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहा था।

कृते आर.ए.वी. एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
फर्म पंजीकरण संख्या: 007532एस



सी.ए. रमेश ए. शेट्टी
पार्टनर

सदस्यता संख्या: 204538
यूडीआईएन: 24204538BKEBWA5297
मुंबई, दिनांक: 28 जून, 2024



अनुलग्नक-सी

हमारे स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की समतिथि के रिपोर्ट से संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों के वर्ष 2023-24 के लिए लेखा परीक्षण के दौरान इंगित किए गए क्षेत्रों के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए परीक्षण के संबंध में हमारे उत्तर और वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं:

क्रमांक	जाँचे गए क्षेत्र	उत्तर	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी में आईटी प्रणालियों के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ तो वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन संव्यवहारों के प्रसंस्करण का निहितार्थ यदि कोई हो, निर्दिष्ट किया जा सकता है।	हाँ, कंपनी में आईटी प्रणालियों के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को संसाधित करने की प्रणाली है। लेखांकन लेनदेन का कोई प्रसंस्करण आईटी प्रणाली के बाहर नहीं किया गया है।	शून्य
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/कर्जों/ब्याज आदि की छूट/बट्टा खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित रूप से लेखा-जोखा दिया गया है? (यदि, ऋणदाता सरकारी कंपनी है तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	लागू नहीं होता है क्योंकि कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है या कोई ऋण नहीं दिया है।	शून्य
3.	क्या केन्द्र/राज्य सरकारों या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदानों/राजसहायता आदि) का समुचित रूप से लेखा-जोखा दिया गया था/उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	जैसा कि सत्यापित किया गया है, कंपनी ने केन्द्र/राज्य सरकारों या उसकी एजेंसियों से इस प्रकार प्राप्त/प्राप्य निधियों का विशिष्ट योजनाओं के लिए उनके नियमों और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से लेखा-जोखा दिया है/उपयोग किया है।	शून्य

कृते आर.ए.वी. एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,

फर्म पंजीकरण संख्या: 007532एस

Ramesh A. Shetty

सीए. रमेश ए. शेटी

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 204538

यूडीआईएन: 24204538BKEBWA5297

मुंबई, दिनांक: 28 जून, 2024

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग,
महानिदेशक लेखा परीक्षा का कार्यालय,
पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई - २०.



INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
WESTERN RAILWAY,
CHURCHGATE, MUMBAI - 20.

CONFIDENTIAL

No. Au/MRVC/Accts. 2023-24/1644,
Dated: १९/09/2024

To
The Chairman & Managing Director,
Mumbai Railway Vikas Corporation Limited,
Mumbai.

Sub:-Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Mumbai Railway Vikas Corporation Limited for the year ended 31st March 2024.

Sir,

Please find enclosed the Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Mumbai Railway Vikas Corporation Limited for the year ended 31st March 2024. The comments may be placed next to the Statutory Auditor's report with a proper indication in the list of contents in the Printed Annual Report.

A copy of the proceedings of the Annual General Meeting adopting the certified accounts and Statutory Auditor's report and comments of the Comptroller and Auditor General of India may be forwarded to this office immediately after the conclusion of the Annual General Meeting. Five copies of the printed Annual Reports may also be sent to this office.

Receipt of this letter and the enclosures may please be acknowledged.

Yours faithfully,


(Supriya Singh)

Principal Director of Audit,
Western Railway, Churchgate, Mumbai-20

Encl:- As above.



Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Mumbai Railway Vikas Corporation Limited for the year ended 31 March 2024

The preparation of Financial Statements of Mumbai Railway Vikas Corporation Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (the Act) is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the Financial Statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28 June 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 143(6) (a) of the Act of the Financial Statements of Mumbai Railway Vikas Corporation Limited for the year ended 31 March 2024. This Supplementary Audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my Supplementary Audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 143 (6) (a) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary, for enabling a better understanding of the Financial Statements and the related Audit Report.

A. Cash Flow from Operating Activities

Surplus as per Statement of Income & Expenditure- ₹ 13,371 lakh

Cash Flow from Investing Activity- ₹ (2,591) lakh

Surplus as per Statement of Income & Expenditure includes an amount of ₹ 6,217 lakh being interest income on Bank Deposits (₹ 6,039 lakh) and Government Securities (₹ 178 lakh).

As per Para 20 of Ind AS 7 'the net Cash Flow from Operating Activities is determined by adjusting profit or loss for the effects of all other items for which the cash effects are investing or financing cash flows'.

Para 31 of the Ind AS 7 provides that cash flows arising from interest and dividends received should be classified as cash flows from investing activities.

However, the Company had included the Interest from Bank Deposits and Government Securities in Cash Flow from Operating Activities instead of classifying it as Cash Flow from Investing Activities as required under Ind AS 7.

This had resulted into overstatement of Cash flow from Operating Activities by ₹ 6,217 lakh and a corresponding understatement of Cash Flow from Investing Activities by the same amount.

**For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

Supriya
8/9/2024

(Supriya Singh)

**Principal Director of Audit,
Western Railway, Churchgate, Mumbai-20**

Place: Mumbai

Date: 09/09/2024

वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

क्र.सं.	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
ए	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह आय और व्यय विवरण के अनुसार अधिशेष ₹13371 लाख निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह ₹(2,591) लाख आय और व्यय विवरण के अनुसार अधिशेष में 6,217 लाख रुपये की राशि शामिल है, जो बैंक जमाराशि पर ब्याज (6,039 लाख रुपये) और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (178 लाख रुपये) के रूप में शामिल है। भारतीय लेखा मानक 7 के पैरा 20 के अनुसार, परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह का निर्धारण अन्य सभी वस्तुओं के प्रभावों के लिए लाभ या हानि को समायोजित करके किया जाता है, जिनके लिए नकदी प्रभाव निवेश या नकदी प्रवाह का वित्तपोषण कर रहे हैं। भारतीय लेखा मानक 7 के पैरा 31 में प्रावधान है कि प्राप्त ब्याज और लाभांश से उत्पन्न नकदी प्रवाह को निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। हालांकि, कंपनी ने इंड-एएस 7 के तहत आवश्यक निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह में बैंक जमाराशि और सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज को शामिल किया था। इसके परिणाम स्वरूप परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह को 6,217 लाख रुपये अधिक दर्शाया गया तथा निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उतनी ही राशि से कम दर्शाया गया है।	पिछले वित्तीय वर्षों में नकदी प्रवाह विवरण का एक मानक रूप मौजूद था जो परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को दर्शाता था। इस प्रारूप में ब्याज आय को परिचालन गतिविधियाँ शीर्ष के तहत दिखाया जाता था। इस वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण तैयार करते समय अनजाने में उसी वर्गीकरण का उपयोग किया गया, क्योंकि इस वर्ष भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को अपनाने में एमआरवीसी का पहला वर्ष था। भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को अपनाने और इंड एएस 7 के अनुसार, नकदी प्रवाह को दो शीर्षों के तहत विभाजित किया गया है: परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह और निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह। इंड-एएस प्रणाली में, ब्याज आय को निवेश गतिविधियों के शीर्ष के तहत दर्शाना आवश्यक है। तदनुसार, परिचालन गतिविधियों से समतुल्य सीमा तक नकदी प्रवाह कम हो जाएगा। नकदी प्रवाह विवरण का उद्देश्य किसी इकाई की नकदी और नकदी समतुल्य उत्पन्न करने की क्षमता के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करना और यह दर्शाता है कि वह अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए निधि का उपयोग कैसे कर सकती है। भारतीय लेखा मानक-7 का विशिष्ट उद्देश्य किसी वित्तीय अवधि के दौरान नकदी प्रवाह को परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों में वर्गीकृत करके किसी इकाई की नकदी और नकदी समकक्षों में ऐतिहासिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह निवेदित किया जाता है कि आय और व्यय विवरण के अनुसार सरप्लस (अधिशेष) परिचालन और अन्य आय से आय की राशि है; अन्य आय का एक प्रमुख घटक निवेश गतिविधियों से प्राप्त वाली ब्याज आय है। इस प्रकार, कुल नकदी और नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि/कमी अपरिवर्तित बनी हुई है।



02-14

कॉर्पोरेट अवलोकन

15-62

वैधानिक रिपोर्ट

63-121

वित्तीय विवरण

क्र.सं.	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	एमआरवीसी का जवाब
		एमआरवीसी की आय एवं व्यय तथा अन्य वित्तीय विवरणों और सहमति ज्ञापन में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए डी एंड जी (परिचालन से आय) और ब्याज आय (निवेश से आय) का स्पष्ट विभाजन किया गया है।) प्रबंधन ने दिनांक 05.08.2024 के पत्र के माध्यम से प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक से अनुरोध किया गया था, ताकि कंपनी को अगले वित्तीय वर्ष से सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करने की अनुमति दी जा सके। दिनांक 12.08.2024 को आयोजित लेखापरीक्षा निदेशक के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्त में भी इसे दर्ज किया गया था।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्मृति वर्मा

निदेशक वित्त

[डीआईएन: 10369917]

सुभाष चंद गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

[डीआईएन: 08339258]

दिनांक: 11.09.2024

स्थान : मुंबई



तुलन-पत्र

31 मार्च, 2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31-03-2024 को	31-03-2023 को	01-04-2022 को
I संपत्ति				
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	3,493	3,645	3,864
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	-	-	28
(ग) अन्य अमूर्त संपत्ति	5	43	53	59
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	6	4,921	2,438	-
(ii) ऋण	7	1	1	2
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	5	6	6
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां				
(क) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) नकद और नकद समतुल्य	9	4,608	3,062	3,368
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य बैंक शेष	10	60,234	49,873	13,970
(iii) ऋण	11	3	4	4
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	4,506	2,274	1,427
(ख) अन्य मौजूदा संपत्तियां	13	10,567	10,829	11,673
(i) अल्पकालिक अग्रिम		9,025	9,543	10,351
(ii) अन्य		1,542	1,286	1,322
कुल संपत्ति (1+2)		88,380	72,183	34,401
II इक्विटी और देनदारियां				
इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	2,500	2,500	2,500
(ख) अन्य इक्विटी	15	40,525	29,604	21,024
देनदारियां				
(1) गैर-वर्तमान देनदारियां				
(क) वित्तीय देनदारियां				
(i) अन्य वित्तीय देनदारियां	16	383	367	364
(ख) प्रावधान	17	355	296	299
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देनदारियां	18	30,422	25,506	243
(i) एमयूटीपी वर्क्स के लिए फंड बैलेंस	18.1	21,172	15,202	(13,301)
(ii) जमा कार्यों के लिए निधि शेष	18.2	9,250	10,304	13,544
(2) वर्तमान देनदारियां				
(क) वित्तीय देनदारियां				
(i) व्यापार देय	19	2,099	6,220	4,289
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया; और		83	22	18
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया।		2,016	6,198	4,271
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	20	10,908	6,942	5,207
(ख) अन्य वर्तमान देनदारियां	21	1,125	698	430
(ग) प्रावधान	22	63	51	45
कुल इक्विटी और देनदारियां (1+2)		88,380	72,183	34,401
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश	1 और 2			

उपरोक्त संदर्भित नोट सं. 1 से 52 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

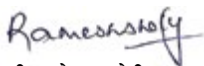
इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार,

कृते आर.ए.वी. एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं

उनके निदेशक मंडल की ओर से



सी.ए. रमेश ए. शेटी

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 204538

फर्म पंजीकरण संख्या 007532एस



एस.सी. गुप्ता

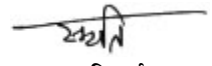
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08339258



मनोज कुमार सिन्हा

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी



स्मृति वर्मा

निदेशक-वित्त

डीआईएन: 10369917



संगीता वर्मा

कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई

दिनांक : 28 जून 2024



आय और व्यय का विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
I परिचालनों से राजस्व	23	11,946	10,870
II अन्य कमाई	24	6,271	2,238
III कुल आय (I+II)		18,216	13,108
खर्च			
कर्मचारी लाभ व्यय	25	3,375	3,216
अवमूल्यन और परिशोधन	3-5	266	274
अन्य खर्चे	26	1,205	991
IV कुल खर्च		4,845	4,481
V असाधारण वस्तुओं और कर से पहले अधिशेष (III- IV)		13,371	8,627
वर्ष के लिए व्यय पर आय का अधिशेष		13,371	8,627
VI असाधारण वस्तुएं		-	-
VII कर पूर्व अधिशेष (V - VI)		13,371	8,627
VIII कर व्यय:			
(i) वर्तमान कर :		-	-
(ii) आस्थगित कर		-	-
IX निरंतर संचालन से वर्ष के लिए अधिशेष (VII-VIII)		13,371	8,627
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		-	-
क. मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(63)	39
(i) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		(63)	39
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
X कुल अन्य व्यापक आय / (हानि)		(63)	39
XI वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (अधिशेष/(घाटा) एवं ओसीआई सहित) (IX+X)		13,308	8,666
XII प्रति शेयर आय (ईपीएस)			
(1) बेसिक (प्रति शेयर आय ₹ में)		5,348	3,451
(2) डाइल्यूटेड (प्रति शेयर आय ₹ में)		5,348	3,451
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश	1 और 2		

कृते आर.ए.वी. एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

Ramesh A. Shetty

सी.ए. रमेश ए. शेटी
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 204538
फर्म पंजीकरण संख्या 007532एस

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28 जून 2024

कृते मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं
उनके निदेशक मंडल की ओर से

एस.सी. गुप्ता

एस.सी. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08339258

मनोज कुमार सिन्हा

मनोज कुमार सिन्हा
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

स्मृति वर्मा

स्मृति वर्मा
निदेशक-वित्त
डीआईएन: 10369917

संगीता वर्मा

संगीता वर्मा
कंपनी सचिव



नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

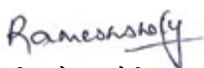
विवरण	31-03-2024	31-03-2023
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
आय और व्यय के विवरण के अनुसार अधिशेष	13,371	- 8,627
समायोजन:		
संयंत्र, संपत्ति और उपकरणों पर मूल्यहास	251	259
अमूर्त संपत्तियों पर मूल्यहास	14	15
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	3	8
एमयूटीपी में समायोजन के माध्यम से अधिशेष का विनियोजन	(2,386)	(87) 195
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन अधिशेष	11,253	8,822
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के लिए समायोजन		
ऋणों में कमी/(वृद्धि)	2	2
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(2,232)	(847)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	261	844
अन्य बैंक शेष में कमी/(वृद्धि)	(10,361)	(35,903)
व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)	(4,121)	1,932
अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		1,738
अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	427	268
अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	4,916	25,262
प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	8	42
ए. परिचालन से उत्पन्न नकदी	4,136	2,160
निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह		
अचल संपत्तियों की खरीद	(112)	(63)
अचल संपत्तियों की बिक्री	4	35
निवेश में कमी/(वृद्धि)	(2,484)	(2,438)
बी. निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी	(2,591)	(2,465)
वित्तीय गतिविधि से नकदी प्रवाह		
सी. वित्तपोषण गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी	-	-
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)	1,545	(306)
डी. वर्ष की शुरुआत में नकद	3,062	3,368
अवधि के अंत में नकद (सी+डी)	4,608	3,062

टिप्पणी :

- नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत यथा नकदी प्रवाह विवरण पर अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस)-7 में यथा निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।
- कोष्ठक में दिए गए आँकड़े नकदी बहिर्वाह को दर्शाते हैं।
- नकद और नकद समकक्षों में प्रत्यक्ष नकद और बैंक में चालू खाता शामिल हैं।
- कंपनी के प्रचालन, निवेशन और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक किया गया है।
- चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप, गत वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक है, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

कृते आर.ए.वी. एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

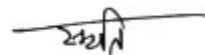
कृते मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं
उनके निदेशक मंडल की ओर से



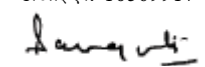
सी.ए. रमेश ए. शेटी
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 204538
फर्म पंजीकरण संख्या 007532एस



एस.सी. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08339258



स्मृति वर्मा
निदेशक-वित्त
डीआईएन: 10369917



संगीता वर्मा
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28 जून 2024

मनोज कुमार सिन्हा
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी



02-14

कॉर्पोरेट अवलोकन

15-62

वैधानिक रिपोर्ट

63-121

वित्तीय विवरण

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	इक्विटी शेयरों की संख्या	राशि
प्रत्येक 1000 रुपये के इक्विटी शेयर जारी, सब्सक्राइब और पूरी तरह से भुगतान किए गए		
1 अप्रैल, 2022 तक	2,50,000	2,500
31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2023 तक	2,50,000	2,500
31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2024 तक	2,50,000	2,500

बी. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	प्रतिधारित कमाई	अन्य व्यापक आय	कुल
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	29,565	39	29,604
वर्ष के लिए अधिशेष	13,371	-	13,371
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	(63)	(63)
कम: वस्तु के लिए संचित अधिशेष की तैनाती के लिए हस्तांतरित	2,386	-	2,386
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	40,549	(24)	40,525

(2) पिछली रिपोर्टिंग अवधि

(₹ लाख में)

विवरण	प्रतिधारित कमाई	अन्य व्यापक आय	कुल
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	21,024	-	21,024
वर्ष के लिए अधिशेष	8,627	-	8,627
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	39	39
कम: वस्तु के लिए संचित अधिशेष की तैनाती के लिए हस्तांतरित	87	-	87
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	29,565	39	29,604

कृते आर.ए.वी. एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

Ramesh A. Shetty

सी.ए. रमेश ए. शेटी
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 204538
फर्म पंजीकरण संख्या 007532एस

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28 जून 2024

कृते मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं
उनके निदेशक मंडल की ओर से

एस.सी. गुप्ता

एस.सी. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08339258

मनोज कुमार सिन्हा

मनोज कुमार सिन्हा
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

स्मृति वर्मा

स्मृति वर्मा
निदेशक-वित्त
डीआईएन: 10369917

संगीता वर्मा

संगीता वर्मा
कंपनी सचिव

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

1 सामान्य जानकारी

1.1 कंपनी अवलोकन

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमआरवीसी) एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, (सीआईएन: U45203MH1999GOI120765) भारत में स्थित और निगमित है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय चर्चगेट स्टेशन बिल्डिंग की दूसरी मंजिल, महर्षि कर्वे रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020 में स्थित है।

एमआरवीसी को कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत 12 जुलाई 1999 को 25 करोड़ रु. की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ निगमित किया गया था। रेल मंत्रालय (एमओआर) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और महाराष्ट्र राज्य सरकार के माध्यम से राज्यपाल 51:49 के अनुपात में कंपनी के इक्विटी शेयर रखते हैं। एमआरवीसी रेल मंत्रालय के नियंत्रण में एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है जिसका मुख्य उद्देश्य रेल अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करना है, जैसे मुंबई शहरी परिवहन परियोजना [“एमयूटीपी”], ट्रेन सेवाओं का संचालन करने वाले संगठनों के साथ समन्वय करना और रेलवे के मार्ग के अधिकार की सुरक्षा और शहरी विकास संबद्ध के मुद्दों का उद्देश्यपूर्ण समाधान करना।

एमआरवीसी की लेखा नीति “परियोजना (मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के रेल घटक) में निर्मित परिसंपत्ति के आर्थिक लाभ या सेवा क्षमता के प्रवाह” पर आधारित है, जैसा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) ने इस विषय पर अपनी फरवरी 2009 की राय में समर्थन किया है। लाभ प्रवाह की उत्पत्ति 13.09.2002 को भारतीय रेलवे के साथ एमआरवीसी के समझौते में निहित है, जिसके तहत एमआरवीसी द्वारा बनाई गई परिसंपत्तियों को संचालन और रखरखाव के लिए पश्चिमी और मध्य रेलवे को हस्तांतरित किया जाता है।

कंपनी के निदेशक मंडल की 28 जून 2024 को हुई बैठक में वित्तीय विवरण जारी करने की मंजूरी दे दी गई है।

1.2 तैयार करने का आधार

कंपनी के ये इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (“इंड एस”) के अनुसार तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया है या मौजूदा मानकों में संशोधन के लिए अब तक इस्तेमाल की जा रही लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो, प्रबंधन हाल ही में जारी सभी या संशोधित लेखांकन मानकों का निरंतर आधार पर मूल्यांकन करता रहता है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

यह नोट भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की सूची प्रदान करता है। इन नीतियों को प्रस्तुत सभी वर्षों में लगातार लागू किया गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.1 अनुपालन का विवरण

कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) के अनुसार तैयार किए गए हैं और सभी महत्वपूर्ण मामलों में कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़े गए हैं।

2.2 मापन का आधार

यह भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय निम्नलिखित के:

कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को आवश्यकतानुसार आय और व्यय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीआई) या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व) को परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में से योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाकर निर्धारित किया जाता है।

ऐतिहासिक लागत आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने के लिए प्राप्त किया जाता है।

2.3 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें कंपनी संचालित होती है (अर्थात्, “कार्यात्मक मुद्रा”)। भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है। इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों और नोट्स में सभी राशियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची की आवश्यकता के अनुसार लाख रुपयों में प्रस्तुत की गई हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। कंपनी द्वारा अपनाए गए पूर्णांकित मानदंड से कम मूल्य वाले लेन-देन और शेष राशि को इस भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के प्रासंगिक नोटों में “0” के रूप में दर्शाया गया है।



वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

2.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सभी वस्तुओं को तुलन पत्र में लागत में से संचित मूल्यहास और संचित हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड एस) वित्तीय विवरण के संबंध में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को 1 अप्रैल 2022 तक जी.ए.ए.पी. (GAAP) के अनुसार शुद्ध वहन मूल्य का उपयोग करके, अनुमानित लागत पर मापा गया था।

चालू पूंजीगत कार्य लागत पर किया जाता है, जिसमें किसी भी मान्य दुर्बलता हानि को घटा दिया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, कर और शुल्क, श्रम लागत और अन्य सीधे संबंधित लागतें शामिल हैं जो परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि तक खर्च की जाती हैं। ऐसे चालू पूंजीगत कार्यों को जब वे पूरे हो जाते हैं और इच्छित उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं तब उनको संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उचित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

बाद की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में केवल तभी शामिल किया जाता है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है, जब यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग से संबंधित बाद की लागतों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी एक वस्तु की वहन राशि में निर्धारित नहीं किया जाता है; बल्कि, इन लागतों को आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के विक्रय या जब परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की उम्मीद न हो, तब निर्धारण से हटा दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के निपटान या निवृत्ति पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को बिक्री आय और परिसंपत्ति की रखाव राशि के बीच को आय या व्यय में निर्धारित किया जाता है।

मूल्यहास विधियाँ, अनुमानित उपयोगी कालावधि और अवशिष्ट मूल्य।

मूल्यहास को इस तरह से निर्धारित किया जाता है ताकि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची के भाग के तहत निर्धारित अनुसार, सीधी कटौती पद्धति का उपयोग करके, परिसंपत्तियों की लागत को उनकी उपयोगी कालावधि पर उनके अवशिष्ट मूल्यों को घटाकर बट्टे खाते में डाला जा सके। अनुमानित उपयोगी कालावधि, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यहास पद्धति की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, जिसमें अनुमान में किसी भी बदलाव के प्रभाव को भावी आधार पर ध्यान में रखा जाता है। किसी अवधि के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास, उपयोग की अवधि के लिए आनुपातिक रूप से लगाया जाता है।

2.5 अमूर्त परिसंपत्ति

सीमित उपयोगी समय वाली अमूर्त परिसंपत्तियाँ जिन्हें अलग से अधिग्रहीत किया जाता है, उन्हें संचित परिशोधन और संचित दुर्बलता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी कालावधि पर सीधी कटौती के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अनुमानित उपयोगी कालावधि और परिशोधन विधि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, जिसमें अनुमान में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का निर्धारण रद्द करना:

अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर या जब अमूर्त परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब निर्धारण समाप्त कर दिया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति का निर्धारण समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि, जिसे शुद्ध (निवल) निपटान आय और परिसंपत्ति की रखाव राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है, को परिसंपत्ति का निर्धारण समाप्त होने पर आय और व्यय के विवरण में निर्धारित किया जाता है।

2.6 क्षति

वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति

इंड-एस 109 के अनुसार, कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि की माप और निर्धारण के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है। ईसीएल सभी संविदात्मक नकदी प्रवाहों के बीच का अंतर है जो संविदा के अनुसार कंपनी को देय हैं और सभी नकदी प्रवाह जो कंपनी को प्राप्त होने की उम्मीद है। नकदी प्रवाह का अनुमान लगाते समय, कंपनी को इन पर विचार करना आवश्यक है -

- परिसंपत्तियों की अपेक्षित कालावधि के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों की सभी संविदात्मक शर्तें (पूर्व भुगतान और विस्तार सहित)।
- धारित संपाश्विक या अन्य ऋण संवर्द्धन की बिक्री से नकदी प्रवाह जो संविदात्मक शर्तों का अभिन्न अंग हैं।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम पर क्षति हानि के मान्यता के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या प्रारंभिक निर्धारण के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यदि ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो क्षति हानि का प्रावधान किया जाता है।

i) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी अपनी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा करती है ताकि यह

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

निर्धारित किया जा सके कि क्या इस बात का कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों को क्षति हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद हो, तो क्षति की सीमा (यदि कोई हो) निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो कंपनी उस नकदी-उत्पादक यूनिट की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। जब आवंटन का एक उचित और सुसंगत आधार निर्धारित किया जा सकता हो, तो कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों को व्यक्तिगत नकदी-उत्पादक यूनिटों को भी आवंटित किया जाता है, या अन्यथा उन्हें नकदी-उत्पादक यूनिटों के सबसे छोटे घटक को आवंटित किया जाता है जिसके लिए एक उचित और सुसंगत आवंटन आधार निर्धारण किया जा सकता हो।

वसूली योग्य राशि उचित मूल्य से निपटान की लागत घटाकर तथा उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, वह है। उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन तथा परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह के अनुमानों को समायोजित नहीं किया गया है।

यदि किसी परिसंपत्ति (या नकदी पैदा करने वाली यूनिट) की वसूली योग्य राशि उसकी रखाव राशि से कम होने का अनुमान है, तो परिसंपत्ति (या नकदी पैदा करने वाली यूनिट) की रखाव राशि उसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है। क्षति हानि को लाभ या हानि में तुरंत निर्धारित किया जाता है।

2.7 इन्वेंटरी (भंडार)

इन्वेंटरी में सामग्री, स्टोर और स्पेयर शामिल हैं, जिन्हें लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर दर्शाया जाता है। लागत में शुल्क और कर, माल ढुलाई और अधिग्रहण से सीधे संबंधित अन्य व्यय और इन्वेंटरी को उसके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने सहित खरीद की सभी लागतें शामिल हैं।

2.8 नकद और नकद समतुल्य

कंपनी उन सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को नकद समतुल्य मानती है, जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तित हो सकते हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन हों और जिनकी खरीद की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता हो। नकदी और नकद समतुल्य में बैंकों के पास शेष राशि शामिल है जो निकासी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है।

2.9 राजस्व निर्धारण

कंपनी अपने "संचालन से राजस्व" को निर्देशन एवं सामान्य (डी एंड जी) शुल्क के माध्यम से निर्धारित करती है। संचालन से

राजस्व को संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा पूर्ण/निष्पादित कार्यों के मूल्य पर निर्दिष्ट प्रतिशत पर निर्धारित किया जाता है।

कंसल्टेंसी सेवाओं के संबंध में, राजस्व का निर्धारण संविदा की शर्तों के अनुसार कंसल्टेंसी के निर्धारण योग्य चरणों के पूरा होने के आधार पर की जाती है।

कंपनी, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार अन्य परिचालन राजस्व के रूप में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर के असल संग्रह/कटौती के 1% से अधिक संग्रह प्रभार का निर्धारण नहीं करती है।

ब्याज आय को एकल (उपचय) आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.10 विदेशी मुद्रा लेनदेन

कार्यात्मक मुद्रा: कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं।

- विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित आय, व्यय और परिसंपत्तियों को लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।
- विदेशी मुद्राओं में ऋण, चालू देयताएं और चालू परिसंपत्तियां वित्तीय वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित की जाती हैं।
- विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में निर्धारित किया जाता है।
- गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें विदेशी मुद्राओं में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, उनका रूपांतरण नहीं किया जाता है।
- विनिमय दर निर्धारित करने के उद्देश्य से लेनदेन की तिथि (जिसमें विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्रतिफल की प्राप्ति या भुगतान शामिल है) गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति या गैर-मौद्रिक देयता की प्रारंभिक निर्धारण की तिथि है। यदि अग्रिम में कई भुगतान या प्राप्ति हों, तो प्रत्येक भुगतान या प्राप्ति के लिए लेनदेन की तिथि निर्धारित की जाती है।

2.11 कर्मचारी लाभ

ए) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, मजदूरी, बोनस और कार्य-निष्पादन से जुड़े लाभ जैसे कर्मचारी लाभ जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से देय होते हैं, उन्हें अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उस अवधि में व्यय किया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है। यदि यूनिट के पास



वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है, तो दायित्वों को तुलन पत्र में चालू देयता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

बी) परिभाषित लाभ योजना

सेवानिवृत्ति लाभ योजना यानी ग्रेच्युटी योजना के संबंध में तुलन पत्र में निर्धारित देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना बीमांकक (एक्चअरी) द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि तथा परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन (यदि लागू हो) का प्रभाव शामिल है, तुरंत तुलन पत्र में परिलक्षित होता है, जिस अवधि में वे घटित होते हैं, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में निर्धारित प्रभार या क्रेडिट के साथ और परिणामस्वरूप प्रतिधारित आय में निर्धारित होती है तथा आय और व्यय में पुनर्वर्गीकृत नहीं होती है। तुलन पत्र में निर्धारित सेवानिवृत्ति लाभ कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक घाटे या अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है। इस गणना से होने वाला कोई भी अधिशेष योजना में भविष्य के योगदान में कटौती के रूप में उपलब्ध किसी भी आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित है।

सी) परिभाषित अंशदान योजना

नियमों के अनुसार भविष्य निधि और पेंशन योजना के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में अंशदान को कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान करने पर प्रोद्भव (एक्जुअल) आधार पर व्यय के रूप में लिया जाता है। अंशदान का भुगतान हो जाने के बाद कंपनी पर कोई और भुगतान दायित्व नहीं रह जाता है।

डी) रोजगार के बाद मिलने वाले लाभ

कंपनी की नीति के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) को कंपनी के निदेशकों और उनके परिवारों के लिए वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि से प्रभावी बनाया गया है। वित्तीय देनदारियों के संबंध में प्रकटन पॉलिसी संख्या MRVC/E/PRMB/2023 दिनांक 26.12.2023 के अनुसार मापा गया है।

ई) भारतीय रेलवे से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ भारतीय रेलवे पर लागू नियमों और विनियमों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं।

2.12 आय पर कर

चूंकि कंपनी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एबी के तहत पंजीकृत है, इसलिए आय पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11

के तहत आयकर छूट प्राप्त है। तदनुसार, भारतीय लेखा मानक 12 - "आयकर" कंपनी पर लागू नहीं होता है।

2.13 प्रति शेयर आय

कंपनी अपने साधारण शेयरों के लिए मूल और प्रति शेयर आय (ईपीएस) डेटा प्रस्तुत करती है।

मूल ईपीएस की गणना कंपनी के साधारण शेयरधारकों को देय आय या व्यय को अवधि के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। जहां साधारण शेयर जारी किए गए हैं लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किए गए हैं, उन्हें प्रति शेयर मूल आय की गणना में एक साधारण शेयर के अंश के रूप में माना जाता है, इस सीमा तक कि वे पूरी तरह से भुगतान किए गए साधारण शेयर के सापेक्ष अवधि के दौरान लाभांश में भाग लेने के हकदार थे।

डाइल्यूटिड (मंदित) प्रति शेयर आय की गणना व्यय पर शुद्ध आय को मूल ईपीएस प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है और साथ ही उन इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या भी होती है जो सभी मंदित संभावित ई.पी.एस. के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे। मंदित संभावित ई.पी.एस. को अवधि की शुरुआत में परिवर्तित माना जाता है, जब तक कि बाद की तारीख में जारी न किया जाए। प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए कमी संभावित इक्विटी शेयर स्वतंत्र रूप से निर्धारित किए जाते हैं।

2.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को निर्धारित किया जाता है यदि, किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी के पास कोई वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व हो जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो प्रावधानों को वर्तमान पूर्व-कर दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है जो कि, जहां उपयुक्त हो, देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में निर्धारित किया जाता है।

भारयुक्त संविदा के लिए प्रावधान तब निर्धारित किया जाता है जब कंपनी द्वारा संविदा से प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं। प्रावधान को संविदा को समाप्त करने की अपेक्षित लागत और संविदा को जारी रखने की अपेक्षित शुद्ध लागत में से जो भी कम हो, उसके वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। प्रावधान स्थापित होने से पहले, कंपनी संविदा से जुड़ी परिसंपत्तियों पर किसी भी हानि को निर्धारित करती है।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देनदारियों को निर्धारित नहीं किया जाता है, लेकिन उन्हें नोट्स में प्रकट किया जाता है। भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्ति को न तो निर्धारित किया जाता है और न ही उसका प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

2.15 वित्तीय लिखते (इंस्ट्रुमेंट्स)

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब निर्धारित किया जाता है जब कंपनी दस्तावेजों के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है।

ए) वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों में सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी और नकदी समकक्षों, ऋणों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश शामिल हैं।

प्रारंभिक निर्धारण:

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही, उन वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में जिन्हें आय या व्यय के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण होने वाली लेनदेन लागतों को भी निर्धारित किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार में विनियम या परिपाटी द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है (नियमित तरीके से व्यापार) व्यापार तिथि पर निर्धारित किया जाता है, यानी, वह तिथि जिस पर कंपनी ने परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी।

अनुवर्ती मापन:

i) परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ किसी ऐसे व्यवसाय के अंतर्गत रखी जाती हों जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है और जहाँ वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को पैदा करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।

ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीओसीआई)(FVTOCI):

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखी जाती हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को पैदा करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं, जिन्हें बाद में एफवीटीओसीआई में मापा जाता है। एफवीटीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में निर्धारित किया जाता है।

iii) आय या व्यय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीआई):

वित्तीय परिसंपत्तियों को एफवीटीआई (FVTIE) पर मापा जाता है यदि यह परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर मापित वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। सभी उचित मूल्य परिवर्तन आय और व्यय के विवरण में निर्धारित किए जाते हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिर्धारण:

वित्तीय परिसंपत्तियाँ तब विनिर्धारित हो जाती हैं जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित कर दिया जाता है, और हस्तांतरण विनिर्धारण के लिए योग्य होता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संपूर्णता में विनिर्धारण पर, रखाव राशि (विनिर्धारित तिथि पर मापी गई) और प्राप्त प्रतिफल (किसी भी नई परिसंपत्ति को प्राप्त करने से लेकर किसी भी नई देयता को घटाने तक) के बीच का अंतर आय और व्यय के विवरण में निर्धारित होगा।

बी) वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- व्यापार देयताएं
- अन्य वित्तीय देयताएं

वर्गीकरण

कंपनी की वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य के साथ-साथ किसी भी लेनदेन लागत (यदि कोई हो) पर निर्धारित किया जाता है, जो वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण के कारण होती है।

अनुवर्ती मापन:

वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

प्रभावी ब्याज दर विधि वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत की गणना करने और प्रासंगिक अवधि में ब्याज व्यय आवंटित करने की एक विधि है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय दायित्व के अपेक्षित कालावधि के माध्यम से अनुमानित भावी नकद भुगतान (लेनदेन लागत और अन्य प्रीमियम या छूट सहित) को बिल्कुल छूट देती है।



वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

वित्तीय देयताओं का विनिर्धारण:

वित्तीय दायित्वों का विनिर्धारण तभी हो जाएगा, जब और केवल तभी, जब वे समाप्त हो जाएं, अर्थात् जब संविदा में निर्दिष्ट दायित्व पूरा हो जाए, रद्द हो जाए या समाप्त हो जाए।

सी) वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है, तथा शुद्ध राशि को तुलन पत्र में तभी प्रस्तुत किया जाता है, जब और केवल तभी, जब कंपनी के पास निर्धारित राशियों का समायोजन करने का कानूनी अधिकार होता है और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा रखती है या परिसंपत्तियों और देयताओं को एक साथ वसूलने का इरादा रखती है।

डी) वित्तीय लिखते (इंस्ट्रुमेंट्स) का पुनर्वर्गीकरण:

कंपनी प्रारंभिक निर्धारण पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जिन्हें विशेष रूप से एफवीटीपीएल (FVTPL) के रूप में नामित किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण दस्तावेज हैं, पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव होता है। व्यवसाय मॉडल में बदलाव बहुत कम होने की उम्मीद है।

प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। व्यवसाय में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी अपने संचालन के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि शुरू करती है या करना बंद कर देती है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से प्रभावी रूप से लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के तुरंत बाद की अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी पहले से निर्धारित किसी भी लाभ, हानि (क्षति लाभ या हानि सहित) या ब्याज को फिर से नहीं दर्शाती है।

2.16 शेयर पूंजी

साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नए साधारण शेयरों या शेयर विकल्पों (यदि कोई हो) के जारी होने से सीधे जुड़ी वृद्धिशील लागतों को लागू इंड-एएस के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

2.17 पट्टे

पट्टाकर्ता के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार, पट्टाकर्ता के पास उपयोग की अवधि के दौरान निर्दिष्ट परिसंपत्ति को प्रतिस्थापित करने का अप्रतिबंधित और मूल अधिकार है, तदनुसार, कंपनी को उपयोग की

अवधि के दौरान निर्धारित परिसंपत्ति का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। इसलिए, उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, संविदा पट्टा नहीं है।

2.18 चालू/गैर-चालू वर्गीकरण

किसी परिसंपत्ति को चालू परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि:

- ए) इसके कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त, विक्रय या उपभोग किये जाने की उम्मीद हो;
- बी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर इसकी वसूली होने की उम्मीद हो; या
- सी) यह नकद या नकद समतुल्य हो, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक इसे विनिमय या देयता के निपटान के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न लगाया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

किसी देयता को चालू देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि:

- ए) इसके सामान्य परिचालन चक्र में निपटाए जाने की उम्मीद हो;
- बी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर इसका निपटान अपेक्षित हो;
- सी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन चक्र प्रसंस्करण/व्यापार/संयोजन के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी और नकदी समतुल्यों में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है। कंपनी ने अपने परिचालन चक्र के रूप में बारह महीनों को निर्धारित किया है।

2.19 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है। अधिशेष/(घाटा) को गैर-नकद प्रकृति के लेन-देन के प्रभावों और पिछले या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या प्रोद्घवन के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

2.20 लाभ और हानि के स्थान पर आय और व्यय

कंपनी लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करती है, इसलिए यह लाभ और हानि खाते के बजाय आय और व्यय का विवरण तैयार करती है। चूंकि कंपनी लाभ और हानि खाते के बजाय आय और व्यय का विवरण तैयार करती है, इसलिए विभिन्न भारतीय लेखा मानकों में लाभ और हानि खाते के संदर्भ को आय और व्यय के विवरण के संदर्भ के रूप में समझा जा सकता है।

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

2.21 परियोजना लेखांकन

कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही एमयूटीपी परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि, जिसे भारतीय रेलवे के लिए बजट में अलग से बजटीय आवंटन, महाराष्ट्र सरकार से अंशदान और कंपनी के आंतरिक अधिशेष से उपयोग की गई राशि द्वारा कवर किया जाता है, को “एमयूटीपी परियोजना निधि का उपयोग” के रूप में दर्ज किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) से संबंधित भारतीय रेलवे द्वारा जारी टिकटों पर प्राप्त/प्राप्त होने वाले अधिभार का हिस्सा जीओएम से प्राप्त एमयूटीपी निधि के रूप में दर्शाया जाता है। कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए, निविदा दस्तावेजों की बिक्री के कारण विविध प्राप्तियों को विविध आय के रूप में माना जाता है और आय और व्यय के विवरण में दर्शाया जाता है। हालांकि, मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे आदि जैसी अन्य निष्पादन एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए निविदा दस्तावेजों की बिक्री के कारण विविध प्राप्तियों को उपयोग की गई परियोजना निधि से घटा दिया जाता है। “कंपनी के इंटरनल एक्रुअल से प्राप्त निधियों का उपयोग या तो एमयूटीपी परियोजना के लिए या कंपनी के उद्देश्य के अनुसार किसी अन्य कार्य/परियोजना को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।” मूल्य परिवर्तन खंड (पीवीसी) के लिए बिलों का हिसाब रखा जाता है और जब वे ठेकेदारों से प्राप्त होते हैं तो उन्हें देय माना जाता है।

3 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय का निर्धारण और मापन के बारे में कई निर्णय, अनुमान और धारणाएं लेता है।

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

अनुमान निश्चितता

परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय का निर्धारण और माप पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और मान्यताओं के बारे में जानकारी नीचे दी गई है। वास्तविक परिणाम काफी हद तक अलग हो सकते हैं।

- परिभाषित लाभ दायित्व
- प्रावधान
- आकस्मिक व्यय
- क्षति



02-14

कॉर्पोरेट अवलोकन

15-62

वैधानिक रिपोर्ट

63-121

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

नोट 3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

31 मार्च 2024 को

(₹ लाख में)

विवरण	सकल स्थाव राशि (लागत पर)				संचित मूल्यहास			शुद्ध स्थाव राशि		
	1 अप्रैल	परिवर्धन	निपटान /	31 मार्च	1 अप्रैल	परिवर्धन	निपटान	31 मार्च	31 मार्च	31 मार्च
	2023		स्थानांतरण	2024	2023			2024	2024	2023
	तक			तक	तक			तक	तक	तक
पट्टाधारित परिसर ⁵	5,457	-	-	5,457	1,938	185	-	2,123	3,334	3,519
फर्नीचर व फिक्सचर	235	17	-	252	192	11	-	203	49	43
वाहन	9	-	-	9	9	-	-	9	-	-
कार्यालय उपकरण	262	21	18	265	222	19	15	226	39	40
कंप्यूटर	398	69	48	419	354	37	44	348	71	43
कुल	6,361	107	66	6,402	2,716	251	58	2,909	3,493	3,645

31 मार्च 2023 को

(₹ लाख में)

विवरण	सकल स्थाव राशि (लागत पर)				संचित मूल्यहास			शुद्ध स्थाव राशि		
	1 अप्रैल	परिवर्धन	निपटान /	31 मार्च	1 अप्रैल	परिवर्धन	निपटान	31 मार्च	31 मार्च	31 मार्च
	2022		स्थानांतरण	2023	2022			2023	2023	2022
	तक			तक	तक			तक	तक	तक
पट्टाधारित परिसर ⁵	5,457	0	-	5,457	1,753	185	-	1,938	3,519	3,704
फर्नीचर व फिक्सचर	234	1	1	235	181	11	0	192	43	53
वाहन	17	-	8	9	17	-	8	9	-	-
कार्यालय उपकरण	262	17	17	262	217	17	12	222	40	46
कंप्यूटर	397	35	34	398	335	46	26	354	43	62
कुल	6,367	54	60	6,361	2,504	259	46	2,716	3,645	3,864

1 अप्रैल 2022 को

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 तक		
	सकल वहन राशि (लागत पर)	संचित मूल्यहास	शुद्ध स्थाव राशि
पट्टाधारित परिसर ⁵	5,457	1,753	3,704
फर्नीचर व फिक्सचर	234	181	53
वाहन	17	17	-
कार्यालय उपकरण	262	217	46
कंप्यूटर	397	335	62
कुल	6,367	2,504	3,864

⁵ नोट संख्या 49(ए) देखें

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

नोट 4 जारी पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

31 मार्च 2024 को

विवरण	(₹ लाख में)					
	1 अप्रैल 2023 तक	परिवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	समायोजन / स्थानांतरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
निर्मल पार्क में 48 यूनिट टाइप फ्लैट्स (1 ब्लॉक स्टिल्ट + 24 मंजिल) का निर्माण	-	-	-	-	-	-

31 मार्च 2023 को

जारी पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

विवरण	(₹ लाख में)					
	1 अप्रैल 2022 तक	परिवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	समायोजन / स्थानांतरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
निर्मल पार्क में 48 यूनिट टाइप फ्लैट्स (1 ब्लॉक स्टिल्ट + 24 मंजिल) का निर्माण	28	1	29	29	-	28

1 अप्रैल 2022 को

जारी पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

विवरण	(₹ लाख में)	
	1 अप्रैल 2022 तक	31 मार्च 2022 तक
निर्मल पार्क में 48 यूनिट टाइप फ्लैट्स (1 ब्लॉक स्टिल्ट + 24 मंजिल) का निर्माण	28	28

टिप्पणी:-

विस्तृत प्रकटन के लिए नोट 49(डी) देखें।

नोट 5 अमूर्त परिसंपत्ति

31 मार्च 2024 को

विवरण	सकल रखाव राशि (लागत पर)				संचित मूल्यहास			शुद्ध रखाव राशि		
	1 अप्रैल 2023 तक	परिवर्धन	निपटान / स्थानांतरण	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	परिवर्धन	निपटान	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	150	4	0	154	97	14	-	111	43	53
कुल	150	4	-	154	97	14	-	111	43	53

31 मार्च 2023 को

विवरण	सकल रखाव राशि (लागत पर)				संचित मूल्यहास			शुद्ध रखाव राशि		
	1 अप्रैल 2022 तक	परिवर्धन	निपटान / स्थानांतरण	31 मार्च 2023 तक	1 अप्रैल 2022 तक	परिवर्धन	निपटान	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	142	8	-	150	83	15	-	97	53	59
कुल	142	8	-	150	83	15	-	97	53	59



वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

1 अप्रैल 2022 को

(₹ लाख में)

विवरण	सकल रखाव राशि (लागत पर)		संचित मूल्यहास		शुद्ध रखाव राशि	
	1 अप्रैल 2022 को		1 अप्रैल 2022 को		1 अप्रैल 2022 को	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	142	-	-	-	83	59
कुल	142	-	-	-	83	59

नोट 6 निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
परिशोधित लागत पर निवेश निवेदित			
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	4,921	2,438	-
कुल निवेश	4,921	2,438	-
वर्तमान	-	-	-
गैर-वर्तमान	4,921	2,438	-
- निवेदित निवेशों का कुल बही मूल्य	4,921	2,438	-
- निवेदित निवेशों का कुल बाजार मूल्य	5,003	2,466	-
- निवेश के मूल्य में कुल हानि की राशि	-	-	-

नोट 7 ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
प्रतिभूति रहित, वसूली योग्य - अन्य			
कर्मचारियों को बहुउद्देशीय ऋण (परिशोधित लागत पर)	1	1	2
कुल	1	1	2

नोट 8 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
परिशोधित लागत पर प्रतिभूति जमा	5	6	6
कुल	5	6	6

वर्तमान परिसंपत्तियाँ

नोट 9 नकद और नकद समतुल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
(i) बैंक में शेष राशि			
(ए) चालू खातों में	4,608	3,062	3,368
(ii) नकदी शेष	-	0	0
कुल	4,608	3,062	3,368

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

वर्तमान परिसंपत्तियाँ

नोट 10 उपरोक्त नोट 9 (नकद और नकद समतुल्य) के अलावा अन्य बैंक शेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
अन्य बैंक शेष			
(i) बैंक में शेष राशि			
12 महीने से कम लेकिन 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले जमा खातों में	-	-	925
ऐसे जमा खाते जिनकी मूल अवधि 12 महीने से अधिक है, लेकिन शेष परिपक्वता अवधि रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने से कम है।	60,234	49,873	13,046
कुल	60,234	49,873	13,970

नोट 11 ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
प्रतिभूति रहित, वसूली योग्य - अन्य			
कर्मचारियों को बहुउद्देशीय ऋण (परिशोधित लागत पर)	3	4	4
कुल	3	4	4

नोट 12 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
प्रतिभूति रहित, वसूली योग्य			
प्रतिभूति जमा (परिशोधित लागत पर)	14	3	3
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	3,251	1,074	430
प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज	1	8	-
अन्य विविध वसूली	-	-	1
संघटन अग्रिम पर अर्जित ब्याज	0	0	1
महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त होने वाले अधिभार का हिस्सा	1,240	1,188	992
	-	-	-
कुल	4,506	2,274	1,427

नोट 13 अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
प्रतिभूति रहित, वसूली योग्य			
अल्पावधि अग्रिम			
(ए) पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम:	9,004	9,517	10,344
(i) जोनल रेलवे - संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि	2,889	1,186	937
पश्चिमी रेलवे	2,620	699	594
मध्य रेलवे	269	487	343
(ii) लामबंदी (मोबिलाईजेशन) अग्रिम	5,958	8,331	9,399
(iiए) ठेकेदारों को अग्रिम राशि- एमयूटीपी कार्य	5,958	8,235	9,228
(iiबी) ठेकेदारों को अग्रिम राशि-एमयूटीपी कार्यों के अलावा	-	96	171
(iii) अन्य अग्रिम	156	-	8
(बी) पूर्वसंदत्त व्यय	22	26	7
अन्य			
टीडीएस/कर का भुगतान और रिफंड देय	1,542	1,286	1,322
कुल	10,567	10,829	11,673



वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

नोट 14 शेयर पूंजी

(ए) अधिकृत शेयर पूंजी

इक्विटी शेयर	संख्या	(₹ लाख में)
1 अप्रैल 2022 को	250000	2,500
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	-
31 मार्च 2023 को	250000	2,500
वर्ष के दौरान वृद्धि / (कमी)	-	-
31 मार्च 2024 को	250000	2,500

(बी) जारी, अभिदत्त और पूर्ण संदत्त इक्विटी पूंजी

1,000 रुपये प्रति इक्विटी शेयर जारी और पूर्ण संदत्त	संख्या	(₹ लाख में)
1 अप्रैल 2022 को	250000	2,500
31 मार्च 2023 को	250000	2,500
31 मार्च 2024 को	250000	2,500

जारी, अभिदत्त लेकिन पूर्ण संदत्त नहीं	संख्या	(₹ लाख में)
1 अप्रैल 2022 को	-	-
31 मार्च 2023 को	-	-
31 मार्च 2024 को	-	-

(सी) प्रति शेयर सममूल्य

	प्रति शेयर मूल्य ₹ में	
	संख्या	
1 अप्रैल 2022 को	-	1,000
31 मार्च 2023 को	-	1,000
31 मार्च 2024 को	-	1,000

(डी) वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया राशि का समाधान:

विवरण	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को		1 अप्रैल 2022 को	
	संख्या	(₹ लाख में)	संख्या	(₹ लाख में)	संख्या	(₹ लाख में)
वर्ष के आरंभ में जारी, अभिदत्त एवं चुकता इक्विटी पूंजी	2,50,000	2,500	2,50,000	2,500	2,50,000	2,500
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी	-	-	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस खरीद	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	2,50,000	2,500	2,50,000	2,500	2,50,000	2,500

(ई) वर्ष के अंत में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का ब्यौरा:

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को		1 अप्रैल 2022 को	
	धारित शेयरों की संख्या	उस श्रेणी के शेयरों में % हिस्सेदारी	धारित शेयरों की संख्या	उस श्रेणी के शेयरों में % हिस्सेदारी	धारित शेयरों की संख्या	उस श्रेणी के शेयरों में % हिस्सेदारी
रेल मंत्रालय	1,27,500	51	1,27,500	51	1,27,500	51
महाराष्ट्र सरकार	1,22,500	49	1,22,500	49	1,22,500	49
प्रति शेयर अंकित मूल्य	₹ 1,000		₹ 1,000		₹ 1,000	

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

(एफ) प्रवर्तकों की शेयरधारिता का विवरण:

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को		1 अप्रैल 2022 को	
	भारत के राष्ट्रपति (एमओआर)	महाराष्ट्र के राज्यपाल (जीओएम)	भारत के राष्ट्रपति (एमओआर)	महाराष्ट्र के राज्यपाल (जीओएम)	भारत के राष्ट्रपति (एमओआर)	महाराष्ट्र के राज्यपाल (जीओएम)
शेयरों की संख्या	1,27,500	1,22,500	1,27,500	1,22,500	1,27,500	1,22,500
कुल शेयरों का %	51%	49%	51%	49%	51%	49%
वर्ष के दौरान परिवर्तन %	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सममूल्य 1,000 रु. प्रति शेयर (पिछले वर्ष 1,000 रु. प्रति शेयर) है। इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है।

(जी) तुलन पत्र तैयार करने की तारीख से ठीक पहले की पांच वर्ष की अवधि के लिए:

• नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा के अनुसार पूर्ण संदत्त के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी	पिछले 5 वर्षों के दौरान ऐसा कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।
• बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्ण संदत्त शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी	पिछले 5 वर्षों के दौरान ऐसा कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।
• वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी	पिछले 5 वर्षों के दौरान ऐसा कोई शेयर वापस नहीं खरीदा गया है।

नोट 15 अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
प्रतिधारित आय (नोट 15.2 देखें)	40,549	29,565	21,024
अन्य समग्र आय	(24)	39	-
	-	-	-
कुल	40,525	29,604	21,024

नोट 15.1 आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अनुसार उद्देश्यों के नियोजन हेतु संचित आय का हस्तांतरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
अधिशेष के उपयोग हेतु आरक्षित निधि			
जोड़ें: रिज़र्व एवं अधिशेष से हस्तांतरित	2,386	87	1,268
घटाएं: अधिशेष कार्यों के लिए उपयोग	2,386	87	1,268
जमा शेष	-	-	-

नोट 15.2 प्रतिधारित आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि	29,565	21,024	21,024
जोड़ें: आय और व्यय विवरण के अनुसार अधिशेष	13,371	8,627	-
घटाएं: आईटी अधिनियम, 1961 के अनुसार कंपनी के उद्देश्य के लिए उपयोग	2,386	87	-
वर्ष के अंत तक शेष राशि	40,549	29,565	21,024



02-14

कॉर्पोरेट अवलोकन

15-62

वैधानिक रिपोर्ट

63-121

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

नोट 15.3 अन्य समग्र आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि	39	-	-
जोड़ें/(घटाएं): परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	(63)	39	-
वर्ष के अंत तक शेष राशि	(24)	39	-

गैर-वर्तमान देनदारियां

नोट 16 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
(ए) ठेकेदारों की रोकी गई राशि	383	256	252
(बी) प्रतिधारण धन	-	111	111
कुल	383	367	364

नोट 17 प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
ग्रेच्युटी का प्रावधान	287	210	227
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	68	86	73
	355	296	299

नोट 18 अन्य गैर-मौजूदा देयताएं

18.1 एमयूटीपी के लिए निधि

(₹ लाख में)

1ए रेल मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय से प्राप्त धनराशि	चरण -2	चरण-2सी	चरण- 3	चरण - 3ए	31-03-2024	31-03-2023	01-04-2022	संचयी 31.03.2024	संचयी 31.03.2023	संचयी 01.04.2022
प्रारंभिक जमा	24,188	(5,552)	(21,475)	18,041	15,202	(13,301)	23,385	-	-	-
• रेल मंत्रालय से निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चरण-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्तियां (एनईएफटी/एनएसीएच)	15,000	-	-	-	15,000	5,000	14,000	3,57,339	3,42,339	3,37,339
एमयूटीपी-1 का अग्रेजीत शेष	168	-	-	-	168	-	-	31,181	31,013	31,013
समायोजन (सेवा कर - एसवीएलडीआरएस)	-	-	-	-	-	-	-	(471)	(471)	-471
चरण-2सी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हार्बर लाइन (सीएसएमटी- पनवेल / अंधेरी) पर 12 कार ईएमयू का परिचालन	-	-	-	-	-	-	-	38,325	38,325	38,325
एमयूटीपी-चरण-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्तियां (एनईएफटी/एनएसीएच)	-	-	65,028	-	65,028	70,029	2,857	2,07,987	1,42,959	72,930
एमयूटीपी-चरण-3ए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्तियां (एनईएफटी/एनएसीएच)	-	-	-	30,000	30,000	32,300	-	69,129	39,129	6,829
कुल (एमओआर)	15,168	-	65,028	30,000	1,10,196	1,07,329	16,857	7,03,490	5,93,294	4,85,965
• महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) से निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एमयूटीपी-चरण-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुनर्वास और पुनर्स्थापन	-	-	-	-	-	-	-	2,320	2,320	2,320
प्राप्तियां (एनईएफटी/एनएसीएच)	-	-	-	-	-	29	-	2,00,376	2,00,376	2,00,347
बकाया राशि के लिए समायोजित अधिभार	14,594	-	-	-	14,594	13,404	6,620	1,52,695	1,38,100	1,24,697
एमयूटीपी-1 की शेष राशि हस्तांतरित	168	-	-	-	168	-	-	1,570	1,402	1,402
समायोजन (सेवा कर - एसवीएलडीआरएस)	-	-	-	-	-	-	-	(471)	(471)	(471)

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

1ए रेल मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय से प्राप्त धनराशि	चरण -2	चरण-2सी	चरण- 3	चरण - 3ए	31-03-2024	31-03-2023	01-04-2022	संचयी 31.03.2024	संचयी 31.03.2023	संचयी 01.04.2022
एमयूटीपी-चरण-2सी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 कार ईएमयू का परिचालन - हार्बर लाइन (सीएसएमटी - पनवेल / अंधेरी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सिडको	-	-	-	-	-	-	1,000	30,810	30,810	30,810
एमएमआरडीए	-	-	-	-	-	-	-	1,631	1,631	1,631
एमयूटीपी-चरण-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्तियां	-	-	5,028	-	5,028	52,738	3,544	57,766	52,738	-
एआईआईबी प्रतिपूर्ति	-	-	43,524	-	43,524	12,867	-	59,935	16,411	3,544
एमयूटीपी-चरण-3ए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्तियां	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	-
कुल (जीओएम)	14,762	-	48,552	10,000	73,314	79,038	11,164	5,16,632	4,43,318	3,64,280
वर्ष के दौरान प्राप्त धनराशि	29,930	-	1,13,579	40,000	1,83,510	1,86,366	28,021	-	-	-
इस अवधि के लिए उपलब्ध कुल धनराशि	54,118	(5,552)	92,105	58,041	1,98,712	1,73,065	51,406	-	-	-
संचयी निधि (1)	7,44,539	70,766	3,25,688	79,129	12,20,122	10,36,612	8,50,245	12,20,122	10,36,612	8,50,245

(₹ लाख में)

1बी. एमयूटीपी पर व्यय	चरण -2	चरण-2सी	चरण- 3	चरण - 3ए	31-03-2024	31-03-2023	01-04-2022	संचयी 31.03.2024	संचयी 31.03.2023	संचयी 01.04.2022
प्रारंभिक व्यय	6,90,421	76,318	2,33,583	21,088	10,21,410	8,63,547	7,98,839	-	-	-
एमयूटीपी-2ए	-	-	-	-	391	642	630	4,63,281	4,62,890	4,62,247
डीसी से एसी रूपांतरण	55	-	-	-	55	85	130	80,560	80,506	80,421
ईएमयू खरीद / निर्माण	-	-	-	-	-	-	-	2,95,072	2,95,072	2,95,072
ईएमयू रखरखाव सुविधाएं (एमयूटीपी-2ए पूर्ण)	99	-	-	-	99	131	254	33,546	33,447	33,316
ईएमयू के लिए स्टेबलिंग लाइनें	238	-	-	-	238	425	248	26,097	25,859	25,434
तकनीकी सहायता एवं संस्थागत सुदृढीकरण	-	-	-	-	-	1	(17)	5,622	5,622	5,621
एस्केलेटर के प्रावधान सहित अतिक्रमण नियंत्रण उपाय	-	-	-	-	-	-	14	22,383	22,383	22,383
एमयूटीपी-2बी	-	-	-	-	20,243	27,403	32,140	2,47,774	2,27,531	2,00,129
सीएसटीएम 5वीं और 6ठी लाइन	6,577	-	-	-	6,577	8,412	17,391	53,167	46,591	38,179
ठाणे - दिवा अतिरिक्त लाइनों की जोड़ी	1,437	-	-	-	1,437	4,526	7,181	70,834	69,397	64,871
बोरीवली - मुंबई सेंट्रल 6ठी लाइन	12,174	-	-	-	12,174	14,150	7,278	78,410	66,236	52,086
हार्बर लाइन का गोरेगांव तक विस्तार	55	-	-	-	55	76	262	24,154	24,099	24,023
पुनर्वास एवं पुनर्वासन	-	-	-	-	-	-	-	2,343	2,343	2,343
स्टेशन सुधार एवं अतिक्रमण नियंत्रण	-	-	-	-	-	239	29	18,865	18,865	18,626
कुल (एमयूटीपी-2)	-	-	-	-	20,634	28,045	32,770	7,11,055	6,90,421	6,62,376
एमयूटीपी-2सी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हार्बर लाइन (सीएसएमटी-पीएनवीएल/एडीएच)-सिडको पार्ट का संचालन	-	1,012	-	-	1,012	1,397	994	77,330	76,318	74,921
हार्बर लाइन (सीएसएमटी-पीएनवीएल/एडीएच) एमएमआरडीए पार्ट का संचालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एमयूटीपी - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रेरोली-कलवा (एलिबेटेड) के बीच नया उपनगरीय गलियारा संपर्क	-	-	1,601	-	1,601	5,307	1,649	22,215	20,614	15,307
नया उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर पनवेल-कर्जत (दोहरी लाइन)	-	-	48,008	-	48,008	62,163	9,359	1,58,383	1,10,374	48,211
विरार-दहानू सड़क का चौगुनाकरण*	-	-	32,292	-	32,292	31,286	11,803	99,552	67,260	35,974
मध्य भाग पर अतिक्रमण नियंत्रण	-	-	12,795	-	12,795	9,852	5,890	44,646	31,851	21,998
तकनीकी सहायता	-	-	1,080	-	1,080	847	361	4,564	3,484	2,637
कुल एमयूटीपी-3	-	-	-	-	95,776	1,09,454	29,063	3,29,359	2,33,583	1,24,129



02-14

कॉर्पोरेट अवलोकन

15-62

वैधानिक रिपोर्ट

63-121

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

1बी. एमयूटीपी पर व्यय	चरण -2	चरण-2सी	चरण- 3	चरण - 3ए	31-03-2024	31-03-2023	01-04-2022	संचयी 31.03.2024	संचयी 31.03.2023	संचयी 01.04.2022
एमयूटीपी - 3ए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गोरेगांव से बोरिवली के बीच हार्बर लाइन का विस्तार	-	-	-	43	43	58	-	101	58	-
बोरीवली से विरार के बीच 5वीं और 6ठी लाइन	-	-	-	1,928	1,928	388	82	2,503	575	187
कल्याण-आसनगांव के बीच चौथी लाइन	-	-	-	358	358	102	48	571	212	110
तीसरी और चौथी लाइन केवाईएन-बदलापुर	-	-	-	20,447	20,447	12,330	851	33,698	13,251	920
कल्याण यार्ड - लंबी दूरी और उपनगरीय यातायात का पृथक्करण	-	-	-	4,327	4,327	2,312	-	6,639	2,312	-
सीबीटीसी का उपयोग करके वहन क्षमता में वृद्धि और सुरक्षा में वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
एमयूटीपी-3ए के अंतर्गत स्टेशन सुधार	-	-	-	9,352	9,352	3,092	-	12,444	3,092	-
ईएमयू रखरखाव सुविधाएं	-	-	-	1,506	1,506	8	344	1,858	352	344
विद्युत आपूर्ति संवर्धन - (मध्य रेलवे)	-	-	-	10,574	10,574	584	556	11,713	1,139	556
तकनीकी सहायता	-	-	-	141	141	93	-	234	93	-
भिवपुरी ईएमयू कारशेड और पीओएच सुविधाएं	-	-	-	11,442	11,442	-	-	11,442	-	-
कुल एमयूटीपी -3ए	-	-	-	-	60,118	18,967	1,881	81,206	21,088	2,121
2023-24 में कुल व्यय	20,634	1,012	95,776	60,118	1,77,540	1,57,863	64,707	-	-	-
संचयी व्यय (1बी)	7,11,055	77,330	3,29,359	81,206	11,98,950	10,21,410	8,63,547	11,98,950	10,21,410	8,63,547
18.1 एमयूटीपी कार्यों के लिए निधि (1ए-1बी)	33,484	(6,563)	(3,672)	(2,077)	21,172	15,202	(13,301)	21,172	15,202	(13,301)

मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, एमआरवीसी को 1835.10 करोड़ रु. की परियोजना निधि प्राप्त हुई और 1775.40 करोड़ रु. का परियोजना व्यय हुआ।

18.2 निर्माण कार्यों के लिए निधि

(₹ लाख में)

2ए. निर्माण कार्यों के लिए क्षेत्रीय रेलवे से प्राप्त धनराशि	31-03-2024	31-03-2023	01-04-2022	संचयी 31.03.2024	संचयी 31.03.2023	संचयी 01.04.2022
प्रारंभिक जमा	43,400	38,702	26,365	-	-	-
चालू अवधि के दौरान प्राप्तियां -	-	-	-	-	-	-
i) एमएमआरडीए निर्माण कार्य के लिए निधि:	-	(29)	-	-	-	799
ii) पुणे-एलएनएल डीपीआर के लिए वाणिज्य दूतावास सेवाओं हेतु निधि	-	-	-	442	442	442
iii) मध्य रेलवे में एफओबी के निर्माण और पश्चिम रेलवे में एफओबी के निर्माण के लिए निधि	-	4,172	5,916	33,901	33,901	29,729
iv) निर्मल पार्क के टाइप क्वार्टर के 48 यूनिट के निर्माण के लिए निधि	984	-	(169)	984	-	-
v) इरीसेन-पुणे में छात्रावास भवन के निर्माण के लिए निधि	-	5	-	1,148	1,148	1,143
vi) पुल संख्या 92 और 93 आदि के निर्माण के लिए निधि	-	550	5,000	5,550	5,550	5,000
vii) अंबरनाथ-बदलापुर के बीच चिखलोलोली स्टेशन के निर्माण के लिए निधि	-	-	1,590	1,590	1,590	1,590
viii) सफले और केल्वे रोड के बीच पुल संख्या 106 और 114ए के निर्माण के लिए निधि	5,424	-	-	5,424	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त कुल धनराशि	6,408	4,698	12,337	49,039	42,631	38,702
2ए. निर्माण कार्यों के लिए संचयी निधि	49,808	43,400	38,702	49,039	42,631	38,702

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

2बी. निर्माण कार्यों पर व्यय	31-03- 2024	31-03- 2023	01-04- 2022	संचयी 31.03.2024	संचयी 31.03.2023	संचयी 01.04.2022
प्रारंभिक शेष	33,097	25,158	20,348	-	-	-
चालू अवधि के दौरान व्यय -						
i) एमएमआरडीए निर्माण कार्य पर व्यय	-	-	-	-	-	770
ii) पुणे-एलएनएल डीपीआर के लिए परामर्श सेवाएं	2	-	4	413	411	411
iii) एफओबी का निर्माण और पश्चिम रेलवे में एफओबी का निर्माण	2,408	5,644	3,929	31,101	28,693	23,049
iv) निर्मल पार्क में 48 यूनिट टाइप कार्टर का निर्माण	69	32	-	101	32	-
v) इरीसेन-पुणे में छात्रावास भवन का निर्माण	0	13	549	613	613	599
vi) पुल संख्या 92 और 93 आदि का निर्माण	4,083	2,249	329	6,660	2,578	329
vii) सफले और केल्वे रोड के बीच पुल संख्या 106 और 114ए का निर्माण	429	-	-	429	-	-
viii) इरीसेन-पुणे में नए छात्रावास भवन का निर्माण	471	-	-	471	-	-
वर्ष के दौरान कुल व्यय	7,462	7,939	4,810	39,788	32,327	25,158
2बी. निर्माण कार्यों के लिए संचयी व्यय	40,558	33,097	25,158	39,788	32,327	25,158
18.2 शेष निधि (निर्माण कार्य) (2ए-2बी)	9,250	10,304	13,544	9,250	10,304	13,544
मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उपलब्ध शुद्ध (निवल) निधियाँ (एमयूटीपी और निर्माण कार्य) (18.1 + 18.2)	30,422	25,506	243	30,422	25,506	243

(₹ लाख में)

एमआरवीसी अधिशेष का परिनियोजन	31-03- 2024	31-03- 2023	01-04- 2022	संचयी 31.03.2024	संचयी 31.03.2023	संचयी 01.04.2022
एमयूटीपी उद्देश्यों में समायोजन के माध्यम से अधिशेष का विनियोजन	2,386	87	1,268	17,431	15,045	14,958
घटाएं: एमयूटीपी मदों में समायोजन के माध्यम से अधिशेष का उपयोग*	2,386	87	1,268	17,431	15,045	14,958
शेष	-	-	-	-	-	-

*एमयूटीपी/अन्य एमयूटीपी कार्यों के अंतर्गत दर्शाया गया व्यय एमआरवीसी के अपने कोष से किया गया है, इसमें रेल मंत्रालय और जीओएम का कोई योगदान नहीं है।

वर्तमान देनदारियां

वित्तीय देयताएं (मौजूदा)

नोट 19 व्यापार देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए				31.03.2024	31.03.2023	1.4.2022
	बकाया				तक	तक	तक
31-03-2024 के लिए	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	कुल	कुल
i) एमएसएमई	83	-	-	-	83	22	18
ii) अन्य	2,016	-	-	-	2,016	6,198	4,271
iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	2,099	-	-	-	2,099	6,220	4,289



वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया			
31-03-2023 के लिए	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
i) एमएसएमई	22	-	-	-
ii) अन्य	6,198	-	-	-
iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-
iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-
कुल	6,220	-	-	-

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया			
01.04.2022 के लिए	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
i) एमएसएमई	18	-	-	-
ii) अन्य	4,271	-	-	-
iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-
iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-
कुल	4,289	-	-	-

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अंतर्गत लेखा अवधि के अंत तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूल राशि 45 दिनों की सीमा से अधिक नहीं है।

नोट 20 अन्य वित्तीय देनदारियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
वेतन और अन्य लाभ	43	88	160
एफएससी	127	158	190
व्यापार / प्रतिभूति जमा	9,586	5,656	2,830
जोनल रेलवे को देय राशि	1,134	784	463
बकाया व्यय देय	17	5	16
देय किराया	0	0	1
आईसीएफ को देय राशि	-	-	103
कर्मचारियों की रोकी गई राशि	-	-	25
पश्चिम रेलवे को देय राशि	-	87	1,336
मध्य रेलवे को देय राशि	-	162	83
कुल	10,908	6,942	5,207

नोट 21 अन्य वर्तमान देनदारियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
सांविधिक बकाया	1,125	698	430
कुल	1,125	698	430

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

नोट 22 प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
ग्रेच्युटी का प्रावधान	14	13	11
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	49	38	34
	63	51	45

नोट 23 परिचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सेवाओं की बिक्री (निर्देशन एवं सामान्य शुल्क)	11,937	10,858
अन्य परिचालन राजस्व	9	12
कुल	11,946	10,870

सेवाओं की बिक्री का ब्यौरा

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) एमयूटीपी- पर डी एंड जी प्रभार	319	613
(ii) एमयूटीपी- पर डी एंड जी प्रभार	7,252	8,297
(iii) एमयूटीपी-ए पर डी एंड जी प्रभार	3,555	1,237
(iv) 12 कार ईएमयू (सीएसएमटी-पीएनवीएल) चलाने पर डी एंड जी प्रभार	77	106
(v) डी एंड जी प्रभार - एमआरवीसी कॉर्पोरेट कार्यालय	167	3
(vi) डी एंड जी प्रभार- अन्य निर्माण और संबंधित कार्य	33	-
(vii) डी एंड जी प्रभार - अन्य निर्माण और संबंधित कार्य	0	-
(viii) डी एंड जी प्रभार- अन्य निर्माण और संबंधित कार्य	5	-
(ix) डी एंड जी प्रभार -पास सुविधाएं-एफओबी का निर्माण	183	429
(x) डी एंड जी प्रभार- अन्य निर्माण और संबंधित कार्य	36	1
(xi) डी एंड जी प्रभार- अन्य निर्माण एवं संबंधित कार्य	310	171
कुल	11,937	10,858

अन्य परिचालन राजस्व का ब्यौरा

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) परियोजना बोली पर विविध प्राप्ति	-	7
(ii) संग्रहण प्रभार (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू उपकर का 1%)	9	5
अन्य परिचालन आय	9	12



02-14

कॉर्पोरेट अवलोकन

15-62

वैधानिक रिपोर्ट

63-121

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

नोट 24 अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय		
(i) बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	6,039	2,183
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	178	-
(iii) बहुउद्देशीय अग्रिमों पर ब्याज	0	0
(iv) आईटी रिफंड पर ब्याज	10	16
(v) एसटी रिफंड पर ब्याज	-	9
(vi) ठेकेदारों को दिए गए संघटन अग्रिम पर ब्याज	8	17
अन्य गैर-परिचालन आय		
(i) आरटीआई आवेदन शुल्क	-	0
(ii) वापसी योग्य देय बयाना राशि एवं जमा	-	3
(iii) विविध आय	35	11
कुल	6,270	2,238

नोट 25 कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए) वेतन और मजदूरी	2,994	2,854
(बी) कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य निधि में योगदान		
नियोक्ता भविष्य निधि अंशदान	109	96
विदेश सेवा अंशदान (एफएससी)	111	140
ग्रेच्युटी	52	8
छुट्टी नकदीकरण लाभ	20	44
(सी) कर्मचारी कल्याण	88	75
कुल	3,375	3,216

नोट 26 अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए) बिजली	28	26
(बी) मरम्मत और रखरखाव	120	102
(सी) निविदाओं के लिए विज्ञापन प्रभार	53	15
(डी) अन्य के लिए विज्ञापन प्रभार	-	7
(ई) आउटसोर्स कर्मचारियों का भुगतान	258	252
(एफ) लेखापरीक्षकों को भुगतान (आयकर के अंतर्गत सांविधिक और लेखापरीक्षा)	-	5
(जी) किराया, दरें और कर	18	18
(एच) बीमा प्रीमियम	29	1
(आई) यात्रा एवं परिवहन	67	65
(जे) वाहन किराया प्रभार	106	130
(के) संचार	78	52
(एल) प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी	14	33
(एम) मुद्रण और स्टेशनरी	24	28
(एन) आतिथ्य	30	26
(ओ) कानूनी और पेशेवर शुल्क	185	104
(पी) निदेशक की बैठक फीस	3	3
(क्यू) पुस्तकें और पत्रिकाएं	1	0

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(आर) प्रतिभूति प्रभार	39	34
(एस) बैंक प्रभार	0	1
(टी) करों पर ब्याज	1	0
(यू) कंप्यूटर उपभोग्य वस्तुएं	14	24
(वी) विविध व्यय	56	14
(डब्ल्यू) परित्यक्त परिसंपत्तियों पर हानि	3	8
(एक्स) सीएसआर व्यय	79	43
कुल	1,205	991

27 एमआरवीसी लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करता है। तदनुसार, यह कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुपालन में अपनी आय और व्यय का विवरण तैयार करती है।

28 आकस्मिक देयता और प्रतिबद्धताएं:

i) आकस्मिक देयता:

विवादित आयकर और अन्य मामलों का विवरण, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है, लेकिन ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, निम्नानुसार है:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत 7 साल के निर्धारण वर्षों अर्थात् 2009-10 से 2015-16 के संबंध में पारित निर्धारण अधिकारी (एओ) के आदेश के विरुद्ध कंपनी की अपील को सीआईटी(ए) द्वारा मान ली गई है। आईटीएटी, मुंबई ने निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 के संबंध में सीआईटी(ए) के आदेशों के विरुद्ध दायर आयकर विभाग की अपील को खारिज कर दिया।

ए) आयकर विभाग ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई के आदेशों के विरुद्ध निर्धारण वर्ष 2009-10 से निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए माननीय उच्च न्यायालय (मुंबई) में अपील दायर की है तथा यह माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में विचाराधीन है। निर्धारण वर्ष 2009-10 से निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए कर निर्धारण का विवरण इस प्रकार है:

ऋण के रूप में स्वीकार न की गई आकस्मिक देयताओं की जानकारी:

(₹ लाख में)

क्रमांक	निर्धारण वर्ष	आयकर विभाग के अनुसार मांग	छोत पर कर कटौती (टीडीएस)	सविरोध जमा	शुद्ध विवादित मांग	एमआरवीसी के पक्ष में आदेश की तिथि	ब्याज सहित टीडीएस एवं सविरोध जमा की वापसी	आयकर विभाग द्वारा क्रॉस फाइनल की तिथि	एमआरवीसी के पक्ष में आईटीएटी का आदेश पारित	विवादित राशि	वह प्राधिकरण जहां अपील लंबित है
1	2009-10	1,000	213	118	669	04.02.2019 (सीआईटी-ए द्वारा)	550	06.5.2019 (03.9.2020)	29.01.21	671	माननीय उच्च न्यायालय मुंबई
2	2010-11	1,371	56	197	1,118	04.02.2019 (सीआईटी-ए द्वारा)	328	06.5.2019 (03.9.2020)	29.01.21	878	
3	2011-12	398	134	40	224	04.02.2019 (सीआईटी-ए द्वारा)	242	06.5.2019 (03.9.2020)	29.01.21	320	
4	2012-13	883	212	101	570	04.02.2019 (सीआईटी-ए द्वारा)	462	06.5.2019 (03.9.2020)	05.01.21	705	
5	2013-14	525	116	61	348	04.02.2019 (सीआईटी-ए द्वारा)	236	06.5.2019 (03.9.2020)	05.01.21	747	
6	2014-15	975	216	114	645	04.02.2019 (सीआईटी-ए द्वारा)	409	06.5.2019 (03.9.2020)	29.01.21	782	
7	2015-16	1,601	335	253	1,013	28.02.2019 (सीआईटी-ए द्वारा)	730	06.5.2019 (03.9.2020)	05.01.21	1,243	
31.03.2024 को		6,753	1,282	884	4,587		2,957			5,346	
31.03.2023 को		9,503	1,949	1,153	6,401		3,203			8,096	
01.04.2022 को		2,750	667	269	1,814		246			2,750	

सीआईटी (छूट), मुंबई ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 263 के तहत 18.03.2024 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत पारित निर्धारण आदेश के संशोधन के लिए एक आदेश पारित किया था। कंपनी ने सीआईटी (ई) के आदेश के खिलाफ माननीय आईटीएटी, मुंबई के समक्ष अपील दायर की है। वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, का पता केवल तभी लगाया जाएगा जब एओ सीआईटी (ई) द्वारा पारित संशोधन आदेश के अनुसरण में आदेश पारित करेगा।



वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

- ए) ठेकेदारों, कर्मचारियों और अन्य लोगों द्वारा मध्यस्थता/न्यायालय मामलों आदि के कारण किए गए दावों के संबंध में आकस्मिक देयता, जिन्हें कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, निम्नानुसार है : -

क्रमांक	विवरण	न्यायालय	31.03.24 तक	31.03.23 तक	01.04.22 तक	टिप्पणियाँ
1	ठेकेदारों द्वारा दावे	मध्यस्थता	-	₹ 27 लाख	₹ 2707 लाख	दिनांक 30.09.2022 के मध्यस्थता निर्णय के अनुसार दावे की राशि ₹ 27 लाख पर तय की गई है
2	नवीन दत्ता/एनडीएलएस	उच्च न्यायालय	-	-	-	5 लाख रुपये की राशि माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एमआरवीसी द्वारा जमा की गई। माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विवाद का निपटारा किए जाने के बाद राशि का निर्धारण किया जाएगा।

ii) प्रतिबद्धताएँ:

- ए) पूंजी खाते (रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार की ओर से एमयूटीपी कार्यों के लिए) पर निष्पादित किए जाने वाले संविदाओं की अनुमानित राशि और प्रावधान नहीं की गई संविदाओं (अग्रिमों को घटाकर) की राशि 2,37,854 लाख रु. (31-03-2024), 2,09,928 लाख रु. (31-03-2023) 2,43,633 लाख रु. (01-04-2022) है।
- बी) पूंजीगत खाते (अन्य कार्यों के लिए) पर निष्पादित किए जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित और प्रावधान नहीं की गई राशि (अग्रिमों को घटाकर) 22 लाख रु. (पिछले वर्ष 162 लाख रु.) है।
- सी) कंपनी द्वारा राजस्व खाते में निष्पादित किए जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, 650 लाख रुपये (पिछले वर्ष 990 लाख रुपये) है।

29 कंपनी को रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से निर्देश प्राप्त हुआ था कि रेल मंत्रालय/जीओएम/जोनल रेलवे द्वारा जारी की गई और कंपनी के पास परियोजनाओं के लिए शेष पड़ी निधियों पर अर्जित ब्याज को कंपनी की आय नहीं माना जाएगा बल्कि संबंधित परियोजनाओं में समायोजन किया जाएगा। दो चार्टर्ड एकाउंटेंट की राय पर भरोसा करते हुए कंपनी ने ऐसे ब्याज को कंपनी की आय के रूप में निर्धारित करने के लिए रेलवे बोर्ड के सामने प्रस्तुतिकरण दिया था। रेलवे बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक सूचना में कंपनी को 30.06.2022 तक ब्याज को कंपनी की आय के रूप में निर्धारित करने की अनुमति थी, जिसे रेलवे बोर्ड के दिनांक 20.04.2023 के पत्र के माध्यम से 31.03.2024 तक बढ़ा दिया गया है। तदनुसार कंपनी ने रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार से परियोजनाओं के लिए शेष निधियों पर ब्याज आय को आय और व्यय खाते में निर्धारित किया है।

30 कंपनी ने दिनांक 28.6.2001, 01.04.2004, 06.09.2004 और 10.07.2013 को पट्टा विलेख के तहत पश्चिम रेलवे से कार्यालय परिसर प्राप्त किया है, जिसमें पट्टे की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है। कंपनी के परियोजना कार्यालय के लिए सीएसएमटी में नए प्रशासनिक भवन में कार्यालय परिसर के मामले में, पट्टा अनुबंध की प्रक्रिया अभी भी चल रही है।

कंपनी ने रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा घरों के निर्माण के लिए रेलवे बोर्ड के सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार रेलवे द्वारा प्रदान की गई भूमि पर पट्टाधारित कार्टरों का निर्माण किया है। रेलवे और पीएसयू के बीच पट्टा अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार, पीएसयू को रेल मंत्रालय /जोनल रेलवे द्वारा प्रदान की गई रेलवे की जमीन पर अपने खर्चों पर घरों का निर्माण करना था। जमीन और उस पर संरचना का स्वामित्व रेलवे के पास बना रहेगा और रेलवे केवल 50% घरों का लाइसेंस रेल पीएसयू को देगा। पीएसयू किसी भी स्तर पर इन फ्लैटों या किसी भी सेवा को किसी अन्य व्यक्ति /प्राधिकरण को नहीं बेचेगा/सबलेट नहीं करेगा या हस्तांतरित नहीं करेगा। लाइसेंस प्राप्त फ्लैटों का रखरखाव संबंधित पीएसयू द्वारा किया जाएगा। संबंधित नागरिक प्राधिकरण को देय सभी करों का भुगतान भी पीएसयू द्वारा किया जाएगा। इन फ्लैटों को पीएसयू को फ्लैट सौंपे जाने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा दिया जाएगा या जब तक यह अस्तित्व में रहेगा या रेल मंत्रालय से जुड़ा रहेगा, जो भी तिथि पहले हो। इस अवधि के बाद पीएसयू को आवंटित फ्लैट को रेलवे द्वारा किसी भी मुआवजे/भुगतान के बिना अपने अधीन ले लिया जाएगा।

प्रतिनियुक्ति पर आए रेलवे अधिकारियों या संबंधित पीएसयू में आमेलन पर आए अधिकारियों को ही आवंटित किए जाएंगे। इन मकानों का आवंटन और प्रतिधारण रेलवे नियमों द्वारा शासित होगा।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 95/LML/18/68 दिनांक 19.05.98 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई है तथा उन्हें निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

यदि पीएसयू को पट्टे पर दिए गए कार्टर खाली रहते हैं, तो पीएसयू अधिशेष कार्टर को अन्य पीएसयू या जोनल रेलवे को अस्थायी समायोजन के रूप में विनिमय या आवंटित कर सकते हैं। मूल लाइसेंस प्राप्त कार्टर और ऐसे विनिमय किए गए कार्टर प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन पर आए रेलवे अधिकारियों के उपयोग के लिए होंगे। रखरखाव सहित कार्टरों के लिए सभी संबंधित जिम्मेदारियां पीएसयू के पास बनी रहेंगी, जिसे कार्टर मूल रूप से पट्टे पर दिए गए हैं। कार्टरों को आवंटित या विनिमय करते समय पीएसयू की तुलना में जोनल रेलवे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पीएसयू मौजूदा पट्टा दरों पर रेलवे को खाली कार्टर दे सकता है क्योंकि ये घर उनकी लागत से बनाए गए थे।

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

31 कंपनी ने प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत भारतीय रेलवे कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के योगदान के लिए अनुमानित आधार पर मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 93 लाख रु. (निवल) (पिछले वर्ष 140 लाख रु.) का टर्मिनल लाभ (एफएससी) के लिए सेवा योगदान प्रदान किया है।

32 भुगतान की देय तिथि/लेनदेन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया व्यापार देयताओं का विवरण:

विवरण	(₹ लाख में)										
	1 वर्ष से कम			1-2 वर्ष			2-3 वर्ष			3 वर्ष से अधिक	
	31.03.24	31.03.23	01.04.22	31.03.24	31.03.23	01.04.22	31.03.24	31.03.23	01.04.22	2022-23	
i) एम एस एम ई	83	22	18	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	2,016	6,198	4,271	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) विवाविद देय - एम एस एम ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

33 कर्मचारी लाभ योजनाएँ:

33.1 कंपनी के पास अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएँ हैं। भविष्य निधि, पेंशन योजना और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कंपनी का अंशदान निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार संबंधित सरकारी प्राधिकरणों को किया जाता है। उपरोक्त परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी के अंशदान को उस वर्ष के आय और व्यय विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है जिसमें वे देय हैं।

33.2 परिभाषित लाभ योजनाएं (ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण लाभ)-(गैर-वित्तपोषित):

(i) ग्रेच्युटी

कंपनी अपने योग्य कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी योजना प्रदान करती है जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार देय है। यह लाभ लगातार पाँच वर्ष की सेवा पूरी करने पर निहित होता है और एक बार निहित होने के बाद यह कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर देय होता है। सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में, निहित होने के बावजूद ग्रेच्युटी देय है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रति जोखिम

ये योजनाएं आम तौर पर कंपनी को बीमांकिक जोखिमों जैसे: निवेश जोखिम, तरलता जोखिम, बाजार जोखिम और विधायी जोखिम के प्रति उजागर करती हैं।

ए. बीमांकिक (एक्चुरियल) जोखिम

यह जोखिम है कि लाभ की लागत अपेक्षा से अधिक होगी। यह निम्न कारणों में से किसी एक के कारण उत्पन्न हो सकता है: प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभव: वेतन वृद्धि जो अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक है, वह अपेक्षा से अधिक दर पर दायित्व में वृद्धि का कारण बनेगी।

निकासी दरों में परिवर्तनशीलता: यदि वास्तविक निकासी दरें अनुमानित निकासी दर धारणा से अधिक हैं, तो ग्रेच्युटी लाभ का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि लाभ त्यागपत्र की तिथि पर निहित हैं या नहीं। मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता: यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर धारणा से अधिक है, तो ग्रेच्युटी लाभ का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। चूंकि मृत्यु लाभ पर निहित होने की कोई शर्त नहीं है, इसलिए नकदी प्रवाह में तेजी से अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर बीमांकिक हानि या लाभ होगा।

बी. तरलता जोखिम

उच्च वेतन और लंबी अवधि वाले कर्मचारी या पदानुक्रम में उच्चतर कर्मचारी, लाभ के महत्वपूर्ण स्तर को संचित करते हैं। यदि ऐसे कुछ कर्मचारी कंपनी से इस्तीफा देते हैं/सेवानिवृत्त होते हैं तो नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ सकता है।



वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

सी. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम उन जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो वित्तीय बाजारों के परिवर्तनों और उतार-चढ़ाव से संबंधित हैं। एक बीमांकिक धारणा जिसका काफी प्रभाव होता है वह है छूट दर। छूट दर पैसे के समय मूल्य को दर्शाती है। छूट दर में वृद्धि से योजना लाभों के परिभाषित लाभ दायित्व और इसके विपरीत में कमी आती है। यह धारणा कॉर्पोरेट/सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल पर निर्भर करती है और इसलिए देयता का मूल्यांकन मूल्यांकन तिथि पर प्रतिफल में उतार-चढ़ाव के संपर्क में आता है।

डी. विधायी जोखिम:

विधायी जोखिम कानून/विनियम में परिवर्तन के कारण योजना देयताओं में वृद्धि या योजना परिसंपत्तियों में कमी का जोखिम है। सरकार ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में संशोधन कर सकती है, जिससे कंपनियों को कर्मचारियों को अधिक लाभ देना होगा। यह परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को सीधे प्रभावित करेगा और इसे उस वर्ष में तुरंत निर्धारित करना होगा जब ऐसा कोई संशोधन प्रभावी हो।

(iii) छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण लाभ कंपनी की छुट्टी नीति द्वारा नियंत्रित होते हैं।

परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रति जोखिम

ये योजनाएं आम तौर पर कंपनी को बीमांकिक जोखिमों जैसे: निवेश जोखिम, तरलता जोखिम, बाजार जोखिम और विधायी जोखिम के प्रति उजागर करती हैं।

ए. बीमांकिक जोखिम

यह जोखिम है कि लाभ की लागत अपेक्षा से अधिक होगी। यह निम्न कारणों में से किसी एक के कारण उत्पन्न हो सकता है: प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभव: वेतन वृद्धि जो अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक है, वह अपेक्षा से अधिक दर पर दायित्व में वृद्धि का कारण बनेगी।

मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता: यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर धारणा से अधिक है, तो छुट्टी लाभ का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। नकदी प्रवाह में तेजी से अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर बीमांकिक हानि या लाभ होगा।

निकासी दरों में परिवर्तनशीलता: यदि वास्तविक निकासी दरें अनुमानित निकासी दर धारणा से अधिक हैं, तो छुट्टी लाभ का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। इसका प्रभाव अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के सापेक्ष मूल्यों पर निर्भर करेगा।

लाभ दरों में परिवर्तनशीलता : यदि वास्तविक लाभ दरें अनुमानित लाभ दर धारणा से अधिक हैं, तो छुट्टी शेष राशि का उपयोग अपेक्षा से पहले किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप छुट्टी शेष राशि और दायित्व में कमी आएगी।

बी. तरलता जोखिम

उच्च वेतन और लंबी अवधि वाले कर्मचारी या पदानुक्रम में उच्चतर कर्मचारी, लाभ के महत्वपूर्ण स्तर को संचित करते हैं। यदि ऐसे कुछ कर्मचारी कंपनी से इस्तीफा देते हैं/सेवानिवृत्त होते हैं तो नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ सकता है।

सी. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम उन जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो वित्तीय बाजारों के परिवर्तनों और उतार-चढ़ाव से संबंधित हैं। एक बीमांकिक धारणा जिसका काफी प्रभाव होता है वह है छूट दर। छूट दर पैसे के समय मूल्य को दर्शाती है। छूट दर में वृद्धि से योजना लाभों के परिभाषित लाभ दायित्व और इसके विपरीत में कमी आती है। यह धारणा कॉर्पोरेट/सरकारी बांडों पर प्राप्ति पर निर्भर करती है, और इसलिए देयता का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि पर प्राप्ति में उतार-चढ़ाव के अधीन होता है।

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

कंपनी ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए एमआरवीसी के कर्मचारियों के लिए पिछले वर्षों के बीमांकिक मूल्यांकन प्रवृत्ति के आधार पर अनुमानित मूल्य पर ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण लाभ का प्रावधान किया है।

I. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान निर्धारित व्यय:

(₹ लाख में)

विवरण	आमेलित कर्मचारी		अनुबंध कर्मचारी		परियोजना इंजीनियर	कुल	
	ग्रेच्युटी लाभ	छुट्टी लाभ	ग्रेच्युटी लाभ	छुट्टी लाभ	ग्रेच्युटी लाभ	ग्रेच्युटी लाभ	छुट्टी लाभ
1. वर्तमान सेवा लागत	12	7	8	0	15	35	7
2. ब्याज लागत	4	8	10	1	4	17	9
3. अनुभव समायोजन के कारण बीमांकिक हानि/(लाभ)	(12)	14	(3)	1	53	38	14
4. वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि/(लाभ)	0	0	4	0	6	10	0
कुल	4	29	19	2	77	100	31
गत वर्ष	16	42	12	1	(19)	8	44

II. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान तुलन पत्र में निर्धारित शुद्ध परिसंपत्ति/(देयता) का समाधान:

(₹ लाख में)

विवरण	आमेलित कर्मचारी		अनुबंध कर्मचारी		परियोजना इंजीनियर	कुल	
	ग्रेच्युटी लाभ	छुट्टी लाभ	ग्रेच्युटी लाभ	छुट्टी लाभ	ग्रेच्युटी लाभ	ग्रेच्युटी लाभ	छुट्टी लाभ
1. वर्ष की शुरुआत में शुद्ध परिसंपत्ति/(देयता)	(51)	(110)	(132)	(13)	(50)	(232)	(123)
2. उपरोक्त के अनुसार व्यय	(4)	(29)	(19)	(1)	(77)	(100)	(30)
3. वर्ष के दौरान नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान/लाभ	10	38	-	-	31	41	38
4. गत वर्ष की ग्रेच्युटी को चालू वर्ष में पूर्व अवधि समायोजन के अनुसार निर्धारित किया जाएगा	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शुद्ध परिसंपत्ति/(देयता)	(45)	(101)	(150)	(14)	(96)	(292)	(116)
पिछले वर्ष के अंत में शुद्ध परिसंपत्ति/(देयता)	(51)	(110)	(132)	(13)	(50)	(232)	(123)

III. 31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र में निर्धारित शुद्ध परिसंपत्ति/(देयता) :

(₹ लाख में)

विवरण	आमेलित कर्मचारी		अनुबंध कर्मचारी		परियोजना इंजीनियर	कुल	
	ग्रेच्युटी लाभ	छुट्टी लाभ	ग्रेच्युटी लाभ	छुट्टी लाभ	ग्रेच्युटी लाभ	ग्रेच्युटी लाभ	छुट्टी लाभ
1. परिभाषित लाभ दायित्व का मौजूदा मूल्य	(45)	(101)	(150)	(14)	(96)	(292)	(116)
गत वर्ष	(51)	(110)	(132)	(13)	(50)	(232)	(123)
2. शुद्ध मौजूदा परिसंपत्ति/(मौजूदा देयता)	(4)	(49)	(9)	(0)	(1)	(14)	(49)
गत वर्ष	(20)	(37)	(2)	(0)	(0)	(22)	(37)
3. शुद्ध गैर मौजूदा परिसंपत्ति/(गैर-मौजूदा देयता)	(41)	(52)	(141)	(15)	(95)	(277)	(68)
गत वर्ष	(31)	(73)	(130)	(13)	(49)	(210)	(86)
कुल शुद्ध परिसंपत्ति/(देयता)	(45)	(101)	(150)	(15)	(96)	(292)	(117)
कुल गत वर्ष	(51)	(110)	(132)	(13)	(50)	(232)	(123)



वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

IV. 31 मार्च, 2024 को बीमांकिक अनुमान :

विवरण	आमेलित कर्मचारी		अनुबंध कर्मचारी		परियोजना इंजीनियर
	ग्रेच्युटी लाभ	छुट्टी लाभ	ग्रेच्युटी लाभ	छुट्टी लाभ	ग्रेच्युटी लाभ
1. छूट दर	7.25%	7.25%	6.75%	7.25%	7.25%
गत वर्ष	7.30%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
2. वेतन वृद्धि दर	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
गत वर्ष	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
3. निकासी दर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
गत वर्ष	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
4. सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
गत वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
5. अवकाश प्राप्ति दर	- 0% प्रति वर्ष	- 0% प्रति वर्ष	- 0% प्रति वर्ष	- 0% प्रति वर्ष	-
गत वर्ष	- 0% प्रति वर्ष	- 0% प्रति वर्ष	- 0% प्रति वर्ष	- 0% प्रति वर्ष	-
6. मृत्यु	भारतीय बीमित जीवन अंतिम मृत्यु दर (2012-14) (आईएएलएम 2012-14)				

V. प्रमुख धारणाओं के प्रति संवेदनशीलता

विवरण	आमेलित कर्मचारी		अनुबंध कर्मचारी		परियोजना इंजीनियर		आमेलित कर्मचारी		अनुबंध कर्मचारी	
	ग्रेच्युटी		ग्रेच्युटी		ग्रेच्युटी		छुट्टी नकदीकरण		छुट्टी नकदीकरण	
	31-मार्च-24	31-मार्च-23	31-मार्च-24	31-मार्च-23	31-मार्च-24	31-मार्च-23	31-मार्च-24	31-मार्च-23	31-मार्च-24	31-मार्च-23
	डीबीओ (रु. लाख में)	डीबीओ में परिवर्तन (%)	डीबीओ (रु. लाख में)	डीबीओ में परिवर्तन (%)	डीबीओ (रु. लाख में)	डीबीओ में परिवर्तन (%)	डीबीओ (रु. लाख में)	डीबीओ में परिवर्तन (%)	डीबीओ (रु. लाख में)	डीबीओ में परिवर्तन (%)
छूट दर 0.5% तक भिन्न होती है	44	-1.50%	142	-5.60%	85	-1.50%	100	-1.15%	15	-3.03%
	46	1.60%	160	6.10%	108	1.60%	103	1.17%	16	3.15%
वेतन वृद्धि 0.5% तक भिन्न होती है	46	1.50%	160	6.00%	108	1.50%	102	1.07%	16	3.11%
		-1.50%	142	-5.60%	85	-1.50%	100	-1.05%	15	-3.03%

नोट

- ए) अनुमानित भावी वेतन वृद्धि में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों, जैसे रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग को ध्यान में रखा जाता है।
- बी) कंपनी ने इंड-एएस 19 के अनुसार अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है।

34 संबंधित पार्टी प्रकटन

ए) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

क्रमांक	संबंधित पार्टी का नाम	पदनाम	संबंध
1	सुभाष चंद गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
2	रवि अग्रवाल	निदेशक तकनीकी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
3	राजीव श्रीवास्तव	निदेशक परियोजना	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
4	स्मृति वर्मा	निदेशक वित्त	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
5	स्मृति वर्मा	कार्यकारी निदेशक (वित्त)	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
6	अनीता सरमाह	एफए एंड सीएओ	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
7	संगीता वर्मा	कंपनी सचिव	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन-देन का विवरण निम्नानुसार है:

केएमपी को दिया जाने वाला पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
निदेशक	206	187	180
कंपनी सचिव	31	27	24
ईडी (वित्त)	57	58	53
एफए एंडसीएओ	-	8	40
निदेशक की बैठक फीस	3	3	1
कुल	298	282	299

बी) संबंधित पार्टी

(₹ लाख में)

क्रमांक	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध	प्रकृति	31-03-2024			31-03-2023			01-04-2022		
				भुगतान	व्यय	शेष	भुगतान	व्यय	शेष	भुगतान	व्यय	शेष
1	एफए एंड सीएओ - सीआर	रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित	एमयूटीपी कार्य / अग्रिम	11,857	11,846	10	12,962	13,057	(96)	18,245	18,593	(348)
2	वरिष्ठ डी.एफ.एम. - सी.आर.	यूनिट (भारत के राष्ट्रपति	एमयूटीपी कार्य / अग्रिम	11,392	11,681	(290)	5,173	5,013	160	2,039	2,056	(17)
3	डब्ल्यू ए ओ सी.आर एल वाई.एमटीएन	के माध्यम से रेल मंत्रालय के पास 51% इकिटी है)	एमयूटीपी कार्य / अग्रिम	-	-	-	1,519	1,519	-	-	-	-
4	एफएसीएओ - डब्ल्यूआर		एमयूटीपी कार्य / अग्रिम	14,132	12,096	2,036	15,958	14,169	1,789	7,060	8,311	(1,251)
5	वरिष्ठ डी.एफ.एम. - डब्ल्यूआर.		एमयूटीपी कार्य / अग्रिम	830	1,559	(729)	361	796	(434)	491	602	(111)
7	रेल मंत्रालय (मध्य रेलवे)		फंड / उपयोग	1,10,196	81,329	28,867	1,07,329	69,296	38,032	16,857	30,903	
6	एमएमआरडीए और सिडको	महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियंत्रित यूनिट। (महाराष्ट्र के राज्यपाल के माध्यम से जीओएम के पास 49% इकिटी है)	फंड / उपयोग	73,314	96,211	(22,897)	79,038	88,567	(9,529)	11,164	33,804	
कुल				2,21,720	2,14,723	6,997	2,22,340	1,92,417	29,922	55,856	94,270	(1,727)

35 मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, एकीकृत कोच फैक्ट्री और मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा किए गए व्यय का लेखा-जोखा उनसे प्राप्त लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित विवरणों के आधार पर किया गया है और परिणामस्वरूप लेखापरीक्षित, संशोधित व्यय विवरण प्राप्त होने पर शेष राशि में परिवर्तन हो सकता है। उक्त व्यय के आधार पर दिशा और सामान्य प्रभार (डीएंडजी) की गणना और लेखा-जोखा किया जाता है।

36 कंपनी ने एमआरवीसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही अतिरिक्त लाइनों आदि की परियोजनाओं पर क्षेत्रीय रेलवे द्वारा किए गए/किए जाने वाले स्थापना और प्रशासनिक लागत के भुगतान/प्रावधानों के लिए 11,890 लाख रुपये की डीएंडजी आय में से 350 लाख रुपये की कटौती की है। क्षेत्रीय रेलवे को देय ऐसी राशि रेलवे बोर्ड के दिनांक 27.12.2013 और 04.03.2014 के पत्रों के अनुसार अतिरिक्त लाइनों आदि पर किए गए परियोजना व्यय के कुल डीएंडजी 8.50% में से 0.25% की दर से प्रदान की जानी है।

37 विदेशी मुद्रा लेनदेन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
i. तकनीकी सहायता के लिए शुल्क	-	130



वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

38 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमडी) के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित कुछ प्रकटन किए जाने आवश्यक हैं। एमएसएमडी को देय बकाया राशि का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
लेखा वर्ष के अंत तक किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त मूल राशि	83	22
लेखा वर्ष के अंत तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदत्त ब्याज पर देय राशि	-	-
एमएसएमडी की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	-	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन एमएसएमडी के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अदत्त शेष ब्याज की राशि	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, उस तिथि तक, जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है, बकाया और आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि	-	-

39 सीएसआर गतिविधियाँ

- ए) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली कुल राशि 79 लाख रु. (पिछले वर्ष 43 लाख रु.) है।
- बी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि 79 लाख रुपये है, हालांकि निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर के रूप में खर्च करने के लिए 79 लाख रुपये (पिछले वर्ष 43 लाख रुपये) की राशि को मंजूरी दी है।
- सी) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:

(₹ लाख में)

सीएसआर गतिविधियाँ	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि
i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	शून्य
ii) भुखमरी, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना तथा पीएम केयर्स में योगदान देना	₹ 79 (पिछले वर्ष ₹ 43)
अव्ययित राशि का विवरण:	
i) वर्ष के दौरान कम पड़ी राशि	शून्य
ii) गत वर्ष कम पड़ी राशि	शून्य
iii) कमी का कारण	एनए
iv) सीएसआर गतिविधि की प्रकृति	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना तथा पीएम केयर्स में योगदान देना
v) मौजूदा परियोजनाओं की कम पड़ी राशि को निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित किया जाना	एनए
vi) मौजूदा परियोजनाओं के अलावा अन्य की कम राशि को निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित किया जाना	एनए
vii) संबंधित पार्टी लेन-देन का विवरण, जैसे प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	एनए
viii) जहां संविदागत दायित्व के कारण उत्पन्न देयता के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वहां वर्ष के दौरान प्रावधान में होने वाले परिवर्तनों को अलग से दर्शाया जाएगा	एनए

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

40 वर्ष के दौरान कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किया गया है। लागू इंड-एएस के अनुसार मान्यता के लिए प्रकटन लागू नहीं है।

41 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रति शेयर आय की गणना के संबंध में निम्नलिखित प्रकटन हैं :

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
अंश :		
कर एवं पूर्व अवधि मदों के पश्चात व्यय पर आय का आधिक्य (₹ लाख में)	13,371	8,627
हर :		
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (संख्या में)	2,50,000	2,50,000
ईपीएस (बेसिक और डाइल्यूटेड) (₹ में)	5,348	3,451

42 खंड रिपोर्टिंग

कंपनी के पास रेल अवसंरचना परियोजनाओं और संबद्ध सेवाओं के लिए योजनाएं विकसित करना और उन्हें लागू करना नामक एक खंड है। हालाँकि, इसका संचालन वर्तमान में भारत तक ही सीमित है और कोई रिपोर्ट करने योग्य द्वितीयक खंड नहीं है। इस प्रकार, इस मानक से संबंधित प्रकटन आवश्यकताएँ लागू नहीं होती हैं।

43 महाराष्ट्र सरकार से 31 मार्च 2024 को बकाया राशि की जानकारी निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

परियोजना / कार्य	व्यय का हिस्सा (50%)*	वास्तविक प्राप्त राशि	कम / (अतिरिक्त) प्राप्त
1	2	3	4 = (2-3)
एमयूटीपी II	3,55,528	3,56,490	(962)
एमयूटीपी III	1,89,229	1,17,701	71,528
एमयूटीपी III ए	40,603	10,000	30,603
हार्बर लाइन पर 12 कोच का संचालन	38,665	32,441	6,224
कुल	6,24,024	5,16,632	1,07,392

44 31 मार्च 2024 तक परियोजनावार व्यय और शेष व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

परियोजना / कार्य	स्वीकृत / अनुमानित लागत	31.03.2024 तक व्यय	31.03.2024 तक शेष व्यय
1	2	3	4 = (2-3)
मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4,82,423	-	-
मध्य रेलवे	2,08,452	-	-
पश्चिमी रेलवे	1,17,836	-	-
एमयूटीपी-II	8,08,711	7,11,055	97,656
एमयूटीपी-III	10,94,700	3,29,359	7,65,341
नया उपनगरीय गलियारा पनवेल-कर्जत (डबल लाइन) *	-	1,58,383	1,10,374
नया उपनगरीय गलियारा पनवेल-कर्जत (डबल लाइन) के अलावा	-	1,70,976	6,54,966
एमयूटीपी-III ए	33,69,000	81,206	32,87,794
हार्बर लाइन पर 12 कोच का परिचालन **	78,955	77,330	1,625

*नए उपनगरीय कॉरिडोर पनवेल-कर्जत (डबल लाइन) के कार्य में जीओएम और रेल मंत्रालय के बीच व्यय हिस्सेदारी का अनुपात 65.50:34.50 है।

**हार्बर लाइन पर 12 कार ईएमयू रेल चलाने की संभावित लागत 78,955 लाख रुपये आंकी गई है। इसका प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार को उनकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है।



वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

45 31 मार्च 2024 तक महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) और रेल मंत्रालय (एमओआर) से प्राप्त निधि और परियोजनावार व्यय का विवरण इस प्रकार है:

परियोजना / कार्य	स्वीकृत लागत	31-03-2024 तक व्यय	(₹ लाख में)	
			एमओआर से प्राप्त धनराशि	जीओएम से प्राप्त धनराशि
एमयूटीपी-चरण-2	8,08,711	7,11,055	#3,88,049	#3,56,490
एमयूटीपी-चरण-3	10,94,700	3,29,359	2,07,987	1,17,701
एमयूटीपी-चरण-3 ए	33,69,000	81,206	69,129	10,000
हार्बर लाइन पर 12 कोच का परिचालन *	78,955	77,330	38,325	32,441
कुल	53,51,366	11,98,950	7,03,490	5,16,632

* हार्बर लाइन पर 12 कोच ईएमयू चलाने के लिए संशोधित अनुमानित लागत की मंजूरी अभी तक जीओएम से प्राप्त नहीं हुई है।

इसमें एमयूटीपी-चरण-1 के वित्तीय समापन के बाद एमयूटीपी-चरण-2 में जोनल रेलवे आदि से विविध क्रेडिट की प्राप्ति के कारण वर्ष के दौरान एमयूटीपी-चरण-2 में हस्तांतरित और समायोजित की गई एमयूटीपी-चरण-1 की निधियां शामिल हैं।

46 क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है, इसलिए इस संबंध में कोई प्रकटन आवश्यक नहीं है।

47 भारतीय लेखा मानक (इंड-एस) - 101 को पहली बार अपनाना

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2022 (संक्रमण तिथि) को भारतीय लेखा मानक के अनुसार प्रारंभिक तुलन पत्र तैयार किया है, जिसमें भारतीय लेखा मानक के तहत आवश्यक सभी परिसंपत्तियों और देयताओं का निर्धारण किया गया है, भारतीय लेखा मानक के तहत आवश्यक पिछले जीएएपी से भारतीय लेखा मानक में मर्दों को पुनर्वर्गीकृत किया गया है, और निर्धारित परिसंपत्तियों और देयताओं के मापन में भारतीय लेखा मानक को लागू किया गया है। हालाँकि, यह सिद्धांत भारतीय लेखा मानक 101 के तहत कुछ अनिवार्य अपवादों और भारतीय लेखा मानक 101 के तहत कंपनी द्वारा प्राप्त कुछ वैकल्पिक छूटों के अधीन है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

1. वैकल्पिक छूट

संपत्ति और संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुमानित लागत।

भारतीय लेखा मानक 101 पहली बार अपनाने वाले को भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में निर्धारित अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए रखाव मूल्य जारी रखने का विकल्प चुनने देता है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा जाता है और डी-कमीशनिंग देयताओं के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद संक्रमण की तिथि पर इसे अपनी अनुमानित लागत के रूप में उपयोग करता है। इस छूट का उपयोग भारतीय लेखा मानक 38 अमूर्त संपत्तियों द्वारा कवर की गई अमूर्त संपत्तियों के लिए भी किया जा सकता है।

तदनुसार, कंपनी ने अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके पिछले जीएएपी रखाव मूल्य पर मापने का विकल्प चुना है।

2. अन्य भारतीय लेखा मानक के पूर्वव्यापी अमल के लिए अनिवार्य अपवाद

(ए) अनुमान

भारतीय लेखा मानक (इंड एस) में परिवर्तन की तिथि पर भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के अनुसार यूनिट के अनुमान, उसी तिथि के लिए पूर्व जीएएपी (लेखा नीतियों में किसी अंतर को दर्शाने के लिए समायोजन के बाद) के अनुसार किए गए अनुमानों के अनुरूप होंगे, जब तक कि इस बात का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य न हो कि वे अनुमान त्रुटिपूर्ण थे।

कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

(बी) इंड एस 109 - वित्तीय लिखते (इंस्ट्रुमेंट्स) (पूर्व में निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियों/वित्तीय देयताओं को विनिर्धारित करना)

कोई भी यूनिट भारतीय लेखा मानक 109 में विनिर्धारण की अपेक्षाओं को भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि को या उसके बाद होने वाले लेन-देनों के लिए लागू करेगी।

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

कंपनी ने पहले से निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियों/वित्तीय देयताओं को विनिर्धारित नहीं किया है और जब भी आवश्यक होगा, वह विनिर्धारित करने की आवश्यकताओं को भावी रूप से लागू करेगी।

(सी) इंड एस 109 “वित्तीय लिखते (इंस्ट्रुमेंट्स)” (वित्तीय परिसंपत्तियों / वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और माप)

वित्तीय दस्तावेजों का वर्गीकरण और मापन भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि पर विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। कंपनी ने वित्तीय दस्तावेजों के वर्गीकरण और मापन के उद्देश्य से भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि पर विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन किया है और तदनुसार परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय दस्तावेजों को वर्गीकृत किया है और मापा है।

(डी) भारतीय लेखा मानक 109 “वित्तीय लिखते (इंस्ट्रुमेंट्स)” (वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि):

भारतीय लेखा मानक 109 के अंतर्गत क्षति आवश्यकताओं को, बिना किसी अनावश्यक लागत या प्रयास के, संक्रमण तिथि पर उपलब्ध उचित और समर्थनीय सूचना के आधार पर पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

कंपनी ने वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्ति की किसी भी हानि का निर्धारण नहीं किया है।

(ई) रोजगार के बाद के लाभ दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन

भारतीय लेखा मानक के तहत, पुनर्मापन यानी बीमांकिक लाभ और हानि तथा योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध व्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर, लाभ या हानि के बजाय अन्य व्यापक आय में निर्धारित है। पिछले जीएएपी के तहत, ये पुनर्मापन वर्ष के लाभ या हानि का हिस्सा बन रहे थे।

(एफ) प्रतिधारित आय

1 अप्रैल, 2022 तक प्रतिधारित आय को उपरोक्त भारतीय लेखा मानक संक्रमण समायोजन के परिणामस्वरूप समायोजित किया गया है।

(जी) अन्य समग्र आय

भारतीय लेखा मानक के तहत, किसी अवधि में निर्धारित आय और व्यय की सभी मदों को उस अवधि के लिए आय या व्यय में शामिल किया जाना चाहिए, जब तक कि कोई मानक अन्यथा अपेक्षित हो या अनुमति न दे। आय और व्यय की वे मदें जिन्हें आय या व्यय में निर्धारित नहीं किया है, लेकिन अन्य व्यापक आय के विवरण में दर्शाई गई हैं, उनमें परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन शामिल है। पिछले जीएएपी के तहत अन्य समग्र आय की अवधारणा मौजूद नहीं थी।

01.04.2022 को इक्विटी का मिलान

(₹ लाख में)

विवरण	नोट	भारतीय जी.ए.ए.पी के अनुसार राशि	भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन के प्रभाव	भारतीय लेखा मानक के अनुसार राशि
संपत्तियां				
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां				
i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		3,858	5	3,864
ii) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार		-	-	-
iii) जारी पूंजीगत कार्य		28	-	28
iv) अमूर्त संपत्ति		58	1	59
v) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		-	-	-
vi) वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-	-
ए. निवेश		-	-	-
बी. ऋण		-	2	2
सी. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - प्रतिभूति जमा		-	6	6
vii) अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां		6	-6	-
		3,951	8	3,959



वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)				
विवरण	नोट	भारतीय जी.ए.ए.पी के अनुसार राशि	भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन के प्रभाव	भारतीय लेखा मानक के अनुसार राशि
वर्तमान परिसंपत्तियां		-	-	-
i) इन्वेंटरी		-	-	-
ii) वित्तीय परिसंपत्तियां				
क. व्यापार प्राप्य		-	-	-
ख. नकद और नकद समतुल्य		17,338	-13,970	3,368
ग. अन्य बैंक शेष		-	13,970	13,970
घ. ऋण		10,361	-10,357	4
ई. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		-	1,427	1,427
iii) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां		2,745	8,928	11,673
		30,445	(2)	30,443
कुल परिसंपत्तियां		34,395	6	34,401
इक्विटी और देनदारियां				
इक्विटी				
i) इक्विटी शेयर पूंजी		2,500	-	2,500
ii) अन्य इक्विटी		21,020	5	21,024
		23,520	5	23,524
देयताएं				
ए) गैर-वर्तमान देनदारियां				
i) वित्तीय देयताएं				
ए. उधार				-
बी. पट्टा देयताएं				-
सी. प्रावधान		300	-0	299
डी. अन्य वित्तीय देयताएं		-	364	364
ii) अन्य गैर-मौजूदा देयताएं		607	-364	243
iii) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)		-	-	-
		906	(0)	906
बी) वर्तमान देनदारियां				
i) वित्तीय देयताएं				
ए. उधार		-	-	-
बी. पट्टा देयताएं		-	-	-
सी. व्यापार देय		-	-	-
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के कारण		18	-	18
अन्य के कारण		4,270	1	4,271
डी. अन्य वित्तीय देयताएं		-	5,207	5,207
ii) प्रावधान		45	-0	45
iii) अन्य मौजूदा देयताएं		5,637	-5,207	430
iv) मौजूदा कर देयताएं (शुद्ध)		-	-	-
		9,970	1	9,971
कुल इक्विटी और देनदारियां		34,395	6	34,401

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

31.03.2023 को इक्विटी का मिलान

(₹ लाख में)

विवरण	नोट	भारतीय जी.ए.पी के अनुसार राशि	भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन के प्रभाव	भारतीय लेखा मानक के अनुसार राशि
परिसंपत्तियां				
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां				
i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		3,639	6	3,645
ii) जारी पूंजीगत कार्य		29	-29	-
iii) अमूर्त परिसंपत्तियां		52	1	53
iv) वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-	-
ए. निवेश		2,438	-	2,438
बी. ऋण		-	1	1
सी. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - प्रतिभूति जमा		-	6	6
v) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		6	-6	-
		6,163	-22	6,142
वर्तमान परिसंपत्तियां				
i) इन्वेंटरी				-
ii) वित्तीय परिसंपत्तियां				-
ए. व्यापार प्राप्त्य				-
बी. नकद और नकद समतुल्य		52,271	(49,209)	3,062
सी. अन्य बैंक शेष		-	49,873	49,873
डी. ऋण		9,551	(9,548)	4
ई. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		-	2,274	2,274
iii) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		3,592	7,236	10,829
		65,415	627	66,042
कुल परिसंपत्तियां		71,578	605	72,183
इक्विटी और देनदारियां				
इक्विटी				
i) इक्विटी शेयर पूंजी		2,500	-	2,500
ii) अन्य इक्विटी		29,674	(70)	29,604
		32,174	(70)	32,104
देनदारियां				
ए) गैर-वर्तमान देयताएं				
i) वित्तीय देयताएं				
ए. उधार				-
बी. पट्टा देयताएं				-
सी. प्रावधान		296	0	296
डी. अन्य वित्तीय देयताएं		-	367	367
ii) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं		25,186	319	25,506
		25,483	686	26,168
बी) वर्तमान देयताएं				
i) वित्तीय देयताएं				
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कारण		22	-	22
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा		6,198	-	6,198
बी. अन्य वित्तीय देयताएं		-	6,942	6,942
ii) प्रावधान		60	(9)	51
iii) अन्य मौजूदा देयताएं		7,642	(6,943)	698
		13,922	(11)	13,911
कुल शेयर और देयताएं		71,578	605	72,183



वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

31 मार्च 2023 की अवधि के लिए कुल समग्र आय का मिलान

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	भारतीय जी.ए.ए.पी के अनुसार राशि	भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन के प्रभाव	भारतीय लेखा मानक के अनुसार राशि
I	जारी परिचालन				
	परिचालन से राजस्व	16	10,919	(49)	10,870
II	अन्य आय	17	2,274	(36)	2,238
	(i) बैंकों में जमा राशि पर ब्याज		-	-	-
	(ii) बहुउद्देशीय अग्रिमों पर ब्याज		-	-	-
III	कुल आय (I+II)		13,193	(85)	13,108
	व्यय				
	कर्मचारी लाभ व्यय	18	3,186	31	3,216
	अवमूल्यन और परिशोधन	10 और 11	274	(0)	274
	अन्य व्यय	19	991	-	991
IV	कुल व्यय (IV)		4,451	30	4,481
V	असाधारण मदों और कर पूर्व अधिशेष (III- IV)		8,743	(115)	8,627
	प्रतिधारित आय के अंतर्गत पूर्व अवधि हस्तांतरित वर्ष के लिए व्यय पर आय का अधिशेष (V-VI)	22	1	(1)	-
			8,741	(114)	8,627
VI	असाधारण मदें		-	-	-
VII	कर पूर्व अधिशेष (V-VI)		8,741	(114)	8,627
VIII	कर व्यय:		-	-	-
	(i) मौजूदा कर:		-	-	-
	(ii) आस्थगित कर		-	-	-
IX	सतत परिचालन से अवधि के लिए अधिशेष (VII-VIII)		8,741	(114)	8,627
X	अन्य समग्र आय				
	ए. वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
	ए (i) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		-	39	39
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-	-
XI	कुल अन्य समग्र आय/(घाटा)		-	39	39
	अवधि के लिए कुल समग्र आय (अवधि के लिए अधिशेष (घाटा) और अन्य समग्र आय सहित) (X+XI)		8,741	(75)	8,667
XII	प्रति शेयर आय (ईपीएस):				
	(1) बेसिक (रुपये में ईपीएस)		3,451	-	3,451
	(2) डाइल्यूटेड (रुपये में ईपीएस)		3,451	-	3,451

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

48 इक्विटी मिलान

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2023	01-04-2022
1	पिछले जीएएपी के अंतर्गत कुल इक्विटी (शेयरधारक निधि)	32,174	23,520
	भारतीय लेखा मानक समायोजन		
	जोड़ें/(घटाएं): अग्रेनीत	5	-
	जोड़ें/(घटाएं): बहुउद्देशीय अग्रिम पर शुद्ध ब्याज	0	-
	परिशोधित लागत के अनुसार बहुउद्देशीय ऋण अग्रिम का निर्धारण	0	(0)
	जोड़ें/(घटाएं): कर्मचारियों को दिए गए बहुउद्देशीय अग्रिम पर अर्जित ब्याज	(0)	(0)
	जोड़ें/(घटाएं): परिशोधित लागत पर वर्ष के दौरान कर्मचारियों को दिए गए बहुउद्देशीय अग्रिम के लेखांकन पर कर्मचारी लाभ लागत	(0)	-
	जोड़ें/(घटाएं): ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण प्रावधान समायोजन	(0)	0
	जोड़ें/(घटाएं): वित्त वर्ष 22-23 और उससे पहले के वर्षों से संबंधित पूर्व अवधि मद समायोजन	2	5
	जोड़ें/(घटाएं): वित्त वर्ष 23-24 से संबंधित पूर्व अवधि मद समायोजन	(76)	-
	कुल	(70)	5
2	भारतीय लेखा मानक के अनुसार कुल इक्विटी	32,104	23,524

पहली बार भारतीय लेखा मानक को अपनाना

मिलान के लिए नोट

(1) अन्य समग्र आय में निर्धारित ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण का पुनर्मूल्यांकन

भारतीय लेखा मानक के तहत, बीमांकिक लाभ और हानि शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति के पुनर्मापन का हिस्सा बनते हैं और उन्हें अन्य समग्र आय में निर्धारित किया जाता है। पिछले जीएएपी के तहत, बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में निर्धारित किया गया था।

(2) कर्मचारियों को बहुउद्देशीय अग्रिम

पिछले जीएएपी के तहत, कंपनी कर्मचारियों को बिना छूट वाले मूल्य पर बहुउद्देशीय अग्रिम प्रदान करती थी। इसके विपरीत, भारतीय लेखा मानक के अनुसार अग्रिम को परिशोधित लागत पर दर्ज किया जाना चाहिए। परिणामी अंतर को प्रतिधारित आय के सामने समायोजित किया गया है।

(3) पूर्व अवधि मदें

पिछले जीएएपी के तहत, पिछली अवधि की मदों को उस वर्ष के वित्तीय आंकड़ों में दर्शाया जाता था जिसमें उन्हें खोजा गया था। इंड एस के तहत, उन्हें पिछले वर्ष के आंकड़ों के वित्तीय आंकड़ों में पूर्वव्यापी रूप से फिर से बताया जाना चाहिए।

49 अन्य विनियामक जानकारी

(ए) पट्टाधारित परिसर के लिए शीर्षक विलेख और अतिरिक्त प्रकटन

कंपनी ने निर्मल पार्क, भायकुला, पाली हिल-बांद्रा, मुंबई और इरीसेन-पुणे में आवासीय कार्टरों का निर्माण किया है। रेलवे के साथ समझौते के अनुसार, उक्त कार्टरों का निर्माण कंपनी द्वारा रेलवे से प्रदान की गई भूमि पर किया जाना था और पूरी परियोजना लागत भी कंपनी द्वारा वहन की जानी थी। इस प्रकार निर्मित कार्टरों का 50% कंपनी को 30 वर्ष की अवधि के लिए ₹ 1,000 प्रति वर्ष प्रति फ्लैट के पट्टा किराये पर पट्टे पर दिया जाना था। तदनुसार निर्मल पार्क, पाली हिल और इरीसेन, पुणे में आवासीय कार्टरों के निर्माण की लागत पट्टाधारित परिसर के तहत मूर्त संपत्ति में शामिल है और पट्टा अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है। इरीसेन में पट्टाधारित परिसर का निर्माण वर्ष के दौरान पूरा हो गया है। भूमि और उस पर संरचना का स्वामित्व लाइसेंसकर्ता (यानी भारतीय रेलवे) के पास बना रहेगा। कंपनी ने इरकॉन से 150 लाख रु. की कीमत का एक फ्लैट लिया है, जिसे ₹ 1000 प्रति वर्ष प्रति फ्लैट के किराए पर 22 वर्षों के लिए पट्टाधारित संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया है। पट्टाधारित परिसर के मामले में निगम के पास अपने नाम पर संपत्ति नहीं है, इसलिए कंपनी के नाम पर टाइटिल डीड (शीर्षक विलेख) लागू नहीं होता है।

(बी) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन

कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।



वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

(सी) ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम राशि प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को दी जाती है
कंपनी ने प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है

(डी) जारी पूंजीगत कार्य (सी.डब्ल्यू.आई.पी) :

31 मार्च 2024 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				(₹ लाख में)
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	>3 वर्ष से अधिक	कुल
निर्मल पार्क में 48 यूनिट टाइप फ्लैट्स (1 ब्लॉक स्टिल्ट + 24 मंजिल) का निर्माण	-		-	-	-

31 मार्च 2023 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				(₹ लाख में)
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	>3 वर्ष से अधिक	कुल
निर्मल पार्क में 48 यूनिट टाइप फ्लैट्स (1 ब्लॉक स्टिल्ट + 24 मंजिल) का निर्माण	1		-	28	29

31 मार्च 2022 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				(₹ लाख में)
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	>3 वर्ष से अधिक	कुल
निर्मल पार्क में 48 यूनिट टाइप फ्लैट्स (1 ब्लॉक स्टिल्ट + 24 मंजिल) का निर्माण	1		-	28	28

नोट:

विवरण	स्थिति
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	कोई नहीं
परियोजनाओं का विलंबित समापन	कोई नहीं
ऐसी परियोजनाएँ जिनकी लागत मूल लागत से अधिक हो गई है	कोई नहीं

(ई) धारित बेनामी संपत्ति का ब्यौरा :

कंपनी के पास बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत परिभाषित कोई भी बेनामी संपत्ति नहीं है। बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या कोई करवाई लंबित नहीं है।

(एफ) इरादतन चूककर्ता :

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

50 विश्लेषणात्मक अनुपात का विवरण:

क्र. सं.	अनुपात	अंश ₹ लाख में		हर ₹ लाख में		2023-24	2022-23	% अंतर	अंतर का कारण
		2023-24	2022-23	2023-24	2022-23				
1	चालू अनुपात	79,918	66,042	14,195	13,911	5.63	4.75	18.59%	चूंकि अंतर 25% से कम है, इसलिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है
2	ऋण इकिटी अनुपात	शून्य	शून्य	43,025	32,104	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
3	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	13,641	8,909	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
4	इकिटी अनुपात पर प्रतिफल (आरओई)	13,371	8,627	43,025	32,104	31.08%	26.87%	16%	चूंकि अंतर 25% से कम है, इसलिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है
5	इन्वेंटरी कारोबार अनुपात	-	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है
6	व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	-	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं है क्योंकि कंपनी में कोई व्यापार प्राप्य नहीं है
7	व्यापार देयता कारोबार अनुपात	1,88,221	1,66,722	2,099	6,220	89.66	26.80	234.52%	परियोजना/अन्य व्यय में वृद्धि परियोजना/अन्य व्यय में वृद्धि और व्यापार देयताओं में कमी के कारण
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	11,946	10,870	43,025	32,104	27.76%	33.86%	-18.00%	चूंकि अंतर 25% से कम है, इसलिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है
9	शुद्ध लाभ अनुपात	13,371	8,627	11,946	10,870	111.93%	79.37%	41.02%	अन्य आय में वृद्धि के कारण चालू वर्ष में अधिशेष में वृद्धि हुई है
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	13,371	8,627	43,025	32,104	31.08%	26.87%	15.64%	चूंकि अंतर 25% से कम है, इसलिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है
11	निवेश पर प्रतिफल	13,371	8,627	43,025	32,104	31.08%	26.87%	15.64%	चूंकि अंतर 25% से कम है, इसलिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है
12	राजस्व के % के रूप में	13,637	8,901	18,216	13,108	74.86%	67.90%	10.24%	चूंकि अंतर 25% से कम है, इसलिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है
13	परिसंपत्ति कारोबार अनुपात	11,946	10,870	80,282	53,292	14.88%	20.40%	-27.05%	गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण

51 वित्तीय साधन और जोखिम प्रबंधन

(ए) पूंजी प्रबंधन

कंपनी की पूंजी संरचना में केवल इकिटी शामिल है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 को
इकिटी	43,025	32,104	23,524
ऋण	-	-	-
ऋण- इकिटी अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

कंपनी पर कोई उधार नहीं है, इसलिए ऋण-इकिटी अनुपात लागू नहीं है।

ऋण को सभी दीर्घकालिक बकाया ऋण (अपरिशोधित व्यय सहित) + दी गई कॉर्पोरेट / वित्तीय गारंटी से संबंधित आकस्मिक देयता + दीर्घकालिक ऋणों के बदले में बकाया अल्पकालिक ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है। कुल इकिटी को इकिटी शेयर पूंजी + सभी रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) + आस्थगित कर देयताएं - आस्थगित कर परिसंपत्तियां - अमूर्त परिसंपत्तियां - विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।



वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

(बी) वित्तीय दस्तावेजों की श्रेणी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को		
	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई
वित्तीय पूंजी			
निवेश	4,921	-	-
नकद और नकद दस्तावेज	4,608	-	-
उपरोक्त (i) के अलावा अन्य बैंक शेष	60,234	-	-
ऋण	3	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4,511	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	74,277	-	-
वित्तीय देयताएं			
व्यापार देयताएं	2,099	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	11,290	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	13,390	-	-

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को		
	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई
वित्तीय पूंजी			
निवेश	2,438	-	-
नकद और नकद दस्तावेज	3,062	-	-
उपरोक्त (i) के अलावा अन्य बैंक शेष	49,873	-	-
ऋण	5	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2,280	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	57,657	-	-
वित्तीय देयताएं			
व्यापार देयताएं	6,220	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	7,308	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	13,529	-	-

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 को		
	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई
वित्तीय पूंजी			
निवेश	-	-	-
नकद और नकद दस्तावेज	3,368	-	-
उपरोक्त (i) के अलावा अन्य बैंक शेष	13,970	-	-
ऋण	6	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1,432	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	18,777	-	-
वित्तीय देयताएं			
व्यापार देयताएं	4,289	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	5,570	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	9,859	-	-

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

(सी) उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य पर वित्तीय दस्तावेज

31/03/2024 को

	(₹ लाख में)		
विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय देयताएं			
वित्तीय पूंजी			
निवेश	4,921		
ऋण		3	

31/03/2023 को

	(₹ लाख में)		
विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय देयताएं			
वित्तीय पूंजी			
निवेश	2,438		
ऋण		4	

01/04/2022 को

	(₹ लाख में)		
विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय देयताएं			
वित्तीय पूंजी			
निवेश	-		
ऋण		6	

नोट:

उचित मूल्य अनुक्रम मूल्यांकन तकनीकों के इनपुट पर आधारित है जिसका उपयोग उचित मूल्य को मापने के लिए किया जाता है जो या तो अवलोकनीय या अप्राप्य होते हैं और इसमें निम्नलिखित तीन स्तर होते हैं:

स्तर 1: इनपुट सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए निवेदित (असमायोजित) बाजार मूल्य हैं।

स्तर 2: मूल्यांकन तकनीकों जिनके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है।

स्तर 3: मूल्यांकन तकनीकों जिनके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अप्राप्य है।

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के बीच कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।

(डी) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य।

प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि ऋण, नकदी और नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार देयताएं और अन्य वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनकी रखाव राशि के लगभग बराबर है। बैंक जमा, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, उधार और अन्य वित्तीय देयताओं की रखाव राशि के बीच अंतर, जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, प्रस्तुत प्रत्येक वर्ष में महत्वपूर्ण नहीं है। उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, रखाव राशि उचित मूल्य के बराबर होती है।

कंपनी की किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है।

(ई) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के निदेशक मंडल के पास कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी की समग्र जिम्मेदारी है। बोर्ड ने प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की स्थापना की है, जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों को विकसित करने और उनकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रमुख प्रबंधन कर्मी नियमित बैठकें करते



वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

हैं और अपनी गतिविधियों के बारे में बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियां कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, उचित जोखिम सीमाएं और नियंत्रण निर्धारित करने और जोखिमों और सीमाओं के पालन की निगरानी करने के लिए स्थापित की जाती हैं। परिचालन ढांचे और कंपनी की गतिविधियों में बदलावों को दर्शाने के लिए जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रणालियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कंपनी, अपने प्रशिक्षण और प्रबंधन मानकों और प्रक्रियाओं के माध्यम से, एक अनुशासित और रचनात्मक नियंत्रण वातावरण बनाए रखने का लक्ष्य रखती है जिसमें सभी कर्मचारी अपनी भूमिकाओं और दायित्वों को समझते हैं। निदेशक मंडल इस बात की देखरेख करता है कि प्रमुख प्रबंधन कर्मी कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी कैसे करते हैं, और कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों के संबंध में जोखिम प्रबंधन ढांचे की पर्याप्तता की समीक्षा करते हैं। यह नोट उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे यूनिट को सामना करना पड़ता है और यूनिट जोखिम का प्रबंधन कैसे करती है।

जोखिम	निम्न से उत्पन्न जोखिम	मापन	जोखिम प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां	नकद और नकद समतुल्य, परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां	बैंक जमा, तरल निधि और ऋण सीमाओं की नियमित निगरानी के लिए धन का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देयताएं	उधार और अन्य देयताएं	अधिशेष नकदी, प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम	एनए	एनए	एनए
मूल्य जोखिम	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	पोर्टफोलियो विविधीकरण और नियमित निगरानी

(i) ऋण जोखिम

ए) नकदी और नकदी समतुल्य तथा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश

नकदी और नकदी समतुल्य, बैंकों के पास अन्य सावधि जमा और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर ऋण जोखिम सीमित है, क्योंकि कंपनी आमतौर पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले बैंकों के पास सावधि जमा में निवेश करती है; तदनुसार कंपनी मानती है कि संबंधित ऋण जोखिम कम है।

बी) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी के पास नकदी और नकदी समतुल्य, बैंकों में सावधि जमा, कर्मचारियों को ऋण, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश आदि हैं। निवेश के संबंध में, कंपनी उच्च क्रेडिट सुरक्षा वाली तरल प्रतिभूतियों में निवेश करके ऋण जोखिम के प्रति अपने जोखिम को सीमित करती है। कंपनी की निवेश नीति प्रतिपक्ष, रेटिंग, नियंत्रण और निरंतर निगरानी के संदर्भ में प्रक्रियाओं के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करती है। इसलिए कंपनी ऐसे निवेशों पर ऋण जोखिम को नगण्य मानती है। कर्मचारियों से प्राप्त ऋण में नगण्य ऋण जोखिम होता है और इसलिए उन पर चूक का कोई जोखिम नहीं माना जाता है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को देकर निपटाया जाता है। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि, जहाँ तक संभव हो, उसके पास सामान्य और तनावपूर्ण दोनों स्थितियों में, अस्वीकार्य नुकसान उठाए बिना या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाए बिना अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता होगी।

कंपनी का कोष तरल फंड और अन्य प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों में निवेश के माध्यम से तरलता बनाए रखकर वित्तपोषण में लचीलापन बनाए रखता है। प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर समूह की तरलता स्थिति और नकदी और नकदी समतुल्यों के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है।

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

वित्तपोषण

कंपनी की तरलता स्थिति इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31-03-2024 को	31-03-2023 को	01-04-2022 को
नकद और नकद समतुल्य	4,608	3,062	3,368
उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक शेष	60,234	49,873	13,970

तरलता तालिका

कंपनी की गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए सहमत पुनर्भुगतान अवधि के साथ शेष संविदात्मक परिपक्वता नीचे दी गई है। संविदात्मक परिपक्वता उस सबसे प्रारंभिक तिथि पर आधारित है जिस पर कंपनी को भुगतान करना आवश्यक हो सकता है।

31/03/2024 को

(₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-5 वर्ष	5 वर्ष और उससे अधिक
वित्तीय देयताएं			
अन्य वित्तीय देयताएं	10,908	383	-
व्यापार देयताएं	2,099	-	-

31/03/2023 को

(₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-5 वर्ष	5 वर्ष और उससे अधिक
वित्तीय देयताएं			
अन्य वित्तीय देयताएं	7,053	256	-
व्यापार देयताएं	6,220	-	-

01/04/2022 को

(₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-5 वर्ष	5 वर्ष और उससे अधिक
वित्तीय देयताएं			
अन्य वित्तीय देयताएं	5,207	364	-
व्यापार देयताएं	4,289	-	-

(iii) नियामक जोखिम

कंपनी के संचालन का दायरा और प्रकृति महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से रेल मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है, अंतिम रूप दिया जाता है, समीक्षा और नियंत्रित किया जाता है। परामर्श के बाद, कार्य और कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक धनराशि विश्व बैंक, एमडीबी, एआईबीबी आदि की सहायता से रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

(iv) बाजार जोखिम

यह कंपनी उपनगरीय रेलवे परिवहन परियोजना के विकास के लिए रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन है। परियोजना के बाद से कंपनी के पास व्यावहारिक रूप से कोई बाजार जोखिम नहीं है और इसके लिए धन रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

(v) ब्याज दर जोखिम

चूंकि कंपनी के पास कोई उधार नहीं है, इसलिए कंपनी को किसी भी ब्याज दर का जोखिम नहीं है।



02-14

कॉर्पोरेट अवलोकन

15-62

वैधानिक रिपोर्ट

63-121

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आने वाली टिप्पणियाँ

(vi) मूल्य जोखिम

कंपनी का प्रतिभूति मूल्य जोखिम सरकारी प्रतिभूतियों में रखे गए निवेश से उत्पन्न होता है, जिन्हें तुलन पत्र में परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी प्रतिभूतियाँ राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती हैं और इसलिए कंपनी की राय में वे उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव के जोखिम के अधीन हैं। इन प्रतिभूतियों के भाव बाजार में उपलब्ध हैं और इन्हें संबंधित वेबसाइटों से प्राप्त किया जा सकता है।

52 गत वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित एवं पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

कृते आर.ए.वी. एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

Ramesh

सी.ए. रमेश ए. शेठ्टी
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 204538
फर्म पंजीकरण संख्या 007532एस

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28 जून 2024

कृते मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं
उनके निदेशक मंडल की ओर से

एस.सी. गुप्ता

एस.सी. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08339258

मनोज कुमार सिन्हा

मनोज कुमार सिन्हा
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

स्मृति वर्मा

स्मृति वर्मा
निदेशक-वित्त
डीआईएन: 10369917

संगीता वर्मा

संगीता वर्मा
कंपनी सचिव





With a network that spans over hundreds of kilometers, the local trains in Mumbai suburban are the preferred mode of transportation for millions of Mumbaikars, providing a convenient and cost-effective means of commuting.



Scan the QR Code for additional information



To see the report online please log on to www.mrv.c indianrailways.gov.in

Forward - looking statements

We have taken the utmost care in preparing this report, which may contain forecasts or information pertaining to forecasts. Forecasts are typically based on facts, expectations, and past data. However, it is important to note that actual results may differ from the forecasted ones, as is the case with all forward-looking statements. Therefore, we cannot guarantee the accuracy, completeness, and currency of the information provided in our forward-looking statements, including those sourced from third parties. Readers are advised to exercise their own discretion. We are not obligated to publicly update any forward-looking statements, whether due to new information, future events, or any other reasons.

Contents

02-14

Corporate Overview

- 02 Board of Directors
- 03 Corporate Information
- 05 MRVC at a glance
- 12 Chairman's Message
- 14 Financial Highlights

15-62

Statutory Reports

- 15 Notice for Annual General Meeting
- 20 Directors' Report
- 44 Projects of MUDP (Rail Component)
- 47 Management Discussion & Analysis
- 57 Annual Report on Corporate Social Responsibility
- 60 CG Compliance Certificate
- 61 Compliance of Code of Business Conduct and Ethics
- 62 Financial Highlights for last 10 years

63-121

Financial Statements

- 64 Independent Auditor's Report
- 67 Annexure-A Referred to in our Independent Auditor's Report of even date
- 69 Annexure-B Referred to in our Independent Auditor's Report of even date
- 71 Annexure-C Referred to in our Independent Auditor's Report of even date
- 73 CAG Report
- 76 Balance Sheet
- 77 Statement of Income and Expenditure
- 78 Cash Flow Statement
- 79 Statement of Changes in Equity
- 80 Notes to the Standalone Financial Statements

Board of Directors



Shri Subhash Chand Gupta
Chairman & Managing Director
w.e.f. 20.04.2022



Smt. Smriti Verma
Director [Finance]
w.e.f. 01.12.2023



Shri Rajeev Kumar Srivastava
Director [Projects]
w.e.f. 28.10.2022



Shri Vilas Sopan Wadekar
Director [Technical]
w.e.f. 09.07.2024



Shri Rajesh Kumar Garg
Part-time Official Director [MoR]
w.e.f. 06.04.2023



Shri Aseem Kumar Gupta
Part-time Official Director [GoM]
w.e.f. 08.06.2023



Smt. Pushpa Jangid
Part-time Non-official Director [MoR]
w.e.f. 11.11.2021



02-14

Corporate Overview

15-62

Statutory Reports

63-121

Financial Statements

Corporate Information

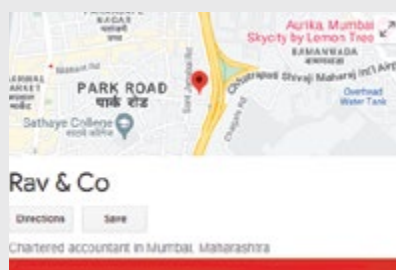
- 1 **Chairman & Managing Director** ————— **Shri Subhash Chand Gupta** - [DIN - 08339258]
w.e.f. 20.04.2022
- 2 **Director [Finance]** ————— **Smt. Smriti Verma** - [DIN - 10369917]
w.e.f. 01.12.2023
- 3 **Director [Projects]** ————— **Shri Rajeev Kumar Srivastava** - [DIN - 09776128]
w.e.f. 28.10.2022
- 4 **Director [Technical]** ————— **Shri Vilas Sopan Wadekar** - [DIN - 10369918]
w.e.f. 09.07.2024
- 5 **Director [Resettlement and Rehabilitation]** ————— Post vacant
- 6 **Director [Infrastructure and Commercial]** ————— Post vacant
- 7 **Part-time Official Director [MoR]** ————— **Shri Rajesh Kumar Garg** - [DIN 10117955]
w.e.f. 06.04.2023
- 8 **Part-time Official Director [GoM]** ————— **Shri Aseem Kumar Gupta** - [DIN - 02607016]
w.e.f. 08.06.2023
- 9 **Part-time Non-official Director [MoR]** ————— **Smt. Pushpa Jangid** - [DIN - 09395493]
w.e.f. 11.11.2021
- 10 **Part-time Non-official Director [GoM]** ————— Post vacant

Bankers



Auditors

M/s RAV & Co.
Chartered Accountant
Mumbai 400 057.



Registered Office

2nd Floor
Churchgate Station Building
Churchgate
Mumbai 400 020.
Tel : 022 2219 5398/399
Fax : 022 2209 6972



website: www.mrvn.indianrailways.gov.in
CIN: U45203MH1999GOI120765



Our Mission

To develop a world-class infrastructure for an efficient, safe and sustainable Railway system in the Mumbai suburban section to provide comfortable and friendly train services to the commuters.



Our Objectives

- Integrate suburban rail capacity enhancement plans with the urban development plan for Mumbai and propose investments.
- Implement the rail infrastructure projects in Mumbai suburban sections.
- Commercially development of railway land and airspace in Mumbai area to raise funds for suburban railway development.
- Resettlement & Rehabilitation of Project Affected Households.





MRVC at a glance...

To provide enriched, sustainable and enhanced network capacity, service quality and safety in Mumbai's suburban railway system, MRVC in its journey over the past 25 years has remained steady. It has been the Company's effort each year to improve on its past year's performance while remaining committed to deliver safe and comfortable commute to Mumbaiers.

MUTP-I at the cost of ₹4452 crore and a part of MUTP-II executed by MRVC at the cost of ₹5802 crore have already been completed. [A part of MUTP-II to be executed by Central and Western Railways is under progress]. The current assignment book of MRVC remains at ₹39,922 crore under MUTP-III and MUTP-3A.



MUMBAI URBAN TRANSPORT PROJECT-III

To further strengthen and augment the suburban railway infrastructure in Mumbai Metropolitan Region (MMR), MUTP III was sanctioned by Union Cabinet on 20.12.2016 at a cost of ₹10947 crore to be shared equally between Ministry of Railways and Govt. of Maharashtra including the loan component. The works allotted to MRVC under MUTP III and their progress status are as follows–

SN	Name of the work	Cost (₹ in Crore)	Physical Progress as on 31.03.2024
1	New Suburban Railway Corridor Panvel-Karjat (double line) (28 Kms)	2782	49%
2	Airoli-Kalwa suburban Link (elevated) on Central Railway (4 Kms)	476	45%
3	Quadrupling of the Virar-Dahanu Road on Western Railway (64 Kms)	3578	23%
4	Procurement of Rolling Stock (565 coaches)	3491	-
5	Trespass Control on mid-section	551	75%
6	Technical Assistance	69	50%
	Total	10947	

1. Panvel-Karjat new suburban corridor (CR)



► Pictorial depiction

Project features - Total Length 29.6 km, five stations, two Rail Flyovers, 8 Major Bridges, 33 Minor Bridges, 15 RUBs, 5 ROB and 3 Tunnels of a total length of 3.12 km including one of 2.6 km long.

Total cost of the project is ₹2782 crore (AIIB: ₹1,274 crore, MoR: ₹408 crore, GoM: ₹1,100 crore)

This corridor will cater to the demand in the fast-developing Panvel, Karjat and NAINA area and will also provide alternative connection with lesser travel distance from main island city, Mumbai to Karjat via Panvel than existing route via Kalyan.



2 Airoli-Kalwa suburban Link (elevated) on Central Railway



► Pictorial depiction

Project features - Length 3.3 km, 2 stations (1 new station Digha and other elevated Kalva), 4 Rail Flyover (Over UP/DN Trans HB, Parsik Goods chord & 5th/6th line), 6 Minor Bridges, one RUB.

Total Cost: ₹476 crore (MoR: ₹238 crore, GoM: ₹238 crore)

Phase-I – Construction of halt station at Digha.

Commissioned on 12.01.2024.
Inaugurated by Hon'ble Prime Minister.

Phase-II – Elevated corridor between Airoli and Kalwa.

This phase involves land acquisition and is planned for commencement after completion of R&R by MMRDA and will require about 36 months for completion.

Presently passengers commuting from Kalyan to Vashi/ Panvel or in reverse direction get down at Thane and take Trans Harbour link. This results in congestion at Thane. Airoli-Kalwa elevated corridor project once get completed, will eventually provide direct access to lakhs of people

from Kalyan to Vashi/ Panvel or in reverse direction areas, bypassing Thane railway station.



3. Quadrupling of Virar-Dahanu Road Section on Western Railway



► Pictorial depiction

Project features- Length 64 km, 9 stations, 2 Important Bridges (27 x 18.3 m and 33 x 18.3 m), 16 Major Bridges, 64 Minor Bridges, 8 RUBs, one ROB)

Total Cost: ₹3578 crore (AIIB: ₹1,946 crore, MoR: ₹816 crore, GoM: ₹816 crore)

Western Railway is running suburban services on the existing busy double line between Virar-Dahanu Road on Mumbai –Ahmedabad / Delhi route which is already over saturated. Construction of these additional lines will address the demand of commuters in this region and provide extension of suburban services from Churchgate to Dahanu Road.

4. Procurement of Rolling Stock-

This is planned to be implemented with MUTP-3A. However, any action related to the project will be initiated as per the directives from Railway Board.

For reducing the congestion especially during peak hours and to service the additional corridors under MUTP III and IIIA, additional EMU rakes are required. Introduction of air-conditioned coaches with automatic door closing system will enhance the quality of service and safety of commuters.

5. Trespass Control on Mid-Section

Project features- 29 Foot Over Bridges, 02 FOB Extension, 02 Linkways, 01 Subway, 01 Pathway and 48 Km long boundary wall in the Mid-Section.

Total Cost: ₹551 crore (AIIB: ₹200 crore, GoM: ₹176 crore, GoM: ₹176 crore)

Trespass is one of the major safety concern on suburban rail network as there are more than 3500 casualties per annum out of which approx. 70% are due to trespass. The works being executed under trespass control at identified 37 locations shall significantly reduce trespass and will provide safer commuting for the public.

Aimed at controlling trespass incidences in the most vulnerable suburban rail sections of Mumbai city, this project involves construction of new FOB, extension of FOB, provision of linkways, subways, pathway and long boundary walls at identified locations.





MUMBAI URBAN TRANSPORT PROJECT-3A

MUTP 3A project has been conceptualized by MRVC as a group of rail based projects for sustainable urban transport in the city of Mumbai. The project is to improve the network connectivity, service quality and safety of Mumbai's suburban railway system and better integrate the system with the Mumbai Metropolitan Region plan. The project is costing ₹33690 crore, to be shared equally between Ministry of Railways and Govt. of Maharashtra including the loan component. The works allotted to MRVC under MUTP IIIA are as follows–

SN	Name of the work	Cost (₹ in Crore)	Physical Progress as on 31.03.2024
1	5 th and 6 th line between Borivali-Virar (26 rkm)	2184	1%
2	3 rd and 4 th line between Kalyan-Badlapur (15 rkm)	1510	21%
3	a) CBTC on CSMT-Panvel on Harbour Line and Trans Harbour	1391	-
	b) CBTC on CSMT-Kalyan on Central Railway	2166	-
	c) CBTC on CCG-VR on Western Railway	2371	-
4	Station Improvement – at 17 stations	947	16%
5	a) Procurement of Rolling Stock - 191 AC EMU rakes	15802	-
	b) Maintenance facilities for Rolling Stock	2353	-
6	Technical Assistance	250	-

MUTP 3A aims to segregate suburban and main line services upto Virar on Western Railway and Asangaon and Badlapur in Central Railway.

1. 5th and 6th line between Borivali-Virar

Project features- Length 26 km, 8 stations, 2 Important Bridges (28x48.5 m and 11x48.5m), 3 Major Bridges, 15 Minor Bridges, 1 ROB, 1 RUB.

To achieve complete segregation of suburban and non-suburban services on Western Line, as the current situation of mixed traffic affects both suburban and non-suburban services.

Total Cost: ₹2184 crore, (MoR: ₹1,092 crore, GoM: ₹1,092 crore)



► Pictorial depiction

2. 3rd and 4th line between Kalyan-Badlapur

Project features - Length 14.60 km, 5 stations, 2 Major Bridge, 49 Minor Bridges, 4 – ROBs, 1 OH pipeline bridge, 2 RUBs

Total Cost: ₹1,510 crore (MoR: ₹755 crore, GoM: ₹755 crore)

The existing two lines between KYN-BUD carry mix traffic of Mail/Express, Goods and suburban services, and about 136 trains are run against a capacity of 120. To segregate, augment & improve the suburban services, it is essential that 3rd & 4th lines are laid upto Badlapur.



► Pictorial depiction

3. Communication Based Train Control System (CBTC)

Project Features –

- CR-130 R-Km/370 T-Km
- WR-74 R-Km/268 T-Km

Total Cost: ₹5928 crore

(AIIB: ₹2,800 crore, MoR: ₹1,564 crore, GoM: ₹1,564 crore)

- Introduction of Communication Based Train Control System on Central and Western Railway to enhance safety, capacity and efficiency of suburban network.
- Reduction of headway to 2.5 minutes to increase capacity of operating trains

Ministry of Railways is in the process of indigenous development of CBTC for 'Atma Nirbhar' in Technology. Further action will be taken as per the directives received from Railway Board.

4. Station Improvement

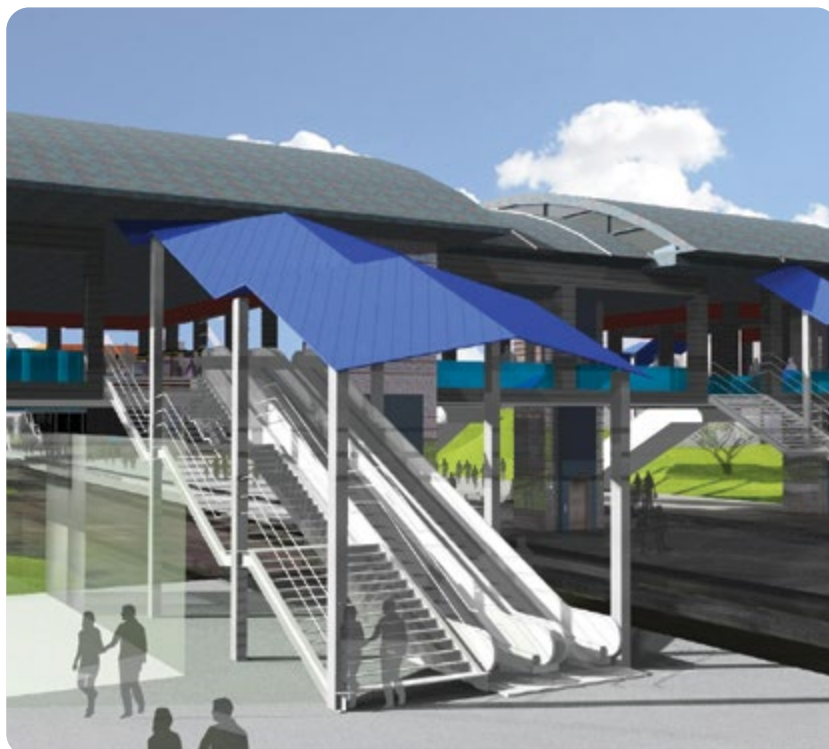
The project will cover the following stations.

At Central Railway - GTB Nagar, Bhandup, Govandi, Mankhurd, Dombivali, Neral, Kasara, Chembur, Mulund and Ghatkopar.

At Western Railway - Kandivali, Mira Rd., Bhayander, Mumbai Central, Khar Rd., Nalasopara, Vasai and Santacruz.

Total Cost: ₹947 crore, (AIIB: ₹665 crore, MoR: ₹141 crore, GoM: ₹141 crore)

Most of the stations on Mumbai Suburban are more than 80 years old, highly congested and commuters volume has increased manifold. Through this project, identified suburban stations will be upgraded to enhance passenger experience at stations.





5. Procurement of Rolling Stock and Maintenance Facilities (191/12 car AC EMUs)

This is planned to be implemented under MUDP-III and 3A.



MUDP	No of 12 Car Rakes	No of Coaches	Cost (₹ in Crore)
MUDP III	47	564	3,491
MUDP IIIA	191	2292	15,802
Total (R/Stock):	238	2856	19,293
EMU Maintenance Facilities (One depot each on CR & WR)	-	-	2,353
Grand Total			21,646

For reducing the congestion especially during peak hours and to service the additional corridors under MUDP III and IIIA, additional EMU rakes are required. Introduction of air-conditioned coaches with automatic door closing system will enhance the quality of service and safety of commuters. The procurement is subject to Railway Board's advice.

Chairman's Message



I am delighted to inform that efforts made by MRVC have resulted in achieving several 'Best Ever' milestones in the Business Operations of your Company during the FY 2023-24. The Company has recorded the highest ever Revenue from Operations, ₹119.46 crores, and the highest EBITDA, ₹136.37 crores.

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors of MRVC, I extend a very warm welcome to all of you at this 25th Annual General Meeting of your Company.

Mumbai is the financial capital of India and its suburban rail system is the lifeline of the city. The local trains in Mumbai have earned the moniker "lifeline of the city" due to their unparalleled importance in keeping Mumbai running smoothly. With a network that spans over hundreds of kilometers, the local trains in Mumbai suburban are the preferred mode of transportation for millions of Mumbaikars, providing a convenient and cost-effective means of commuting.

While Mumbai's local trains are an integral part of the city's fabric, they also face numerous challenges. Overcrowding, maintenance issues, and infrastructure gaps are constant concerns. With the allocated works under MUTP, MRVC has been instrumental in dealing with the increased demand of convenient and safe commuting for Mumbaikars.

The Directors' Report and Annual Accounts of the Company for the Financial Year 2023-24 have already been circulated to you. It is a privilege and responsibility that I am announcing the results of this fiscal year through the Annual Report of the Company. I am delighted to inform that efforts made by MRVC have resulted in achieving several 'Best Ever' milestones in the Business Operations of your Company during the FY 2023-24.

It gives me immense pride to convey that in the Financial Year under review your Company has recorded the highest ever Revenue from Operations, ₹119.46 crores, and the highest



EBITDA, ₹136.37 crores. The Profit after Tax for the year was recorded at ₹133.71 crores, higher by an impressive 55% over the previous financial year. The company's total income has increased by 39% from ₹131.08 crores in FY 2022-23 to ₹182.17 crores in FY 2023-24. The book value per share has increased from ₹12,842 in FY 2022-23 to ₹17,210 in FY 2023-24 and the company's Net Worth has increased by 34%, from ₹321.04 crores in FY 2022-2023 to ₹430.25 crores in FY 2023-24. MRVC's EPS has gone up from ₹3,450.80 in FY 2022-23 to ₹5,348.40 in FY 2023-24. Overall the company's performance in FY 2023-24 has been outstanding on both operational and financial indices.

Regarding the performance of projects, it has been the company's endeavour to achieve the milestones set for projects completion. During the year the commissioning of Dighe Gaon Station under the Airoli-Kalwa project, nine FOBs in Central and Western Railways, one Road Over Bridge between Kalyan-Vitthalwadi, a Subway between Thane-Airoli, a Linkway at Kanjurmarg, and a Home Platform at Badlapur was achieved.

As part of Running of 12 car coaches on Harbour line of Mumbai Division project, MRVC undertook provision and interlocking of six EMU stabling sidings at Juinagar station and a 16 bed Running room for the Operating Crew during the year. Various station improvement works under MUDP-3A were also carried out during the year while maintaining execution momentum in works allotted to MRVC under MUDP-III and 3A.

MRVC has obtained a score of 96.50 with "Excellent" rating in the MoU for FY 2022-23. The company is likely to receive an even better score in 2023-24.

Your company's current assignment book at ₹39,922 crore stands at a sound position. During the year, MRVC awarded various contracts for works under MUDP-III and MUDP 3A amounting to ₹2011 crore.

MRVC has obtained a score of 96.50 with "Excellent" rating in the MoU for FY 2022-23. The company is likely to receive an even better score in 2023-24.

It is your company's commitment to constantly raise the bar over our best ever milestones in terms of profitability and timely implementation of the projects. At the same time our focus will remain on Digital India, contribution towards Atma Nirbhar Bharat, promotion of MSME, and the Swachh Bharat Mission.

Your Company is complying with the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs issued by the Department of Public Enterprises (DPE). Necessary disclosures have been made in this regard in the Corporate Governance Report.

MRVC is fully committed towards fulfilling its social responsibility. Accordingly, the multifaceted Corporate Social Responsibility initiatives of your Company for the Resettlement of Project Affected Households are in line with Companies Act, 2013 and the DPE guidelines. MRVC is committed towards ensuring the compliance of business ethics and values. The Company's Industrial Relations have remained cordial and peaceful throughout the year.

As a Company, our pursuit to make an impact in our mission and vision continues unabated. On behalf of the entire Board of Directors and the Management of the Company, I wish to place on record our gratitude to the Ministry of Railways and the State Government for their wholehearted support. I also extend our gratitude to MMRDA, CIDCO, AIB, Western and Central Railways, other Central and State Government Agencies, CAG, Statutory Auditors, our employees and the people of Mumbai for continuing to repose their trust in us. This trust is our driving force; it makes us want to do our best.

Regards,

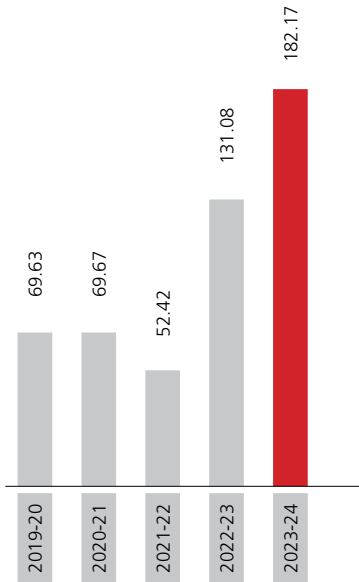
Subhash Chand Gupta
Chairman & Managing Director



Financial Highlights

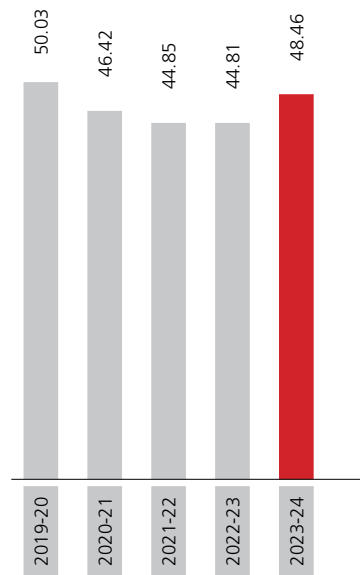
Total Income (Incl. other income)

(₹ In Crore)



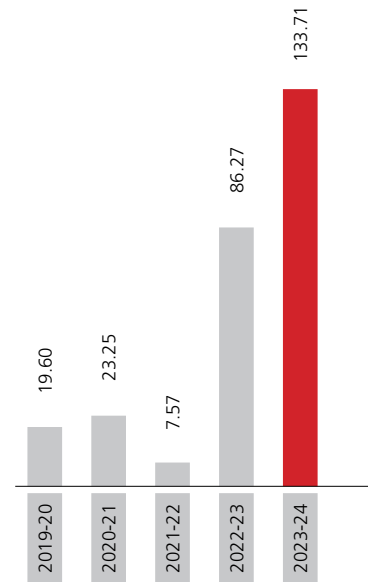
Expenditure (Including PPI)

(₹ In Crore)



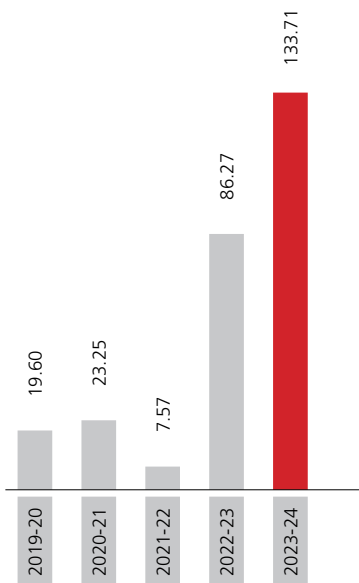
Profit before tax

(₹ In Crore)



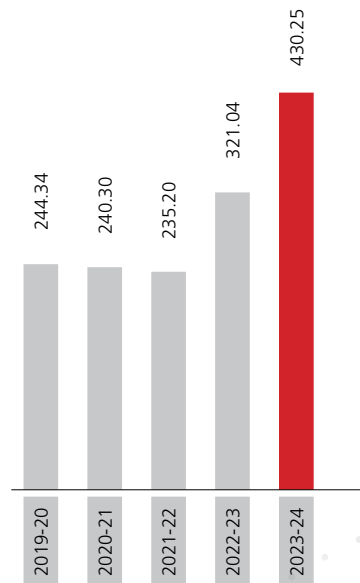
Profit after tax

(₹ In Crore)



Net Worth

(₹ In Crore)





Notice for Annual General Meeting

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Mumbai Railway Vikas Corporation Limited will be held through Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM") on 20.09.2024 [Friday] at 3.30pm to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS

1 Adoption of Financial Statements

To consider and adopt the Audited Annual Financial Statement i.e. Balance Sheet as on 31.03.2024, Statement of Income & Expenditure for the year ended 31.03.2024, Cash Flow Statement for the year ended 31.03.2024, Statement of changes in equity for the year ended 31.03.2024 and notes to accounts forming part of the Financial Statement of the Corporation together with the Directors' and Auditor's Report thereon and the comments of C&AG on the Accounts of the Corporation and pass the following resolution with or without modification(s), as an ordinary resolution: -

"RESOLVED THAT members of the Corporation be and are hereby consider and adopt the Audited Annual Financial Statement i.e. Balance Sheet as on 31.03.2024, Statement of Income & Expenditure for the year ended 31.03.2024, Cash Flow Statement for the year ended 31.03.2024, Statement of changes in equity for the year ended 31.03.2024 and notes to accounts forming part of the Financial Statement of the Corporation together with the Directors' and Auditor's Report thereon and the comments of C&AG on the Accounts of the Corporation."

2 Fixation of Remuneration of Statutory Auditors

To fix the remuneration of Statutory Auditors for the Statutory Audit for the financial year 2024-2025 by passing with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 142(1) of the Companies Act 2013, the remuneration of Statutory Auditors to be appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the Statutory Audit for the financial year 2024-25 be fixed taking into consideration the recommendation made by the Audit Committee and approved by the Board of Directors."

SPECIAL BUSINESS

3. To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 read with the relevant Articles of Association of the Company, the consent of the Company be and is hereby accorded to the appointment made by the President of India vide Railway Board's Order No. 2017/E(O)II/40/26 Pt.I dated 30.11.2023 that the Competent Authority entrusted the additional charge of the post of Director [Finance] to Smt. Smriti Verma in addition to her own w.e.f. 01.12.2023, till the appointment of a regular incumbent to the post or until further orders, whichever is the earliest and further appointment of Smt. Smriti Verma [DIN-10369917] as Director [Finance] of Mumbai Railway Vikas Corporation Limited vide Railway Board order No. 2021/E(O)II/40/24 dated 05.02.2024 for a period w.e.f. from the date of her assumption of charge of the post till the date of her superannuation, i.e. 28.02.2025 or until further orders, whichever is earlier. Smt. Smriti Verma assumed the charge on 01.12.2023.

RESOLVED FURTHER THAT the Director [Projects]/ Company Secretary be and is hereby authorized to do all such acts, deeds and things and to sign all such documents as may be necessary, expedient and incidental thereto to give effect to this resolution."



4. To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 read with the relevant Articles of Association of the Company, the consent of the Company be and is hereby accorded to the appointment made by the President of India vide Railway Board's Order No. 2022/E(O)II/40/18 dated 09.07.2024 that the Competent Authority appointed Shri Vilas Sopan Wadekar [DIN-10369918] as Director [Technical] of Mumbai Railway Vikas Corporation Ltd. with effect from the date of assumption of charge of the post till 31.07.2028, i.e. the date of his superannuation, or until further orders, whichever is earlier. Shri Wadekar assumed the charge on 09.07.2024.

RESOLVED FURTHER THAT the Director [Projects]/ Company Secretary be and is hereby authorized to do all such acts, deeds and things and to sign all such documents as may be necessary, expedient and incidental thereto to give effect to this resolution.”

By order of the Board of Directors
Mumbai Railway Vikas Corporation Ltd.

Sangeeta Verma

Company Secretary

Membership No. F7182

Place: Mumbai
Date: 28.08.2024

**NOTES:**

1. The relative Explanatory Statement pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of the business under item nos. 3 and 4 of the Notice, are annexed hereto.
2. With reference to the Ministry of Corporate Affairs's (the "MCA") General Circular No. 9/2023 dated 25.09.2023, the MCA has allowed companies to conduct their Annual General Meeting on or before 30th September, 2024 in accordance with the requirements laid down in General Circular No. 20/2020 dated 05.05.2020, through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), thereby, dispensing with the requirement of physical attendance of the members at their AGM and accordingly, the 25th Annual General Meeting of the Corporation will be held through VC or OAVM in compliance with the said circular and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") (as amended) and Rules made there under. Members attending the AGM through VC or OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
3. In terms of the above MCA Circular, the requirement of sending proxy forms to Shareholders as per provisions of section 105 of the Act has been dispensed with. Therefore, the facility to appoint proxy by the members will not be available and consequently, the proxy form and attendance slip are not annexed to this notice convening the 25th AGM of the Company.

However, in pursuance of Section 112 of the Act and Rules framed there under, the President of India and the Governor of Maharashtra are entitled to appoint authorized representatives for the purpose of participation and e-Voting (by show of hands) during the AGM, through VC or OAVM.

4. Members seeking any information with regard to the Accounts and other matters of the notice, are requested to write to the Company on or before 19.09.2024 through email at cs@mrvc.gov.in. The same will be replied by the Company suitably. Documents referred to in this Notice will be made available for inspection as per applicable statutory requirements.
5. The link to attend the AGM through VC or OAVM will be intimated to the members by email prior to the date of the AGM. Facility of joining the AGM through VC / OAVM shall open 15 minutes before the time scheduled for the AGM.
6. The Meeting shall be deemed to be held at the Registered Office of the Company at 2nd Floor, Churchgate Station Building, Churchgate, Mumbai – 400020. This meeting is intended to hold through Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM"), however, if any shareholder wish to attend the meeting physically, can join the meeting online at the Registered office of the Corporation. Necessary arrangements shall be made for them.
7. Kindly note that, under section 103 of Companies Act, 2013, if at the expiration of half an hour from the time appointed for holding the meeting, a quorum (i.e. minimum 5 members personally present other than proxy) is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week or if that day is a public holiday, until the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place or to such other day and at such other time and place, as the Board may determine, and if at such adjourned meeting a quorum is not present at the expiration of half an hour from the time appointed for holding the meeting, the members present shall be the quorum, and may transact the business for which the meeting was called.



Explanatory Statement in respect of the Special Business pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013

ITEM NO. 3 and 4

Section 152 (2) of the Companies Act, 2013 provides that "Save as otherwise expressly provided in this Act, every director shall be appointed by the company in general meeting." Accordingly, it is mandatory to take the appointments made by the President of India for consent of the shareholders.

In terms of Article 120 of the Articles of Association of the Company - (1) The President of India shall have power to appoint Director [Finance] and Director [Technical] representing the Ministry of Railways. The Directors appointed by the President shall hold office until removed by the President of India or until their resignation, retirement, death or otherwise.

In terms of Railway Board's order no. 2017/E(O)II/40/26 Pt.I dated 30.11.2023, the President of India has entrusted the additional charge of the post of Director [Finance] to Smt. Smriti Verma, in addition to her own w.e.f. 01.12.2023, till the appointment of a regular incumbent to the post or until further orders, whichever is the earliest. Further, in terms of Railway Board's order no. 2021/E(O)II/40/24 dated 05.02.2024, the President of India appointed Smt. Smriti Verma as Director [Finance] of Mumbai Railway Vikas Corporation Limited for a period w.e.f. from the date of her assumption of charge of the post till the date of her superannuation, i.e. 28.02.2025 or until further orders, whichever is earlier. Smt. Smriti Verma assumed the charge on 01.12.2023.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Company and/or their relatives are concerned or interested directly or indirectly in the above item/business except Smt. Smriti Verma.

The Board recommends the Ordinary Resolution set out at item no. 3 of the notice for approval by the shareholders.

In terms of Railway Board's Order No. 2022/E(O)II/40/18 dated 09.07.2024, the President of India has appointed Shri Vilas Sopan Wadekar as Director [Technical] of Mumbai Railway Vikas Corporation Ltd. with effect from the date of assumption of charge of the post till 31.07.2028, i.e. the date of his superannuation, or until further orders, whichever is earlier. Shri Wadekar assumed the charge on 09.07.2024.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Company and/or their relatives are concerned or interested directly or indirectly in the above item/business except Shri Vilas Sopan Wadekar.

The Board recommends the Ordinary Resolution set out at item no. 4 of the notice for approval by the shareholders.

By order of the Board of Directors
Mumbai Railway Vikas Corporation Ltd.

Sangeeta Verma
Company Secretary
Membership No. F7182

Place: Mumbai
Date: 28.08.2024



BRIEF RESUME AND OTHER PARTICULARS OF DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT

Name of the Director	Smt. Smriti Verma	Shri Vilas S. Wadekar
DIN	10369917	10369918
Qualification & experience	Smt. Smriti Verma is from 1987 batch of Indian Railway Accounts Services [IRAS]. She is also MA in Political Science from Delhi University. Worked in Central, Western, Konkan and South East Central Railways. Also headed the Indian Railways Institute of Financial Management in Secunderabad. More than 35 years' experience in railway accounts, finance, planning and operations.	Shri Vilas Sopan Wadekar is an officer of Indian Railway Services of Engineers [IRSE] batch of 1991. He is B.E. Civil [Gold Medalists] from Amravati University, Maharashtra and M.E. [Structures] [First Class with Distinction] from VJTI, Mumbai. He has more than 33 years of working experience with Indian Railways viz. Central, Western, KRCL and MRVC in various capacities. Prior to joining as Director [Technical]/MRVC, he was working as Executive Director [Technical]/MRVC.
Terms & conditions of the appointment	As decided by Government of India	As decided by Government of India
Date of first appointment in the Corporation	01.12.2023	09.07.2024
Shareholding in the Corporation	NIL	NIL
Details of Remuneration last approved	₹1,80,000 – 3,40,000 (IDA Scale) and other permissible allowances.	₹1,80,000 – 3,40,000 (IDA Scale) and other permissible allowances.
Directorship held in other Company	NIL	NIL
Relationship with other Directors / KMP of the Company	None	None
No. of Board Meetings held and attended during the year (during tenure)	1 out of 1	N/A

Directors' Report

Dear Members

Your directors are pleased to present the 25th Annual Report on the business and operation of your Company along with the Audited [Standalone] Financial Statements for the Financial Year ended 31.03.2024, and the Auditors' report along with the comments on the financial statements by the Comptroller and Auditor General [CAG] of India.

Driven by dedication and strong commitment, your Company has continued on its path to success in the financial year 2023-24 too. Following are a few highlights of the Company's performance from the year under reporting:

(1) OPERATIONAL HIGHLIGHTS

a) Commissioning of Dighe Gaon Station under the Airoli-Kalwa project

In January 2024, a new station called Dighe Gaon was inaugurated by the Hon'ble Prime Minister under the Airoli-Kalwa work of MUTP III. The station has facilities such as four platforms of 270 m length and covered sheds, six escalators, two lifts, five subways, two booking offices with six counters each, and parking facilities on both East and West sides.



Also in January 2024, two open web steel girders of 145 mt weight and 45.7 m span each were launched across the MIDC road for Mukund RUB near Dighe Gaon station under the Airoli-Kalwa work.

b) Construction of Foot Over Bridges [FOBs], Decks, ROB at various stations on Central and Western Railway

During the Financial year, nine FOBs were constructed and commissioned in Central and Western Railways at Neral, Ghatkopar, Mankhurd-Vashi, Thane-Diva, Guru Tegh Bahadur Nagar-Chunabhatti, Mumbai Central, Wadala Road, Mohape-Chowk, and Vashind, a Road Over Bridge was provided between Kalyan-Vitthalwadi, a Subway between Thane-Airoli, a Linkway at Kanjurmarg, and a Home Platform at Badlapur. Three decks were partially completed- at Mira Road, Ghatkopar and Khar Road of CR and WR.

Neral

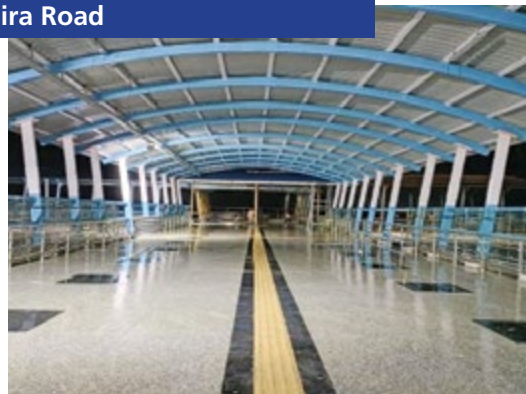




Mumbai Central



Mira Road



Ghatkopar



Vashind



ROB Kalyan-Vitthalwadi



Kanjur Marg



c) Overall progress of MUDP-III

i) New Suburban Corridor between Panvel and Karjat

Earthwork in filling for 8.43 lakh cum, 3.65 lakh cum earthwork in cutting, 47,205 cum of blanketing, 22,287 rm of drain, 1.39 lakh cum of tunnel approach cutting, 2699 rm of heading and 629 rm benching in tunnels, three major bridges, twelve minor bridges, one ROB, and six RUBs were completed during the year. The project is on course for completion in December, 2025.

There are three tunnels under construction under this project, covering a total length of 3164 m length; Tunnel-1 [Nadhal] of 219 m length, Tunnel-2 [Waverle] of 2625 m length and Tunnel-3 [Kirawali] of 320 m length. The Work on Tunnel-1 [Nadhal Tunnel] had been started in October 2022 and the tunnel breakthrough was achieved during the reported year, on 10.05.2023. At the end of the year, work of water proofing and concrete lining was in progress, which has since been completed. The biggest challenge in the execution of excavation work at this tunnel was

its proximity to the existing Panvel-Karjat single line in-use tunnel which requires the work to be carried out under the most stringent safety norms.

Water Proofing and Concrete Lining work under progress at the Tunnel-1



Main Tunnel-1 (Nadhal Tunnel) of 219 Meters Length

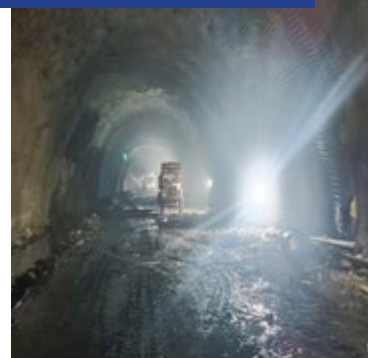


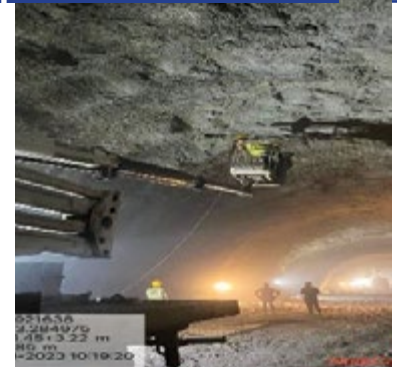
Breakthrough At Tunnel-1



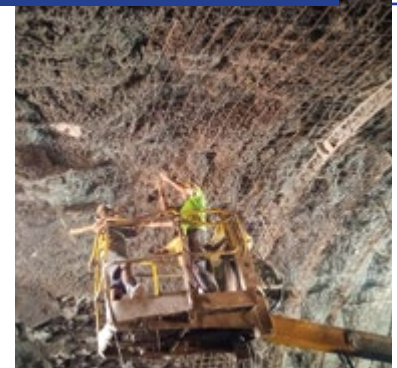
At Waverle [Tunnel no 2], the work was started in February 2023, simultaneously at both portals. The underground excavation for this tunnel has been completed for 2416 out of 2625 meters as on 31.03.2024. The remaining 209 meters stands completed on the date of this report being prepared, which makes it through from both ends of the tunnel. The Waverle tunnel is primarily supported by rock bolting, wire mesh, and shotcrete. It will be provided with permanent waterproof concrete lining and the track structure inside the tunnel will be on ballast less track. Adequate public refuge areas, tunnel control system, lighting system, and ventilation systems are being constructed under the work, at par with contemporary international standards.

Activities in Main Tunnel-2 (Wavrely Tunnel) of 2625 Meters



**Rockbolt fixing at Tunnel-2****Dewatering arrangement at Tunnel-2****Ventilation system in action at Tunnel-2****Wire mesh fixing at Tunnel-2**

The work of excavation of Tunnel-3, Kirawali, was started on 29.03.2023 and breakthrough of the 320 meters long tunnel was achieved on 30.03.2024. The entire tunnel length was bored through Class 3 rock; the last twenty meters of the tunnel are supported on lattice girders. The work was challenging as it was carried out in the vicinity of homes and commercial establishments.

Kirawali Tunnel

Four open web girders were launched in connection with the construction of RUB no. 72/1 over Pune Expressway near Chikhale station on 09.11.2023, 18.01.2024, 28.02.2024 and 10.04.2024 utilizing a total of 14 hours of mega road traffic block on Up and Down Lines.

Bridge 72/1 RUB for Pune Express way



ii) Quadrupling of Virar-Dahanu Road

Earthwork in filling for 9.24 lakh cum, 1.25 lakh cum earthwork in cutting, 59,297 cum of blanketing, 12,624 rm of drain, 4 RUBs and 14 minor bridges were completed during the year. A cumulative progress of 14.12 lakh cum earthwork in filling, 2.12 lakh cum earthwork in cutting, 65,344 cum of blanketing, 24,589 rm of drain, 4 RUBs, 1 major bridge and 35 minor bridges has been achieved under the Virar-Dahanu work at the end of the year under reporting.

Under the project, the work of construction of bridges 92 & 93 across the Vaitrana river/tributary [650 and 520 m long bridges respectively] has been a challenging task as the entire catchment area has marine clay formation and is largely covered by mangrove flora. MRVC had to first get clearance for mangroves and then tackle marine clay which has poor strength mandating stabilization by “prefabricated vertical drain” and sustained loading for almost one year.

For mangrove clearance stretching to 12.185 km across entire project, MRVC had submitted due application to the competent authority in the year 2017; Stage-I clearance was received on 28.02.2022, Stage-II Clearance received on 27.12.2022, CRZ clearance was received on 09.12.2022, and finally, the Hon'ble High Court Bombay by its order dated 31.10.2023 permitted MRVC to cut mangroves for the project. Subsequently, CCF(T) Thane issued working permission in mangroves area on 21.11.2023. Only after this long-awaited clearance all activities for construction of bridge no 92 & 93 across vaitarna could be resumed due to which the baseline of the project had to be shifted and TDC of completion had to be revised to December 2026.



d) Commissioning of works at Juinagar under Harbour Line 12 car EMUs-

Mumbai Railway Vikas Corporation Limited has undertaken the work of provision and interlocking of six EMU stabling sidings at Juinagar station as part of the Project - Running of 12 car coaches on Harbour line of Mumbai Division. Also under the project, a 16 bed Running room was made operational during the year for providing rest to crews.



e) Station Improvement works – MUTP IIIA

The works of station improvement have been taken up at 18 stations identified based on crowding study on suburban stations of CR and WR to ease the congestion on platforms by improving and adding circulating areas for passengers, by adding decks duly connecting FoBs, improving entry and exit at the stations, providing escalators and elevators with improved signages and facilities for PWDs.

After receiving assurance of funding for MUTP IIIA by GoM, tenders were finalised for all the stations under the scope of the project, and work started at these stations. Details of works done at these stations are as follows:

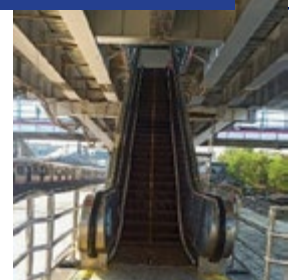
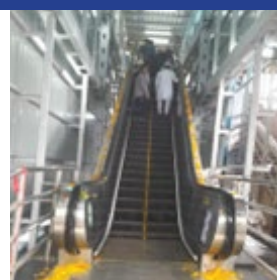
- i) At Khar Road station, improvement work is in progress. An elevated deck is being provided over existing PF 1/2 and a new home PF provided on west side. The south side of this deck for 95 m length was opened for public use on 27.06.2023. Two escalators at platform 1/2 and Home Platform on newly constructed deck at Khar Road station were commissioned and opened for passenger use on 28.08.2023 & 06.10.2023 respectively.



A six-metre wide and 31-metre-long Skywalk connecting MCGM and South FOB has been completed on 24.02.2024 at Khar Road.



- ii) At Mira Road, new escalators are planned under the station improvement work; since the existing PF 1 escalator at Mira Road was infringing the station improvement work, it was shifted and installed at Mahim in PF 1 north side and commissioned for public use on 30.06.2023. This is the first time an existing escalator has been successfully transhipped and reused at another station. The work of shifting of Escalator from South-East to North-East at Platform 1 of Mira Road station was also completed and opened for passengers' use on 30.01.2024.





- f) Mumbra ROB is part of Thane Diva project. Three 40 m long Open Web Girders were launched in connection with construction of Mumbra ROB near Mumbra on 20.09.2023, 10.12.2023, 18.02.2024 utilizing a total 8 hrs. of traffic and power block on UP, DN, through lines between Kalwa-Mumbra.



OTHER ACTIVITIES

- a) During the year, MRVC awarded various contracts for works under MUP-III and MUP 3A amounting to ₹2011crores.
- b) The Financing Agreement for MUP IIIA has been signed between GoM, MRVC, MMRDA, CIDCO, MCGM and NMMC on 27.07.2023.
- c) The eighth Tri-partite Portfolio Review Meeting [TPRM] for MUP III and MUP IIIA-I was successfully held between DEA, AIIB and MRVC on 28.07.2023. During the TPRM, the progress of bank funded components was reviewed. Both DEA and AIIB were satisfied with the progress of the projects.
- d) Loan negotiation meeting for MUP IIIA-Station improvement for USD 100 million was successfully held at New Delhi on 17.08.2023 and minutes of the meeting were signed between Department of Economic Affairs [DEA], Asian Infrastructure Investment Bank [AIIB], Ministry of Railways [MoR], Government of Maharashtra [GoM] and MRVC.
- e) AIIB Missions for MUP III and IIIA -The Asian Infrastructure Investment Bank's [AIIB] Implementation Support Mission visited MRVC from 27.02.2024 to 01.03.2024 for review of progress of works under MUP III and IIIA. The Mission team also visited different sites of the projects. The mission was successful and the bank's team was satisfied with the progress of works.



Latitude: 18.904553
Longitude: 73.21585
Elevation: 55.5117 m
Accuracy: 5.0 m
Time: 02-28-2024 17:25

f) MoU Score by Department of Public Enterprise, Ministry of Finance, Gol

MRVC has obtained a score of 96.50 with "Excellent" rating in the MoU for FY 2022-23.

g) Study visits of parliamentary Standing Committees

Study visits of Standing Committees during the year were as under:

- a) On "Audit Report no. 13 of 2023 on Railway Finance" held on 04.10.2023
- b) On "Suburban Train Services on Indian Railways" with special emphasis on suburban rail network in Mumbai held on 01.01.2024,
- c) On "Contractual Appointment/Developments and Implementation of Labour Laws concerning the Welfare of contracts/ casual workers" held on 08.01.2024.

All the Committees were satisfied and appreciated MRVC.





(2) FINANCIAL RESULTS

Salient features of the financial results of the Corporation for the year ended 31.03.2024 are as under:

[₹ in crore]

Particulars	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Income	182.16	131.08
Expenditure	48.45	44.81
Excess of Income over Expenditure	133.71	86.27
Other Comprehensive Income (OCI)	(0.63)	0.39
Brought forward Surplus from previous year	296.04	210.24
Deployment of Internal Accrual	23.87	0.87
Balance Surplus carried to Balance Sheet	405.25	296.04
Expenditure on CSR	0.79	0.43
Earnings per Share in ₹ (Face Value of Share ₹1,000)	5348	3451

MRVC has reported a surplus of ₹133.71crore for the financial year ended 31.03.2024 as against ₹86.27crore in the previous financial year ended 31.03.2023. The total income of the Company for the year ended 31.03.2024 is ₹182.16crore as against ₹131.08crore in the last year. The total expenditure is ₹48.45crore for the year ended 31.03.2024 as against ₹44.81crore in the previous year. Thus, effectively in the current financial year, expenditure has increased only by 8.12%. The total net worth of the Company as on 31.03.2024 stood at ₹430.25 crore as against ₹321.04crore in the last year.

Furthermore, the extract of your Company's annual return [as per the sub-section (3) of section-92 of the Companies Act, 2013] has also been uploaded on your Company's website and the same can be accessed through <https://mrvc.indianrailways.gov.in>. The detailed financial results can be found in the Financial Statement section of the report under the Financial Statement

MRVC is registered under section 12A of the Income Tax Act, 1961 and is exempt from payment of income tax on the surplus generated in the relevant financial years. As per provisions of section 11 of the Income Tax Act, 1961 such accumulated surplus is required to be ploughed back into the objects of the Company within a period of five years. The target of ploughing back of surplus has been done by appropriating the funds from accumulated surplus.

MRVC has been executing Mumbai Urban Transport Projects [MUTP] to improve suburban rail infrastructure in Mumbai. The Company has finished MUTP-1 and MUTP 2A [largely funded with World Bank loan] and is now in the process of executing MUTP-2B, MUTP-3, MUTP-3A and Work of Passenger Amenities [Construction of FoBs in CR & WR].

MUTP 3 was sanctioned by Railway Board in 2016-17 at an estimated cost of ₹10,947crore whereas MUTP-3A was sanctioned in April 2019 at an estimated cost of

₹33,690crore. The expenditure on account of both these projects are to be shared equally between the Ministry of Railways [MoR] and the Government of Maharashtra [GoM] except for the work of Panvel-Karjat suburban corridor for which the ratio of cost sharing is 65:35 between GoM and MoR respectively. Part of MUTP-3 is funded under AIB LOAN, again to be shared equally between the MoR and the GoM.

MRVC has reported total Project Expenditure of ₹1850.02 crore as compared to ₹1658.02crore for the previous year. During the year MRVC has received total funds amounting to ₹1899.18crore [₹1101.96crore from MoR and ₹733.14 crore from GoM] towards MUTP works. The Company has also received ₹9.84crore from Central and ₹54.24crore from Western Railways for Deposit Works respectively

A list of projects being executed under MUTP is given at **Annexure -'A'**.

No material changes and commitments have occurred after the close of the year till the date of this Report, which affects the financial position of the Company.

During the year, ₹109.84crore is proposed to be carried forward to Reserves and Surplus. Cumulative Reserves & Surplus to end of F.Y. 2023-24 are ₹405.25crore.

(3) MANAGEMENT DISCUSSIONS & ANALYSIS

The Management Discussion and Analysis Report forms an integral part of this Directors' Report and has been annexed to this report as **Annexure 'B'**.

(4) CORPORATE GOVERNANCE REPORT

The Board of Directors of the Company has adopted and follows the Corporate Governance Guidelines prescribed by Department of Public Enterprises [DPE].

A brief statement on Company's philosophy on Corporate Governance

Corporate Governance is the application of best management practices and compliance of laws, rules, and regulation so as to achieve the objectives of the Company. The Company believes in achieving the Company's goals and objectives through the highest levels of transparency, accountability and equity in all spheres of its operations and in all its dealings.

At MRVC, Corporate Governance is reinforced through the Corporate Governance guidelines and the Company's Code of Business Conduct and Ethics. Board and Management processes, audits and internal control systems are driven through the principles of our corporate governance framework. The business of the Company is overall managed by the Board of Directors. However, based on the organizational requirements for day-to-day operations, the Company has in place, a Schedule of Powers [SOP] defining financial powers of various levels of executives of the Company, various manual viz. accounts and finance manual, HR manual/establishment manual for check and balance of every activity of the company. The Company has diverse Board and well-structured committees of Board for effective decision making. The Company ensures compliance of the principles of Corporate Governance to the extent possible. The Company also ensures the compliance of applicable laws and a quarterly report on the compliance of laws is furnished to the Board of Directors. Directors /Senior Management are nominated for various training programs conducted by reputed organizations/institutions viz. DPE, SCOPE, NAHRD, IIM, IoD etc. Being a Government Company, the provisions of Right to Information Act, 2005 are applicable to your Company and all the information required to be supplied under the Act is provided to the citizens of India. The Company also has a Vigilance Department, headed by a Chief Vigilance Officer. Further, a Whistle Blower Mechanism has been appropriately implemented in the Company, which gives opportunity to the directors and employees to raise any concern of unethical or illegal or immoral activity occurring in the Company.

The requisite certificate from Practicing Company Secretary confirming the compliance with the conditions of Corporate Governance is attached as **Annexure 'C'**.

Board of Directors

MRVC is a "Government Company" under the administrative control of Ministry of Railways, Government of India, with 51% of the total paid up share capital of the Company being held by the President of India [through Ministry of Railways] and 49% by the Government of Maharashtra through the Governor, Government of Maharashtra. As per the Articles of Association of the Company, the power to appoint/nominate Directors on the Board of the Company vests with President of India, Government of India acting through Administrative Ministry and the Government of Maharashtra.

In terms of Article 119 of the Articles of Association of the Company, the sanctioned strength of the Board of the Corporation is 10 Directors. The composition of the Board of Directors is as under:

- i) 6 Functional Directors namely Chairman & Managing Director, Director [Projects], Director [Finance], Director [Technical], Director [Resettlement and Rehabilitation] and Director [Infrastructure and Commercial Development].
- ii) 2 Part-time Official Directors [one each from Ministry of Railways and Government of Maharashtra].
- iii) 2 Part-time Non-official Directors [Independent Directors] [One each from Ministry of Railways and Government of Maharashtra].

As on 31.03.2024, the Company's Board consisted of six Directors, comprising of three Whole-time Directors [including one woman director], two Government Nominee Directors [representing each Ministry of Railways and Government of Maharashtra] and one Independent Director [representing Ministry of Railways]. Although the composition of functional directors was in conformity with the provisions of the Companies Act, 2013 and DPE Guidelines on Corporate Governance, but not able to adhere the composition of directors fully due to non-appointment of Independent Director [representing Government of Maharashtra] on the Board.

The Company has taken up the issue with the Government of Maharashtra for nomination to appoint independent director on its Board, to enable compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and DPE Guidelines on Corporate Governance.



Board of Directors Meetings

During the financial year 2023-24, the Board of Directors met on 28.06.2023, 29.09.2023, 24.11.2023 and 14.03.2024 to transact the business and have complied with the provisions of Companies Act, 2013 relating to Board Meetings. Directors, who were not present in these meetings, were granted leave of absence as per the provisions of Companies Act, 2013. During the year, following were the Members of Board of Directors along with their attendance in the above meetings:

Name & Designation of Directors	Number of meetings			Whether AGM attended by the Director
	BoD held	required to be attended	attended	
A Full Time Directors				
1. Shri Subhash Chand Gupta [DIN 08339258] Chairman and Managing Director	4	4	4	Yes
2. Shri Rajeev Kumar Srivastava [DIN 09776128] Director [Projects]	4	4	4	Yes
3. Shri Subhash Chand Gupta [DIN 08339258] Director [Technical] [additional charge] [w.e.f. 01.12.2023]	4	1	1	N/A
Shri Ravi Agarwal [DIN 07631058] Director [Technical] [Upto 30.11.2023]	4	3	3	Yes
4. Smt. Smriti Verma [DIN 10369917] Director [Finance] [w.e.f. 01.12.2023]	4	1	1	NA
Shri Ravi Agarwal [DIN 07631058] Director [Finance] [additional charge] [Upto 30.11.2023]	4	3	3	Yes
5. Director [R&R] - Post vacant	NA	NA	NA	NA
6. Director [I&CD] - Post vacant	NA	NA	NA	NA
B Part-time Official Directors				
7. Shri Rajesh Kr. Garg [DIN 10117955] Part-time Official Director [MoR] [w.e.f. 06.04.2023]	4	4	3	Yes
8. Shri Aseem Kr. Gupta, IAS, [DIN 02607016] Part-time Official Director [GoM] [w.e.f. 08.06.2023]	4	4	1	No
Shri Bhushan Gagrani, IAS, [DIN 002040451] Part-time Official Director [GoM] [Upto 07.06.2023]	4	NA	NA	NA
C Part time Non-official Director				
9. Smt. Pushpa Jangid [DIN 09395493] Part time Non-official Director [MoR]	4	4	4	Yes
10. Part time Non-official Director [GoM] – 1 post [vacant]	NA	NA	NA	NA

Committees of the Board

To facilitate in-depth scrutiny and arriving at decisions with focused attention on the affairs of the company, the Board has delegated certain matters to Committees of the Board set up for that purpose. The details of Committees of Board are; 1. Audit Committee; 2. Risk Management Committee, 3. Nomination & Remuneration Committee 4. CSR and S Committee.

During the year, the Committees of Board of Directors as mentioned above have been reconstituted from time

to time due to change in composition of the Board of Directors of the Company.

There was no instance during the year, where the Board had not accepted recommendation(s) of committee(s) of the Board which is mandatorily required to be recommended by the committee(s) for the approval of the Board of Directors.

Audit Committee

The Audit Committee of the Board, inter-alia, provides reassurance to the Board on the existence of an effective

internal control environment. The terms of reference of the Audit Committee as per the guidelines set out in Section 177(4) of the Companies Act, 2013 and DPE guidelines are as follows:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (a) Review the efficiency of internal control mechanism. (b) Examine accounting, taxation aspects of all significant transactions. (c) Review the financial statements to assess whether the various accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India are being followed. (d) Review the reports furnished by the Internal Auditors and draft Audit reports submitted by Statutory Auditors and suggest suitable steps/actions thereof in regard to accounting policies followed and applied consistently. (e) Review the reasons and necessity of material departures from the practices followed by the Company. (f) Review whether the accounts present a true and fair view of the state of affairs of the Company as on a given date and of the statement of Income and Expenditure of the Company for the period ended as on that date. (g) Review whether proper and sufficient care is being taken for the maintenance of accounting records in accordance with the law. (h) Review whether proper safeguards for maintaining the assets of the Company and for preventing and detecting frauds are in place. (i) Review whether proper safeguard for avoiding other irregularities are in place. (j) Review whether financial statements are prepared on an ongoing concern basis. (k) Review of quarterly and annual financial statements. | <ul style="list-style-type: none"> (l) Review the payment of statutory dues to the Government. (m) Review the reasons for default in the payment of interest and refund of deposits, if public deposits are accepted by the Company. (n) Review the acceptance of loans, giving loans and making investments within the permissible limits. (o) Review of interested parties' transactions with reference to Disclosures by Directors. (p) Review of risk management system, submission of quarterly report. (q) To discuss & decide about the scope of audit with Statutory Auditor/Internal Auditor etc. (r) To investigate into any matter relating to Financial Management. (s) To appoint internal auditor, fix remuneration and to set other terms & conditions of appointment. (t) To recommend audit fee for statutory auditor to the Board of Directors. (u) To approve payment to statutory auditor for any other services rendered by statutory auditor. (v) To discuss with the statutory auditor before audit commences as well as to have a discussion after completion of audit to ascertain, if there are any areas of concern. (w) To review matters required to be included in the Directors' Report as "Directors Responsibility Statement" and "Management Discussion & Analysis Report" before they are placed before the Board of Directors. (x) To review follow up action on the observation of C&AG. (y) To review the functioning of Whistle Blower Mechanism |
|--|---|

During the financial year 2023-24, the Audit Committee met on 28.06.2023, 29.09.2023, 23.11.2023 and 14.03.2024. As on 31.03.2024, following were the Members of the Audit Committee along with their attendance in the above meetings:

Sl. No.	Name of Member	Status	No. of Meetings		
			held	required to be attended	attended
1.	Smt. Pushpa Jangid	Part-time Non-official Director/MRVC [Independent Director-MoR] as the Chairperson.	4	4	4
2.	Shri Rajesh Kr. Garg	Executive Director [Gati Shakti-1], Railway Board & Part-time Official Director/MRVC	4	4	3
3.	Shri Aseem Kr. Gupta [w.e.f. 08.06.2023]	Principal Secretary, UDD-I, GoM & Part-time Official Director/MRVC	4	4	0
4.	Shri Rajeev Kumar Srivastava	Director [Projects]/MRVC	4	4	4



[As per constitution of the Committee, Part-time Non-official Director [GoM] will also become member of the Committee as and when appointed by the Government of Maharashtra.]

Risk Management Committee

The Company was incorporated under the Ministry of Railways to execute the projects identified under rail component of Mumbai Urban Transport project and also to be involved in the planning and development of Mumbai Suburban Rail system.

While striving to meet the Corporate Mission and Corporate Objectives, the risks related to projects such as delay in completion of projects, escalation of project costs, contractual risks etc. go hand-in-hand along with the opportunities. The Company has developed a Risk Management Policy which seeks to strike a balance between company's strengths, weaknesses, opportunities and threats on one hand with the real and potential risks on the other hand.

Risk Management Committee consisting of Director [Technical] [Convenor], Director [Projects], Director [Finance] and Director [I & CD] as Members has been constituted for undertaking risk identification, measurement and mitigation, as stated in the mission of Risk Management Committee. The Committee met on quarterly basis on 03.05.2023, 10.08.2023, 13.11.2023 and 12.02.2024. Minutes of the Committee were submitted to the Audit Committee and the Board of Directors on quarterly basis for review, guidance and directions, if any.

As on 31.03.2024, following were the Members of the Risk Management Committee along with their attendance in the above meetings:

Sl. No.	Name of Member	Status	No. of Meetings		
			held	required to be attended	attended
1.	Shri Subhash Chand Gupta	Director [Technical]- Addl Charge – [w.e.f. 01.12.2023]	4	1	1
	Shri Ravi Agarwal	Director [Technical] [upto 30.11.2023]	4	3	3
2.	Shri Rajeev Kr. Srivastava	Director [Projects]	4	4	4
3.	Smt. Smriti Verma	Director [Finance] [w.e.f. 01.12.2023]	4	1	1
	Shri Ravi Agarwal	Director [Finance] Addl. Charge [upto 30.11.2023]	4	3	3

Nomination and Remuneration Committee

As per DPE guidelines and Section 178 of Companies Act, 2013, the Company has constituted a Nomination and Remuneration Committee consisting of Part-time Non-official Director [MoR], Part-time Official Director [MoR] and Part-time Official Director [GoM]. As per constitution of the Committee, Part-time Non-official Director [GoM] will also become member of the Committee as and when appointed by the Government of Maharashtra. The scope of the Committee is as under:

- ✓ To decide Performance related pay, the annual bonus/variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non-unionized supervisors, within the prescribed limits as per the DPE and other applicable guidelines, if any.
- ✓ To consider and recommend HR Policies relating to the perks/allowances for Senior Management (one level below the Whole time Directors) and other employees, to the Board of Directors.
- ✓ Review, applicability and implementation of any Pay revision for IDA Pay Scale for officers/employees of MRVC.
- ✓ Any other work as may be included by Companies Act, 2013 or DPE Guidelines from time to time.

During the year, the Committee met on 28.06.2023, 23.11.2023 and 14.03.2024. As on 31.03.2024, following were the Members of the Nomination and Remuneration Committee along with their attendance in the above meetings:

Sl. No.	Name of Member	Status	No. of Meetings		
			held	required to be attended	attended
1.	Smt. Pushpa Jangid	Part-time Non-official Director [MoR]	3	3	3
2.	Shri Rajesh Kr. Garg	Part-time Official Director [MoR]	3	3	3
3.	Shri Aseem Kr. Gupta	Part-time Official Director [GoM]	3	3	0

Corporate Social Responsibility & Sustainability [CSR&S] Committee

Based on the DPE guidelines, two tier CSR&S Committee has been constituted consisting of Board level Committee and Sr. Executive level Committee. Sr. Executive Level Committee submits regular report to the Board Level Committee and Board Level Committee reports to the Board of Directors for review, guidance, approvals and directions, if any.

CSR&S Committee undertakes various activities as stated in the Corporate Social Responsibility & Sustainability Policy, which is available at <http://www.mrvs.indianrailways.gov.in> under the head "News and Information". The Annual Report on Corporate Social Responsibility implemented by MRVC with initiatives taken during the year is annexed to this report under Management Discussion and Analysis Report.

During the year, the members of the Board level CSR&S Committee were as under:-

Board level Committee

- | | | | |
|----|--|---|----------|
| 1. | Part-time Official Director [MoR] | : | Chairman |
| 2. | Chairman and Managing Director | : | Member |
| 3. | Director [Projects] | : | Member |
| 4. | Part-time Non-official Director [MoR] | : | Member |
| 5. | Director [Infrastructure and Commercial Development] | : | Member |

The Board level CSR&S Committee met on 28.06.2023, 23.11.2023 and 14.03.2024. As on 31.03.2024, following were the Members of the CSR&S Committee along with their attendance in the above meetings:

Sl. No.	Name of Member	Status	No. of Meetings		
			held	required to be attended	attended
1.	Shri Rajesh Kr. Garg	Part-time Official Director [MoR]	3	3	2
2.	Shri Subhash Chand Gupta	Chairman and Managing Director	3	3	3
3.	Shri Rajeev Kr. Srivastava	Director [Projects]	3	3	3
4.	Smt. Pushpa Jangid	Part-time Non-official Director	3	3	3

General Meetings

Annual General Meetings of the Company were held at the Registered Office of the Company at Mumbai. The details of such meetings held during the last 3 years are as under:

AGM	Year	Venue	Date	Time
22nd	2020-2021	Registered Office, 2nd Floor, Churchgate Station Building, Mumbai-400 020	20.09.2021	12.30 pm
23rd	2021-2022	Registered Office, 2nd Floor, Churchgate Station Building, Mumbai-400 020	26.09.2022	03.30 pm
24th	2022-2023	Registered Office, 2nd Floor, Churchgate Station Building, Mumbai-400 020	29.09.2023	12.30 pm

No special resolution was passed in the above Annual General Meetings. In order to align the Memorandum and Articles of Association of the Corporation with respect to new Companies Act, 2013 and keeping in view the requirement of renewal of registration u/s 12A of the Income Tax Act, 1961, special resolutions with regard to Modification/Amendment in the Memorandum & Articles of Association of the Company were passed in the 2nd Extra-ordinary General Meeting held on 18.11.2021.

Performance Evaluation of Board Members and Independent Directors meeting

Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its notification dated 05.06.2015 had exempted Government Companies from the provisions of section 178 (2), (3) & (4) of the Companies Act, 2013, which requires performance evaluation of every director by the Nomination & Remuneration Committee. The circular further exempted



Govt. Companies from the provisions of Section 134 (3) (p) of Companies Act 2013, which provide about manner of formal evaluation of its own performance by the Board and that of its Committees and Individual Director in Board's Report, if directors are evaluated by the Ministry which is administratively in-charge of the Company as per its own evaluation methodology. Further, MCA vide notification dated 05.07.2017, also prescribed that the provisions relating to review of performance of Independent Directors and evaluation mechanism prescribed in Schedule IV of the Companies Act, 2013, is not applicable to Government companies.

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013, a separate meeting of Independent Directors could not be held as there was only one independent director on the Board throughout the year ended 31.03.2024.

Training of Board Members

In the rapidly changing business environment organisations need leaders who are growth drivers, strategic thinkers and effective communicators. To take on a senior role, one need to be equipped with the functional, managerial and leadership skills required to succeed. Accordingly, the Corporation organised various training programmes for the executives at all levels which would help them to expand their knowledge base and manage the affairs of the Corporation smoothly. In order to acquaint the Board Members with the background of the Corporation,

the practice of furnishing a set of documents/booklets to Directors on their joining the Board has been adopted. It includes Annual Reports for the last financial years, Memorandum & Articles of Association and Memorandum of Understanding with targets and achievements among others. The Company's Directors are also nominated from time to time to attend trainings/workshops/seminars on various relevant topics organized by DPE, SCOPE and other prestigious institutions.

Remuneration

MRVC being a Government Company under Companies Act, the whole time Directors of the Company are appointed by the President of India through Ministry of Railways and Governor of Maharashtra State. The Functional Directors appointed by Government of India, Ministry of Railways draw remunerations under Industrial Dearness Allowance, IDA pattern of pay scale pre-determined by the Government and as per the terms and conditions issued by Government of India from time to time. The Directors appointed by Government of Maharashtra do not draw any remuneration from the Corporation. The Part-time Official Directors [Government nominee] on the Board of the Company do not draw any remuneration from the Corporation but draw their remuneration under Central Dearness Allowance [CDA] pay scales from the Government of India as Government Officials. The Part-time Non-official Directors [Independent Director] are paid sitting fee of ₹20,000/- for each meeting attended.

Remuneration paid to the Whole Time Directors and Non-official Director during the year under review:

Sr. No.	Name	Designation	Salary & allowances	Other Benefits & Perks	Performance Linked Incentives	Total
1	Shri Subhash Chand Gupta	CMD	54,44,783	4,39,956	NIL	58,84,739
2	Shri Ravi Agrawal	Director [Technical]	36,31,675	39,87,516	NIL	76,19,191
3	Shri Rajeev Kumar Srivastava	Director [Projects]	53,03,518	6,12,418	NIL	59,15,936
4	Shri Smriti Verma	Director [Finance]	9,28,609	3,00,900	NIL	12,29,509
Total			1,53,08,585	53,40,790	NIL	2,06,49,375

Sitting Fees paid to Non-official Director [Independent Director] during the year under review was as under.

Name of Director	Sitting fees paid - [In Rupees]
Smt. Pushpa Jangid,	2,80,000

Auditors

- (i) M/s. RAV & Co., Chartered Accountants, Mumbai was appointed by the Comptroller & Auditor General of India [C&AG], New Delhi as the Statutory Auditors of MRVC for the financial year 2023-24.

- (ii) The C&AG entrusted the Supplementary audit of MRVC to the Director General of Audit [Western Railway], Mumbai.

- (iii) M/s. M A Shah & Co., Chartered Accountants, Mumbai was appointed as the Internal Auditor of the Corporation for a period of one year with effect from 01.10.2023 to 30.09.2024.

Audit Qualifications

The Company has made all due efforts towards ensuring that financial statements are prepared in the most transparent manner resulting in unqualified financial statements. There was no qualification in the Reports of

the Statutory Auditors issued by M/s. RAV & CO, Chartered Accountants Mumbai on the Accounts of the Company for the financial year ended 31.03.2024. The Comptroller & Auditor General of India has undertaken supplementary audit on the financial statements of the Company for the year ended 31.03.2024. The comments of the C&AG on the financial statements of the Company for the year ended 31.03.2024 and management reply thereon are attached alongwith the auditors report.

Disclosures

- a) The related party transactions during the financial year 2023-2024 is given vide note no. 34 of the Annual Financial Statement which is annexed to this Annual Report.
- b) No penalty has been imposed on the Company by any statutory authorities as a result of non-compliance. Details of tax demands related to Income Tax, Goods and Service Tax and Sales Tax are given separately under 'Other Information'.
- c) The Company has complied with the guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises to the extent practicable keeping in view the existing structure of the Company. In accordance with the guidelines, MRVC Ltd. has in place a Code of Business Conduct and Ethics for its Board Members and Senior Management Personnel and has included Corporate Governance and Management Discussion and Analysis Report in the Directors Report for the year 2023-24. The Company has also complied with the secretarial standards developed by ICSI on the various matters, applicable to the Corporation. Rules and Regulation wrt CSR applicable on the Corporation has also been complied with during the year under review.
- d) All items of expenditure debited in the books of accounts of MRVC Ltd. are for the purpose of project execution entrusted to MRVC Ltd. and are related to projects works.
- e) There are no personal expenses incurred for the members of the Board of Directors and the top management.
- f) The administrative expenses as a percentage of total expenses stands at 24.87% in 2023-24 from 22.12% in 2022-23.
- g) During the year, there was no case reported by the Auditors u/s 143(12) of the Companies Act, 2013.
- h) There are no significant material orders passed by the Judicial Bodies/Regulators/Courts which would impact the going concern and future operations of the Company.

- i) Order for the appointment of an Independent Director in the Corporation has been conveyed by the Ministry of Railways vide letter dated 09.11.2021. Online proficiency test is yet to be appeared by the Independent Director. During the year, Independent Director has provided the declaration that she meets the criteria of independence as provided u/s 149(6) of the Companies Act, 2013.
- j) In the year 2022-23, the networth of the Corporation increased to ₹321.04crore from ₹235.24crore in 2021-22. Therefore, in line with MCA press release No. 11/10/2009 CL-V dated 02.01.2015, the Annual Financial Statement for the year 2023-24 of the Corporation have been prepared and finalized taking into account the extant Indian Accounting Standards [as per Companies [Accounting Standards] Rules 2015, as notified by the Ministry of Corporate Affairs vide Notification dated 16.02.2015 and Schedule-III of the Companies Act, 2013, as amended from time to time] as applicable to the Corporation.
- k) During the year, no presidential directive was issued by the President for the Corporation.

(5) OTHER INFORMATION

A. Contingent Liability and Commitments

I. Contingent Liability

The details of disputed income tax and other cases considered as contingent liabilities not acknowledged as debt are as under:

i) Income Tax

In the matter of disputed Income Tax demands for AY 2016-17 and 2018-19 against which MRVC's appeals were pending before CIT(A)-NFAC, New Delhi, the appeals have been allowed in favour of MRVC vide order dated 05.06.2024 passed by CIT(A), NFAC-New Delhi.

Further, the appeal of the Company against the order of AO passed u/s 143(3) of the Income Tax Act, 1961 in respect of 7 Assessment Years i.e. from AY 2009-10 to AY 2015-16 was allowed by the CIT(A). The ITAT, Mumbai dismissed the appeal of the department filed against the orders of CIT(A) in respect of AY from 2009-10 to AY 2015-16. The income tax department had filed appeal against order of CIT(A) before the Hon'ble ITAT, Mumbai for AY 2009-2010 to AY 2015-16. The Hon'ble ITAT dismissed the appeals of IT Department and upheld the orders of CIT(A). The IT department has since



filed an appeal against the said orders of ITAT, Mumbai. The appeal is pending for admission in Hon'ble High Court of Bombay. The detailed year wise break-up of contingent liabilities has been disclosed in note no. 27 of the Notes forming part of the Financial Statements.

II. Commitments

- i) The estimated value of contracts remaining to be executed on Capital account [for MUTP works on behalf of MoR and GoM] and not provided for [net of Advances] is ₹2378.54 crore [31.03.2024], ₹2099.28 crore [31.03.2023], ₹2436.33 crore [01.04.2022].
- ii) The estimated value of contracts remaining to be executed on Capital account [for Other Works] and not provided for [net of Advances] is ₹0.22 crore [Previous year ₹1.62 crore].
- iii) The estimated value of contracts remaining to be executed by the Company on Revenue account and not provided for is ₹6.50 crore [Previous year ₹9.90 crore].

B. Procurement from Micro and Small Enterprises [MSEs] / TReDS

In line with the Public Procurement Policy of the Government of India, as amended, the Company is required to procure minimum 25% of the total procurement of Goods and Services from MSEs, out of which 4% is earmarked for procurement from MSEs owned by SC / ST entrepreneurs and 3% from MSEs owned by women. The procurement from MSEs during FY 2023-24 was as under:

Parameters	Actual / Target
Total Procurement from MSEs (General, Reserved as against SC/ST & Women)	Achieved 61.89% through MSEs target of 25%
Procurement from Reserved SC/ST MSEs	* NIL as against target of 4%
Procurement from Women owned MSEs	Achieved 22.04% as against target of 3%

* The deficit under the sub-targets was due to non-participation of vendors; MRVC has conducted awareness programs for SC/ST and women MSE entrepreneurs in May, 2023, October, 2023 and February, 2024 in association with MSME's SC/ST Hub Mumbai branch. Further, MRVC has fixed every Monday as a "Vendor Awareness Day" to help SC/ST and Women MSE Vendors to know the benefits being given to them under Public Procurement Policy and

displayed the same on MRVC website. Despite of the efforts, no participation from SC/ST MSE entrepreneur was received as on 31.03.2024.

DPE vide OM No. DPE-7(4)12007-Fin dated 04.05.2020 has advised that all CPSEs to register themselves and ensure mandatory onboarding of MSE vendors on Trade Receivables Discounting System [TReDS] platform, set up as per the notification of the Reserve Bank of India. In compliance with the above instructions, your Company is on the TReDS platform to facilitate financing of trade receivables of MSEs by discounting of their receivables and realisation of their payment before the due date. MRVC Website <https://mrvc.indianrailways.gov.in> may be look into for further details. In line with the same, one request received for an amount of ₹20.43 lakhs was processed on TReDS portal on 28.03.2024.

Directors and Key Managerial Personnel [KMPs]

The Chairman & Managing Director [CEO], Director [Finance], Director [Technical], Director (Projects), FA&CAO [CFO] and Company Secretary are the Key Managerial Personnel [KMPs] of the Company.

The following changes have taken place in the Board of Directors and Key Managerial Personnel of your Company upto the date of Annual General Meeting:

1. Shri Rajesh Kr. Garg, Executive Director [Gati Shakti-1], Railway Board joined as Part-time Official Director [MoR] on 06.04.2023 vice Shri Ram Prakash, who ceased to be Director on 31.01.2023 on account of his superannuation from Railway services.
2. Shri Aseem Kr. Gupta, IAS, Principal Secretary, UDD-1, GoM joined as Part-time Official Director [GoM] w.e.f. 08.06.2023 vice Shri Bhushan Gagrani, IAS, who ceased to be Part-time Official Director [GoM] w.e.f. 07.06.2024 on account of his transfer to other department.
3. Shri Ravi Agarwal, Director [Technical] superannuated on 30.11.2023.
4. Smt. Smriti Verma joined as Director [Finance] w.e.f. 01.12.2023.
5. Shri Vilas Sopan Wadekar joined as Director [Technical] w.e.f. 09.07.2024.
6. Shri Manoj Kr. Sinha, GM [S&T] was given additional charge of FA&CAO and appointed as CFO w.e.f. 28.06.2024 vice Smt. Smriti Verma.

Directors' Responsibility Statement

In terms of Section 134(5) of Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company confirms:

1. that in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
2. that the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the statement of income & expenditure of the company for that period.
3. that the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
4. that the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
5. that the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Annual Return

In terms of Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013, the Annual Return for the financial year 2023-24 in Form MGT-7 is placed on the website of the Company at <https://mrv.vc.indianrailways.gov.in>.

Particulars of Loans given, Investments made, Guarantees given and Securities provided

Particulars of loans, guarantees and investments under section 186 of Companies Act, 2013 are NIL during the year under review.

Contracts and Arrangements with Related Parties

The Company has undertaken transactions with related parties [Central and Western Railways, MMRDA, CIDCO] during the year in the ordinary course of business and at arm's length basis. The disclosures related to RPTs in accordance with applicable accounting standards are provided at Note-34 of the Financial Statement of the Company.

Particulars of employees under rule 5(2) of the Companies [Appointment and Remuneration of Managerial Personnel] Rules, 2014

During the year under review, the particulars of employees to be disclosed under rule 5[2i-iii] of the Companies [Appointment and Remuneration of Managerial Personnel] Rules, 2014 may be treated as NIL.

Particulars relating to conservation of energy and technology absorption and foreign exchange earnings and outgo

The Company is mainly engaged in executing rail infrastructure projects in Mumbai Suburban section under MUTP. The actions taken related to the above during the year under review are as under:-

Technology up-gradation, Conservation of energy, Pollution control and Noise Reduction

In 2x25 kV OHE system, power is fed from the Traction Substation [TSS] at 50 kV and utilization is achieved at 25 kV by providing Scott connecting transformers and Auto-transformers of adequate capacity and by providing one additional conductor normally referred as feeder wire. Centre point of the Auto Transformer is connected to the earth/Rail. This arrangement facilitates +25 kV Voltage between OHE and rail and -25 kV voltage between Feeder Wire and Earth/Rail.

The 2X25 kV AT feeding system is suitable to meet higher current requirement due to increase in number of trains with the inherent advantage of less voltage drop in feeder circuit for a given spacing of traction substations. To meet the larger power supply requirements, 2X25 kV system is used in various countries for increase in electrical load viz. High Speed Rail and DFFCIL in India. MRVC is implementing the above system under the MUTP-III project for VR-DRD section of Western Railway and PNVL-KJT of Central Railway

Gas Insulated Switchgear [GIS] compact type traction substations are being envisaged resulting in reduction in size, maintenance cost, less maintenance and significantly improved performance. Digital substation & SFC technology being adopted for TSS at Dahisar and Vasai Road in Western Railway.

- Lighter weight design of vehicle car body using Aluminium alloy or Austentic Stainless Steel and State-of-the-Art propulsion equipment have been proposed for new Vande Metro Rolling Stock.



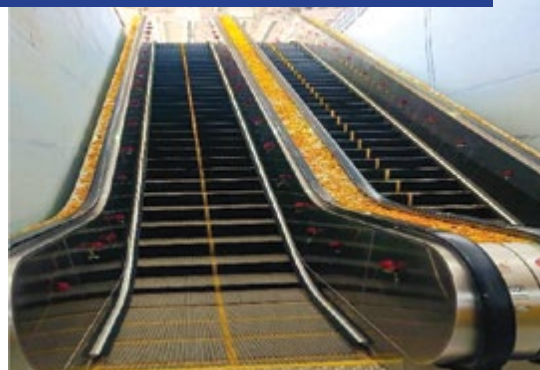
- Smart platform lighting is being proposed to be installed for stations.
- Adoption of energy efficient drive system Permanent Magnet Synchronous Motor [PSSM] Traction Motors SiC / IGBT device based Converter, RMPU with scroll compressor driven by VVVF features for induction of new Vande Metro EMU under MUTP-III project.
- High Volume Low Speed [HVLS] fans having VVVF features, and energy efficient fans are provided at Khar Road, Mira Road, Kandivali, Ghatkopar, BND MLND, MNKD, GV and PNVL stations which reduces energy consumption and provision has been made in all future projects.
- Provision of LED fixtures, star rated/ISI marked electrical appliances such as Inverter Split Air Conditioners, Ceiling fans, Water pumps, Water Coolers etc.



LED Fixtures and HVLS Fan at Khar Road Station

- At various Railway stations, provision of Escalators & Elevators has been made under the project of Station Improvement, BVI-VR, VR-DRD, PNVL-KJT and KYN-BUD section is initiated by the MRVC with latest technology for the passenger amenities and comforts.

Escalators at Khar Road & Digha Gaon Station



Elevators at Khar Road & Digha Gaon Station



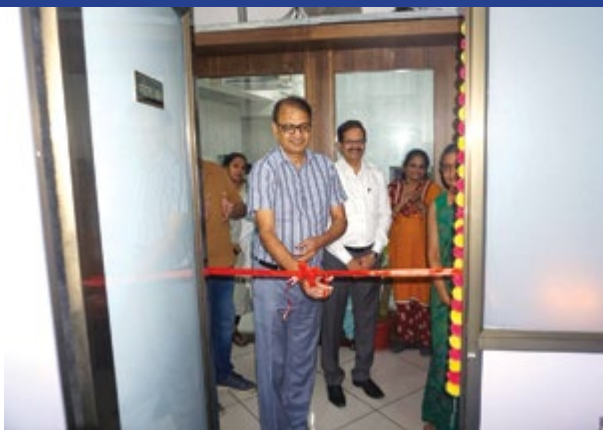
- A new station has been built by MRVC named Digha Gaon Station on Trans Harbour Line between TNA-VA. Six escalators and two elevators have been installed for passenger convenience.

Foreign Exchange Earnings and Outgo

Company has not earned any foreign exchange during the year 2023-24. Your Company has incurred NIL expenditure during the year in foreign currency as against ₹1.30crore [on consultancy] in previous year.

Employment of Women and Disclosure Requirement under Sexual Harassment of Women at Workplace Act [Prevention, Prohibition and Redressal Act] 2013

There is adequate representation of women officers and employees in the Organisation and the Corporation ensures conducive work environment for all. During the year, a separate room for women employees, when in need, was arranged at MRVC Corporate office, Churchgate:



The provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace [Prevention, Prohibition and Redressal] Act, 2013 and the rules thereon are being strictly complied with. The Company is committed to the prevention of sexual harassment of women at workplace and takes prompt action in the event of reporting of such incidents. In accordance with the Act, to provide protection against sexual harassment of women at workplace and to maintain their safety, MRVC has constituted Internal Committee to redress and resolve any complaint arising under the POSH Act. Training and awareness session was also conducted to enhance sensitivity at the workplace. On 7th December 2023 a workshop on POSH Act was conducted by Shri R. Subramaniam, Deputy Chief Law Officer/CR at MRVC Corporate office. During the FY 2023-24, one (1) complaint under Sexual Harassment was filed, which has been resolved.

Use of Official Language etc./राजभाषा

भारत सरकार के गृह मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न आदेशों के अनुसार एमआरवीसी

में राजभाषा को वर्ष 2023-24 के दौरान लागू करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम-2023-24 में राजभाषा को लागू करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में एमआरवीसी के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को व्यापक जानकारी प्रदान की गई। हिंदी का मूल पत्राचार, वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किया गया तथा सभी रजिस्ट्रारों और फाइलों पर विषय हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गए। सभी कंप्यूटरों में (यूनिकोड) हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। एमआरवीसी के कर्मचारियों को गृह मंत्रालय के पारंगत और हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया तथा उन्हें गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। एमआरवीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ई-ऑफिस में अधिक से अधिक टिप्पणियां हिंदी में लिखी गई। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा-3 (3) के तहत सभी दस्तावेज द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेजी) रूप में जारी किए गए। एमआरवीसी की वेबसाइट को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया गया है तथा विभागों से संबंधित सूचनाओं की सामग्री को हिंदी में भी अपलोड किया गया। एमआरवीसी में



राजभाषा का प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग का अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए हिंदी की वार्षिक गृह पत्रिका विकास-पथ पत्रिका का 14 वां अंक प्रकाशित किया गया। इस पत्रिका में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लिखित तकनीकी लेखों, राजभाषा नियमों, कविताओं और विभिन्न विषयों से संबंधित रचनाओं को शामिल किया गया है। वर्ष 2023-24 की पत्रिका का यह अंक एमआरवीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इस पत्रिका में लेख लिखने वाले 28 रचनाकारों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नकद पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा विभाग द्वारा तैयार वार्षिक हिंदी पत्रिका का विमोचन करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं अन्य अधिकारी ।



अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से हिंदी पुस्तकालय पुनः स्थापित किया गया और हिंदी पुस्तकालय के लिए महत्वपूर्ण हिंदी पुस्तकों की खरीद की गई। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अध्ययन के लिए दो दैनिक हिंदी समाचार पत्र हिंदी पुस्तकालय में नियमित रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। सभी अधिकारी और कर्मचारी हिंदी में प्रशिक्षित हैं तथा हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा नियम-8 (4) के तहत राजभाषा में कार्य करने के लिए 29 जनवरी 2024 को व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए। एमआरवीसी की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का निर्धारित अवधि में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजन किया गया और एमआरवीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा राजभाषा में किए जा रहे कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की गई।

एमआरवीसी में राजभाषा का प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग का अनुकूल तैयार करने के उद्देश्य से 21/09/2023 से 28/09/2023 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। हिंदी सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और रेल मंत्री के हिंदी दिवस सदेशों का वाचन किया गया। हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में सफल कर्मचारियों एवं अधिकारियों को तथा गृह मंत्रालय की हिंदी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को हिंदी सप्ताह के समापन एवं वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह में नकद पुरस्कार राशि और योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। एमआरवीसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की राजभाषा में कार्य करने की झिझक को दूर करने के उद्देश्य से समय-समय पर राजभाषा नियमों के अनुसार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। दिनांक 25 मई 2023 को एमआरवीसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजभाषा को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों

के बारे में अतिथि वक्ता ने व्यापक जानकारी दी। हिंदी कार्यशाला के उपरांत व्याख्यान पर आधारित एक राजभाषा प्रश्न-मंच आयोजित किया गया, जिसमें एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर अधिकारी एवं कर्मचारी को नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इस कार्यशाला में एमआरवीसी के 42 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। दिनांक 14 दिसंबर 2023 को एमआरवीसी के सम्मेलन कक्ष में हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। इस हिंदी कार्यशाला में अतिथि वक्ता ने तकनीकी कार्य हिंदी में करने में आने वाली समस्याओं और समाधान के संबंध में व्यापक जानकारी दी। हिंदी कार्यशाला के उपरांत हिंदी व्याख्यान पर आधारित राजभाषा प्रश्न-मंच आयोजित किया गया। एमआरवीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 2023 को सम्मेलन कक्ष में तकनीकी संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें अतिथि वक्ता ने सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी विषय पर तथा गृह मंत्रालय के कंठस्थ (अनुवाद सारथी) पर अपना व्याख्यान दिया।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार मुख्य राजभाषा अधिकारी की अध्यक्षता में 19 जुलाई 2023 को सम्मेलन कक्ष में एमआरवीसी के सभी निजी सचिवों एवं कर्मचारियों के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजभाषा अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को राजभाषा नियमों की व्यापक जानकारी दी गई तथा सभी मदों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्पों के बारे में बताया गया। इस विशेष बैठक में एमआरवीसी के 23 कर्मचारियों ने सहभागिता की। एमआरवीसी के कर्मचारियों के लिए 07 फरवरी, 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा तैयार कंठस्थ (अनुवाद सारथी) का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में 22 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से दिनांक 27 जून 2023 को हिंदी के महान साहित्यकार विष्णु प्रभाकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर

पर अतिथि वक्ता ने विष्णु प्रभाकर की हिंदी साहित्यिक गतिविधियों को अपने व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत किया। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 28 मार्च 2024 को आयोजित बैठक के दौरान हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद पर हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हिंदी संगोष्ठी में हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद की रचनाओं पर आधारित प्रेमचंद की रचनाओं में सामाजिक यथार्थवाद विषय पर अतिथि वक्ता ने महान साहित्यकार की विभिन्न रचनाओं का उल्लेख करते हुए समाज को दिए गए उनके योगदान को स्पष्ट किया गया।

मुंबई उपक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान समय-समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में एमआरवीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। राजभाषा में किए गए उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए मुंबई उपक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड को 25 जुलाई 2023 को द्वितीय राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया।

राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, मुंबई उपक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य अधिकारी।



भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14-15 सितंबर 2023 को पुणे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हिंदी दिवस और तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में एमआरवीसी की ओर से मुख्य राजभाषा अधिकारी तथा राजभाषा अधिकारी ने सहभागिता की। भारत सरकार के केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा मुंबई उपक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में मुंबई उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए होटल प्रबंधन, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुपयुक्त पोषक विज्ञान संस्थान, दादर मुंबई में दिनांक 21 अगस्त 2023 को आयोजित विशेष तकनीकी अनुवाद प्रशिक्षण में एमआरवीसी के राजभाषा अधिकारी ने अनुवाद में अर्थ संरचना एवं अनेकार्थी शब्दों के अनुवाद की समस्या और समाधान विषय पर व्याख्यान देकर व्यापक जानकारी दी गई। भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 नवंबर, 2023 को न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अणुशक्ति नगर, मुंबई में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में तथा महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल की उपस्थिति में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में एमआरवीसी की ओर से मुख्य राजभाषा अधिकारी तथा राजभाषा अधिकारी ने सहभागिता की।

एमआरवीसी कार्यालय में राजभाषा का प्रचार-प्रसार तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके कंप्यूटर टेबल पर राजभाषा नियमों की संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा माउस पैड तैयार किया गया है और सभी अधिकारियों एवं अनुभागों के लिए एक-एक राजभाषा माउस पैड उपलब्ध कराया गया।

Vigilance & Whistle Blower Policy

In MRVC, there is a full-fledged Vigilance Department which is headed by Chief Vigilance Officer [CVO]. Besides this, there is one Dy CVO and 2 vigilance managers in the vigilance wing. During the financial year 2023-24, 6 intensive examinations [CTE-type inspections], 12 regular and preventive checks were done by the Vigilance Wing. One Audit Report file was scrutinized in detail. Four System Improvements have been suggested to the management. Detailed scrutiny of IPR was also done during the year. There is no vigilance case registered in the organization during the year 2023-24. One person's name was removed from 'agreed list' after due scrutiny. As per direction of CVC, the organization undertook 3



months' vigilance awareness campaign from 16.08.2023 to 15.11.2023. Workshops and meetings were held during this period. MRVC observed Vigilance Awareness Week from 30.10.2023 to 05.11.2023 and on 30.10.2023, all officials of MRVC working at corporate office and different sites took the Vigilance pledge. Various competitions such as Essay Writing, Slogan Writing [in Hindi and English] and Drawing Competition on the topic "Say no to corruption; Commit to the nation" for all the employees and their family members were organized during the week. The response was overwhelming. Winners were felicitated. Those workshops are intended to impart awareness amongst officials to mitigate common errors. During Vigilance Awareness week, a booklet on PIDPI was also released by CMD.

MRVC has adopted Whistle Blower Policy under the guidelines of CVC and uploaded the same on MRVC website at <https://mrv.c indianrailways.gov.in>. Postal address and e-mail address of vigilance section have been provided on the MRVC website for lodging vigilance complaints by the general public. During the year, no complaint was received.

Capital Structure

As on 31.03.2023, paid up capital of the Corporation stood at ₹25crore. The Government of India holds 51% of the paid-up share capital amounting to ₹12.75crore and Government of Maharashtra holds 49% of the paid-up share capital amounting to ₹12.25crore of the Corporation. During the year, there was no change in the paid-up share capital.

Right to Information Act 2005

"In order to promote transparency and accountability in the working of MRVC under RTI Act, 2005, practical regime of "Right to Information for Citizens" has been set up by MRVC. This RTI set up helps citizens to secure information under the control of Public Authorities. The Company in its capacity as a Government Company and in deference to the spirit behind the law has appointed Appellate Authority, Central Public Information Officer & Assistant Central Public Information Officer to take care of compliance of Right to Information Act, 2005, which is available on MRVC's website. Summary of applications received and disposed of during the year 2023-24 under the Act is furnished below:-

	Received during the year [including cases transferred to other PAs]	No. of cases transferred to other PAs u/s 6(3)	Decisions where requests/ appeals rejected /Returned to Applicant	Decisions where requests/ appeals replied
RTI Requests	112	28	nil	76
First Appeal	06	nil	nil	06

*08 RTI cases received in 2023-24 had the target date to reply in April 2024.

Means of Communication

The audited annual financial results are displayed on MRVC website <http://www.mrv.c indianrailways.gov.in>. Tenders/Expression of Interest [Eoi], details of tenders/contracts awarded, corporate mission and other details are posted on the website of the Company and are updated from time to time.

Acknowledgement

The Board of Directors gratefully acknowledge the co-operation and guidance received from the Ministry of Railways, Govt. of Maharashtra, MMRDA, CIDCO, Central and Western Railways from time to time.

The Board of Directors also place on record their appreciation for the valuable services rendered by the officers and employees of the Corporation at all levels during the year under review.

For and on behalf of the Board of Directors

Smriti Verma
Director Finance

Subhash Chand Gupta
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai.
Date: 02.08.2024

Annexure 'A'

A MUTP WORKS

₹ in Crore

1	MUTP-1	Sanctioned cost	Cumulative Expenditure upto 31.03.2024
i	MUTP-1 (components under Phase-1 is fully completed)	4501.80	4452.67

₹ in Crore

2	MUTP-2	Revised sanctioned cost	Cumulative Expenditure upto 31.03.2024
i	MUTP-2A (components under 2A is fully completed)		
1	DC to AC Conversion	838.48	805.60
2	EMU Procurement / Manufacture	3,104.47	2,950.72
3	EMU Maintenance facilities.	353.82	335.46
4	Stabilising Lines for EMUs.	245.11	260.97
5	Technical Assistance & Institutional Strengthening	47.00	56.22
6	Tresspass control measures including provisions of escalators	205.00	223.83
7	Unallocated & Front-end-Fee	8.80	-
	Total 2A	4,802.68	4,632.81
ii	MUTP-2B (components under sr. no. 2B(1) & (3) is under progress)		
1	Kurla - CSTM 5th & 6th line	1,367.00	531.67
2	Thane - Diva additional pair of lines.	440.00	708.34
3	Borivali - Mumbai Central 6th line.	918.53	784.10
4	Extension of Harbour Line to Goregaon	214.00	241.54
6	Resettlement & Rehabilitation.	124.00	23.43
5	Station Improvement & Trespassing Control	220.90	188.65
	Total 2B	3,284.43	2,477.74
	TOTAL for MUTP-2	8,087.11	7,110.55

₹ in Crore

3	MUTP-2C (Running of 12Car EMU on Harbor Line (CSTM-Panvel/ Andheri)	Sanctioned / Revised cost	Cumulative Expenditure upto 31.03.2024
1	Running of 12 Car EMU on Harbour line (CSMT-PNVL/ADH) CIDCO Part	661.21	649.85
2	Running of 12 Car EMU on Harbour line (CSMT-PNVL/ADH) MMRDA Part	128.34	123.45
	TOTAL for MUTP-2C	789.55	773.30

₹ in Crore

4	MUTP-3	Sanctioned Cost	Cumulative Expenditure upto 31.03.2024
1	New suburban corridor link between Airoli-Kalwa (elevated)	476.00	222.15
2	New suburban Railway corridor Panvel-Karjat (double line)	2782.00	1,583.83
3	Quadrupling of the Virar-Dahanu Road	3578.00	995.52
4	Procurement of Rolling Stock (565 coaches)	3491.00	-
5	Tresspass control on mid-section	551.00	446.46
6	Technical Assistance	69.00	45.64
	TOTAL for MUTP-3	10,947.00	3,293.59



₹ in Crore

5	MUTP-3A	Sanctioned Cost	Cumulative Expenditure upto 31.03.2024
1	Extension of Harbour Line between Goregoan to Borivli	825.58	1.01
2	5th & 6th Line between Borivali to Virar	2184.02	25.03
3	4th Line between Kalyan-Asangaon	1759.16	5.71
4	3rd & 4th Line KYN-Badlapur	1509.87	336.98
5	Kalyan Yard - Segregation of long distance and Suburban Traffic	865.68	66.39
6	Augmentation of Carrying Capacity and safety enhancement using CBTC	5928.33	0.03
7	Station Improvement under MUTP-3A	946.94	124.44
8	Procurement Air-conditioned EMU Rakes (191 nos. 12Car)	15802.89	0.00
9	EMU Maintenance facilities	2352.77	18.58
10	Stabling Lines (97 Lines)	556.63	0.00
11	Power Supply Augmentation - Traction Power Supply and General Power Supply	708.13	117.13
12	Technical Assistance	250.00	2.34
13	Bhivpuri EMU carshed and POH facilities		114.42
	TOTAL for MUTP-3A	33,689.99	812.06
A	TOTAL MUTP WORKS (1+2+3+4+5)	53,513.65	11,989.50

B Other MUTP related works executed out of MRVC's surplus

₹ in Crore

6	Works completed from surplus funds	Sanctioned cost	Cumulative Expenditure upto 31.03.2024
1	Provision of cushioning in 2nd Class seats	1.00	0.30
2	Extn. of PF 3&4 of CCG for 15 Coach W/o Covered shed	6.10	4.73
3	EMU Maint.-WR (done by MRVC)-Ph II	-	9.92
4	CSTM-FoB (Suburban Line to Main Line)-1	9.00	9.09
5	Extension of Harbour Line	-	10.00
6	Stabling Lines-Ph-II (Exec. by MRVC)	-	5.53
7	Warehousing facilities for Electrics of MUTP-II EMUs -ICF	9.85	9.66
8	Extension of Parel (S) FoB and Cover Shed landing & flooring of middle FoB at Matunga Road	2.34	2.08
9	5th-6th line between TNA-Diva	-	71.48
10	Updation of Techno Economics Feasibility Study & Final Location Survey for Bandra-Kurla Rail Link	0.20	0.20
11	Supply & Installation of Telecom Material-CCG Office (Surplus Deployment)	0.34	1.73
12	To provide Cover Over Platform at about 11700 sqm in CCG-VR.	8.19	9.15
13	Model OHE at Kurla new OHE office complex for training of Artisans and Supervisors	0.16	-
14	Construction of FoBs in Mumbai area (exe by WR)	0.74	0.94
15	Construction of FoBs in Mumbai area (exe by CR)	0.73	0.67
16	Work of Pathway, Pole Lights & Tower Lights (Central Railway)	4.26	4.45
17	Consultancy for Flood Vulnerability & Mitigation Assmt. on Mum Sub. CR & WR	0.50	0.54
18	Improvement to illumination in EMU Stab Yard (WR)	0.90	0.82
19	Providing Pathways at various stabling yard for EMU rakes inspection	1.90	1.87
20	CSTM-FoB (Suburban Line to Main Line)-2	3.00	2.74
21	Renovation/Strengthening of FoB (CR)	9.45	9.15
22	Provisions of 80 ATVMs on WR	0.98	1.24
23	Station Improvement Under MUTP3A	0.99	1.19
	Total works completed	60.63	157.48

₹ in Crore

7	Works under progress out of surplus funds	Sanctioned cost	Cumulative Expenditure upto 31.03.2024
1	Augmentation of Passenger Amenity items like Indicators and Announcement system at 31 stations in CSTM-Karjat & Kalyan-Kasara section.	9.51	8.92
2	Provision of LED type tube lights in EMU rakes of WR	4.17	1.06
3	Imprvment officers qtrs at Bhadwarpark Colony - (WR)	3.00	1.66
6	Widening of Platform No 5/6 Westside TNA STN (CR)	9.75	2.15
7	Implementation of FAS -MRVC	7.17	3.05
8	Increasing Operational efficiency in Suburban services of Mumbai Division -CR	8.45	-
9	Provision for Commissioning of State of Art department of Nephrology at Dr. BAM Hospital Byculla-CR	3.10	-
	Total works under progress	45.15	16.84
B	Total (6+7)	105.78	174.32

C Other Deposit works

₹ in Crore

8	Name of Deposit works related to MUTP	Sanctioned Cost	Cumulative Expenditure upto 31.03.2024
1	Consul Services for Pune-LNL DPR	3.17	4.13
2	Passenger Amenities (Construction of FoB)	322.85	311.01
i	Construction of FoBs in CR	134.36	101.63
ii	Construction of FoBs in WR	188.49	209.39
3	Construction of Hostel Bldg at IRICEN-Pune	53.26	6.13
4	Const of Bridge No.92 & 93	50.00	66.61
5	Infrasctrutue facility at IRICEN (PB 1079 24-25)	79.00	4.71
6	Construction of 48 units type V quarter Nirmal Park	113.95	1.01
7	Const of Bridge No.106 & 114A between SAPHALE and KELVE ROAD	9.79	4.29
C	TOTAL FOR OTHER DEPOSIT WORKS	632.02	397.89
D	GRAND TOTAL (A+B+C)	54,251.45	12,561.71

E SUMMARY OF POSITION OF MUTP AND RELATED WORKS

₹ in Crore

9	PROJETCS/WORKS COMPLETED	Sanctioned Cost	Cumulative Expenditure upto 31.03.2024
1	MUTP-1 (Project completed and finacially closed)	4,501.80	4,452.67
2	MUTP-2A	4,802.68	4,632.81
3	MUTP-2B	998.90	1,161.96
4	MUTP-2C	789.55	773.30
5	MRVC surplus works	* 58.66	157.48
6	Deposit works	11.16	11.81
	TOTAL	11,162.75	11,190.03

₹ in Crore

10	PROJETCS/WORKS UNDER PROGRESS	Sanctioned Cost	Cumulative Expenditure upto 31.03.2024
1	MUTP-2B	2,285.53	1,315.78
2	MUTP-3	10,947.00	3,293.59
3	MUTP-3A	33,689.99	812.06
4	MRVC surplus works	47.12	16.84
6	Deposit works	620.86	386.08
	TOTAL	47,590.50	5,824.35
11	GRAND TOTAL (9+10)	58,753.25	17,014.38

* Works of ₹96.93 crore against sanctioned of MUTP-2 has been incurred out of MRVC's surplus.



Management Discussion & Analysis

(a) Industry Structure and developments

Indian Railways (IR) and Government of Maharashtra (GOM), through Mumbai Metropolitan Regional Development Authority (MMRDA), City and Industrial Development Corporation (CIDCO), Mumbai Railway Vikas Corporation (MRVC) Ltd. and Multilateral Funding Agencies are implementing a comprehensive investment plan for improving and expanding the transportation network of Mumbai through Mumbai Urban Transport Project (MUTP). MRVC implements MUTP works in phases. Works under MUTP I were completed in March 2012. Works under MUTP-II are also completed, except for two works, namely, 5th and 6th Lines between CSMT-Kurla and 6th Line between Mumbai Central and Borivali, which are being executed by Central Railway and Western Railway respectively. The 6th Line between Mumbai Central-Borivali was partially commissioned between Khar Road - Goregaon (8.8 km) on 05.11.2023.

The work of Running of 12 car on Harbour line was completed in April 2016 under which all Harbour Line services were augmented to 12 car rakes since June 2016. Work of 5th and 6th line between Thane and Diva was completed in February, 2022.

Mumbai Urban Transport Project (MUTP) III was sanctioned by the Union Cabinet in December, 2016 at a cost of ₹10,947crore. The cost of MUTP III is shared by Ministry of Railways and Govt. of Maharashtra out of which ₹6,129crore is the loan component and the remaining cost amounting to ₹4,818crore is to be shared between the Ministry of Railways and Govt. of Maharashtra. A loan agreement for 500 million USD (Approx. ₹3,500crore) was signed between the Ministry of Finance and the AIIB on 24.08.2020 for part financing this project. Except for the component of Procurement of Rolling Stock which is planned for implementation with MUTP-IIIA, all other works of MUTP-III are in progress.

As MMR region is rapidly expanding towards its northern and eastern sides including the New Airport in Navi Mumbai, upgrading the suburban transport in the island city and expansion of the network is inescapable. Based on this need, MRVC had conceptualized all essential rail projects for sustainable urban transport in the city of

Mumbai and put them in a single basket, named MUTP IIIA, which was sanctioned in March 2019, at a cost of ₹33,690crore, to be shared equally between IR and GoM. MRVC, Central Railway and Western Railway are the executing agencies for various components of the project. Except for the component of Procurement of Rolling Stock & CBTC, all other works of MUTP-III and MUTP-IIIA are in progress.

(b) Strengths & Weaknesses

Following are the strengths and weaknesses of the organization:

Strengths

- Time tested MDB (Multilateral Development Banks) procurement procedures are followed in MRVC.
- A majority of the officers have rich working experience in the suburban sections of both Central and Western Railways.
- An exclusive MUTP policy for resettlement and rehabilitation of project affected families is in place.
- As the projects are partly funded by MDB and has intensive monitoring by lending banks at regular/frequent intervals, achievement of Key Performance Indicators stipulated while discussing loan funding is imperative. Accordingly, Ministry of Railways and Government of Maharashtra are committed to provide adequate funds as and when required.

Weaknesses

- Coordination with multiple project related stakeholders/agencies, namely, Central Railway, Western Railway, MMRDA, Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM), RDSO, Integral Coach Factory, Railway Board, CRS and CIDCO is tedious and time taking.
- Bureaucratic delays in getting necessary approvals from Government agencies.
- Permanent MRVC cadre is limited.

(C) Opportunities and Threats

Opportunities

- Opportunity for adoption of international best practices and innovation in terms of technology, system and process and business operation not only for MRVC but also for Indian Railways.
- Bring a quantum leap in augmentation and strengthening suburban infrastructure.
- Opportunity to take consultancy studies and other rail transport infra project for suburban/metro rail as MRVC has requisite capacity to do so.
- To earn goodwill from travelling public and media if the project gives desired results in reducing crowds in Mumbai local trains.

Threats

- Resettlement & Rehabilitation and land acquisition are major threats in completion of works of new lines and new infrastructure.
- Continuous and timely availability of funds is the basic requirement for execution of projects. Any delay in funding by stakeholders may delay the completion of the projects.
- Delay in implementation of projects infrastructure due to technical complexity, myriads of utilities shifting and removal of underground cables etc. in brown field projects.

(d) Outlook for the future

MRVC's outlook is to achieve its mission to augment and create infrastructure with appropriate technology that enables reduction in crowd levels by creating additional capacity and providing efficient, reliable, comfort and safe suburban services to Mumbaiers. While adhering to the mission, MRVC is committed to delivering the projects within the stipulated budget and time to provide maximum benefit to the city of Mumbai.

In the aggregated National Infrastructure Pipeline (NIP) for FYs 2019-25, a principal object is creation of world-class infrastructure for citizens to improve and enhance their suburban travel experience. It aims to propose and implement suburban rail infrastructure project in MMR. Capital Expenditure in infrastructure sectors projected between 2020 to 2025 is placed at ₹102lakh crore in which the allocation for Railways is ₹13.69lakh crore, 13% of Capital Expenditure.

The Company considers the NIP to be an opportunity to

reiterate its own vision of providing suburban transport to the MMR with safer travel, modern stations, higher average speed, and improved customer experience in close coordination with the state government and its agencies.

(e) Risks and concerns

Most of the works under MUTP being executed and implemented by MRVC are in the existing corridors of Western and Central Railways. These need close coordination between MRVC and Railway officials on a day-to-day basis. Coordination is also required between many stakeholders for getting various statutory and regulatory approvals, requirement of funds, land acquisition, and Resettlement & Rehabilitation. MRVC, therefore, should be able to take decisions with clarity, implement with conviction and have courage for actions to be taken for which capacity building is to be done. Short tenures in MRVC by officers and staff deputed by Railways may pose a challenge of continuity. Contracting strategies and systems, land acquisition, Resettlement & Rehabilitation, Project monitoring mechanism in MRVC are different in comparison to Indian Railways and there is a steep learning curve in these areas.

(f) Internal Control System

Internal Control is an integral process for safeguarding every organization against risks, to provide reasonable assurance that there is efficiency, effectiveness, order, ethic and economic gain in pursuit of the organization's objective, and that the organization's resources are protected against any loss, damage and misuse. In this regard, MRVC has adequate internal control systems. The organization has a Finance and Accounts Manual for its day to day functioning to ensure that all transactions are executed efficiently, effectively, ethically, economically and in an orderly manner. The Manual is updated routinely, the last update having been carried out in June 2024. Copies of the Finance and Accounts Manual have been provided to all concerned officers and supervisors.

To standardize the procurement process, MRVC has its own procurement manual for Works and procurement manual for Goods, Services and Consultancy are in process of approval. To adhere to uniformity in bidding process of works, MRVC has its own standard bid document for laterally funded projects. For Bank funded projects, MRVC uses standard bid documents provided by the lending bank i.e. AIB/WB/NDB etc.

MRVC has a detailed Schedule of Powers for General, Stores, Publicity and Works' matters. This is implemented and followed prudently and is updated periodically as per need.



There is a three-tiered auditing system in MRVC, namely, Internal Audit, Statutory Audit, and C&AG Audit. Upon getting reports from the Auditing agencies, the Audit Committee of the Company discusses matters of importance as brought out in the report and makes recommendations thereon. The Board of Directors regularly reviews the findings and recommendations of the Audit Committee and issues directives for corrective action wherever necessary. The Board also monitors the compliance of these recommendations.

Based on the above it is stated that the Internal Control System existing in MRVC is commensurate with the size of the Company.

(g) Analysis of Finance and Operation

"MRVC carries out sanctioned suburban railway infrastructure works. At present the projects under execution are Mumbai Urban Transport Project (MUTP) Phase-2, MUTP Phase-3, MUTP Phase-3A, Construction of Foot over Bridges (FoBs) across Western and Central Railways' suburban network, IRICEN Hostel building, and mostly Construction Bridge nos 92 & 93, 106 & 114A. The expenditure on MUTP works is shared on 50:50 basis between the Government of Maharashtra and the Ministry of Railways, whether chargeable to the two stakeholders' own resources or to AIIB/MDB.

During the financial year 2023-2024, works have been executed under MUTP-2, MUTP-2C, MUTP-3, MUTP-3A, Passenger Amenities (Construction of FoBs across CR and WR), Consultancy Services for Pune-LNL DPR, IRICEN Hostel, Construction of 48 units type V Quarter Nirmal Park, Bridge no. 92 & 93 and Bridge nos 106 & 114A. Accordingly, expenditure of ₹205.91crore, ₹10.12crore, ₹951.01crore, ₹601.18crore, ₹24.08crore, ₹0.02crore, ₹4.71crore, ₹1.01crore, ₹40.83crore and ₹4.29crore was incurred under MUTP-2, MUTP-2C, MUTP-3, MUTP-3A, Passenger Amenities works, IRICEN Hostel, Construction of 48 units type V Qtrs. Nirmal Park, Bridge nos. 92 & 93 and Bridge nos 106 & 114A respectively.

During the year, the Company spent ₹23.86crore for MUTP related works out of MRVC's surplus."

(h) Human Resources, Industrial Relations and Talent Management issues

I HUMAN RESOURCE

(a) Staffing

Manpower acquisition in the Corporation is done mainly through deputation from Railways, absorption and reemployment of retired employees. Advance planning is made and availability of adequate manpower is ensured for the smooth functioning of the project works at site and back-office. As on 31.03.2024, total strength of the Corporation was 213 employees.

In terms of Railway Board's letters No.2014/E(TRG)/30/16 dated 22.08.2014 & 10.10.2014, the corporation organises Summer Internship for the undergraduates of engineering and management studies. During May-June 2023, 7 such students of Gati Shakti Vishwavidyalaya were given internships.

(b) Employee Engagement

The corporation fosters a sense of belongingness among its employees. The principle of "Employee Care" is diligently upheld at all levels, enabling the swift achievement of corporate objectives. Throughout the year, an array of employees' engagement activities were carried out such as observance of International Yoga Day, MRVC Annual Day, Swachhata Pakhwada, International Women's Day etc. In addition, as welfare measure Wellness and Welfare camps, Health Camp etc. were also organised periodically. These activities play a significant role in alleviating work-related stress and rejuvenating the workforce.

- **Observation of International Day of Yoga (IDY)** - "International Day of Yoga" was observed on 21.06.2023 in a grand manner. The Yoga session was conducted by renowned Yoga Trainers from Shrimad Rajchandra Mission, Dharampur. Officers and staff at all levels participated in the yoga session.



- **Annual Day Celebration of MRVC** - The 24th Annual Day of MRVC was celebrated on 12.07.2023. During the occasion, Director (Projects), Executive Director (Civil) and Executive Director (Finance) addressed the gathering and gave a brief picture of activities carried out by MRVC. The cultural programme enriched the celebration.

Shri R K Srivastava, Director (Projects) inaugurating the 24th Annual Day function



- **Swachhata Pakhwada 2023** - In terms of Railway Board's extant instructions, Swachhata Pakhwada was observed from 16th September to 2nd October 2023. Officers and staff took Swachhata Pledge on 16.09.2023 and extensive Swachhata activities were carried out at corporate office and work-sites. Various competitions on "Swachhta Everyone's Responsibility" were also organised.





In continuation of Swachhata Pakhwada observance, in terms of Railway Board's instructions "Shramdaan-Ek Tareekh Ek Ghanta Ek Saath" on 01.10.2023 and "Special Campaign 3.0" from 2nd October to 31st October 2023 were observed in MRVC. CMD along with officers and staff took part in both the drives.



Celebration of 'Constitution Day' - In terms of Railway Board's instructions, on the occasion of Constitution Day on 26.11.2023, officers and staff read the Preamble to the Constitution, generated the Certificate and gave wide publicity to the same through social media.

- **Observance of "Universal Health Coverage Day", World Cancer Day, World Tuberculosis Day**

Universal Health Coverage Day - In terms of Railway Board's letter No.2022/PL/57/1/Misc.Pt.. dated 04.12.2023, 12.12.2023 was observed as "Universal Health Coverage Day", during which two health camps were organised - one at MRVC Corporate office, CCG and the other at FOB site near Chembur Station. Further, on 12.12.2023, a Seminar by Dr. Sheetal Goyal, Neurologist, Wockhardt Hospital was also organised on the topic of memory disorder at MRVC Corporate office.

During Health Check-up at MRVC Corporate office, CCG and FOB site at Chembur



Dr. Sheetal Goyal, Neurologist, Wockhardt Hospital during seminar on "Memory Disorder"



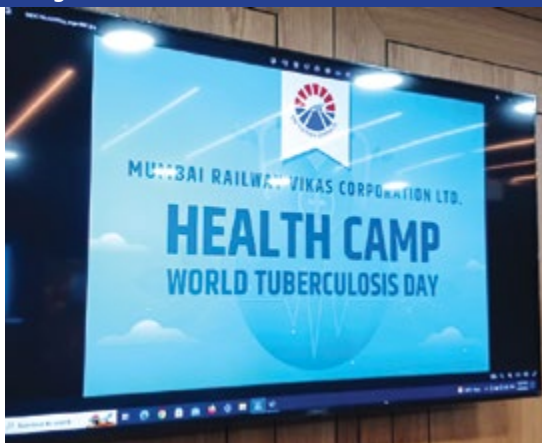
- **World Cancer Day** - On the occasion of "World Cancer Day" (04.02.2024), MRVC organized seminar and health check-up camp on 05.02.2024 (Monday). The seminar was conducted by Dr. Sanghvi Meghal Jayant, Oncologist, Wockhardt Hospital, followed by a "Health Check-up Camp" for women employees by the paramedical team of Wockhardt Hospital. A similar health check-up camp was also organized on 05.02.2024 at MRVC CSR Centre at Lallubhai Compound.

During seminar on cancer awareness



- **World Tuberculosis Day** - On the occasion of "World Tuberculosis Day" (24.03.2024), health check-up camp was organised along with a talk on "Awareness on Tuberculosis" by Dr. Aliya, Consultant Physician Wockhardt Hospital, in MRVC corporate office. A similar health check-up camp was also organized on this occasion at MRVC CSR Centre, Lallubhai Compound.

During seminar on cancer awareness





During seminar on cancer awareness



- **National Voters' Day** - In terms of Railway Board's instructions, 'National Voters' Day' was observed on 25.12.2023. In the MRVC Corporate office, Shri Subhash Chand Gupta, CMD, administered the Voter's Pledge. The staff at worksites also took Voter's Pledge.



- **Wellness & Welfare Camps** - Wellness & Welfare camps were organised on 13.01.2024 and 03.02.2024 at Visava Resort, Karnala, Panvel and Farm Regency Resort, Gorai, in which in all 135 employees participated. The very purpose of the camps was to alleviate work related stress.



- **Celebration of Republic Day** - Republic Day was celebrated on 26.01.2024 at Tunnel-2/P-1 at Karjat project site. Shri Subhash Chand Gupta, CMD unfurled the National Flag. Followed by singing of National Anthem, he received Salute from the RPF team. CMD in his address gave a brief picture of progress of various project execution and activities carried out by MRVC. He appreciated team MRVC for their commitment and dedication, without which it would not be possible to achieve the project executions in time. He requested team MRVC to continue the spirit and pace up execution of on-going projects for its timely completion.



- **Observance of Martyrs' Day** - In terms of Railway Board's instructions, two minutes silence was observed, and work and movement stopped for two minutes in the MRVC corporate office and at worksites on 30.01.2024 at 11.00 AM in the memory of those who sacrificed their lives during struggle for India's freedom.



- **International Women's Day Celebration** - "International Women's Day-2024" (08.03.2024) was celebrated with lot of enthusiasm. All women officers and staff attended the function, which was presided over by Smt. Smriti Verma, Director (Finance). Group discussion was held on the theme of "A strong society can be created only by strong women". During the occasion the significance of observance of International Women's Day was deliberated and the participants shared their experience focussing on women empowerment. The brief meditation session, poetry recital and talk on women empowerment enriched the celebration. As a token of gesture, all women employees were felicitated with gift.



II. INDUSTRIAL RELATIONS

Industrial Relations remained very cordial throughout the year due to open door policy of the Management as well as adoption of various progressive welfare measures.

III. TALENT MANAGEMENT

An all-encompassing talent management strategy is essential for fostering a more efficient team. Therefore, the primary focus remains on learning and development to enhance the knowledge base of the existing pool of talents. In order to fully utilize the human resources, the corporation is committed to continuously enhancing their skills through high-quality training programs. Various training programmes on talent management have been organised for the employees to improve leadership abilities, team dynamics and other key areas. During the year under review (2023-24) 580 man-days trainings (inland and foreign) were provided to executives at all levels.

i) Environmental Protection and Conservation, Technological conservation, Renewable energy developments, Foreign Exchange conservation

During the execution of Kalyan-Badlapur 3rd & 4th line project, a detailed survey of trees which will have to be cut/transplanted has been carried out and 580 no. of trees has been identified for cutting/transplantation. Necessary permission from local authorities has been taken for cutting of these trees. As per the permission, 5800 no. of trees will be planted (as compensatory plantation) before cutting of these trees. Land for compensatory plantation has been identified (along the project corridor) and compensatory

plantation shall be carried out before cutting of these trees for the project work.

For execution of quadrupling of Virar-Dahanu Road Railway project, trees and mangroves will have to be transplanted/ cut. MRVC has planned to plant 4000 trees and a provision has been made in the contract for plantation of 4000 nos. trees with maintenance of these trees for the period of three years. In addition to this, MRVC will take up compensatory plantation of mangroves through Forest Development Corporation of Maharashtra (A Govt. of Maharashtra undertaking).

Similarly, during the execution of rail component works under MUTP-III for Panvel-Karjat project, trees were cut for execution of works. MRVC has planned 2835 trees in Bhokarpada, Chikhale & forest area near Lodhivali village of Raigad District & also 22 nos of fruit trees have been transplanted at tunnel T2 location at vavarle villages with provision of two years maintenance. A provision was made in contract agreement for maintenance of two years for trees for their survival. In addition, to comply forest land acquisition condition of MOEF & CC Nagpur, MRVC has made payment for compensatory afforestation in over 20 hectares degraded forest land at village Aptavane Dist Raigad for Panvel Karjat project. MRVC has submitted wildlife conservation plan & wild life management plan for 10 years as a compliances of wild life condition in relation to forest land acquisition as per the condition of MOEF&CC during the stage I clearance.

It is also proposed to provide roof top solar panel on platform roof in Virar-Dahanu Section and also at Panvel, Karjat and Chikhloli station for production of pollution free electric energy and provision of subways for all stations of Panvel Karjat project and Escalators in station building at Panvel station.



About 12.78 Hec of mangrove forest (2612 Mangrove trees) is required for proposed 5th & 6th line between Borivali-Virar under MUTP-IIIA. Entire land belongs to Indian Railway prior to 1980, though as per MOEF&CC guidelines Provision of FC Act, 1980 is not applicable on land owned by Railway prior to 1980, Forest Clearance under FC Act, 1980 has been obtained from MOEF&CC, in compliance with order dated 18-09-2018 of Hon'ble High Court Bombay in PIL 87/2006. MOEF&CC has accorded final clearance for transfer of this 12.78 Hec. Land for the proposed 5th & 6th line project between Borivali-Virar. MRVC has paid cost for Compensatory Afforestation on 30 Hectare degraded forest by Forest Department. In addition, cost for plantation and maintenance for 10 years of 7860 (3 times the 2612 trees to be cut) mangrove trees have been paid to Mangrove Cell of Forest Department, Government of Maharashtra. Hon'ble High court Mumbai has granted permission to remove 2,612 mangroves from the land impacted by the construction of the 5th and 6th

railway lines between Borivali and Virar stations, as part of the Mumbai Urban Transport Project III-A.

j) Corporate Social Responsibility issues for the Company (CSR)

Corporate social responsibility in MRVC is in line with Companies Act, 2013 read with Companies (CSR) Rules, 2014 and such other rules, regulation, circulars, notification as may be applicable and as amended from time to time. The CSR activities of MRVC has given positive impact on the lives of the project affected peoples at resettlement colony at Lallubhai Compound, Mankurd. CSR Theme for the financial year 2023- 2024 was 'Health and Nutrition'. Company focused on curbing the malnutrition and promoting health and preventing healthcare. The details of the CSR activities undertaken by the Corporation have been detailed in the Annual Report on the Corporate Social Responsibility of the Corporation, which is annexed to this report.



Annual Report on CSR Activities for Financial Year 2023-24

1. Brief outline on CSR Policy of the Company.

Ans. The Corporate Social Responsibility Policy of the Corporation is as per Section 135 of the Companies Act 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 and such other rules, regulations, circulars and notifications as may be applicable and as amended from time to time. The CSR activities of the Corporation focus on the following: -

- Eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting preventive health care and sanitation and making available safe drinking water.
- Employment enhancing vocation skills especially among children, women, unemployed youth and the differently abled with livelihood enhancement projects.
- Works at stations falling in the business/influence area which are doable under CSR pursuant to Railway Board's letter No. 2015/5/En/ HM/06/06 dated 03.02.2016.
- Any other activity, projects or program (either new or on-going) which the Corporation deems fit as per the areas specified in section 135 of the Companies Act, 2013 as amended from time to time and/or any directions from the Ministry of Railways.

2. Composition of CSR Committee: [During: FY 2023-2024]

Sr. No	Name of Director	Designation / Nature Of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
1.	Shri Rajesh Kr. Garg [w.e.f. 06.04.2023]	Part-time Official Director [MoR] (Chairman of the Committee)	3	2
2.	Shri Subhash Chand Gupta	Chairman and Managing Director	3	3
3.	Shri Rajeev Kr. Srivastava	Director [Projects]	3	3
4.	Smt. Pushpa Jangid	Part-time Non-official Director [Independent Director] [MoR]	3	3
5.	Vacant	Director [Infrastructure and Commercial Development]	NA	NA

- Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company.

Ans. www.mrv.c indianrailways.gov.in

- Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Project carried out in pursuance of sub-rule 8, if applicable. Ans. Not applicable

- (a) Average net profit of the company as per section 135(5). Ans. ₹39,41,31,762/-

(b) Two per cent of the average net profit of the company as per section 135(5) Ans. ₹78,82,635/-

- (c) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years. Ans. NIL
- (d) Amount required to be set off for the financial year, if any. Ans. NIL
- (e) Total CSR obligation for the financial year (5b+5c- 5 d). Ans. ₹78,82,635/-
6. (a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project). Ans. ₹78,84,100/-
- (b) Amount spent on Administrative Overheads. Ans. NIL
- (c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable. Ans. NIL
- (d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)]. Ans. ₹78,84,100/-
- (e) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in ₹)	Amount Unspent (in ₹)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount.	Date of Transfer	Name of the Fund	Amount.	Date of transfer.
78,84,100/-	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

- (f) Excess amount for set off, if any

Sr. No	Particular	Amount (in ₹)
1	2	3
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	78,82,635/-
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	78,84,100/-
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	1465/-
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programs or activities of the previous financial years, if any	00
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years[(iii)-(iv)]	00

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

Sr. No.	Preceding Financial Year(s)	Amount transferr- ed to Unspent CSR Account under sub- section (6) of section 135 (In ₹)	Amount Spent in the Financial Year (in ₹)	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.		Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in ₹)	Deficiency, if any
				Amount (in ₹).	Date of transfer		
NIL							



8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: Ans. NO.

If yes, enter the number of Capital assets created/acquired

NIL

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

Sr. No	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pin code of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner
1	2	3	4	5	6

NIL

(All the fields should be captured as appearing in the revenue record, flat no, house no, Municipal Office/Municipal Corporation/ Gram panchayat are to be specified and also the area of the immovable property as well as boundaries)

Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5).

Ans. Not Applicable

(Chief Executive Officer or Managing Director or Director)

(Chairman CSR Committee).



Compliance Certificate

To the Members of
M/S. Mumbai Railway Vikas Corporation Ltd
2nd Floor, Churchgate Station Building,
Churchgate,
Mumbai: 400 020.

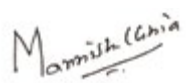
REG: COMPLIANCE CERTIFICATE WITH REFERENCE TO COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE UNDER GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE FOR CENTRAL PUBLIC SECTOR ENTERPRISES 2010

1. This Certificate is in accordance with compliance of conditions of Corporate Governance by M/s. Mumbai Railway Vikas Corporation Ltd. having CIN: U45203MH1999GOI120765 (hereinafter referred to as "Company") for the Financial year ended on 31st March, 2024 as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by Department of Public Enterprise (DPE), Government of India. (hereinafter referred to as "Guidelines").
2. The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination is limited to review of procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in the said guidelines. It is neither an audit and nor an expression of opinion of the financial statement of the Company. Our responsibility is to carry out an examination, on the basis of our professional judgment so as to award a reasonable assurance of the correctness and completeness of the records for the purpose of this certificate.
3. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of certification and have been provided with such records, documents, certifications etc. as had been required by us.
4. We certify during the review period, the company has complied with various provisions of the Guidelines in its Corporate Governance Report except:
 - a. Clause No.3.1.4 relating to at least one third of the Board Members should be independent Directors;
 - b. Clause No. 4.1.1 relating to composition of Audit Committee – two third of the members of Audit Committee shall be Independent Directors; and
 - c. Clause 4.4 relating to the attendance of Two Independent Directors at the Audit Committee Meetings.

On the above deviations, it has been briefed to us by the company that the power to appoint Directors on the Board of Directors of the Company is vested with the Central Government and the Government of Maharashtra, in accordance with the Articles of Association of the Company. Further, the company has informed the respective governments to fill up the vacant posts from time to time for achieving compliance with the requirement of Corporate Governance.

5. We hereby state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **Manish Ghia & Associates**
Company Secretaries
(Unique ID: P2006MH007100)


CS Mannish L. Ghia

Partner

M. No. FCS 6252, C.P. No. 3531
PR 822/2020

Place: Mumbai
Date: July 19, 2024
UDIN:F006252F000781015



Compliance of Code of Business Conduct and Ethics

Declaration by Chairman and Managing Director regarding compliance with the Code of Business Conduct and Ethics by BoD members and Senior Management during financial year 2023-24.

I, Subhash Chand Gupta, Chairman and Managing Director, Mumbai Railway Vikas Corporation Ltd. do hereby declare that all the members of the Board of Directors and the Senior Management Personnel of the Company have affirmed compliance of the Code of Business Conduct and Ethics during 2023-24.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Subhash'.

[Subhash Chand Gupta]

Chairman and Managing Director

Place: Mumbai

Date : 09.05.2024



Financial Highlights For Last 10 Years

(IN TERMS OF RAILWAY BOARD'S LETTER NO. 2010/PL/57/44 DATED 12.07.2010)

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Total Income (Incl. other income)	63.81	65.93	60.33	45.94	82.75	69.63	69.67	52.42	131.08	182.17
Direction & General Charges	26.63	28.42	31.51	22.98	40.39	39.98	36.16	35.72	108.70	119.46
Interest Income and other income	37.18	37.51	28.82	22.96	42.36	29.65	33.51	16.70	22.38	62.71
Expenditure (incl. increase/decrease in stock)	23.24	24.83	33.74	41.77	44.07	46.84	42.98	44.14	42.07	45.80
Employee Benefit Expense	15.94	17.51	24.42	30.25	33.43	36.06	34.89	34.73	32.16	33.75
Other Expenses	7.30	7.32	9.32	11.52	10.64	10.78	8.09	9.40	9.91	12.05
Operating Margin	40.56	41.10	26.59	4.17	38.68	22.79	26.69	8.28	89.01	136.37
Interest Expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciation	3.60	2.26	2.45	2.58	2.56	2.59	2.62	2.77	2.74	2.66
Prior Period (Income) / Expenditure	0.39	-1.37	0.76	-0.03	0.25	0.60	0.82	-2.06	0.00	0.00
Profit before tax [3-(-4+5+6)]	36.57	40.21	23.38	1.62	35.87	19.60	23.25	7.57	86.27	133.71
Less/(Add) Provision for Tax/ (Adjustment of Earlier Year)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit after tax	36.57	40.21	23.38	1.62	35.87	19.60	23.25	7.57	86.27	133.71
Dividend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foreign projects reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserves & Surplus	172.23	201.50	211.04	203.97	221.25	219.34	215.30	210.20	296.04	405.25
Net Fixed Assets (Gross Block)	42.15	42.13	40.89	39.06	38.32	41.85	44.30	39.45	36.98	35.36
Inventories	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foreign Exchange earnings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Share Capital	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Capital employed	513.44	382.50	265.78	423.85	468.22	483.04	542.83	244.26	576.10	734.47
Fund from Government (Unutilised funds for MUTP Works)	315.78	155.11	7.84	158.11	180.52	235.77	298.27	6.07	255.06	304.22
Net Worth	197.23	226.50	236.04	228.97	246.25	244.34	240.30	235.20	321.04	430.25
Profit before tax to capital employed (in %)	7.12	10.51	8.80	0.38	7.66	4.06	4.28	3.10	14.97	18.20
Operating margin to capital employed (in %)	7.90	10.75	10.00	0.98	8.26	4.72	4.92	3.39	15.45	18.57
Profit after tax to share capital (in %)	146.29	160.85	93.52	6.48	143.48	78.40	93.00	30.29	345.08	534.84
Expenditure to income (in %)	36.43	37.66	55.93	90.92	53.26	67.27	61.69	84.20	32.09	25.14
Number of Employees	239	261	278	288	268	256	227	202	179	179
Income per employee (9/26)	0.15	0.15	0.08	0.01	0.13	0.08	0.10	0.04	0.48	0.75
Foreign exchange earning per employee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Current ratio (in times)	7.81	6.92	2.07	3.68	5.25	6.09	9.08	3.25	4.75	5.63
Debt/equity ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Investments	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Earning Per Share (Amount in ₹)	1,478.65	1,608.53	935.38	64.75	1,434.89	784.01	930.10	302.90	3,450.80	5,348.40
Project Expenditure (CAPEX)	832.35	1,619.02	1,645.79	690.13	672.53	635.08	591.60	707.85	1,658.89	1,873.88
Utilisation of surplus	10.12	9.85	13.84	8.69	18.56	21.51	27.29	12.68	0.87	23.86



Financial Statements

64	Independent Auditor's Report
67	Annexure-A Referred to in our Independent Auditor's Report of even date
69	Annexure-B Referred to in our Independent Auditor's Report of even date
71	Annexure-C Referred to in our Independent Auditor's Report of even date
73	CAG Report
76	Balance Sheet
77	Statement of Income and Expenditure
78	Cash Flow Statement
79	Statement of Changes in Equity
80	Notes to the Standalone Financial Statements

Independent Auditor's Report

To the Members of MUMBAI RAILWAY VIKAS CORPORATION LIMITED

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of MUMBAI RAILWAY VIKAS CORPORATION LIMITED ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2024, the Statement of Income and Expenditure (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity, and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended, and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2024, its Surplus of income over expenditure, total comprehensive income, changes in Equity, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Information

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Management discussions and Analysis, Board's Report including Annexures to the Board's Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an



auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the Annexure-A a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
2. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
 - a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as it appears from our examination of those books;
 - c. The Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure including the Statement of Other Comprehensive Income, the Statement of Changes in Equity, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - d. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - e. In terms of Notification no. G.S.R. 463 (E) dt. 05-06-2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, the Provision of Section 164(2) of the Companies Act, 2013 in respect of disqualification of directors are not applicable to the Company.
 - f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the company and

the operating effectiveness of such controls, we give our report in the Annexure-B;

- g. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements. Refer Note-28(l) to the financial statements.
- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the company.
- iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

- (b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee,

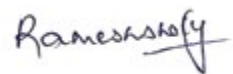
security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

- (c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under Sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
- v. The Company is not declared any dividend during the year. Hence compliance with section 123 of the Companies Act, 2013 is not applicable to the company.
- vi. Based on our examination, which included test checks, the Company has used accounting softwares for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2024, which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the softwares. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with.

As proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable from April 1, 2023, reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 on preservation of audit trail as per the statutory requirements for record retention is not applicable for the financial year ended March 31, 2024.

3. On the basis of such checks of the books and records of the Company, as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in "Annexure C".

for **RAV & CO**
Chartered Accountants,
FRN007532S



CA. Ramesh A. Shetty (Mem No- 204538)
Partner

UDIN : 24204538BKEBWA5297
Mumbai, 28th June 2024



Annexure-A

Referred to in Our Independent Auditor's Report of even date

- i) (a) (A) (a) The company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment;
- (b) As explained to us, the aggregate original cost, depreciation to date, and loss on discarded assets, if any as per the register/ records agrees with General Ledger balances.
- (B) The company has maintained proper records showing full particulars of Intangible assets;
- (b) As explained to us, these Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management at reasonable intervals and representation has been obtained confirming that items of PPE are physically verified by Company in accordance with the policy of the Company. No material discrepancies have been noticed on such physical verification;
- (c) According to the information and explanations given to us and based on the examination of documents provided to us, the company does not own any immovable property. In respect of immovable properties taken on lease, the lease deeds are in the name of the company, except for the immovable property taken on lease at CSMT for which the lease deed is under process.
- (d) As explained to us, none of the Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both has been revalued during the year, hence clause (i)(d) of paragraph 3 of the Order does not applies to the Company.
- (e) There are no proceedings have been initiated or are pending against the Company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made there under. Accordingly, the clause (i)(e) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the Company.
- ii) (a) The Company does not hold any inventory of it's own. Accordingly, the clause (ii)(a) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the company.
- (b) The Company has not been sanctioned working capital limits in excess of ₹5 crore, in aggregate, at any points of time during the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii) (b) of the Order is not applicable.
- iii) According to the information and explanations given to us, during the year the company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties covered in the register maintained under section 189 of the Act. Accordingly, the clauses (iii)(a) to (f) of paragraph 3 of the Order are not applicable to the company.
- iv) There are no loans, investments, guarantees and security to which provisions of section 185 and 186 of the Act are applicable. Accordingly, the clause (iv) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the company.
- v) Based on our examination of the Company's records and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from public during the year within the meaning of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules 2014. Accordingly, the clause (v) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the company.
- vi) We are informed that the Central Government has not prescribed maintenance of cost records under section (1) of Section 148 of the Companies Act, 2013 for any of the services rendered by the Company.
- vii) (a) According to the information and explanations given to us and the records of the company examined by us, in our opinion, the company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service-tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues, applicable to it with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, there were no undisputed statutory dues which have remained outstanding as at 31st March, 2024 for a period more than six months from the date they became payable;



- (b) Details of dues of Income-tax, Sales Tax, Service Tax and Value Added Tax which have not been deposited as on March 31, 2024 on account of disputes are given below:

Name of Statute (Nature of dues)	Nature of dues	Forum where dispute is pending	Period to which Amounts relates	Amount unpaid (₹ in lakh)
Income Tax Act, 1961	Income Tax	Bombay High Court	AY 2009-10	671
			AY 2010-11	878
			AY 2011-12	320
			AY 2012-13	705
			AY 2013-14	747
			AY 2014-15	782
			AY 2015-16	1243

Note: The above appeals are filed by the Income Tax Department in Hon'ble High court of Mumbai for A.Y. 2009-10 to 2015-16, u/s 260A which is at admission stage.

- viii) According to the information and explanations given to us and the records of the company examined by us, the company does not have any such transactions not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961). Accordingly, the clause (viii) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the company.
- ix) According to the information and explanations given to us and the records of the company examined by us, the company does not have any loans or other borrowings from financial institutions, banks, government or other lender, entity or person or subsidiaries, associates or joint ventures. Accordingly clauses (ix)(a) to (f) of paragraph 3 of the Order are not applicable to the Company.
- x) The company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or by way of preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally) as per requirement of section 42 and section 62 of the Companies Act, 2013. Accordingly, the clause (x)(a) & (b) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the Company.
- xi) On the basis of our examination and according to the information and explanations given to us, no fraud, by the company or any fraud on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.
- xii) The company is not a Nidhi company. Accordingly, the clause (xii) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the company.
- xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us the Company has complied with provisions of Section 177 & Section 188 of the Act where applicable.
- xiv) On the basis of our examination and according to the information and explanations obtained by us, the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business and the reports of the Internal Auditors for the period under audit were considered during the audit of the Company.
- xv) According to the information and explanations given to us and the records of the company examined by us, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, the clause (xv) of paragraph 3 of the Order relating to the compliance to the provisions of section 192 of the Act is not applicable to the company.
- xvi) The company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, the clause (xvi) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the company.
- xvii) The Company has not incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year. The clause (xvii) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the Company.
- xviii) There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year. Hence, information under clause (xviii) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the Company.
- xix) On the basis of our examination and according to the information and explanations obtained from financial statements and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, we are of the opinion that no material uncertainty exist as on the date of the audit report that company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.
- (xx) (a) In respect of other than ongoing projects, there are no unspent amounts that are required to be transferred to a fund specified in Schedule VII of the Companies Act (the Act), in compliance with second proviso to sub section 5 of section 135 of the Act.
- (b) There are no unspent amounts in respect of ongoing projects, that are required to be transferred to a special account in compliance of provision of sub section (6) of section 135 of Companies Act

for **RAV & CO**
Chartered Accountants,
FRN007532S

Ramesh A. Shetty

CA. Ramesh A. Shetty (Mem No- 204538)

Partner

UDIN : 24204538BKEBWA5297

Mumbai, 28th June 2024



Annexure-B

Referred to in Our Independent Auditor's Report of even date

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting of **Mumbai Railway Vikas Corporation Limited** ("the Company") as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year 2023-24.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

2. The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the ICAI. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.
4. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial

controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

5. We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

6. A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility



of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

8. In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2024, based on the internal control over financial

reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

for **RAV & CO**
Chartered Accountants,
FRN007532S

CA. Ramesh A. Shetty (Mem No- 204538)

Partner
UDIN : 24204538BKEBWA5297
Mumbai, 28th June 2024



Annexure-C

Referred to in Our Independent Auditor's Report of even date

Directions issued by the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 indicating the areas to be examined by the Statutory Auditors during the course of audit of annual accounts of Mumbai Railway Vikas Corporation Limited for the year 2023-24, our replies and the impact on the Financial Statements are as under:

S. No.	Areas Examined	Replies	Impact on Financial Statements
1.	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT systems? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes, the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT systems. No processing of accounting transactions is done outside IT system.	Nil
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver / write off of debts / loans / interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Govt. Company, then this direction is also applicable for statutory auditor of Lender Company)	Not applicable as the Company has not taken any loans or given any loans	Nil
3.	Whether funds (grants/subsidy etc.) received / receivable for specific schemes from Central / State Governments or its agencies were properly accounted for /utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	As verified, the company has properly accounted for /utilized the funds so received / receivable as per its term and conditions of the specific schemes of Central / State Govt. or its agencies.	Nil

for **RAV & CO**
Chartered Accountants,
FRN007532S

CA. Ramesh A. Shetty (Mem No- 204538)

Partner
UDIN : 24204538BKEBWA5297
Mumbai, 28th June 2024



भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग,
महानिदेशक लेखा परीक्षा का कार्यालय,
पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई - २०.



INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
WESTERN RAILWAY,
CHURCHGATE, MUMBAI - 20.

CONFIDENTIAL

No. Au/MRVC/Accts, 2023-24/1644,
Dated: 29/09/2024

To
The Chairman & Managing Director,
Mumbai Railway Vikas Corporation Limited,
Mumbai.

Sub:-Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Mumbai Railway Vikas Corporation Limited for the year ended 31st March 2024.

Sir,

Please find enclosed the Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Mumbai Railway Vikas Corporation Limited for the year ended 31st March 2024. The comments may be placed next to the Statutory Auditor's report with a proper indication in the list of contents in the Printed Annual Report.

A copy of the proceedings of the Annual General Meeting adopting the certified accounts and Statutory Auditor's report and comments of the Comptroller and Auditor General of India may be forwarded to this office immediately after the conclusion of the Annual General Meeting. Five copies of the printed Annual Reports may also be sent to this office.

Receipt of this letter and the enclosures may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Supriya Singh
29/9/2024

(Supriya Singh)
Principal Director of Audit,

Western Railway, Churchgate, Mumbai-20

Encl:- As above.



Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Mumbai Railway Vikas Corporation Limited for the year ended 31 March 2024

The preparation of Financial Statements of Mumbai Railway Vikas Corporation Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (the Act) is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the Financial Statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28 June 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 143(6) (a) of the Act of the Financial Statements of Mumbai Railway Vikas Corporation Limited for the year ended 31 March 2024. This Supplementary Audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my Supplementary Audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 143 (6) (a) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary, for enabling a better understanding of the Financial Statements and the related Audit Report.

A. Cash Flow from Operating Activities

Surplus as per Statement of Income & Expenditure- ₹ 13,371 lakh

Cash Flow from Investing Activity- ₹ (2,591) lakh

Surplus as per Statement of Income & Expenditure includes an amount of ₹ 6,217 lakh being interest income on Bank Deposits (₹ 6,039 lakh) and Government Securities (₹ 178 lakh).

As per Para 20 of Ind AS 7 'the net Cash Flow from Operating Activities is determined by adjusting profit or loss for the effects of all other items for which the cash effects are investing or financing cash flows'.

Para 31 of the Ind AS 7 provides that cash flows arising from interest and dividends received should be classified as cash flows from investing activities.

However, the Company had included the Interest from Bank Deposits and Government Securities in Cash Flow from Operating Activities instead of classifying it as Cash Flow from Investing Activities as required under Ind AS 7.

This had resulted into overstatement of Cash flow from Operating Activities by ₹ 6,217 lakh and a corresponding understatement of Cash Flow from Investing Activities by the same amount.

**For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

(Supriya Singh)

**Principal Director of Audit,
Western Railway, Churchgate, Mumbai-20**

Place: Mumbai

Date: 09/09/2024

MANAGEMENT REPLY TO THE COMMENT OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA (C&AG) ON FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2023-24

SN	Audit's remarks	Management Reply
A	Cash Flow from Operating Activities Surplus as per Statement of Income & Expenditure – ₹13371 lakh Cash Flow from Investing Activity – ₹ (2,591) lakh Surplus as per Statement of Income & Expenditure includes an amount of ₹6,217 lakh being interest income on Bank Deposits (₹6,039 lakh) and Government Securities (₹178 lakh) As per Para 20 of Ind AS 7 'the net Cash Flow from Operating Activities is determined by adjusting profit or loss for the effects of all other items for which the cash effects are investing or financing cash flows'. Para 31 of the Ind AS 7 provides that cash flow arising from interest and dividends received should be classified as cash flows from investing activities However, the Company had included the Interest from Bank Deposits and Government Securities in Cash Flow from Operating Activities instead of classifying it as Cash Flow from Investing Activities as required under Ind AS 7. This had resulted into overstatement of Cash flow Operating Activities by ₹6,217 lakh and a corresponding understatement of Cash Flow from Investing Activities by the same amount.	In previous financial years, a standard form of Cash Flow Statement existed showing Cash Flow from Operating, Investing, and Financing activities. In this format, Interest Income used to be shown under the head 'Operating Activities'. While preparing this year's Cash Flow Statement the same classification was used inadvertently due to this being MRVC's first year in the new Ind AS regime. With the adoption of Indian Accounting Standards (Ind AS) and as per Ind AS 7, cash flow has been bifurcated under two heads, namely, Cash Flow from Operating Activities and Cash Flow from Investing Activities. In the Ind AS regime, Interest Income is required to be shown under the head Investment Activities. Accordingly, to equivalent extent, cash flow from Operating Activities shall be reduced. The aim of the Statement of Cash Flow is to provide useful information about an entity's ability to generate cash and cash equivalents, and to depict how it can utilize funds for its business needs. The specific objective of Ind AS 7 is to provide information on historical changes in cash and cash equivalents of an entity by further classifying Cash Flow during a financial period into operating, investing and financing activities. It is submitted that Surplus as per the Statement of Income and Expenditure is the sum of Income from Operations AND Other Income; a major component of Other Income is Interest Income from investment activities. Thus, net increase / decrease in Total Cash and Cash equivalents remains unchanged.



SN	Audit's remarks	MRVC's Reply
		For the purpose of financial reporting in MRVC's Income & Expenditure and other Financial Statements, and the Memorandum of Understanding, there is clear bifurcation of income from D&G (Income from Operations) and Interest Income (Income from Investment). The Management had requested Audit vide letter dated 05.08.2024 to allow the Company to incorporate the suggested changes from the next financial year onwards. This was also recorded in the Minutes of meeting with Audit held on 12.08.2024.

For and on behalf of the Board of Directors

Smriti Verma
Director [Finance]
 [DIN: 10369917]

Subhash Chand Gupta
Chairman & Managing Director
 [DIN: 08339258]

Date: 11.09.2024
 Place: Mumbai



Balance Sheet

as at 31 March, 2024

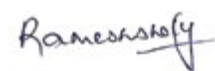
(₹ in lakh)

Particulars	Note No.	As at 31-03-2024	As at 31-03-2023	As at 01-04-2022
I ASSETS				
(1) Non-current assets				
(a) Property, Plant and Equipment	3	3,493	3,645	3,864
(b) Capital work-in-progress	4	-	-	28
(c) Other Intangible assets	5	43	53	59
(d) Financial Assets				
(i) Investment	6	4,921	2,438	-
(ii) Loan	7	1	1	2
(iii) Other financial assets	8	5	6	6
(2) Current assets				
(a) Financial Assets				
(i) Cash and Cash equivalent	9	4,608	3,062	3,368
(ii) Bank balances other than (i) above	10	60,234	49,873	13,970
(iii) Loans	11	3	4	4
(iv) Other financial assets	12	4,506	2,274	1,427
(b) Other current assets	13	10,567	10,829	11,673
(i) Short-term advances		9,025	9,543	10,351
(ii) Others		1,542	1,286	1,322
Total Assets (1+2)		88,380	72,183	34,401
II EQUITY AND LIABILITIES				
EQUITY				
(a) Equity Share capital	14	2,500	2,500	2,500
(b) Other Equity	15	40,525	29,604	21,024
LIABILITIES				
(1) Non-current liabilities				
(a) Financial Liabilities				
(i) Other financial liabilities	16	383	367	364
(b) Provisions	17	355	296	299
(c) Other non-current liabilities	18	30,422	25,506	243
(i) Fund balance for MUTP Works	18.1	21,172	15,202	(13,301)
(ii) Fund balance for Deposit Works	18.2	9,250	10,304	13,544
(2) Current liabilities				
(a) Financial Liabilities				
(i) Trade Payables	19	2,099	6,220	4,289
(A) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises; and		83	22	18
(B) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises.		2,016	6,198	4,271
(ii) Other financial liabilities	20	10,908	6,942	5,207
(b) Other current liabilities	21	1,125	698	430
(c) Provisions	22	63	51	45
Total Equity and Liabilities (1+2)		88,380	72,183	34,401
Summary of Significant Accounting Policies	1&2			

The accompanying notes no. 1 to 52 are integral part of the financial statements

As per our report of even date,
For R A V & CO

Chartered Accountants



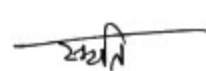
CA Ramesh A. Shetty
Partner
Membership No. 204538
Firm Registration No. 0075325

For and on behalf of Board of Directors

MUMBAI RAILWAY VIKAS CORPORATION LIMITED



S. C. Gupta
Chairman and Managing Director
DIN : 08339258



Smriti Verma
Director (Finance)
DIN 10369917



Manoj Kumar Sinha
Financial Advisor & Chief Accounts Officer



Sangeeta Verma
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 28th June 2024



Statement of Income and Expenditure

for the year ended 31st March 2024

(₹ in lakh)

Particulars	Note No.	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
I Revenue from operations	23	11,946	10,870
II Other income	24	6,271	2,238
III Total Income (I+II)		18,216	13,108
EXPENSES			
Employee benefits expense	25	3,375	3,216
Depreciation & Amortization	3-5	266	274
Other expenses	26	1,205	991
IV Total expenses		4,845	4,481
V Surplus before exceptional items and tax (III- IV)		13,371	8,627
Surplus of Income over Expenditure for the year		13,371	8,627
VI Exceptional items		-	-
VII Surplus before tax (V - VI)		13,371	8,627
VIII Tax expense:		-	-
(i) Current tax :		-	-
(ii) Deferred tax		-	-
IX Surplus for the year from continuing operations (VII-VIII)		13,371	8,627
Other Comprehensive Income (OCI)		-	-
A. Items that will not be reclassified to profit or loss		(63)	39
(i) Remeasurement of defined benefit plans		(63)	39
(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		-	-
X Total Other Comprehensive Income / (losses)		(63)	39
XI Total Comprehensive Income (comprising surplus/(deficit) and OCI for the year) (IX+X)		13,308	8,667
XII Earnings Per Share (EPS)			
(1) Basic (Earning Per Share in INR)		5,348	3,451
(2) Diluted (Earning Per Share in INR)		5,348	3,451
Summary of Significant Accounting Policies	1&2		

For R A V & CO
Chartered Accountants

CA Ramesh A. Shetty
Partner
Membership No. 204538
Firm Registration No. 0075325

Place : Mumbai
Date : 28th June 2024

For and on behalf of Board of Directors
MUMBAI RAILWAY VIKAS CORPORATION LIMITED

S. C. Gupta
Chairman and Managing Director
DIN : 08339258

Manoj Kumar Sinha
Financial Advisor & Chief Accounts Officer

Smriti Verma
Director (Finance)
DIN 10369917

Sangeeta Verma
Company Secretary



Cash Flow Statement

for the year ended 31-03-2024

(₹ in lakh)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
Cash flow from operating activities		
Surplus as per Statement of Income & Expenditure	13,371	- 8,627
Adjustment for:		
Depreciation on Plant, Property & Equipments	251	259
Depreciation on Intangible Assets	14	15
Loss /(Profit) on sale of Fixed Assets	3	8
Appropriation of Surplus by way of adjustment in MUTP	(2,386) (2,118)	(87) 195
Operating Surplus before working capital changes	11,253	8,822
Adjustment for working capital changes		
Decrease / (Increase) in loans	2	2
Decrease / (Increase) in other financial assets	(2,232)	(847)
Decrease / (Increase) in other current assets	261	844
Decrease / (Increase) in other bank balances	(10,361)	(35,903)
Increase / (Decrease) in trade payables	(4,121)	1,932
Increase / (Decrease) in other financial liabilities	3,982	1,738
Increase / (Decrease) in other current liabilities	427	268
Increase / (Decrease) in other non-current liabilities	4,916	25,262
Increase / (Decrease) in provision	8 (7,117)	42 (6,662)
A. Cash generated from operations	4,136	2,160
Cash Flow From Investing Activity		
Purchase of Fixed Assets	(112)	(63)
Sale of Fixed Assets	4	35
Decrease / (Increase) in investment	(2,484) (2,591)	(2,438) (2,465)
B. Net cash from / (used in) Investing activities	(2,591)	(2,465)
Cash Flow From Financing Activity		
C. Net Cash from / (used in) Financing Activities	-	-
Net Increase / (Decrease) in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)	1,545	(306)
D. Cash at the beginning of the year	3,062	3,368
Cash at the end of the period (C+D)	4,608	3,062

Note:

- The Cash Flow Statement has been prepared under the indirect method as set out in Ind AS 7 on Cash Flow statements as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013
- Figures in bracket indicate cash outflow.
- Cash & cash equivalents include Cash on hand and Current Account with Bank.
- The cash flows from operating, investing & financing activities of the Company are segregated based on available information.
- Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to correspond with current year's classification/ disclosure.

As per our report of even date,
For R A V & CO

Chartered Accountants

CA Ramesh A. Shetty
Partner
Membership No. 204538
Firm Registration No. 0075325

For and on behalf of Board of Directors
MUMBAI RAILWAY VIKAS CORPORATION LIMITED

S. C. Gupta
Chairman and Managing Director
DIN : 08339258

Smriti Verma
Director (Finance)
DIN 10369917

Manoj Kumar Sinha
Financial Advisor & Chief Accounts Officer

Sangeeta Verma
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 28th June 2024



Statement of Changes in Equity

A. Equity share capital

(₹ in lakh)

Particulars	Number of Equity Shares	Amount
Equity shares of INR 1000 each Issued, Subscribed and fully paid		
As at 1st April, 2022	2,50,000	2,500
Changes in Equity Share Capital during the period ending 31st March, 2023	-	-
As at 31st March, 2023	2,50,000	2,500
Changes in Equity Share Capital during the period ending 31st March, 2024	-	-
As at 31st March, 2024	2,50,000	2,500

B. Other Equity

(₹ in lakh)

Particulars	Retained Earnings	Other Comprehensive Income	Total
Balance as at April 1, 2023	29,565	39	29,604
Surplus for the year	13,371	-	13,371
Remeasurement of defined benefit plans	-	(63)	(63)
Less: transferred for deployment of accumulated surplus for object	2,386	-	2,386
Balance as at 31 March, 2024	40,549	(24)	40,525

(2) Previous reporting period

(₹ in lakh)

Particulars	Retained Earnings	Other Comprehensive Income	Total
Balance as at April 1, 2022	21,024	-	21,024
Surplus for the year	8,627	-	8,627
Remeasurement of defined benefit plans	-	39	39
Less: transferred for deployment of surplus for object	87	-	87
Balance as at March 31, 2023	29,565	39	29,604

As per our report of even date,

For R A V & CO

Chartered Accountants

CA Ramesh A. Shetty

Partner

Membership No. 204538

Firm Registration No. 007532S

Place : Mumbai

Date : 28th June 2024

For and on behalf of Board of Directors

MUMBAI RAILWAY VIKAS CORPORATION LIMITED

S. C. Gupta

Chairman and Managing Director

DIN : 08339258

Manoj Kumar Sinha

Financial Advisor & Chief Accounts Officer

Smriti Verma

Director (Finance)

DIN 10369917

Sangeeta Verma

Company Secretary

Notes to the Standalone Financial Statements

1 General Information

1.1 Company Overview

Mumbai Railway Vikas Corporation Limited (M R V C) is a Central Public Sector Enterprise (CPSE), (CIN:U45203MH1999GOI120765) domiciled and incorporated in India. The registered office of the company is located on the 2nd floor of the Churchgate Station Building, Maharshi Karve Road, Churchgate, Mumbai-400020.

MRVC was incorporated under the provisions of the Companies Act 1956 on 12th July 1999 with an authorized share capital of ₹25 crores. The President of India through Ministry of Railway (MoR) and the Governor through State Government of Maharashtra hold equity shares of the Company in the ratio of 51:49. MRVC is a Special Purpose Vehicle (SPV) under the control of Ministry of Railways with the predominant objective of drawing plans and implementing rail infrastructure projects, namely, Mumbai Urban Transport Project ["MUTP"], coordinating with organizations operating the train services, and protection of railways' right of way and urban development for purposeful resolution of allied issues.

MRVC's accounting policy is based on the "Flow of the Economic Benefit or Service potential of the asset created in the project (Mumbai Urban Transport Project's rail component)" as endorsed by the Expert Advisory Committee (EAC) of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in its February 2009 opinion on the subject. The genesis of the flow of benefit lies in MRVC's agreement with Indian Railways dated 13.09.2002 under which the assets created by MRVC are transferred to Western and Central Railways for operations and maintenance.

The financial statements have been approved for issue by the company's Board of Directors in their meeting held on 28th June 2024.

1.2 Basis of Preparation

These Ind AS Financial Statements of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016. Accounting Policies have been consistently applied except where newly issued accounting standard is initially adopted or revision to the existing standards requires a change in the accounting policy hitherto in use. Management evaluates all recently issued or revised accounting standards on an on-going basis.

2 Significant Accounting Policies

This note provides a list of significant accounting policies adopted in the preparation of the Ind AS Financial Statements. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

2.1 Statement of compliances

The Ind AS Financial Statements of the Company have been prepared in accordance with and comply in all material respects with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and other relevant provisions of the Act, as amended.

2.2 Basis of measurement

This Ind AS Financial Statements has been prepared on an accrual basis under the historical cost convention except for the following:

Certain financial assets and liabilities are classified as Fair Value through Income & Expenditure (FVTIE) or Fair value through Other Comprehensive Income (FVTOCI) as maybe required.

The defined benefit asset / (liability) is recognised as the present value of defined benefit obligation less fair value of plan assets.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

2.3 Functional and presentation currency

Items included in the Ind As Financial Statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (i.e., the "functional currency"). The Ind As Financial Statements are presented in Indian Rupee, which is the functional as well as presentation currency of the Company. All amounts in these Ind AS Financial Statements and notes have been presented in Lakhs as per the requirement of Schedule III of the Companies Act, 2013, unless otherwise stated. Transactions and balances with values below the rounding off norm adopted by the Company have been reflected as "0" in the relevant notes to this Ind AS Financial Statements.



Notes to the Standalone Financial Statements

2.4 Property, Plant and Equipment

All items of property, plant and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated in the balance sheet at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

With respect to Ind AS financial statement for the financial year ended 31st March 2024, Property, Plant and, Equipment had been measured at deemed cost, using the net carrying value as per previous GAAP as at 1st April 2022.

Capital work in progress is carried at cost, less any recognised impairment loss. Cost includes purchase price, taxes and duties, labour cost and other directly attributable costs incurred up to the date the asset is ready for its intended use. Such Capital works in progress are classified to the appropriate categories of property, plant and equipment when completed and ready for intended use.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Subsequent costs relating to day-to day servicing of the item are not recognised in the carrying amount of an item of property, plant and equipment; rather, these costs are recognised in Income or Expense as incurred.

An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in Income or Expense.

Depreciation methods, estimated useful lives and residual value.

Depreciation is recognized so as to write off the cost of assets less their residual values over their useful lives as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013, using the straight-line method. The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at the end of each reporting period, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis. Depreciation for assets purchased/ sold during a period is proportionately charged for the period of use.

2.5 Intangible assets

Intangible assets with finite useful lives that are acquired separately are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Amortization is recognized on a straight-line basis over their estimated useful lives. The estimated useful life and amortization method are reviewed at the end of each reporting period, with the effect of any changes in estimate being accounted for on a prospective basis.

Derecognition of intangible assets:

An intangible asset is derecognized on disposal, or when no future economic benefits are expected from continued use of intangible asset. Gains or losses arising from de-recognition of an intangible asset, measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, are recognized in statement of Income and Expenditure when the asset is de-recognized.

2.6 Impairment

Impairment of financial asset

In accordance with Ind-AS 109, the Company applies Expected Credit Loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss for financial assets. ECL is the difference between all contractual cash flows that are due to the Company in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive. When estimating the cash flows, the Company is required to consider –

- All contractual terms of the financial assets (including prepayment and extension) over the expected life of the assets.
- Cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

Other financial assets

For recognition of impairment loss on other financial assets and risk exposure, the Company determines whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition and if credit risk has increased significantly, impairment loss is provided.

ii) Non-financial assets

At the end of each reporting period, the company reviews the carrying amounts of its tangible and

Notes to the Standalone Financial Statements

intangible assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs. When a reasonable and consistent basis of allocation can be identified, corporate assets are also allocated to individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to the smallest Component of cash-generating units for which a reasonable and consistent allocation basis can be identified.

Recoverable amount is the higher of fair value less costs of disposal and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit) is estimated to be less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is recognised immediately in profit or loss

2.7 Inventories

Inventories comprises of materials, stores and spares, are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost comprises all costs of purchase including duties and taxes, freight inwards and other expenditure directly attributable to acquisition and to bring the inventories to its present location and condition.

2.8 Cash and cash equivalents

The Company considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible into known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage.

2.9 Revenue Recognition

The Company recognises its "revenue from operations" by way of Direction & General (D&G) charges. Revenue

from operation (i.e. D&G) is recognised at the specified percentage on the value of works completed / executed by contractors as per the contract terms.

In respect of consultancy services, revenue is recognized based upon completion of the respective identifiable stages of consultancy as per the contract terms.

The company recognises collection charges not exceeding 1% of actual collection/deduction of Building & other construction workers welfare cess, as other operating revenue as per the provisions of the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996.

Interest income is recognized on accrual basis.

2.10 Foreign currency transaction

Functional currency: The functional currency of the Company is the Indian Rupee. These financial statements are presented in Indian Rupees.

- (i) Income, Expenditure & Assets denominated in foreign currencies are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction.
- (ii) Loans, Current liabilities and Current assets in foreign currencies are translated at the exchange rate prevailing at the end of financial year.
- (iii) Gains or losses due to foreign exchange fluctuations are recognised in the Statement of Profit & Loss.
- (iv) Non-monetary assets and liabilities that are measured in terms of historical cost in foreign currencies are not translated.
- (v) The date of transaction (which includes receipt or payment of advance consideration in a foreign currency) for the purpose of determining the exchange rate, is the date of initial recognition of the non monetary asset or non monetary liability. If there are multiple payments or receipts in advance, a date of transaction is established for each payment or receipt.

2.11 Employee Benefits

a) Short Term Employee benefits

Employee benefits such as salaries, wages, bonus and performance linked rewards falling due wholly within twelve months of rendering the service are classified as short-term employee benefits and are expensed in the period in which the employee renders the related



Notes to the Standalone Financial Statements

service. The obligations are presented as current liability in the balance sheet if the entity does not have an unconditional right to defer the settlement for at least 12 months after reporting date.

b) Defined Benefit Plan

The liability or asset recognized in the balance sheet in respect of the retirement benefit plan i.e., gratuity plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated by an actuary using projected unit credit method.

Remeasurements, comprising actuarial gains and losses and the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable), is reflected immediately in the balance sheet with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur and consequently recognised in retained earnings and is not reclassified to Income and Expenditure. The retirement benefit recognised in the balance sheet represents the actual deficit or surplus in the Company's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of reductions in future contributions to the plan.

c) Defined Contribution Plan

Contributions to retirement benefit plans in the form of provident fund and pension scheme as per regulations are charged as an expense on an accrual basis when employees have rendered the service. The Company has no further payment obligations once the contributions have been paid.

d) Post employment benefits

Post Retirement Medical Benefit (PRMB) as per policy of the Company has been made effective from current reporting period for Directors of the Company and their families. The disclosure with respect of financial liabilities have been measured as per policy no. MRVC/E/PRMB/2023 dated 26.12.2023.

- e) Retirement benefits in respect of employees on deputation from Indian Railways are provided as per the rules and regulations applicable to the Indian Railways.

2.12 Tax on Income

As the Company is registered under section 12AB, the income is exempt under section 11 of the Income Tax Act

1961. Accordingly, the Ind AS 12 - "Income Taxes" is not applicable to the Company.

2.13 Earnings per share

The Company presents basic and diluted Earnings Per Share (EPS) data for its ordinary shares.

Basic EPS is computed by dividing the Income or Expenditure attributable to the ordinary shareholders of the company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period. Where ordinary shares are issued but not fully paid, they are treated in the calculation of basic earnings per share as a fraction of an ordinary share to the extent that they were entitled to participate in dividends during the period relative to a fully paid ordinary share.

Diluted earning per share is computed by dividing the net Income over Expenditure by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic EPS and also weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares. Dilutive potential equity shares are deemed converted as of the beginning of the period, unless issued at a later date. Dilutive potential equity shares are determined independently for each period presented.

2.14 Provisions, Contingent liabilities & Contingent assets

Provisions are recognized if, as a result of a past event, the Company has a present legal or constructive obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pretax rates that reflects, where appropriate, the risks specific to the liability. Where discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

A provision for onerous contract is recognized when the expected benefits to be derived by the Company from a contract are lower than the unavoidable cost of meeting its obligations under the contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected cost of terminating the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision is established, the Company recognizes any impairment loss on the assets associated with the contract

Contingent liabilities are not recognized in the Ind As Financial Statements but are disclosed in notes. A contingent asset is neither recognized nor disclosed in the Ind AS Financial Statements.

Notes to the Standalone Financial Statements

2.15 Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are recognized when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

a) Financial Assets

Financial Assets comprises of investments in government securities, cash and cash equivalents, loans and other financial assets.

Initial Recognition:

All financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through Income or Expenditure, transaction costs that are attributable to the acquisition of financial assets. Purchases or sales of financial assets that requires delivery of assets within a period of time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the company committed to purchase or sell the asset.

Subsequent Measurement:

i) Financial assets measured at amortized Cost:

Financial assets are subsequently measured at amortized cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and where contractual terms of financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

ii) Financial assets at Fair Value through Other Comprehensive Income (FVTOCI):

Financial Assets that are held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets and the contractual terms of financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding are subsequently measured at FVTOCI. Fair Value movements in financial assets at FVTOCI are recognized in Other Comprehensive Income.

iii) Fair Value through Income or Expenditure (FVTIE) :

Financial Assets are measured at FVTIE if it does not meet the criteria for classification as measured at amortized cost or at FVTOCI. All fair value changes are recognized in the Statement of Income and Expenditure.

De-recognition of Financial Assets:

Financial Assets are derecognized when the contractual rights to cash flows from the financial assets expire or the financial asset is transferred, and the transfer qualifies for de-recognition. On de-recognition of the financial assets in its entirety, the difference between the carrying amount (measured at the date of de-recognition) and the consideration received (including any new asset obtained less any new liability assumed) shall be recognized in the Statement of Income and Expenditure.

b) Financial Liabilities

The Company's financial liabilities include following:

i) Trade Payables

ii) Other Financial Liabilities

Classification

The company's financial liabilities are measured at amortized cost.

Initial Recognition and Measurement

Financial Liabilities are initially recognized at fair value plus any transaction costs, (if any) which are attributable to acquisition of the financial liabilities.

Subsequent Measurement:

Financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the Effective Interest Rate Method.

The Effective Interest Rate Method is a method of calculating the amortised cost of a financial liability and allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability.



Notes to the Standalone Financial Statements

De-recognition of Financial Liabilities:

Financial liabilities shall be derecognized when, and only when, it is extinguished i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

c) Offsetting of Financial assets and Financial Liabilities

Financial assets and Financial Liabilities are offset, and the net amount is presented in Balance Sheet when, and only when, the Company has legal right to offset the recognized amounts and intends either to settle on the net basis or to realize the assets and liabilities simultaneously.

d) Reclassification of Financial Instruments:

The Company determines classification of financial assets and liabilities on initial recognition. After initial recognition, no reclassification is made for financial assets or liabilities that are specifically designated as FVTPL. For financial assets which are debt instruments, a reclassification is made only if there is a change in business model for managing those assets. Changes to the business model are expected to be very infrequent.

The management determines the change in a business model as a result of external or internal changes which are significant to the Company's Operations. A Change in business occurs when the company either begins or ceases to perform an activity that is significant to its operations. If the Company reclassifies financial assets, it applies the reclassification prospectively effective from the reclassification date which is the first day of the immediately next reporting period following the change in business model. The Company does not restate any previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.

2.16 Share Capital

Ordinary Shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or share options if any are recognized as per applicable Ind-AS.

2.17 Leases

As per the terms of contract with the lessor, the lessor has an unrestricted and substantive right to substitute the specified asset throughout the period of use, accordingly,

the company does not have the right to use the identified asset throughout the period of use. Hence, considering the above facts, the contract is not of a lease.

2.18 Current/ non- current classification

An asset is classified as current if:

- It is expected to be realized or sold or consumed in the Company's normal operating cycle;
- It is expected to be realized within twelve months after the reporting period; or
- It is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is classified as current if:

- It is expected to be settled in normal operating cycle;
- It is expected to be settled within twelve months after the reporting period;
- It has no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

The operating cycle is the time between acquisition of assets for processing / trading/ assembling, and their realization in cash and cash equivalents. The Company has identified twelve months as its operating cycle.

2.19 Cash Flow Statement

Cash flow statement is reported using indirect method. The Surplus/(Deficit) is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the company are segregated based on available information.

2.20 Income and Expenditure in place of Profit and Loss

The Company does not operate with a profit motive, hence it prepares statement of Income & Expenditure instead of Profit & Loss Account. As the Company prepares statement of Income and Expenditure instead of Profit and Loss Account, the reference to Profit and Loss Account in various Indian Accounting Standards may be construed as reference to Statement of Income and Expenditure.

Notes to the Standalone Financial Statements

2.21 Project Accounting

The amount spent on MUTP projects, being implemented by the Company and covered by separate budgetary allocation in the budget for Indian Railways, contribution from Government of Maharashtra and funds utilised out of internal accrual of the Company are accounted for as "MUTP project Funds Utilised". Share of surcharge received/receivable on tickets issued by Indian Railways pertaining to the Government of Maharashtra (GOM) is disclosed as MUTP funds received from GOM. For the works being executed by the Company, miscellaneous receipts on account of sale of tender documents are treated as miscellaneous income and credited to Statement of Income and Expenditure. However, miscellaneous receipts on account of sale of tender documents for the works being executed by other executing agencies such as Central Railway, Western Railway etc are reduced from project funds utilised. "Funds from internal accrual of the Company may be utilised either for MUTP project or for carrying out any other work/project as per object of company." Bills for Price Variation Clause (PVC) are accounted for and provided for as and when the same are received from the contractors and considered payable.

3 Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty

Significant management Judgements

While preparing the financial statements, management undertakes a number of judgements, estimates and assumptions about the recognition and measurement of assets, liabilities, income and expenses.

The following are significant management judgements in applying the accounting policies of the Company that have the most significant effect on the financial statements.

Estimation certainty

Information about estimates and assumptions that have the most significant effect on recognition and measurement of assets, liabilities, income and expenses is provided below. Actual result may be substantially different.

- Defined benefit obligation
- Provisions
- Contingencies
- Impairment



Notes to the Standalone Financial Statements

Non-Current Assests:

Note 3 Property, Plant and Equipment

As at 31 March 2024

(₹ in lakh)

Particulars	Gross carrying amount (at Cost)			Accumulated depreciation				Net carrying amount		
	As at	Additions	Disposal /	As at	Upto	Additions	Disposal	As at	As at	As at
	1st		Transfer	31st	1st			31st	31st	31st
	April			March	April			March	March	March
	2023			2024	2023			2024	2024	2023
Leasehold premises \$	5,457	-	-	5,457	1,938	185	-	2,123	3,334	3,519
Furniture and fixtures	235	17	-	252	192	11	-	203	49	43
Vehicles	9	-	-	9	9	-	-	9	-	-
Office equipments	262	21	18	265	222	19	15	226	39	40
Computers	398	69	48	419	354	37	44	348	71	43
Total	6,361	107	66	6,402	2,716	251	58	2,909	3,493	3,645

As at 31 March 2023

(₹ in lakh)

Particulars	Gross carrying amount (at Cost)			Accumulated depreciation				Net carrying amount		
	As at	Additions	Disposal /	As at	Upto	Additions	Disposal	As at	As at	As at
	1st		Transfer	31st	1st			31st	31st	31st
	April			March	April			March	March	March
	2022			2023	2022			2023	2023	2022
Leasehold premises \$	5,457	0	-	5,457	1,753	185	-	1,938	3,519	3,704
Furniture and fixtures	234	1	1	235	181	11	0	192	43	53
Vehicles	17	-	8	9	17	-	8	9	-	-
Office equipments	262	17	17	262	217	17	12	222	40	46
Computers	397	35	34	398	335	46	26	354	43	62
Total	6,367	54	60	6,361	2,504	259	46	2,716	3,645	3,864

As at 1st April 2022

(₹ in lakh)

Particulars	Gross carrying amount (at Cost) as on 1st April 2022	Accumulated depreciation	Net carrying amount as at 1st April, 2022
Leasehold premises \$	5,457	1,753	3,704
Furniture and fixtures	234	181	53
Vehicles	17	17	-
Office equipments	262	217	46
Computers	397	335	62
Total	6,367	2,504	3,864

\$ Refer note no. 49(a)

Notes to the Standalone Financial Statements

Non-Current Assets:

Note 4 Capital work in progress (CWIP)

As at 31 March 2024

(₹ in lakh)

Particulars	As at 1st April 2023	Additions	Capitali -sation during the year	Adjust -ment / transfer	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Construction of 48 units Type V flats (1 block of stilt + 24 storey) Nirmal Park	-	-	-	-	-	-

As at 31 March 2023

Capital work in progress (CWIP)

(₹ in lakh)

Particulars	As at 1st April 2022	Additions	As at 31st March 2023	Adjust -ment / transfer	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
Construction of 48 units Type V flats (1 block of stilt + 24 storey) Nirmal Park	28	1	29	29	-	28

As at 1st April 2022

Capital work in progress (CWIP)

(₹ in lakh)

Particulars	As at 1st April 2022	As at 31st March 2022
Construction of 48 units Type V flats (1 block of stilt + 24 storey) Nirmal Park	28	28

Note:-

Refer note 49(d) for detailed disclosures.

Note 5 Intangible Assets

As at 31 March 2024

(₹ in lakh)

Particulars	Gross carrying amount (at Cost)				Accumulated depreciation				Net carrying amount	
	As at	Additions	Disposal /	As at	Upto	Additions	Disposal	As at	As at	As at
	1st		Transfer	31st	1st		/ Transfer	31st	31st	31st
	April			March	April			March	March	March
	2023			2024	2023			2024	2024	2023
Computer Software	150	4	0	154	97	14	-	111	43	53
Total	150	4	-	154	97	14	-	111	43	53

As at 31 March 2023

(₹ in lakh)

Particulars	Gross carrying amount (at Cost)				Accumulated depreciation			Net carrying amount		
	As at	Additions	Disposal /	As at	Upto	Additions	Disposal	As at	As at	As at
	1st		Transfer	31st	1st		/ Transfer	31st	31st	31st
	April			March	April			March	March	March
2022				2023	2022			2023	2023	2022
Computer Software	142	8	-	150	83	15	-	97	53	59
Total	142	8	-	150	83	15	-	97	53	59



Notes to the Standalone Financial Statements

Non-Current Assests:

As at 1st April 2022

(₹ in lakh)

Particulars	Gross carrying amount (at Cost)	Accumulated depreciation			Net carrying amount		
	As at 1st April 2022	As at 1st April 2022			As at 1st April 2022		
Computer Software	142	-	-	-	83	59	-
Total	142	-	-	-	83	59	-

Note 6 Investments

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 March 2024	As at 31 March 2023	As at 1st April 2022
Investments at Amortized Cost - Quoted			
Investment in Government Securities	4,921	2,438	-
Total Investments	4,921	2,438	-
Current	-	-	-
Non-Current	4,921	2,438	-
- Aggregate book value of quoted Investments	4,921	2,438	-
- Aggregate market value of quoted Investments	5,003	2,466	-
- Aggregate amount of impairment in value of Investments	-	-	-

Note 7 Loans

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 March 2024	As at 31 March 2023	As at 1st April 2022
Unsecured, considered good - others			
Multipurpose Loans to employees (At amortised cost)	1	1	2
Total	1	1	2

Note 8 Other financial Assets

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 March 2024	As at 31 March 2023	As at 1st April 2022
Security deposits at Amortized Cost	5	6	6
Total	5	6	6

Current Assests:

Note 9 Cash and cash equivalents

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 March 2024	As at 31 March 2023	As at 1st April 2022
(i) Balances with Bank			
(a) in current accounts	4,608	3,062	3,368
(ii) Cash on hand	-	0	0
Total	4,608	3,062	3,368

Notes to the Standalone Financial Statements

Current Assets:

Note 10 Bank balances other than note 9 above (cash and cash equivalents)

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 March 2024	As at 31 March 2023	As at 1st April 2022
Other bank balances			
(i) Balances with Bank			
In deposit accounts with maturity less than 12 months but more than 3 months	-	-	925
In deposit accounts with original term more than 12 months but remaining maturity period less than 12 months from the reporting date.	60,234	49,873	13,046
Total	60,234	49,873	13,970

Note 11 Loans

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 March 2024	As at 31 March 2023	As at 1st April 2022
Unsecured, considered good - others			
Multipurpose Loans to employees (At amortised cost)	3	4	4
Total	3	4	4

Note 12 Other financial assets

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 March 2024	As at 31 March 2023	As at 1st April 2022
Unsecured, considered good			
Security deposits (At amortised cost)	14	3	3
Interest accrued on fixed deposits	3,251	1,074	430
Interest accrued on Government Securities	1	8	-
Other misc recovery	-	-	1
Interest accrued on mobilisation advance	0	0	1
Share of surcharge receivable from GoM	1,240	1,188	992
Total	4,506	2,274	1,427

Note 13 Other Current Assets

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 March 2024	As at 31 March 2023	As at 1st April 2022
Unsecured, considered good			
Short term advances			
(a) Advances other than capital advance:	9,004	9,517	10,344
(i) Advances to Zonal Railways -Related Parties	2,889	1,186	937
Western Railway	2,620	699	594
Central Railway	269	487	343
(ii) Mobilisation Advances	5,958	8,331	9,399
(iia) Advances to contractors- MUTP works	5,958	8,235	9,228
(iib) Advances to Contractors-other than MUTP works	-	96	171
(iii) Other advances	156	-	8
(b) Prepaid Expenditure	22	26	7
Others			
TDS/ Taxes paid and Refund due	1,542	1,286	1,322
Total	10,567	10,829	11,673



Notes to the Standalone Financial Statements

Note 14 Share capital

(a) Authorised share capital

Equity Shares	Number	(₹ in lakh)
At 1 April 2022	250000	2,500
Increase/(decrease) during the year	-	-
At 31 March 2023	250000	2,500
Increase / (decrease) during the year	-	-
At 31 March 2024	250000	2,500

(b) Issued, subscribed and fully paid equity capital

Equity shares of INR 1,000 each issued and fully paid	Number	(₹ in lakh)
At 1 April 2022	250000	2,500
At 31 March 2023	250000	2,500
At 31 March 2024	250000	2,500

Issued, subscribed but not fully paid	Number	(₹ in lakh)
At 1 April 2022	-	-
At 31 March 2023	-	-
At 31 March 2024	-	-

(c) Par value per share

	Value per share in ₹	
	Number	
At 1 April 2022	-	1,000
At 31 March 2023	-	1,000
At 31 March 2024	-	1,000

(d) Reconciliation of the number of equity shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the year:

Particulars	At 31 March 2024		At 31 March 2023		At 01 April 2022	
	Number	(₹ in lakh)	Number	(₹ in lakh)	Number	(₹ in lakh)
Issued, subscribed & paid up equity capital at beginning of the year	2,50,000	2,500	2,50,000	2,500	2,50,000	2,500
Add : Issued during year	-	-	-	-	-	-
Less : Buyback during year	-	-	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	2,50,000	2,500	2,50,000	2,500	2,50,000	2,500

(e) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares at the year end:

Name of shareholder	At 31 March 2024		At 31 March 2023		At 01 April 2022	
	No. of shares held	% holding in that class of shares	No. of shares held	% holding in that class of shares	No. of shares held	% holding in that class of shares
Ministry of Railways	1,27,500	51	1,27,500	51	1,27,500	51
Government of Maharashtra	1,22,500	49	1,22,500	49	1,22,500	49
Face value per share (₹)	₹ 1,000		₹ 1,000		₹ 1,000	



Notes to the Standalone Financial Statements

(f) Details of Promoters shareholding:

Name of shareholder	At 31 March 2024		At 31 March 2023		At 01 April 2022	
	President of India (MOR)	Governor of Maharashtra (GOM)	President of India (MOR)	Governor of Maharashtra (GOM)	President of India (MOR)	Governor of Maharashtra (GOM)
No. of Shares	1,27,500	1,22,500	1,27,500	1,22,500	1,27,500	1,22,500
% of total shares	51%	49%	51%	49%	51%	49%
% change during the year	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

The company has only one class of equity shares having a par value of ₹1,000 per share (Previous year ₹1,000 per share). Each holder of the equity shares is entitled to one vote per share.

(g) For the period of five years immediately preceding the date at which the Balance Sheet is prepared:

• Aggregate number and class of Share allotted as fully paid up pursuant to contract without payment being received in cash	No such share are issued during last 5 years.
• Aggregate number and class of Share allotted as fully paid up by way of bonus shares	No such share are issued during last 5 years.
• Aggregate number and class of Share bought back	No such share are bought back during last 5 years.

Note 15 Other Equity

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31-03-2024	As at 31-03-2023	As at 01-04-2022
Retained earnings (Refer note 15.2)	40,549	29,565	21,024
Other Comprehensive Income	(24)	39	-
	-	-	-
Total	40,525	29,604	21,024

Note 15.1 Transfer of accumulated income towards deployment of objects as per section 12A of the Income Tax Act.

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31-03-2024	As at 31-03-2023	As at 01-04-2022
Reserve for deployment of surplus			
Add: Transferred from reserves & surplus	2,386	87	1,268
Less: Utilisation for surplus works	2,386	87	1,268
Closing balance	-	-	-

Note 15.2 Retained Earnings

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31-03-2024	As at 31-03-2023	As at 01-04-2022
Balance as per financial Statement	29,565	21,024	21,024
Add: Surplus as per Income and Exp. Statement	13,371	8,627	-
Less: Utilised for object of the Co. as per IT Act, 1961	2,386	87	-
Balance as at the end of the year	40,549	29,565	21,024



Notes to the Standalone Financial Statements

Note 15.3 Other Comprehensive Income

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31-03-2024	As at 31-03-2023	As at 01-04-2022
Balance as per financial Statement	39	-	-
Add/(Less): Remeasurement of defined benefit plans	(63)	39	-
Balance as at the end of the year	(24)	39	-

Note 16 Other financial liabilities

(₹ in lakh)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
(a) Amount withheld from contractors	383	256	252
(b) Retention Money	-	111	111
Total	383	367	364

Note 17 Provisions

(₹ in lakh)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Provision for gratuity	287	210	227
Provision for leave encashment	68	86	73
	355	296	299

Note 18 Other non-current liabilities

18.1 FUNDS FOR MUTP

(₹ in lakh)

1A Funds received from MoR & GoM	Phase-2	Phase-2C	Phase-3	Phase - 3A	31-03-2024	31-03-2023	01-04-2022	Cumulative 31.03.2024	Cumulative 31.03.2023	Cumulative 01.04.2022
Opening balance	24,183	(5,552)	(21,475)	18,041	15,202	(13,301)	23,385	-	-	-
• Funds from Ministry of Railways (MoR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PHASE-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receipts (NEFT/NACH)	15,000	-	-	-	15,000	5,000	14,000	3,57,339	3,42,339	3,37,339
C/F balance of MUTP-1	168	-	-	-	168	-	-	31,181	31,013	31,013
Adjustments (Service Tax - SVLDRS)	-	-	-	-	-	-	-	(471)	(471)	-471
PHASE-2C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Running of 12 Car EMU on Harbour Line (CSMT-Panvel / Andheri)	-	-	-	-	-	-	-	38,325	38,325	38,325
MUTP-Phase-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receipts (NEFT/NACH)	-	-	65,028	-	65,028	70,029	2,857	2,07,987	1,42,959	72,930
MUTP-Phase-3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receipts (NEFT/NACH)	-	-	-	30,000	30,000	32,300	-	69,129	39,129	6,829
Total (MoR)	15,168	-	65,028	30,000	1,10,196	1,07,329	16,857	7,03,490	5,93,294	4,85,965
• Funds from Govt. of Maharashtra (GoM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUTP-Phase-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitation and resettlement	-	-	-	-	-	-	-	2,320	2,320	2,320
Receipts (NEFT/NACH)	-	-	-	-	-	29	-	2,00,376	2,00,376	2,00,347
Surcharge adjusted towards dues	14,594	-	-	-	14,594	13,404	6,620	1,52,695	1,38,100	1,24,697
Balance funds of MUTP-1 transferred	168	-	-	-	168	-	-	1,570	1,402	1,402
Adjustments (Service Tax - SVLDRS)	-	-	-	-	-	-	-	(471)	(471)	(471)



Notes to the Standalone Financial Statements

(₹ in lakh)

1A Funds received from MoR & GoM	Phase-2	Phase-2C	Phase-3	Phase - 3A	31-03-2024	31-03-2023	01-04-2022	Cumulative 31.03.2024	Cumulative 31.03.2023	Cumulative 01.04.2022
MUTP-Phase-2C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Running of 12Car EMU-Harbour Line (CSMT-Panvel / Andheri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIDCO	-	-	-	-	-	-	1,000	30,810	30,810	30,810
MMRDA	-	-	-	-	-	-	-	1,631	1,631	1,631
MUTP-Phase-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receipts	-	-	5,028	-	5,028	52,738	3,544	57,766	52,738	-
AIIB Reimbursement	-	-	43,524	-	43,524	12,867	-	59,935	16,411	3,544
MUTP-Phase-3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receipts	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	-
Total (GoM)	14,762	-	48,552	10,000	73,314	79,038	11,164	5,16,632	4,43,318	3,64,280
Funds received during the year	29,930	-	1,13,579	40,000	1,83,510	1,86,366	28,021	-	-	-
Total funds available for the period	54,118	(5,552)	92,105	58,041	1,98,712	1,73,065	51,406	-	-	-
Cumulative funds (1A)	7,44,539	70,766	3,25,688	79,129	12,20,122	10,36,612	8,50,245	12,20,122	10,36,612	8,50,245

(₹ in lakh)

1B. EXPENDITURE ON MUTP	Phase-2	Phase-2C	Phase-3	Phase - 3A	31-03-2024	31-03-2023	01-04-2022	Cumulative 31.03.2024	Cumulative 31.03.2023	Cumulative 01.04.2022
Opening balance	6,90,421	76,318	2,33,583	21,088	10,21,410	8,63,547	7,98,839	-	-	-
MUTP-2A	-	-	-	-	391	642	630	4,63,281	4,62,890	4,62,247
DC to AC Conversion	55	-	-	-	55	85	130	80,560	80,506	80,421
EMU Procurement / Manufacture	-	-	-	-	-	-	-	2,95,072	2,95,072	2,95,072
EMU Maintenance facilities (MUTP-2A Completed).	99	-	-	-	99	131	254	33,546	33,447	33,316
Stabling Lines for EMUs.	238	-	-	-	238	425	248	26,097	25,859	25,434
Technical Assistance & Institutional Strengthening	-	-	-	-	-	1	(17)	5,622	5,622	5,621
Tresspass control measures including provisions of escalators	-	-	-	-	-	-	14	22,383	22,383	22,383
MUTP-2B	-	-	-	-	20,243	27,403	32,140	2,47,774	2,27,531	2,00,129
CSTM 5th & 6th line	6,577	-	-	-	6,577	8,412	17,391	53,167	46,591	38,179
Thane - Diva additional pair of lines.	1,437	-	-	-	1,437	4,526	7,181	70,834	69,397	64,871
Borivali - Mumbai Central 6th line.	12,174	-	-	-	12,174	14,150	7,278	78,410	66,236	52,086
Extension of Harbour Line to Goregaon	55	-	-	-	55	76	262	24,154	24,099	24,023
Resettlement & Rehabilitation.	-	-	-	-	-	-	-	2,343	2,343	2,343
Station Improvement & Trespassing Control	-	-	-	-	-	239	29	18,865	18,865	18,626
Total (MUTP-2)	-	-	-	-	20,634	28,045	32,770	7,11,055	6,90,421	6,62,376
MUTP-2C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Running of 12Car EMU-Harbour line (CSMT-PNVL/ADH)-CIDCO Part	-	1,012	-	-	1,012	1,397	994	77,330	76,318	74,921
Running of 12Car EMU-Harbour line(CSMT-PNVL/ADH) MMRDA Part	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUTP - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
New suburban corridor link between Airoli-Kalwa (elevated)	-	-	1,601	-	1,601	5,307	1,649	22,215	20,614	15,307
New suburban Railway corridor Panvel-Karjat (double line)	-	-	48,008	-	48,008	62,163	9,359	1,58,383	1,10,374	48,211
Quadrupling of the Virar-Dahanu Road *	-	-	32,292	-	32,292	31,286	11,803	99,552	67,260	35,974
Tresspass control on mid-section	-	-	12,795	-	12,795	9,852	5,890	44,646	31,851	21,998
Technical Assistance	-	-	1,080	-	1,080	847	361	4,564	3,484	2,637
Total MUTP-3	-	-	-	-	95,776	1,09,454	29,063	3,29,359	2,33,583	1,24,129



Notes to the Standalone Financial Statements

(₹ in lakh)

1B. EXPENDITURE ON MUTP	Phase-2	Phase-2C	Phase-3	Phase - 3A	31-03-2024	31-03-2023	01-04-2022	Cumulative 31.03.2024	Cumulative 31.03.2023	Cumulative 01.04.2022
MUTP - 3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extension of Harbour Line between Goregoan to Borivli	-	-	-	43	43	58	-	101	58	-
5th & 6th Line between Borivali to Virar	-	-	-	1,928	1,928	388	82	2,503	575	187
4th Line between Kalyan-Asangaon	-	-	-	358	358	102	48	571	212	110
3rd & 4th Line KYN-Badlapur	-	-	-	20,447	20,447	12,330	851	33,698	13,251	920
Kalyan Yard - Segregation of long distance and Suburban Traffic	-	-	-	4,327	4,327	2,312	-	6,639	2,312	-
Augmentation of Carrying Capacity and safety enhancement using CBTC	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
Station Improvement under MUTP-3A	-	-	-	9,352	9,352	3,092	-	12,444	3,092	-
EMU Maintenance facilities	-	-	-	1,506	1,506	8	344	1,858	352	344
Power Supply Augmentation - (Central Railway)	-	-	-	10,574	10,574	584	556	11,713	1,139	556
Technical Assistance	-	-	-	141	141	93	-	234	93	-
Bhivpuri EMU carshed and POH facilities	-	-	-	11,442	11,442	-	-	11,442	-	-
Total MUTP-3A	-	-	-	-	60,118	18,967	1,881	81,206	21,088	2,121
Total expenditure in 2023-24	20,634	1,012	95,776	60,118	1,77,540	1,57,863	64,707	-	-	-
Cumulative expenditure (1B)	7,11,055	77,330	3,29,359	81,206	11,98,950	10,21,410	8,63,547	11,98,950	10,21,410	8,63,547
18.1 Funds for MUTP works (1A-1B)	33,484	(6,563)	(3,672)	(2,077)	21,172	15,202	(13,301)	21,172	15,202	(13,301)

For the year ending March 2024, MRVC received project funds of ₹1835.10 crore and incurred project expenditure of ₹1775.40 crore

18.2 Funds for DEPOSIT WORKS

(₹ in lakh)

2A. Funds received from Zonal Railways for deposit works	31-03-2024	31-03-2023	01-04-2022	Cumulative 31.03.2024	Cumulative 31.03.2023	Cumulative 01.04.2022
Opening balance	43,400	38,702	26,365	-	-	-
Receipts during current period -	-	-	-	-	-	-
i) Funds for MMRDA Deposit Work:	-	(29)	-	-	-	799
ii) Funds for Consul Services for Pune-LNL DPR	-	-	-	442	442	442
iii) Funds for Construction of FoBs in CR & Construction of FoBs in WR	-	4,172	5,916	33,901	33,901	29,729
iv) Funds for Construction of 48 units type V quarter Nirmal Park	984	-	(169)	984	-	-
v) Funds for Construction of Hostel Bldg at IRICEN-Pune	-	5	-	1,148	1,148	1,143
vi) Funds for Const of Bridge No.92 & 93 Etc	-	550	5,000	5,550	5,550	5,000
vii) Funds for Const of Chikhholi Stn. Between Ambernath-Badlapur	-	-	1,590	1,590	1,590	1,590
viii) Funds for Const of Bridge No.106 & 114A between SAPHALE and KELVE ROAD	5,424	-	-	5,424	-	-
Total Funds received during the year	6,408	4,698	12,337	49,039	42,631	38,702
2A. Cumulative Funds for Deposit works	49,808	43,400	38,702	49,039	42,631	38,702

Notes to the Standalone Financial Statements

(₹ in lakh)

2B. Expenditure on DEPOSIT WORKS	31-03-2024	31-03-2023	01-04-2022	Cumulative 31.03.2024	Cumulative 31.03.2023	Cumulative 01.04.2022
Opening balance	33,097	25,158	20,348	-	-	-
Expenditure during current period -						
i) Exp on MMRDA Deposit Work	-	-	-	-	-	770
ii) Consul Services for Pune-LNL DPR	2	-	4	413	411	411
iii) Construction of FoBs in CR & Construction of FoBs in WR	2,408	5,644	3,929	31,101	28,693	23,049
iv) Construction of 48 units type V quarter Nirmal Park	69	32	-	101	32	-
v) Construction of Hostel Bldg at IRICEN-Pune	0	13	549	613	613	599
vi) Const of Bridge No.92 & 93 Etc	4,083	2,249	329	6,660	2,578	329
vii) Const of Bridge No.106 & 114A between SAPHALE and KELVE ROAD	429	-	-	429	-	-
viii) Construction of new hostel building at IRICEN-Pune	471	-	-	471	-	-
Total expenditure during the year	7,462	7,939	4,810	39,788	32,327	25,158
2B. Cumulative Expenditure for deposit works	40,558	33,097	25,158	39,788	32,327	25,158
18.2 Balance Funds (Deposit Works) (2A-2B)	9,250	10,304	13,544	9,250	10,304	13,544
Net funds available for the year ended March'2024 (MUTP and Deposit Works) (18.1 + 18.2)	30,422	25,506	243	30,422	25,506	243

(₹ in lakh)

Deployment of MRVC Surplus	31-03-2024	31-03-2023	01-04-2022	Cumulative 31.03.2024	Cumulative 31.03.2023	Cumulative 01.04.2022
Appropriation of surplus by way of adjustment in MUTP objects	2,386	87	1,268	17,431	15,045	14,958
Less: Utilisation of surplus by way of adjustment in MUTP objects #	2,386	87	1,268	17,431	15,045	14,958
Balance	-	-	-	-	-	-

The expenditure shown under MUTP/other MUTP works is incurred through MRVC's own funds, there being no contribution from MoR and GoM.

Financial Liabilities (Current)

Note 19 Trade payables

(₹ in lakh)

Particulars	Outstanding for following period from due date of payment				As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 1.4.2022
For 31-03-2024	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total	Total	Total
i) MSME	83	-	-	-	83	22	18
ii) Others	2,016	-	-	-	2,016	6,198	4,271
iii) Disputed Dues-MSME	-	-	-	-	-	-	-
iv) Disputed Dues - Others	-	-	-	-	-	-	-
Total	2,099	-	-	-	2,099	6,220	4,289



Notes to the Standalone Financial Statements

(₹ in lakh)

Particulars	Outstanding for following period from due date of payment			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
For 31-03-2023				
i) MSME	22	-	-	-
ii) Others	6,198	-	-	-
iii) Disputed Dues-MSME	-	-	-	-
iv) Disputed Dues - Others	-	-	-	-
Total	6,220	-	-	-

(₹ in lakh)

Particulars	Outstanding for following period from due date of payment			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
For 01-04-2022				
i) MSME	18	-	-	-
ii) Others	4,271	-	-	-
iii) Disputed Dues-MSME	-	-	-	-
iv) Disputed Dues - Others	-	-	-	-
Total	4,289	-	-	-

* The Principal amount remaining unpaid to any supplier as at end of the accounting period under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED) does not exceeds the limit of 45 days.

Note 20 Other financial liabilities

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31-03-2024	As at 31-03-2023	As at 01-04-2022
Salary and other benefits	43	88	160
FSC	127	158	190
Trade / security deposits	9,586	5,656	2,830
Amount Payable to Zonal Railways	1,134	784	463
Outstanding expense payable	17	5	16
Rent payable	0	0	1
Amount Payable to ICF	-	-	103
Amount Withheld From Employees	-	-	25
Amount Payable to Western Railway	-	87	1,336
Amount Payable to Central Railway	-	162	83
Total	10,908	6,942	5,207

Note 21 Other current liabilities

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31-03-2024	As at 31-03-2023	As at 01-04-2022
Statutory dues	1,125	698	430
Total	1,125	698	430



Notes to the Standalone Financial Statements

Note 22 Provisions

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31-03-2024	As at 31-03-2023	As at 01-04-2022
Provision for gratuity	14	13	11
Provision for leave encashment	49	38	34
	63	51	45

Note 23 Revenue from operations

(₹ in lakh)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
Sale of services (Direction & General Charges)	11,937	10,858
Other operating revenue	9	12
Total	11,946	10,870

Breakup of sale of services

(₹ in lakh)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
(i) D&G Charge on MUTP-II	319	613
(ii) D&G Charge on MUTP-III	7,252	8,297
(iii) D&G Charge on MUTP-IIIA	3,555	1,237
(iv) D&G Charge on Running of 12 Car EMU (CSMT-PNVL)	77	106
(v) D&G charges - MRVC Corporate Office	167	3
(vi) D&G Charges- Other deposit & related works	33	-
(vii) D&G Charges - Other deposit & related works	0	-
(viii) D&G Charges- Other deposit & related works	5	-
(ix) D&G Charges -Pass. Amenities-Const. of FOB	183	429
(x) D&G Charges- Other deposit & related works	36	1
(xi) D&G Charges- Other deposit & related works	310	171
Total	11,937	10,858

Breakup of other operating revenue

(₹ in lakh)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
(i) Sundry receipts on project bid	-	7
(ii) Collection charges (@1% of BOCWW Cess)	9	5
Other operating income	9	12



Notes to the Standalone Financial Statements

Note 24 Other income

(₹ in lakh)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
Interest Income		
(i) Interest on deposit with banks	6,039	2,183
(ii) Interest on Govt. securities	178	-
(ii) Interest on Multipurpose Advances	0	0
(iii) Interest on IT Refund	10	16
(iv) Interest on ST Refund	-	9
(v) Interest on mobilised advances given to contractors	8	17
Other Non-Operating Income		
(i) RTI Application fees	-	0
(ii) Earnest Money & Deposits Payable Written Back	-	3
(iii) Miscellaneous income	35	11
Total	6,270	2,238

Note 25 Employee benefit expenses

(₹ in lakh)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
(a) Salaries and wages	2,994	2,854
(b) Contribution towards Employees provident & other Fund		
Employers' Provident Fund Contribution	109	96
Foreign Service Contribution (FSC)	111	140
Gratuity	52	8
Leave Encashment Benefit	20	44
(c) Staff welfare	88	75
Total	3,375	3,216

Note 26 Other expenses

(₹ in lakh)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
(a) Electricity	28	26
(b) Repair and maintenance	120	102
(c) Advertisement charges for tenders	53	15
(d) Advertisement charges for others	-	7
(e) Outsourced employees payment	258	252
(f) Payments to the Auditors (Statutory and Audit under Income Tax)	-	5
(g) Rent, rates and taxes	18	18
(h) Insurance Premium	29	1
(i) Travelling & Conveyance	67	65
(j) Vehicle Hire Charges	106	130
(k) Communication	78	52
(l) Training and seminar	14	33
(m) Printing and stationery	24	28
(n) Hospitality	30	26
(o) Legal and professional fees	185	104
(p) Director's sitting fees	3	3
(q) Books and periodicals	1	0

Notes to the Standalone Financial Statements

(₹ in lakh)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
(r) Security charges	39	34
(s) Bank charges	0	1
(t) Interest on taxes	1	0
(u) Computer consumables	14	24
(v) Miscellaneous expenses	56	14
(w) Loss on discarded assets	3	8
(x) CSR Expenses	79	43
Total	1,205	991

27 MRVC does not operate with a profit motive. Accordingly, it prepares its Statement of Income and Expenditure in compliance with Schedule-III of the Companies Act, 2013.

28 Contingent Liability and Commitments :

I) Contingent Liability:

The details of disputed income tax and other cases considered as contingent liabilities not acknowledged as debt are as under:

The appeal of the Company against the order of AO passed u/s 143(3) of the Income Tax Act, 1961 in respect of 7 Assessment Years i.e. from AY 2009-10 to AY 2015-16 was allowed by the CIT(A). The ITAT, Mumbai dismissed the appeal of the department filed against the orders of CIT(A) in respect of AY from 2009-10 to AY 2015-16.

- a) The department has filed an appeal against the orders of ITAT, Mumbai for AY 2009-10 to AY 2015-16 and it is pending for admission in Hon'ble High Court of Bombay. The details of assessments for AY 2009-10 to AY 2015-16 are as under:

Information of Contingent liabilities not acknowledged as debt:

(₹ in lakh)

Sr. No.	Assessment Year	Demand as per Income Tax Department	Tax Deducted at Source (TDS)	Protest Deposits	Net disputed demand	Date of orders in favour of MRVC	Refund of TDS & Protest Deposit with interest	Cross filed by Income Tax Department	ITAT Order passed in favour of MRVC	Amount disputed	Authority where appeal is pending
1	2009-10	1,000	213	118	669	04.02.2019 (by CIT-A)	550	06.5.2019 (03.9.2020)	29.01.21	671	Hon'ble High Court
2	2010-11	1,371	56	197	1,118	04.02.2019 (by CIT-A)	328	06.5.2019 (03.9.2020)	29.01.21	878	
3	2011-12	398	134	40	224	04.02.2019 (by CIT-A)	242	06.5.2019 (03.9.2020)	29.01.21	320	
4	2012-13	883	212	101	570	04.02.2019 (by CIT-A)	462	06.5.2019 (03.9.2020)	05.01.21	705	
5	2013-14	525	116	61	348	04.02.2019 (by CIT-A)	236	06.5.2019 (03.9.2020)	05.01.21	747	
6	2014-15	975	216	114	645	04.02.2019 (by CIT-A)	409	06.5.2019 (03.9.2020)	29.01.21	782	
7	2015-16	1,601	335	253	1,013	28.02.2019 (by CIT-A)	730	06.5.2019 (03.9.2020)	05.01.21	1,243	
As on 31.03.2024		6,753	1,282	884	4,587		2,957			5,346	
As on 31.03.2023		9,503	1,949	1,153	6,401		3,203			8,096	
As on 01.04.2022		2,750	667	269	1,814		246			2,750	

The CIT (Exemption), Mumbai has passed an order under section 263 of the Income Tax Act, 1961 dated 18.03.2024 for revision of assessment order passed u/s 143(3) of the Income Tax Act, 1961 in respect of AY 2018-19. The Company has filed an appeal against the order of CIT(E) before the Hon'ble ITAT, Mumbai. The financial implication, if any, would be ascertained only after the AO passes an order in pursuance of revision order passed by the CIT(E).



Notes to the Standalone Financial Statements

- b) Contingent liability in respect of claims by the contractors, staff and others on account of Arbitration / Court cases etc not acknowledged as debts by the Company is as under :-

Sr. No.	Particulars	Court	As at 31.03.24	As at 31.03.23	As at 01.04.22	Remarks
1	Claims by contractors	Arbitration	-	₹ 27 Lakh	₹ 2707 Lakh	As per arbitration award dated 30.09.2022 amount of claim has been settled at ₹ 27 Lakh
2	Navin Dutta/NDLS	High Court	-	-	-	₹ 5 Lakh Amount deposited by MRVC as per direction of Hon'ble HC of New Delhi. The amount would be ascertained after the dispute is adjudicated by Hon'ble High Court, New Delhi

II) Commitments:

- a) The estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital account (for MUTP works on behalf of MoR and GoM) and not provided for (net of Advances) is ₹ 2,37,854 lakh (31-03-2024), ₹ 2,09,928 lakh (31-03-2023) ₹ 2,43,633 lakh (01-04-2022).
- b) The estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital account (for Other Works) and not provided for (net of advances) is ₹22 lakh (Previous year ₹ 162 lakh).
- c) The estimated amount of contracts remaining to be executed by the Company on Revenue account and not provided for is ₹650 lakh (Previous year ₹990 lakh)

29 The Company had received a directive from Ministry of Railway (Railway Board) that Interest earned on funds released by MoR/GoM/Zonal Railways and lying unutilized with the Company shall not be treated as income of the Company but shall be credited to the respective projects. Relying on the opinions of two Chartered Accountants, the company made presentation to the Railway Board to recognise such interest as income of the company. In their initial intimation the Railway Board has allowed the Company to recognise interest as income of the Company till 30.06.2022 which has now been extended till 31.03.2024 vide Railway Board's letter dated 20.04.2023 Accordingly, the Company has recognised interest income on unutilised funds from MoR & GoM in the Income and Expenditure Account.

30 The Company has acquired office premises from Western Railway under lease deeds dated 28.6.2001, 01.04.2004, 06.09.2004 and 10.07.2013 wherein the tenure of the lease is not mentioned. In case of office premise in New Administrative Building at CSMT for project office of the Company, lease agreement is still under process.

The Company has constructed leasehold quarters on the land provided by Railways as per the Railway Board's General Guidelines for construction of houses by Railway Public Sector Undertakings (PSUs). As per terms and conditions of lease agreement between Railways and the PSU, the PSU had to built the houses at their own cost on the railway land provided by the MoR/Zonal Railways. The ownership of the land and structure thereon will continue to be with the railways and Railway will only licence out 50% houses to the Rail PSU. The PSU at no stage will sell/sublet or transfer these flats or any of the services to any other individual/authority. Maintenance of the flats licensed to the PSU will be done by the concerned PSU. All the taxes payable to the concerned CIVIC authority will also be paid by PSU. The electric and water charges should be recovered as per railway rules from the officers of PSUs and remitted to Railways. These flats will be licensed for a period of 30 years from the date of handing over of the flat to the PSU or till such time it exists or remains attached to the Ministry of Railways, whichever date falls earlier. After this period the flat allotted to the PSU will be taken over by Railways without any compensation/payment whatsoever to the PSU.

These flats will be allotted only to railway officers on deputation or who have come on absorption in the concerned PSU. The allotment and retention of these houses will be governed by the Railway rules.

The Railway Board's guideline issued vide letter no. 95/LML/18/68 dated 19.05.98 have been reviewed and amended as follows:

If the quarters given on lease to the PSUs remain vacant, the PSUs may exchange or allot the surplus quarter(s) either to other PSUs or Zonal Railway purely as temporary adjustment. The original licensed quarters and such exchanged quarters shall be for the use of the Railway officers on deputation or who have come on absorption. All related responsibilities for the quarters including maintenance will continue to rest with the PSU to which the quarters are originally leased. Preference should be given to the Zonal Railway over PSUs while allotting or exchanging the Quarters. PSU may offer vacant Quarters to the Railway on prevailing lease rates as these houses were built at their cost".

Notes to the Standalone Financial Statements

31 The company has provided Service Contribution for terminal benefits (FSC) of ₹93 lakh (net) for the year ending March 2024 (Previous year ₹140 lakh) on estimated basis towards contribution of retirement benefits of the Indian Railways employees working on deputation.

32 The details of trade payables outstanding for following periods from due date of payment / transaction date:

Particulars	(₹ in lakh)									
	Less than 1 year			1-2 Years			2-3 years			> than 3 years
	31.03.24	31.03.23	01.04.22	31.03.24	31.03.23	01.04.22	31.03.24	31.03.23	01.04.22	2022-23
i) MSME	83	22	18	-	-	-	-	-	-	-
ii) Others	2,016	6,198	4,271	-	-	-	-	-	-	-
iii) Disputed Dues- MSME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) Disputed Dues - Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

33 Employee Benefit Plans:

33.1 The Company has defined contribution retirement benefit plans for its employees. The Company's contributions to provident fund, pension scheme and employee state insurance scheme are made to the relevant government authorities as per the prescribed rules and regulations. The Company's contributions to the above defined contribution plans are recognised as employee benefit expenses in the statement of income and expenditure for the year in which they are due.

33.2 Defined benefit plans (Gratuity and Leave encashment benefit)-(Non-Funded):

(i) Gratuity

The Company offers gratuity plan for its qualified employees which is payable as per the requirements of Payment of Gratuity Act, 1972. The benefit vests upon completion of five years of continuous service and once vested it is payable to employees on retirement or on termination of employment. In case of death while in service, the gratuity is payable irrespective of vesting.

Risk exposure to defined benefit plans

The plans typically expose the Company to actuarial risks such as: Investment risk, Liquidity risk, Market risk and Legislative risk.

A. Actuarial risk

It is the risk that benefits will cost more than expected. This can arise due to one of the following reasons: Adverse Salary Growth Experience: Salary hikes that are higher than the assumed salary escalation will result into an increase in Obligation at a rate that is higher than expected.

Variability in withdrawal rates: If actual withdrawal rates are higher than assumed withdrawal rate assumption than the Gratuity benefits will be paid earlier than expected. The impact of this will depend on whether the benefits are vested as at the resignation date. Variability in mortality rates: If actual mortality rates are higher than assumed mortality rate assumption than the Gratuity Benefits will be paid earlier than expected. Since there is no condition of vesting on the death benefit, the acceleration of cash flow will lead to an actuarial loss or gain depending on the relative values of the assumed salary growth and discount rate.

B. Liquidity risk

Employees with high salaries and long durations or those higher in hierarchy, accumulate significant level of benefits. If some of such employees resign/retire from the company there can be strain on the cash flows.



Notes to the Standalone Financial Statements

C. Market risk

Market risk is a collective term for risks that are related to the changes and fluctuations of the financial markets. One actuarial assumption that has a material effect is the discount rate. The discount rate reflects the time value of money. An increase in discount rate leads to decrease in Defined Benefit Obligation of the plan benefits & vice versa. This assumption depends on the yields on the corporate/government bonds and hence the valuation of liability is exposed to fluctuations in the yields as at the valuation date.

D. Legislative risk:

Legislative risk is the risk of increase in the plan liabilities or reduction in the plan assets due to change in the legislation/regulation. The government may amend the Payment of Gratuity Act thus requiring the companies to pay higher benefits to the employees. This will directly affect the present value of the Defined Benefit Obligation and the same will have to be recognized immediately in the year when any such amendment is effective.

(ii) Leave Encashment

The Leave Encashment Benefits are governed by the Company's Leave Policy.

Risk exposure to defined benefit plans

The plans typically expose the Company to actuarial risks such as: Investment risk, Liquidity risk, Market risk and Legislative risk.

A. Actuarial risk

It is the risk that benefits will cost more than expected. This can arise due to one of the following reasons: Adverse Salary Growth Experience: Salary hikes that are higher than the assumed salary escalation will result into an increase in Obligation at a rate that is higher than expected.

Variability in mortality rate: If actual mortality rates are higher than assumed mortality rate assumption then the Leave benefit would be paid earlier than expected. The acceleration of cashflows will lead to actuarial loss or gain depending on the relative values of the assumed salary growth and discount rate.

Variability in withdrawal rates: If actual withdrawal rates are higher than assumed withdrawal rate assumption then the leave benefit will be paid earlier than expected. The impact of this will depend on the relative values of the assumed salary growth and discount rate.

Variability in avilment rates: If actual avilment rates are higher than assumed avilment rate assumption then leave balances will be utilised earlier than expected. This will result in reduction in leave balances and obligation.

B. Liquidity risk

Employees with high salaries and long durations or those higher in hierarchy, accumulate significant level of benefits. If some of such employees resign/retire from the company there can be strain on the cash flows.

C. Market risk

Market risk is a collective term for risks that are related to the changes and fluctuations of the financial markets. One actuarial assumption that has a material effect is the discount rate. The discount rate reflects the time value of money. An increase in discount rate leads to decrease in Defined Benefit Obligation of the plan benefits & vice versa. This assumption depends on the yields on the corporate/government bonds and hence the valuation of liability is exposed to fluctuations in the yields as at the valuation date.

The Company has made provision for gratuity and leave encashment benefits for the employees of MRVC for the year ended 31.03.2024 on approximate value based on previous years actuarial valuation trend.

Notes to the Standalone Financial Statements

I. Expenses recognized during the year ended 31st March, 2024:

(₹ in lakh)

Particulars	Absorbed Employees		Contract Employees		Project Engineers	Total	
	Gratuity benefit	Leave benefit	Gratuity benefit	Leave benefit	Gratuity benefit	Gratuity benefit	Leave benefit
1. Current service cost	12	7	8	0	15	35	7
2. Interest cost	4	8	10	1	4	17	9
3. Actuarial loss/ (gain) due to experience adjustments	(12)	14	(3)	1	53	38	14
4. Actuarial loss/(gain) due to change in financial assumptions	0	0	4	0	6	10	0
Total	4	29	19	2	77	100	31
Previous year	16	42	12	1	(19)	8	44

II. Reconciliation of Net Asset/(Liability) recognized in the Balance Sheet during the year ended 31st March, 2024:

(₹ in lakh)

Particulars	Absorbed Employees		Contract Employees		Project Engineers	Total	
	Gratuity benefit	Leave benefit	Gratuity benefit	Leave benefit	Gratuity benefit	Gratuity benefit	Leave benefit
1. Net Asset/(Liability) at the beginning of the year	(51)	(110)	(132)	(13)	(50)	(232)	(123)
2. Expense as per I above	(4)	(29)	(19)	(1)	(77)	(100)	(30)
3. Employer contributions/benefits paid during the year	10	38	-	-	31	41	38
4. Gratuity of previous year recognized as per Prior Period adjustment in current year	-	-	-	-	-	-	-
Net Asset/(Liability) at the end of the year	(45)	(101)	(150)	(14)	(96)	(292)	(116)
Net Asset/(Liability) at the end of the previous year	(51)	(110)	(132)	(13)	(50)	(232)	(123)

III. Net Asset/(Liability) recognized in the Balance Sheet as at 31st March, 2024 :

(₹ in lakh)

Particulars	Absorbed Employees		Contract Employees		Project Engineers	Total	
	Gratuity benefit	Leave benefit	Gratuity benefit	Leave benefit	Gratuity benefit	Gratuity benefit	Leave benefit
1. Present Value of Defined Benefit obligation	(45)	(101)	(150)	(14)	(96)	(292)	(116)
Previous Year	(51)	(110)	(132)	(13)	(50)	(232)	(123)
2. Net Current Asset/(Current Liability)	(4)	(49)	(9)	(0)	(1)	(14)	(49)
Previous Year	(20)	(37)	(2)	(0)	(0)	(22)	(37)
3. Net Non Current Asset/(Non Current Liability)	(41)	(52)	(141)	(15)	(95)	(277)	(68)
Previous Year	(31)	(73)	(130)	(13)	(49)	(210)	(86)
Total Net Asset/(Liability)	(45)	(101)	(150)	(15)	(96)	(292)	(117)
Total Previous Year	(51)	(110)	(132)	(13)	(50)	(232)	(123)



Notes to the Standalone Financial Statements

IV. Actuarial Assumptions as at 31st March 2024

(₹ in lakh)

Particulars	Absorbed Employees		Contract Employees		Project Engineers
	Gratuity benefit	Leave benefit	Gratuity benefit	Leave benefit	Gratuity benefit
1. Discount Rate	7.25%	7.25%	6.75%	7.25%	7.25%
(Previous year)	7.30%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
2. Salary Growth Rate	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
(Previous year)	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
3. Withdrawal rate	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(Previous year)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
4. Retirement age	60 years	60 years	60 years	60 years	60 years
(Previous year)	60 Years	60 Years	60 Years	60 Years	60 Years
5. Leave availment rate		0% p.a.		0% p.a.	
(Previous year)		0% p.a.		0% p.a.	
6. Mortality	Indian Assured Lives Ultimate Mortality Rates (2012-14)				
	(IALM 2012-14)				

V. Sensitivity to key assumptions

Particulars	Absorbed Employees		Contract Employees		Project Engineers		Absorbed Employees		Contract Employees	
	Gratuity		Gratuity		Gratuity		Leave encashment		Leave encashment	
	31-Mar-24	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23
	DBO (₹ in lakh)	Change in DBO (%)	DBO (₹ in lakh)	Change in DBO (%)	DBO (₹ in lakh)	Change in DBO (%)	DBO (₹ in lakh)	Change in DBO (%)	DBO (₹ in lakh)	Change in DBO (%)
Discount rate varied by 0.5%	44	-1.50%	142	-5.60%	85	-1.50%	100	-1.15%	15	-3.03%
	46	1.60%	160	6.10%	108	1.60%	103	1.17%	16	3.15%
Salary growth rate varied by 0.5%	46	1.50%	160	6.00%	108	1.50%	102	1.07%	16	3.11%
	44	-1.50%	142	-5.60%	85	-1.50%	100	-1.05%	15	-3.03%

Notes

- Estimated future salary increases take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market.
- The Company has provided for gratuity based on actuarial valuation done as per Projected Unit Credit Method as per Ind-AS 19.

34 Related Party Disclosures

a) Key Managerial Persons (KMPs)

Sr. No.	Name of the related party	Designation	Relationship
1	Subhash Chand Gupta	Chairman and Managing Directors	Key Managerial Person
2	Ravi Agrawal	Director Technical	Key Managerial Person
3	Rajeev Srivastava	Director Project	Key Managerial Person
4	Smriti Verma	Director Finance	Key Managerial Person
5	Smriti Verma	Executive Director (Finance)	Key Managerial Person
6	Anita Sarmah	FA&CAO	Key Managerial Person
7	Sangeeta Verma	Company Secretary	Key Managerial Person

Notes to the Standalone Financial Statements

Particulars of transaction with Key Managerial Persons are as under:

Remuneration and other allowances paid to KMPs

(₹ in lakh)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023	As on 01.04.2022
Directors	206	187	180
Company Secretary	31	27	24
ED (Finance)	57	58	53
FA&CAO	-	8	40
Director's Sitting Fees	3	3	1
Total	298	282	299

b) Related Parties

(₹ in lakh)

Sr No.	Name of the related party	Relation	Nature	31-03-2024			31-03-2023			01-04-2022		
				Payment	Expenditure	Balance	Payment	Expenditure	Balance	Payment	Expenditure	Balance
1	FA&CAO - CR	Ministry of Railway's controlled entity. (MoR holds 51% equity through President of India)	MUTP Works / Advances	11,857	11,846	10	12,962	13,057	(96)	18,245	18,593	(348)
2	Sr. DFM - CR		MUTP Works / Advances	11,392	11,681	(290)	5,173	5,013	160	2,039	2,056	(17)
3	WAO C.RLY.MTN		MUTP Works / Advances	-	-	-	1,519	1,519	-	-	-	-
4	FA&CAO - WR	Govt. of Maharashtra controlled entity. (GoM holds 49% equity through Governor of Maharashtra)	MUTP Works / Advances	14,132	12,096	2,036	15,958	14,169	1,789	7,060	8,311	(1,251)
5	Sr. DFM - WR		MUTP Works / Advances	830	1,559	(729)	361	796	(434)	491	602	(111)
6	MoR (Central Railway)		Funds / Utilisation	1,10,196	81,329	28,867	1,07,329	69,296	38,032	16,857	30,903	
7	MMRDA & CIDCO	Funds / Utilisation	73,314	96,211	(22,897)	79,038	88,567	(9,529)	11,164	33,804		
Total				2,21,720	2,14,723	6,997	2,22,340	1,92,417	29,922	55,856	94,270	(1,727)

35 The expenditure incurred by Central Railway, Western Railway, Integrated Coach Factory and Mumbai Metropolitan Regional Development Authority (MMRDA) has been accounted for based on the audited / un-audited statements received from them and consequently the balances may change on receipt of audited, revised expenditure statements. The Direction and General Charges (D&G) are computed and accounted for based on the said expenditure.

36 The Company has deducted ₹ 350 lakh out of D&G income of ₹ 11,890 lakh towards payment/provisions of establishment & administrative cost incurred/to be incurred by the Zonal Railways on the projects of additional lines etc being executed by the MRVC. Such amount payable to Zonal Railways is to be provided @ 0.25% out of total D&G of 8.50% of the project expenditure incurred on additional lines etc as per the Railway Board's letters dated 27.12.2013 and 04.03.2014.

37 Foreign Exchange Transactions

(₹ in lakh)

Particulars	31 March 2024	31 March 2023
i. Fees for Technical Assistance	-	130



Notes to the Standalone Financial Statements

38 Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006

Under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED) certain disclosures are required to be made relating to Micro, Small and Medium Enterprises. The details of outstanding payable to the MSMEs are given as follows:

(₹ in lakh)

Particulars	31.03.2024	31.03.2023
Principal amount remaining unpaid to any supplier as at end of the accounting year	83	22
Interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at end of the accounting year	-	-
Amount of interest paid by the Company in terms of section 16 of the MSMED, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the accounting year.	-	-
Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED	-	-
Amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the accounting year	-	-
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	-	-

39 CSR Activities

- A) Gross amount required to be spent on CSR activities by the Company during the year is ₹ 79 lakh (Previous Year ₹ 43 lakh)
- B) Amount to be spent on CSR activities as per section 135 of companies act, 2013 is ₹ 79 lakh however the BoD has approved an amount of ₹ 79 lakh to be spent as CSR for the F.Y 2023-24 (Previous Year ₹ 43 lakh)

- C) Amount spent during year:

(₹ in lakh)

CSR Activities	Amount spent during the year ending 31.03.2024
i) Construction / acquisition of any assets	Nil
ii) Eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting preventive health care and sanitation and making available safe drinking water and contribution to PM CARES	₹ 79 (Previous year ₹43)
Details of unspent amount:	
i) The amount shortfall during the year	Nil
ii) The amount shortfall previous year	Nil
iii) Reason for shortfall	N.A
iv) Nature of CSR activity	Eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting preventive health care and sanitation and making available safe drinking water and contribution to PM CARES
v) Shortfall amount of ongoing projects transferred to specified fund	N.A
vi) Shortfall amount of other than ongoing projects transferred to specified fund	N.A
vii) Details of related party transactions, e.g. contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR Expenditure as per relevant Accounting Standard	N.A
viii) Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately.	N.A

Notes to the Standalone Financial Statements

40 No equity share has been issued during the year. Disclosures for recognition as per applicable Ind-AS is not applicable.

41 Following are the disclosures in respect of calculation of earning per share for the period ended 31st March 2024:

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
Numerator :		
Excess of Income over Expenditure after tax and Prior Period Items (₹ in lakh)	13,371	8,627
Denominator :		
Weighted Average Number of Equity Share (in number)	2,50,000	2,50,000
EPS (Basic and Diluted) in Rupees (In ₹)	5,348	3,451

42 Segment Reporting

The company has a segment, namely, Developing plans and implementing rail infrastructure projects and allied services. However, its operations are at present confined to India and there is no reportable secondary segment. Thus, the disclosure requirements pertaining to this standard are not applicable.

43 The information on contribution outstanding from Government of Maharashtra upto 31st March 2024 is as follows:

(₹ in lakh)			
Project / Work	Share of Expenditure (50%)*	Actual Amount Received	Short / (Excess) Received
1	2	3	4 = (2-3)
MUTP II	3,55,528	3,56,490	(962)
MUTP III	1,89,229	1,17,701	71,528
MUTP III A	40,603	10,000	30,603
Running of 12 coach on Harbour Line	38,665	32,441	6,224
Total	6,24,024	5,16,632	1,07,392

44 Detailed project wise expenditure incurred and balance amount upto 31st March 2024 is as follows:

(₹ in lakh)			
Project / Work	Sanctioned / Estimated cost	Expenditure upto 31.03.2024	Left over Exp as on 31.03.2024
1	2	3	4 = (2-3)
Mumbai Railway Vikas Corporation Ltd	1,17,836	-	-
Central Railway	2,08,452	-	-
Western Railway	4,82,423	-	-
MUTP - II	8,08,711	7,11,055	97,656
MUTP-III	10,94,700	3,29,359	7,65,341
New suburban corridor Panvel-Karjat (double line)*	-	1,70,976	6,54,966
Other than New suburban corridor Panvel-Karjat (double line)	-	1,58,383	1,10,374
MUTP-III A	33,69,000	81,206	32,87,794
Running of 12 coach on Harbour Line **	78,955	77,330	1,625

*Except work of New suburban corridor Panvel-Karjat (double line) for which the ratio of expenditure sharing in 65.50:34.50 between GoM and MoR.

**The likely completion cost of Running of 12 Car EMU Rakes on Harbour Line is estimated at ₹78,955 lakh. Proposal for the same has been submitted to the Government of Maharashtra for their approval.



Notes to the Standalone Financial Statements

45 Details of project wise expenditure and funds received from Government of Maharashtra (GoM) and Ministry of Railway (MoR) as on 31st March 2024 are as follows:

(₹ in lakh)

Project / Work	Sanctioned Cost	Expenditure up to 31-03-2024	Funds received from MOR	Funds received from GOM
MUTP-Phase-II	8,08,711	7,11,055	#3,88,049	# 3,56,490
MUTP-III	10,94,700	3,29,359	2,07,987	1,17,701
MUTP-IIIA	33,69,000	81,206	69,129	10,000
Running of 12 coach on Harbour Line *	78,955	77,330	38,325	32,441
Total	53,51,366	11,98,950	7,03,490	5,16,632

* Sanction for Revised Estimated cost for Running of 12 Coach EMU on Harbour Line is yet to be received from GoM.

This includes funds of MUTP-I transferred and adjusted to MUTP-II during the year due to receipt of miscellaneous credits from zonal railways etc in MUTP-I after financial closure of MUTP-I.

46 Details of Crypto Currency or Virtual Currency:

The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year, hence no disclosure is required in this respect.

47 First time adoption of Indian Accounting Standard (Ind-AS) - 101

The Company has prepared the opening balance sheet as per Ind AS as of April 1, 2022 (the transition date) by recognising all assets and liabilities whose recognition is required by Ind AS, by reclassifying items from previous GAAP to Ind AS as required under Ind AS, and applying Ind AS in measurement of recognised assets and liabilities. However, this principle is subject to the certain mandatory exceptions under Ind AS 101 and certain optional exemptions permitted under Ind AS 101 availed by the Company the details are given below:

1. Optional exemptions

Deemed cost for Property and Plant and Equipment.

Ind AS 101 permits a first-time adopter to elect to continue with the carrying value for all of its property, plant and equipment as recognised in the financial statements as at the date of transition to Ind AS, measured as per the previous GAAP and use that as its deemed cost as at the date of transition after making necessary adjustments for de-commissioning liabilities. This exemption can also be used for intangible assets covered by Ind AS 38 Intangible Assets.

Accordingly, the Company has opted to measure all of its property, plant and equipment and Intangible Assets at their previous GAAP carrying value.

2. Mandatory exceptions to retrospective application of other Ind AS

(a) Estimates

An entity's estimates in accordance with Ind AS at the date of transition to Ind AS shall be consistent with estimates made for the same date in accordance with Previous GAAP (after adjustments to reflect any differences in accounting policies) unless there is an objective evidence that those estimates were in error.

The company has not made any changes to estimates made in accordance with Previous GAAP.

(b) Ind AS 109 - Financial Instruments (Derecognition of previously recognized Financial Assets/ Financial Liabilities)

An entity shall apply the derecognition requirements in Ind AS 109 prospectively for the transactions occurring on or after date of transition to Ind AS.

Notes to the Standalone Financial Statements

The Company has not made any derecognition of previously recognized Financial Assets/ Financial Liabilities and it shall, whenever necessary, apply the derecognition requirements prospectively.

(c) Ind AS 109 "Financial Instruments" (Classification and Measurement of Financial Assets/ Financial Liabilities)

Classification and measurement of Financial Instruments shall be made on the basis of the facts and circumstances that exist at the date of transition to Ind AS. The Company has evaluated the facts and circumstances existing on the date of transition to Ind AS for the purpose of classification and measurement of Financial instruments and accordingly has classified and measured financial instruments on the date of transition.

(d) Ind AS 109 "Financial Instruments" (Impairment of Financial Assets):

Impairment requirements under Ind AS 109 should be applied retrospectively based on reasonable and supportable information that is available on the date of transition without undue cost or effort.

The Company has not recognised any impairment of financial asset during the year.

(e) Remeasurements of post-employment benefit obligations

Under Ind AS, remeasurements i.e. actuarial gains and losses and the return on plan assets, excluding amounts included in the net interest expense on the net defined benefit liability are recognised in other comprehensive income instead of profit or loss. Under the previous GAAP, these remeasurements were forming part of the profit or loss for the year.

(f) Retained earnings

Retained earnings as at April 1, 2022 has been adjusted consequent to the above Ind AS transition adjustments.

(g) Other comprehensive income

Under Ind AS, all items of income and expense recognised in a period should be included in Income or Expenditure for the period, unless a standard requires or permits otherwise. Items of income and expense that are not recognised in Income or Expenditure but are shown in the statement of Other Comprehensive Income includes remeasurements of defined benefit plans. The concept of other comprehensive income did not exist under previous GAAP.

Reconciliation of Equity as on 01.04.2022

(₹ in lakh)

Particulars	Notes	Amount as per IGAAP	Effects of transition to Ind AS	Amount as per Ind AS
ASSETS				
Non-current assets				
i) Property, Plant and Equipment		3,858	5	3,864
ii) Right to Use Assets		-	-	-
iii) Capital Work-In-Progress		28	-	28
iv) Intangible Assets		58	1	59
v) Intangible Assets Under Development		-	-	-
vi) Financial Assets		-	-	-
a. Investments		-	-	-
b. Loans		-	2	2
c. Other Financial Assets - Security Deposits		-	6	6
vii) Other Non Current Assets		6	-6	-
		3,951	8	3,959
Current assets		-	-	-
i) Inventories		-	-	-
ii) Financial assets		-	-	-
a. Trade Receivables		-	-	-



Notes to the Standalone Financial Statements

(₹ in lakh)

Particulars	Notes	Amount as per IGAAP	Effects of transition to Ind AS	Amount as per Ind AS
b. Cash and Cash Equivalents		17,338	-13,970	3,368
c. Other Bank Balances		-	13,970	13,970
d. Loans		10,361	-10,357	4
e. Other Financial Assets		-	1,427	1,427
iii) Other Current Assets		2,745	8,928	11,673
		30,445	(2)	30,443
Total Assets		34,395	6	34,401
EQUITY AND LIABILITIES				
Equity				
i) Equity Share Capital		2,500	-	2,500
ii) Other Equity		21,020	5	21,024
		23,520	5	23,524
Liabilities				
A) Non-current Liabilities				
i) Financial Liabilities				-
a. Borrowings				-
b. Lease Liabilities				-
c. Provisions		300	-0	299
d. Other Financial Liabilities		-	364	364
ii) Other Non Current Liabilities		607	-364	243
iii) Deferred Tax Liabilities (Net)		-	-	-
		906	(0)	906
B) Current liabilities				
i) Financial Liabilities		-	-	-
a. Borrowings		-	-	-
b. Lease Liabilities		-	-	-
c. Trade Payable		-	-	-
Due to Micro and Small Enterprise		18	-	18
Due to Others		4,270	1	4,271
d. Other Financial Liabilities		-	5,207	5,207
ii) Provisions		45	-0	45
iii) Other Current Liabilities		5,637	-5,207	430
iv) Current Tax Liabilities (Net)		-	-	-
		9,970	1	9,971
Total Equity and Liabilities		34,395	6	34,401

Notes to the Standalone Financial Statements

Reconciliation of equity as on 31.03.2023

(₹ in lakh)

Particulars	Notes	Amount as per IGAAP	Effects of transition to Ind AS	Amount as per Ind AS
ASSETS				
Non-current assets				
i) Property, Plant and Equipment		3,639	6	3,645
ii) Capital Work-In-Progress		29	-29	-
iii) Intangible Assets		52	1	53
iv) Financial Assets		-	-	-
a. Investments		2,438	-	2,438
b. Loans		-	1	1
c. Other Financial Assets - Security Deposits		-	5	5
v) Other Non Current Assets		6	-6	-
		6,163	-22	6,142
Current assets				
i) Inventories				-
ii) Financial assets				
a. Trade Receivables				-
b. Cash and Cash Equivalents		52,271	(49,209)	3,062
c. Other Bank Balances		-	49,873	49,873
d. Loans		9,551	(9,548)	4
e. Other Financial Assets		-	2,274	2,274
iii) Other Current Assets		3,592	7,236	10,829
		65,415	627	66,042
Total Assets		71,578	605	72,183
EQUITY AND LIABILITIES				
Equity				
i) Equity Share Capital		2,500	-	2,500
ii) Other Equity		29,674	(70)	29,604
		32,174	(70)	32,104
Liabilities				
A) Non-current Liabilities				
i) Financial Liabilities				-
a. Borrowings				-
b. Lease Liabilities				-
c. Provisions		296	0	296
d. Other Financial Liabilities		-	367	367
ii) Other Non Current Liabilities		25,186	319	25,506
		-	-	-
		25,483	686	26,169
B) Current liabilities				
i) Financial Liabilities		-	-	-
Due to Micro and Small Enterprise		22	-	22
Due to Others		6,198	-	6,198
b. Other Financial Liabilities		-	6,942	6,942
ii) Provisions		60	(9)	51
iii) Other Current Liabilities		7,642	(6,943)	698
		13,922	(11)	13,911
Total Equity and Liabilities		71,578	605	72,183



Notes to the Standalone Financial Statements

Reconciliation of total comprehensive income for the period March 31, 2023

(₹ in lakh)

S. No.	Particulars	Note No.	Amount as per IGAAP	Effects of transition to Ind AS	Amount as per Ind AS
	CONTINUING OPERATIONS				
I	Revenue from operations	16	10,919	(49)	10,870
II	Other income	17	2,274	(36)	2,238
	(i) Interest on deposit with banks		-	-	-
	(ii) Interest on Multipurpose Advances		-	-	-
III	Total Income (I+II)		13,193	(85)	13,108
	EXPENSES		-	-	-
	Employee benefits expense	18	3,186	31	3,216
	Depreciation & Amortization	10 & 11	274	(0)	274
	Other expenses	19	991	-	991
IV	Total expenses (IV)		4,451	30	4,481
V	Surplus before exceptional items and tax (III- IV)		8,743	(115)	8,627
	Prior Period transferred under retained earning	22	1	(1)	-
	Surplus of Income over Expenditure for the year (V-VI)		8,741	(114)	8,627
VI	Exceptional items		-	-	-
VII	surplus before tax (V - VI)		8,741	(114)	8,627
VIII	Tax expense:		-	-	-
	(i) Current tax :		-	-	-
	(ii) Deferred tax		-	-	-
IX	Surplus for the period from continuing operations (VII-VIII)		8,741	(114)	8,627
X	Other comprehensive Income				
	A. Items that will not be reclassified to profit or loss		-	-	-
	A (i) Remeasurement of defined benefit plans		-	39	39
	A (ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		-	-	-
XI	Total Other comprehensive Income/ (losses)		-	39	39
	Total Comprehensive Income for the period (Comprising surplus (deficit) and Other Comprehensive Income for the period) (X+XI)		8,741	(75)	8,667
XII	Earnings Per Share (EPS):		-	-	-
	(1) Basic (EPS in Rupees)		3,451	-	3,451
	(2) Diluted (EPS in Rupees)		3,451	-	3,451

Notes to the Standalone Financial Statements

48 Equity Reconciliation

(₹ in lakh)

S. No.	Particulars	31-03-2023	01-04-2022
1	Total equity (Shareholder's fund) under previous GAAP	32,174	23,520
	Ind AS adjustments	-	-
	Add/(Less): Carried Forward	5	-
	Add/(Less): Net Interest on Multipurpose Advance	0	-
	Add/(Less): Recognition of Multipurpose loan advance as per Amortised cost	0	(0)
	Add/(Less): Accrued Interest on Multipurpose advance to employees	(0)	(0)
	Add/(Less): Employee benefit cost on accounting of Multipurpose advance given to employees during the year on amortised cost	(0)	-
	Add/(Less): Gratuity and Leave Encashment provision adjustment	(0)	0
	Add/(Less): Prior Period Item adjustment pertaining to FY 22-23 and earlier years	2	5
	Add/(Less): Prior Period Item adjustment pertaining to FY 23-24	(76)	-
	Total	(70)	5
2	Total Equity as per Ind AS	32,104	23,524

First time adoption of Ind AS

Notes to reconciliation

(1) Remeasurement of gratuity and leave encashment recognised in other comprehensive income

Under Ind AS, the actuarial gains and losses form part of remeasurement of the net defined benefit liability / asset and are recognised in other comprehensive income. Under previous GAAP, actuarial gains and losses were recognised in statement of profit and loss.

(2) Multi-purpose advance to Employees

Under previous GAAP, the Company used to provide the Multipurpose advance to employees at undiscounted value. In contrast, Ind AS requires the advance to be recorded at Amortised Cost. The resultant differences has been adjusted against Retained Earnings.

(3) Prior Period Items

Under the previous GAAP, prior period items were reflected in the financials of the year in which they were discovered. Under Ind AS, the same are to be restated retrospectively in the financials of the prior year figures.

49 Other regulatory information

(a) Title deeds and additional disclosures for leasehold premises

The Company's has constructed residential quarters at Nirmal Park, Byculla, Pali Hill, Bandra, Mumbai and IRICEN Pune. As per the understanding with the railways, the said quarters were to be constructed by the company on land provided by Railways and the entire project cost was also to be borne by the company. 50 % of the quarters so constructed were to be leased to the company for the period of 30 years at lease rent of ₹1,000 per annum per flat. Accordingly the cost of construction of the residential quarters at Nirmal Park, Pali Hill and IRICEN, Pune is included in tangible assets under leasehold premises and is amortised over the lease period. The construction of leasehold premises at IRICEN is completed during the year. The ownership of the land and Structure thereon shall continue to be with the licensor (i.e Indian Railways). The company has capitalised one flat taken from IRCON amounting to ₹150 lakhs as leasehold property for 22 years at lease rent of ₹1000/- per annum per flat. The Corporation in case of Leasehold Premises does not hold properties in its name, hence title deeds in the name of the company is not applicable.

(b) Revaluation of property, plant and equipment and intangible assets

The Company has not revalued any of its property, plant and equipments and intangible assets.



Notes to the Standalone Financial Statements

- (c) Loans or advances in the nature of loans are granted to promoters, directors, KMPs and the related parties

The company has not granted any loans or advances to promoters, directors, KMP's and the related parties

- (d) Capital- work- in progress (CWIP) :

As at 31 March 2024

Particulars	Outstanding for following period from due date of payment				(₹ in lakh)
	Total				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	>than 3 years	
Construction of 48 units Type V flats (1 block of stilt + 24 storey) Nirmal Park	-	-	-	-	-

As at 31 March 2023

Particulars	Outstanding for following period from due date of payment				(₹ in lakh)
	Total				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	>than 3 years	
Construction of 48 units Type V flats (1 block of stilt + 24 storey) Nirmal Park	1	-	-	28	29

As at 01 April 2022

Particulars	Outstanding for following period from due date of payment				(₹ in lakh)
	Total				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	>than 3 years	
Construction of 48 units Type V flats (1 block of stilt + 24 storey) Nirmal Park	-	-	-	28	28

Note:

Particulars	Status
Temporary Suspended Projects	None
Overdue completion of Projects	None
Projects which have exceeded the cost compared to its original	None

- (e) Details of benami property held :

The company does not hold any benami property as defined under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and the rules made thereunder. No proceeding has been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and the rules made there under.

- (f) Wilful defaulter :

The Company has not been declared Wilful Defaulter by any bank or financial institution or any other lender

Notes to the Standalone Financial Statements

50 Details of Analytical Ratios:

Sr. No.	Ratio	Numerator ₹ in Lakh		Denominator ₹ in Lakh		2023-24	2022-23	% Variance	Reason for variance
		2023-24	2022-23	2023-24	2022-23				
1	Current Ratio	79,918	66,042	14,195	13,911	5.63	4.75	18.59%	Since the variance is less than 25% explanation is not required
2	Debt-equity ratio	Nil	Nil	43,025	32,104	NA	NA	NA	
3	Debt-service coverage ratio	13,641	8,909	Nil	Nil	NA	NA	NA	
4	Return on equity ratio (RoE)	13,371	8,627	43,025	32,104	31.08%	26.87%	16%	Since the variance is less than 25% explanation is not required
5	Inventory turnover ratio	-	-	-	-	-	-	-	Not Applicable as there no inventories in Co.
6	Trade receivables turnover ratio	-	-	-	-	-	-	-	Not Applicable as there are no trade receivables in company
7	Trade payables turnover ratio	1,88,221	1,66,722	2,099	6,220	89.66	26.80	234.52%	Due to increase in project/other expenditure and reduction in trade payables
8	Net capital turnover ratio	11,946	10,870	43,025	32,104	27.76%	33.86%	-18.00%	Since the variance is less than 25% explanation is not required
9	Net profit ratio	13,371	8,627	11,946	10,870	111.93%	79.37%	41.02%	Due to increase in other income surplus in current year has increased
10	Return on capital employed	13,371	8,627	43,025	32,104	31.08%	26.87%	15.64%	Since the variance is less than 25% explanation is not required
11	Return on investment	13,371	8,627	43,025	32,104	31.08%	26.87%	15.64%	Since the variance is less than 25% explanation is not required
12	EBITDA as a % of Revenue	13,637	8,901	18,216	13,108	74.86%	67.90%	10.24%	Since the variance is less than 25% explanation is not required
13	Asset turnover ratio	11,946	10,870	80,282	53,292	14.88%	20.40%	-27.05%	Due to increase in assets in current year as compared to previous year.

51 Financials Instrument and risk management

(a) Capital management

The capital structure of the Company consists of equity only:

Particulars	(₹ in lakh)		
	As at 31-03-2024	As at 31-03-2023	As at 01-04-2022
Equity	43,025	32,104	23,524
Debt	-	-	-
Debt-Equity Ratio	NA	NA	NA

The Company has no borrowings hence the debt -equity ratio is not applicable.

Debts is defined as all long term debt outstanding (including unamortised expense)+ Contingent liability pertaining to corporate / financial guarantee given + Short term debt outstanding in lieu of long term debts. Total Equity is defined as Equity share capital+ all reserve (excluding revaluation reserve)+ deferred tax liabilities - deferred tax assets - intangible assets - intangible asset under development.



Notes to the Standalone Financial Statements

(b) Category of Financial Instruments

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March, 2024		
	Amortized cost	FVTPL	FVTOCI
Financial assets			
Investment	4,921	-	-
Cash and Cash Equivalent	4,608	-	-
Bank balances other than (i) above	60,234	-	-
Loans	3	-	-
Other financial assets	4,511	-	-
Total financial assets	74,277	-	-
Financial liabilities			
Trade Payables	2,099	-	-
Other Financial liabilities	11,290	-	-
Total financial assets	13,390	-	-

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March, 2023		
	Amortized cost	FVTPL	FVTOCI
Financial assets			
Investment	2,438	-	-
Cash and Cash Equivalent	3,062	-	-
Bank balances other than (i) above	49,873	-	-
Loans	5	-	-
Other financial assets	2,280	-	-
Total financial assets	57,657	-	-
Financial liabilities			
Trade Payables	6,220	-	-
Other Financial liabilities	7,308	-	-
Total financial assets	13,529	-	-

(₹ in lakh)

Particulars	As at 01st April 2022		
	Amortized cost	FVTPL	FVTOCI
Financial assets			
Investment	-	-	-
Cash and Cash Equivalent	3,368	-	-
Bank balances other than (i) above	13,970	-	-
Loans	6	-	-
Other financial assets	1,432	-	-
Total financial assets	18,777	-	-
Financial liabilities			
Trade Payables	4,289	-	-
Other Financial liabilities	5,570	-	-
Total financial assets	9,859	-	-

Notes to the Standalone Financial Statements

(c) Fair Value Measurement

Financial Instrument at fairvalue

As at 31/03/2024

	(₹ in lakh)		
Particulars	Level 1	Level 2	Level 3
Financial liabilities			
Financial Assets			
Investment	4,921		
Loans		3	

As at 31/03/2023

	(₹ in lakh)		
Particulars	Level 1	Level 2	Level 3
Financial liabilities			
Financial Assets			
Investment	2,438		
Loans		4	

As at 01/04/2022

	(₹ in lakh)		
Particulars	Level 1	Level 2	Level 3
Financial liabilities			
Financial Assets			
Investment	-		
Loans		6	

Notes:

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consists of the following three levels:

Level 1 : Inputs are Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2 : Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

Level 3 : Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

There have been no transfers among Level 1, Level 2 and Level 3 during the period.

(d) Fair value of financial assets and liabilities measured at amortized cost.

The Management has assessed that fair value of loans, cash and cash equivalents, other bank balances, other financial assets, trade payables and other financial liabilities approximate their carrying amounts largely due to their short-term nature. Difference between carrying amount of Bank deposits, other financial assets, borrowings and other financial liabilities subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented. For financial assets and liabilities that are measured at fair value, the carrying amounts are equal to the fair.

None of the company's financial assets and financial liabilities are measured at fair value at the end of the reporting period.

(e) Financial Risk Management

The Company's board of directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the Company's risk management framework. The board has established the key management personnel, which is responsible for developing and monitoring the Company's risk management policies. The key management personnel holds regular meetings and report to board on its activities. The Company's risk management policies are established to identify and analysis the risks faced



Notes to the Standalone Financial Statements

by the Company, to set appropriate risk limits and controls and to monitor risks and adherence to limits. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in operational framework and the Company's activities. The Company, through its training and management standards and procedures, aims to maintain a disciplined and constructive control environment in which all employees understand their roles and obligations. The board of directors oversee how key management personnel monitors compliance with the Company's risk management policies and procedures, and reviews the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Company. This note explains the sources of risk which the entity is exposed to and how the entity manages the risk.

Risk	Exposure arising from	Measurement	Management of risk
Credit risk	Cash and Cash equivalents, Financial assets measured at Amortized Cost	Cash and Cash equivalents, Financial assets measured at Amortized Cost	Diversification of funds to bank deposits, Liquid funds and Regular monitoring of credit limits.
Liquidity risk	Borrowings and other liabilities	Borrowings and other liabilities	Availability of surplus cash, committed credit lines and borrowing facilities
Market risk	NA	NA	NA
Price Risk	Investment in Government Securities	Investment in Government Securities	Portfolio diversification and regular monitoring

(i) Credit Risk

a) Cash and Cash Equivalents and Investment in Government Securities

Credit risk on cash and cash equivalents, other deposits with banks and Investment in Government Securities is limited as the Company generally invests in deposits with banks with high credit ratings assigned by external credit rating agencies; accordingly the Company considers that the related credit risk is low.

b) Other Financial Assets

The Company is having balances in cash and cash equivalents, term deposits with banks, Loans to Employees, investments in government securities etc. With respect to investments, the Company limits its exposure to credit risk by investing in liquid securities with high credit security. The Company's investment policy lays down guidelines with respect to exposure per counterparty, rating, processes in terms of control and continuous monitoring. The Company therefore considers credit risks on such investments to be negligible. Loans receivable from Employees have negligible credit risk and hence no risk of default is perceived on them.

(ii) Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. The Company's approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will have sufficient liquidity to meet its liabilities when they are due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Company's reputation.

The Company's treasury maintains flexibility in funding by maintaining liquidity through investments in liquid funds and other committed credit lines. Management monitors rolling forecasts of the group's liquidity position and cash and cash equivalents on the basis of expected cash flows.

Notes to the Standalone Financial Statements

Financing

The liquidity position of the Company is as follows:

	(₹ in lakh)					
Particulars	As at 31-03-2024		As at 31-03-2023		As at 01-04-2022	
Cash and Cash equivalent	4,608	-	3,062	-	3,368	-
Bank Balances other than above	60,234	-	49,873	-	13,970	-

Liquidity Table

The Company's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods is given below. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Company may be required to pay.

As at 31/03/2024

	(₹ in lakh)			
Particulars	Less than 1year	1-5 years	5 years and above	
Financial Liabilities				
Other Financial Liabilities	10,908	383		-
Trade Payables	2,099	-		-

As at 31/03/2023

	(₹ in lakh)			
Particulars	Less than 1year	1-5 years	5 years and above	
Financial Liabilities				
Other Financial Liabilities	7,053	256		-
Trade Payables	6,220	-		-

As at 01/04/2022

	(₹ in lakh)			
Particulars	Less than 1year	1-5 years	5 years and above	
Financial Liabilities				
Other Financial Liabilities	5,207	364		-
Trade Payables	4,289	-		-

(iii) Regulatory Risk

The scope and nature of the operation of the company is formulated, finalised, reviewed and controlled by the Ministry of Railways in consultation with Government of Maharashtra. After consultation, the work and the funds required for the execution of the work are provided by the Ministry of Railways and Government of Maharashtra with the assistance of World Bank, MDB, AIBB etc.

(iv) Market Risk

The Company is a Special Purpose Vehicle established by Ministry of Railways and Government of Maharashtra for the development of Suburban Railway Transport Project. The company has practically no market risk since the project and the funds for the same are provided by the Ministry of Railways and the Government of Maharashtra.

(v) Interest Rate Risk

Since the company has no borrowings, the company is not subject to any Interest rate risk



Notes to the Standalone Financial Statements

(vi) Price Risk Exposure

The Company's exposure to securities price risk arises from investments held in Government Securities which are classified in the balance sheet at Amortised Cost. Such securities are issued by State Governments and hence in company's opinion are subject to eligible price fluctuation risk. Quotes of these securities are available in the market and can be obtained from relevant websites.

52 Previous year's figures have been regrouped/rearranged and reclassified wherever necessary to conform with the current year's presentation.

As per our report of even date,

For R A V & CO

Chartered Accountants

CA Ramesh A. Shetty

Partner

Membership No. 204538

Firm Registration No. 0075325

Place : Mumbai

Date : 28th June 2024

For and on behalf of Board of Directors

MUMBAI RAILWAY VIKAS CORPORATION LIMITED

S. C. Gupta

Chairman and Managing Director

DIN : 08339258

Manoj Kumar Sinha

Financial Advisor & Chief Accounts Officer

Smriti Verma

Director (Finance)

DIN 10369917

Sangeeta Verma

Company Secretary

Notes

[illegible]

MUMBAI SUBURBAN RAIL NETWORK

PROJECTS UNDER MUTP

Phase I (Completed)

- 5th line between Mahim & Santacruz
- 3rd & 4th lines between Borivali & Virar
- 5th & 6th lines between Kurla & Thane

Phase II (Under Implementation)

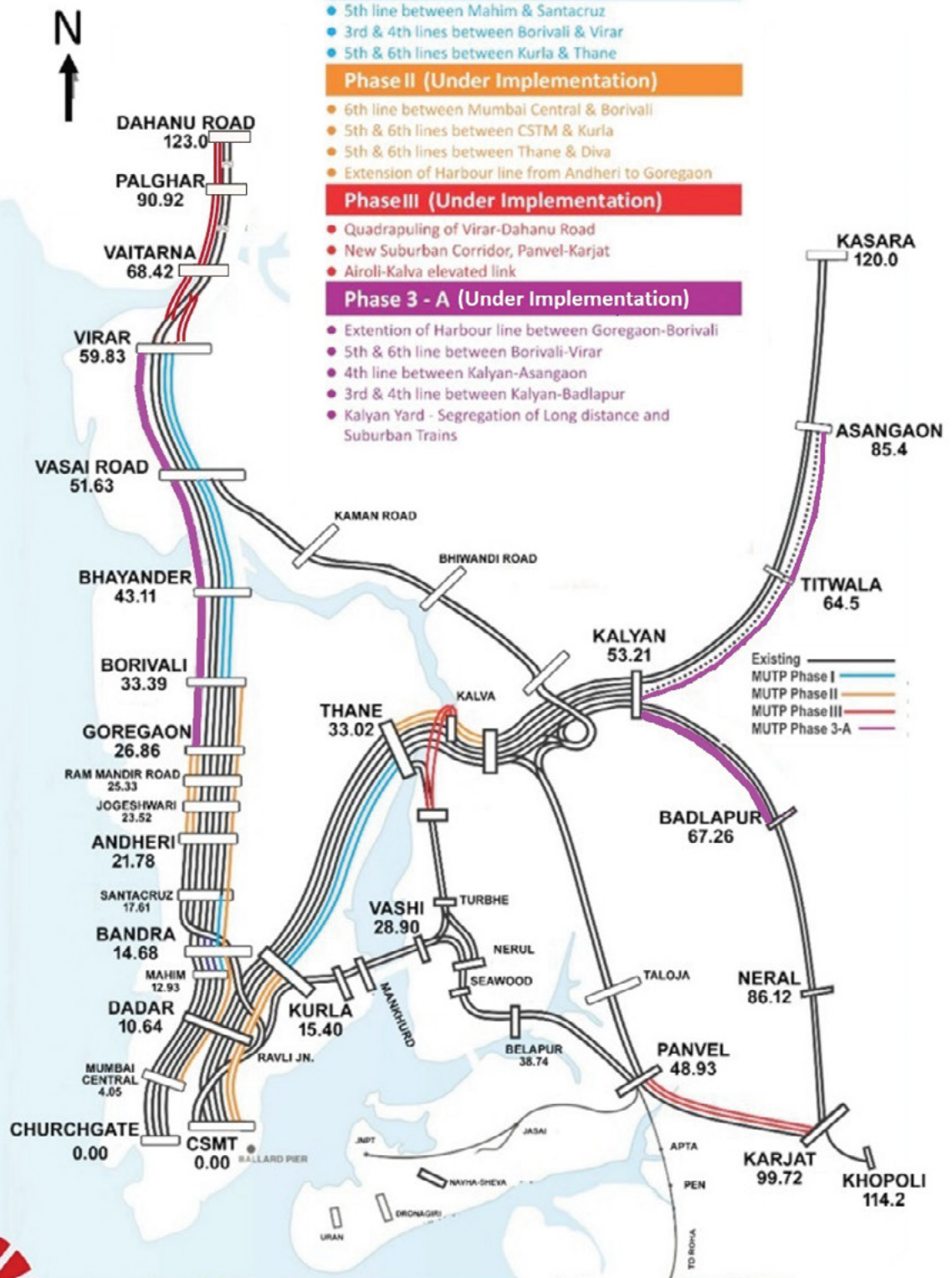
- 6th line between Mumbai Central & Borivali
- 5th & 6th lines between CSTM & Kurla
- 5th & 6th lines between Thane & Diva
- Extension of Harbour line from Andheri to Goregaon

Phase III (Under Implementation)

- Quadrupling of Virar-Dahanu Road
- New Suburban Corridor, Panvel-Karjat
- Airoli-Kalva elevated link

Phase 3 - A (Under Implementation)

- Extension of Harbour line between Goregaon-Borivali
- 5th & 6th line between Borivali-Virar
- 4th line between Kalyan-Asangaon
- 3rd & 4th line between Kalyan-Badlapur
- Kalyan Yard - Segregation of Long distance and Suburban Trains



मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड
MUMBAI RAILWAY VIKAS CORPORATION Ltd.



MUMBAI RAILWAY VIKAS CORPORATION LTD.

(A PSU of Govt. of India, Ministry of Railways)

Churchgate Station Bldg., 2nd floor, Mumbai 400020

Telephone No. : 022 - 22195398 / 399

Fax: +91-22 - 22096972

Email: com@mrvc.gov.in

CIN: U45203MH1999GOI120765

